छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षोडश सत्र**

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023

(फाल्गुन 29, शक सम्वत् 1944)

[अंक 11]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023

(फाल्गुन 29, शक सम्वत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुये}

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विश्व प्रसन्नता दिवस है। आप पूरे घंटे भर जब तक बैठेंगे तब तक मुस्कुराते रहना है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- और संसदीय कार्य मंत्री जी भी मुंह उतार कर मत बैठे। आज दिन भर कम से कम सत्तारूढ़ दल मुस्कुराते रहे। (हंसी)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी चूप रहूंगा बोले और अभी से चालू कर दिये। मेरे को बोले कि तुम चुप रहो।

श्री धर्मजीत सिंह :- आज इधर सब तय करके आए हैं कि मुस्कुरायेंगे ही।

अध्यक्ष महोदय :- हम भी मुस्कुराते रहेंगे। आज ननकी राम जी से अपेक्षा नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आ जायेंगे। (हंसी) आईये, शुरू हो जाईये। आपका ही पहला प्रश्न है। शुरू हो जाईये।

<u>कोरबा जिले के विकासखंड कोरबा के ग्राम रजगामार के आश्रित ग्राम ओमपुर में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने बाबत्</u>

[महिला एवं बाल विकास]

1. (*क्र. 512) श्री ननकी राम कंवर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरबा जिले के विकासखंड कोरबा के ग्राम रजगामार के आश्रित ग्राम ओमपुर में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? (ख) क्या वर्ष 2022 - 23 में रजगामार के आश्रित ग्राम ओमपुर में 2 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हॉ तो क्याख वहां केंद्र खोलने के लिए विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया? यदि नहीं तो कब तक जारी किया जावेगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :(क) कोरबा जिले के विकासखंड कोरबा के ग्राम रजगामार के आश्रित ग्राम ओमपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं है। (ख) जी हां। प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम ओमपुर में दो आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री ननकी राम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्राम ओमपुर की जनसंख्या कितनी है?

अध्यक्ष महोदय :- जी?

श्री ननकी राम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, ओमपुर गांव की जनसंख्या कितनी है? मैं एक ही प्रश्न कर रहा हूं। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु दो-दो प्रस्ताव प्रस्तुत है तो आंगनबाड़ी केन्द्र कब तक खुल जायेगा?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य महोदय, मैं आपको बधाई भी दूंगी कि आपके प्रश्नकाल अवधि तक वहां आंगनबाड़ी खुल गई है।

श्री ननकी राम कंवर :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। रामकुमार यादव जी।

<u>विधानसभा क्षेत्र चन्द्रदपुर अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रदत्त बीज की गुणवत्ता की प्राप्त शिकायतें</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

2. (*क्र. 1353) श्री रामकुमार यादव : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरीफ एवं रबी सीजन हेतु वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 की अवधि में सहकारी केंद्रों को, किन-किन एजेंसियों द्वारा, किन-किन फसलों के बीज की सप्लाई की गई है? (ख) प्रश्न "क" के अनुसार प्रदाय बीजों के गुणवत्ताहीन होने की कितनी शिकायतें कहां-कहां प्राप्त हुई हैं? संबंधित फर्म एवं एजेंसियों पर क्या कार्रवाई की गई है? (ग) प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या बीज के उपयोग के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किया गया है? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? विकासखंडवार, ग्रामवार कृषकों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्याक वर्तमान खरीफ फसल खरीफ एवं रबी सीजन हेतु संस्थाओं द्वारा सरकारी केंद्रों को बीज उपलब्ध कराया गया है? यदि हां तो एजेंसियों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 की अवधि में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में मालखरौदा एवं डभरा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.,रायपुर के द्वारा खरीफ मौसम में धान,अरहर,मूंग एवं ढेंचा तथा रबी मौसम में गेहूं,चना एवं सरसों फसलों के बीज का भण्डारण किया गया है। (ख) प्रश्न "क" के अनुसार प्रदाय बीजों के गुणवत्ताहीन होने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।(ग) प्रश्नांश ‘‘ख’ के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक ।(घ) जी हां। खरीफ 2022 एवं रबी वर्ष 2022-23 में सहकारी समितियों में ‘‘छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.,रायपुर द्वारा बीजों का भण्डारण कराया गया है। विकासखण्डवार,समितिवार,फसलवार,भण्डारित बीज की मात्रा सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी ल पूछे रहे कि खरीफ फसल एवं रबी फसल 2020-21 के सहकारी सिमति में कौन-कौन से केन्द्र में बीज गुणवत्ता के शिकायत मिले रहीसे, ओकर मोला जानकारी मिल गेहे। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हव अउ बस एक ठन बात कहना चाहत हव कि ए दारी अउ ज्यादा बीच भेज दिहा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद भी बोलिये। धन्यवाद भी बोलिये।

श्री रामकुमार यादव :- जी-जी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 03। श्रीमती इंदू बंजारे।

श्री शिवरतन शर्मा :- एतेक जल्दी संतुष्ट होगे। साढ़े चार साल बीतत हे, बिहाव नइ होहे। बिहाव के व्यवस्था होही कइके मंत्री जी करा त मांग कर ले।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- वह हमारे पक्ष के आदरणीय साथी हैं। इतना चिंता तो प्रतिपक्ष को करना चाहिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- मै वही चिंता से अवगत करा रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरी बात तो समझ लीजिये। माननीय रामकुमार जी अविभाजित जांजगीर-चांपा जिले के ..।

अध्यक्ष महोदय :- अविवाहित विधायक हैं । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- अविवाहित विधायक हैं। सौभाग्य से ही जांजगीर-चांपा जिले के ही हमारे विधानसभा के आसंदी में बैठे हैं और माननीय धरमलाल कौशिक के दुर्भाग्य से और आपके सौभाग्य से जांजगीर-चांपा जिले के नारायण चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। इतना काम भी आप लोग नहीं करा सकते। (हंसी)

[1] परिशिष्ट “एक”

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय चौबे जी, चिंता इस बात की है कि अविभाजित बलौदाबाजर-भाटापारा जिले में भी एक कुंवारी है और आपके अविभाजित जांजगीर-चांपा जिले में भी एक कुंवारा है तो सरकार को चिंता तो करनी चाहिए। आप अपने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की चिंता इसलिए नहीं है कि वह जब खड़ा होती है तब हमारे मामा पुन्नूराम मोहले खड़े हो जाते हैं। (हंसी) लेकिन जांजगीर जिले की चिंता तो करना पड़ेगा न।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके गोत्र के बारे में, राजिम भक्तिन माता, राजिम में मंच से घोषणा की थी कि इसके लिए खोजेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको भी विधानसभा में की गई घोषणा मान लेनी चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- नहीं, मेरा काम दुल्हा खोजने का नहीं है, मेरा काम अपराधी खोजने का है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- कोई अच्छा अपराधी ही खोज लीजिये न।

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि आपने सबके सामने कहा है तो आपके मामा जी उनके दादा जी हैं क्या?

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- चौबे जी, हम लोग रामकुमार जी का कुंडली मंगवाये हैं और हम और अध्यक्ष जी कुंडली मिलवाने के लिए लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग शायद भूल गये हैं क्या कि ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, कुंडली देखने का काम हमारा है। आप कुंडली मंगाकर कर भी क्या लेंगे? हमने कुंडली देखा है कि रामकुमार जी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ऐसा भी हो सकता है कि रामकुमार जी का विवाह लड़की से न होकर बछिया से हो सकता है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप जांजगीर जिले की तारीफ करते समय माननीय भूल गये कि अध्यक्ष भी वहीं के हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वहीं के हैं और विधानसभा सचिव भी वहीं के हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने सचिव के बारे में नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सचिव के बारे में नहीं बोल पाये। यह सचिव भी वहीं के हैं। चलिये, श्रीमती इंदू बंजारे।

<u>जिला जांजगीर चांपा में विभिन्न मदों से प्राप्त राशि व व्यय</u>

[समाज कल्याण]

3. (*क्र. 1293) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक जांजगीर चांपा जिला को किन -किन मदों मे कितनी - कितनी राशि प्रदान कि गई है तथा प्रदान कि गई राशि को किन -किन मदो में कितना - कितना खर्च किया गया है, ब्लाकवार जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : जिला जांजगीर-चांपा को प्रश्नांश में दर्शित अवधि तक विभिन्न विभागीय योजना मद में राशि 14162.52 लाख रूपए एवं वेतन मद में राशि 94.58 लाख रूपए कुल राशि 14257.10 लाख रूपए प्रदान की गई है। प्राप्त मदवार आबंटन, खर्च की गयी। मद एवं खर्च की गयी राशि की जानकारी वर्षवार प्रपत्र 'अ'[2] में संलग्न है। मदवार प्राप्त आबंटन, खर्च की गयी मद एवं ब्लाक वार खर्च की गयी राशि की जानकारी प्रपत्र 'ब' में संलग्न है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब मुझे मिल गया है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । क्या बात है ? शोभाराम बघेल जी ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- वल्ले-वल्ले हे । (हंसी)

<u>डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि यांत्रिकी सबमिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत अनुदान</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

4. (*क्र. 1389) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी 2021 से जनवरी 2023 तक कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कृषि यंत्र, कितनी संख्या में दिए गए हैं ? (ख) क्या अनुदान की राशि हितग्राही के खाते में प्रदान की जाती है या एजेंसी के बैंक खाते में? कितने कृषि यंत्रों की, कितनी अनुदान राशि देना बकाया है एवं कब तक अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी ? (ग) उक्त योजना क्या वर्तमान में संचालित है ? प्रश्न "क"अवधि में योजना से डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं ?

---

[2] परिशिष्ट "दो"

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) विभागीय योजनाओं में जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। जनवरी 2021से जनवरी 2023 तक कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत डोगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित [3]विकासखण्डों (राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़) में अनुदान पर प्रदाय किए गए कृषि यत्रों की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अ, प्रपत्र ब एवं प्रपत्र स अनुसार है।(ख) कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट क्रमांक-3 घटक के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषक द्वारा चयनित प्रदायक संस्था के बैंक खाते मंा किया जाता है। कंपोनेंट क्रमांक-4 एवं 6 के तहत फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना अंतर्गत अनुदान राशि क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में हितग्राही के द्वारा बैंक से लिये गये ऋण खाते में 4 वर्ष के लॉकिंग पीरियड हेतु दी जाती है।योजनांतर्गत कंपोनेंट क्रमांक-3 में 10 शक्ति चलित कृषि यंत्रों की अनुदान राशि रू. 12.87 लाख भुगतान हेतु लंबित है। जिसके भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।(ग) जी हाँ, प्रश्नांश 'क'में उल्लेखित योजना वर्तमान में संचालित है। प्रश्नाधीन अवधि में डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में कुल 2916 कृषको को योजना का लाभ प्रदाय किया गया है।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हा कृषि यंत्रीकरण सबमिशन योजना के बारे में मंत्री जी से जवाब चाहे रहेओं । मोला जवाब मिल गे हे।

अध्यक्ष महोदय :- अरे वंडरफुल ।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं एक प्रश्न करत हंओं कि सबमिशन योजना में एकर चयन प्रक्रिया का हे ? अउ एक पंचायत में कतना किसान ऐकर से लाभांवित होथे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत के आधार पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है । किसान जो एप्लाई करेगा तो प्रॉयरिटी में हम लोग उसको चयनित करते हैं ।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय मंत्री जी, मैं एक सुझाव देना चाहत हंओं । ये योजना में डी.बी.टी. के माध्यम से अगर डॉयरेक्ट किसान ला ओकर खाता में पैसा जातिस ता अउ हमर किसान मन ला जल्दी अच्छा से अच्छा सुविधा मिल जतिस, मैं आपसे निवेदन करत हंओं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव अच्छा है ।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी आपके लिये सभी ने प्रश्न छोड़ दिये हैं। तहूं ये उमर में अब संतुष्ट हो जा न । आप इस उम्र में लगे रहते हैं, आप भी संतुष्ट हो जाईये ।

[3] परिशिष्ट "तीन"

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (*क्र. 879) श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सर्वेसूची 2011 के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में छुट गये ग्रामों को क्यां पुनःसूची मे शामिल किये जाने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है? यदि हां तो कब तक जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी। शहरी एवं ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिये केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को कितने आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ, वर्षवार जिलावार बतावें। क्या उक्त वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्यर के विरूद्ध राज्यांश की पूरी राशि राज्य सरकार ने दी है? यदि हां तो वर्षवार बतावें और यदि नही तो उसके क्या कारण हैं? (ख) उक्त वर्षो में कितने हितग्राहियों का मकान निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, कितना अपूर्ण है? अपूर्ण रहने के कारण क्या है? क्या छत्तीसगढ़ को आबंटित उपरोक्त वर्षो के लक्ष्यों की संख्या में केन्द्र शासन ने कटौती की है,यदि हां तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण:- योजनांतर्गत छूट गये ग्रामों को सूची मे शामिल नही किया जाता है। प्रश्न ही उपस्थित नही होता। आवास लक्ष्य का वर्षवार जिलावार जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। उक्त वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध राज्यांश की पूरी राशि नही दी है। वर्षवार जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-ब''[4] अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी:- योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार लक्ष्य का प्रावधान नहीं है, अपितु योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक स्वीकृत आवासों की वर्षवार एवं जिलावार जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-स'' अनुसार है। योजनान्तर्गत उक्त वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत आवासों के विरूद्ध प्राप्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की पूरी राशि राज्य सरकार ने दे दी है, जिसकी वर्षवार जानकारी संलग्न ''प्रपत्र- द'' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण:- उक्त वर्षों में 88,764 हितग्राहियों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 62,336 अपूर्ण है, तथा 2,36,815 आवास अप्रारंभ है। वित्तीय संसाधन की कमी के कारण। जी हां, वित्तीय संसाधन की कमी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी:- जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-इ'' अनुसार है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि सर्वे सूची में कितने गांव छूट गये हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सर्वे सूची में वर्ष 2011 में कितने हितग्राहियों के नाम शामिल किये गये और कितने गांव छूटे हैं, यह बताने का कष्ट करेंगे ।

---

[4] परिशिष्ट "चार"

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे का आधार तो गांव नहीं है और इसमें बाकी चर्चा तो बहुत हो चुकी है । आवास के बारे में कितने नाम आये, कितनों को दिया गया है । कितनी राशि दी गयी ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से इसमें 4-4 बार प्रश्न आ चुका है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय अलग है । मैंने यह पूछा है कि वर्ष 2011 की सर्वे सूची में कितने आवास प्राप्त करने वालों के नाम शामिल किये गये हैं ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उसमें कितने गांव छूट गये हैं? वैसे मेरे पूछने का मतलब यह है कि मुंगेली विधानसभा में 3 गांव छूटे हैं तो यदि आपके पास जानकारी है तो आप कृपया यह बतायेंगे कि उसके छूटने का क्या कारण है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे में गांव के नाम छूटने का कोई कारण हो, यह जानकारी तो मैं नहीं दे पाउंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में दे दीजियेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की है कि जो छूटे हुए लोग हैं और जो पात्र लोग हैं । 01 अप्रेल से हम उसका सर्वे करायेंगे, आप गांव का नाम अभी सदन के रिकॉर्ड में ला दीजिये । मैं समझता हूं कि वह नोट हो जायेगा । ऐसे पात्र हितग्राही कोई नहीं छूटेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- करही, रामगढ़ अउ सेंदमुड़ा ।

अध्यक्ष महोदय :- का कहेच ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- करही, रामगढ़ अउ सेंदमुड़ा ।

अध्यक्ष महोदय :- तीनों एक-साथ हे कि अलग-अलग हे ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग गांव हे । मैं यह जानना चाहता हूं कि टोटल प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोगों का नाम है ?

अध्यक्ष महोदय :- तुमन के ममा-भांचा वाले रिश्ता हे न ? तुमन ममा-भांचा हा न ?

श्री कवासी लखमा :- मामा कौन है, यह बता देना ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सर्वे लिस्ट में पूरा टोटल ?

श्री रविन्द्र चोबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बार चर्चा हो गयी है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें चर्चा की बात नहीं है। मैं तो अलग से बोल रहा हूं न ।

श्री रविन्द्र चोबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सर्वे में 18 लाख से अधिक लोग के नाम आये थे । 11 लाख लोगों को पात्र माना गया था, 8 लाख से कुछ अधिक लोगों के आवास बन चुके हैं । 3

लाख से कुछ अधिक लोगों के आवास शेष थे । 3200 करोड़ से अधिक की राशि इस बजट में रखी गयी है । उस सर्वे में पात्र 11 लाख सभी के आवास निर्मित हो जायेंगे, यह तो मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उस प्रश्न की जानकारी तो ले ही नहीं रहा हूं । मैं आपसे केवल यह जाना चाहता हूं कि अभी तक कितने आवासहीन लोगों को सर्वे वर्ष 2011 की जनगणना में शामिल किया गया है? आपने मेरे प्रश्न ख के उत्तर में बताया है कि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2023 में मैंने प्रश्न पूछा था कि कितने-कितने ग्रामीण आवास स्वीकृत किये गये? तो आपने जानकारी दी है कि वर्ष 2019-20 में 15 लाख 1100, वर्ष 2020-21 में 15 लाख 7815, वर्ष 2020-21 में शून्य और वर्ष 2022-23 में 79,000 टोटल आपने 38 लाख 7,915 आवास स्वीकृत बताये हैं और मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि उस समय टोटल आपने राज्यांश कितना दिया और केन्द्रांश कितना होता है और आपकी ओर से कितना देना बाकी है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मामा जी जो आंकड़े पढ़ रहे थे, वह थोड़ा गलत है । 38 लाख नहीं है, 3 लाख 87 हजार है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने जो उत्तर दिया है वह मेरे पास है । मैं यह भी बता देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास में प्रपत्र ब में, परिशिष्ट देखिए ।

श्री अमरजीत भगत :- विपक्ष वाले गणित में थोड़ कमजोर हैं । जहां अंक घाटाना रहता है घाटते नहीं है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- गणित में आप कमजोर हो, मैं नहीं हूं, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिल्कुल ठीक बोले । इधर गणित में सब कमजोर हैं और उधर गणित में सब तेज हैं । इधर नोट गिनने में कमजोर हैं, उधर नोट गिनने में सब तेज हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, 2019-20 में 1 लाख, 51 हजार 100 स्वीकृत आवास, भारत सरकार का प्राप्त लक्ष्य, 2020-21 में 6 लाख 48 हजार 867, जिसमें स्वीकृत आवास 1 लाख, 57 हजार 815, 2021-22 में 7 लाख, 81 हजार 999, लक्ष्य । स्वीकृत आवास शून्य । 2022-23 में 79 हजार, स्वीकृत आवास 79 हजार । यह लो लक्ष्य है इसी को जोड़ने पर 16 लाख होता है । हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जब प्रश्न करते हैं तो इसी 16 लाख में करते हैं, यह हर साल के लक्ष्य का जोड़ है 16 लाख । उतना आवास शेष नहीं है और राज्यांश की बात आपने पूछी है कि 2019-20 में 177 करोड़ 30 लाख, 2020-21 में 155 करोड़, 80 लाख । 2021-22 में 244 करोड़ और 2022-23 का तो मैंने आपको पहले से बता दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बाकी आप मंत्री जी के कमरे में संतुष्ट हो जाइए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो परिशिष्ट में जानकारी दी है वह मैं फिर से पढ़कर बता देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं गा, मैं कहत हौं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 38 लाख 7 हजार 900 आवास इन्होंने सीधे स्वीकृत बताया है, लक्ष्य नहीं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 38 लाख कहां से आ गे बबा । अध्यक्ष जी, ये 38 लाख कहां से आ गया ?

श्री अमरजीत भगत :- पूरे का आंकड़ा नहीं है 38 लाख । इनको गणित नहीं आता तो हमारी गलती थोड़े ही है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पटल पर रख देता हूं। परिशिष्ट में जो जानकारी दी गई है उसको देखिए । मैं उसी जानकारी पर पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको पटल पर रख दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां, मैं पटल पर रख देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल । अब माननीय मंत्री जी आपको अपने कक्ष में बुलाएंगे और संतुष्ट करेंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने जो जानकारी दी है उसमें 2022-23 में सिर्फ 676.45 लाख और बजट में आपने शेष राज्यांश का 85 लाख 55 हजार का है, यह 2022-23 में दिया है । उसके बाद वर्ष 2023-24 में बजट में राशि शामिल है ऐसा कहा गया है । इस कारण मैंने प्रश्न किया कि इन परिस्थितियों में राशि कम है अगर 38 लाख 7 हजार 900 आवास में टोटल राज्यांश कितना दिया और बजट कितना दिया ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ना, रख दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरे पास जानकारी है, मैं पटल पर रख देता हूं ।

(माननीय सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले द्वारा संबंधित दस्तावेज पटल पर रखा गया)

श्री रविन्द्र चौबे :- ममा गो, बइठ तो ।

अध्यक्ष महोदय :- तोर ममा हे, ओला चाय वाय पिला के संतुष्ट कर न यार।

श्री रविन्द्र चोबे :- अध्यक्ष जी, गणित ।

अध्यक्ष महोदय :- गणित छोड़िये, गणित में वे बहुत तेज हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, गणित में वास्तव में मैं बहुत कमजोर हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- वो तेज हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वो तेज हैं, लेकिन 38 लाख कहां से पढ़ रहे हैं, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- ओमा छपे हे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- दूसरा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है इस बजट में 3200 करोड़ से अधिक की राशि की व्यवस्था हमने की है । पात्र सारे आवासों को हम पूरा करेंगे और शेष जो बचा हुआ है अप्रैल माह में सर्वे शुरू करने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए शर्मा जी, आप खत्म कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने जो जानकारी दी है उसमें रिजेक्ट कितना है ? भारत सरकार ने कितना कैसिंल किया है । आपने कितना राज्यांश नहीं दिया,यही तो मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने कितना वापस किया वह आंकड़े भी मैं बता देता हूं । 2020-21 में 4 लाख 91 हजार 52, 2021-22 में 7 लाख, 81 हजार, 999 । मैंने अपनी मांगों की चर्चा के दौरान भी कहा कि कोरोनाकाल में आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हम राज्यांश नहीं दे पाए लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गरीबों के साथ केन्द्र सरकार ने अन्याय किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने 7 लाख 99 हजार 999 मकान आपको वापस किया। (व्यवधान) केन्द्र सरकार अन्याय नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्या आप उन आवासों को देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या केन्द्र सरकार की जवाबदारी नहीं थी ?

श्री शिवरतन शर्मा :- जवाबदारी आपकी है। (व्यवधान) और आपने पैसा वापस नहीं किया।

श्री रविन्द्र चौबे :- उनको पूरा पैसा देना था।

श्री अमरजीत भगत :- कोविड काल में जब फ्री में चावल दिया जा रहा था ऐसे समय में गरीबों को मिलने वाले आवास में केन्द्र सरकार ने केन्द्रांश बढ़ा दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने तो स्वीकार किया है। हमने दोनों साल राज्यांश नहीं दिया, इसलिए इतना जो लक्ष्य दिया गया था, 6 लाख 48 हजार, 7 लाख 81 हजार उसमें....।

श्री अजय चंद्राकर :- बजट में तो दो हजार करोड़ प्रिंट है, आप कहां से तीन हजार करोड़, तीन हजार करोड़ बताते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- इन्होंने वर्ष 2018-19 में कर्ज लेकर आवास स्वीकृत किए थे, उसको तो हम ही लोग पटा रहे हैं। निर्माण भी हमने कराया, पैसा भी हमने दिया और कर्ज की राशि की अदायगी भी हमारी सरकार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शर्मा जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत होगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जो आवास केन्द्र सरकार ने आपको वापस किया और उसका पैसा वापस कराया, क्या आप उस आवास की राशि देंगे जिससे लोगों का हित हो सके ? आपने कितने लोगों को राशि वापस की है बता दीजिए। आप उस आवास को देंगे या नहीं, यही तो हमारा प्रश्न है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार कहा कि 11 लाख से अधिक पात्र लोगों में से जो शेष आवास का था, वह पूरा मकान हम बनाकर देंगे, नंबर एक। हम केन्द्र सरकार से अभी भी मांग करते हैं। पहले आवास की योजना में 90 प्रतिशत राशि केन्द्र देता था, 10 प्रतिशत राशि ही राज्यांश का लगता था। अभी 60:40 कर दिया है। केन्द्र सरकार गरीबों के प्रति उदार हो जाए और राज्य सरकार को पैसा दें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय, यह संबंधित उत्तर नहीं है। क्या आप पूरा राज्यांश देंगे, यही तो हम जानना चाहते हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, केन्द्र सरकार तो पूरा केस के लिए पॉलिसी है। (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्या आप स्वीकृत मकानों की पूरी राशि देंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 90 प्रतिशत को 60 प्रतिशत कर दिया। आप यह भी बता दीजिए ना कि नीति आयोग ने राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत था, उसको बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया। आप यह क्यों नहीं बताते। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने अभी स्वयं अपने जवाब में कहा कि वर्ष 2021-22 में 7 लाख 88 हजार 999 मकान केन्द्र ने स्वीकृत किए और यह राज्यांश नहीं दे पाए इसलिए वह पैसा वापस चला गया, मंत्री जी ने अभी स्वयं अपने जवाब में कहा है। अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 लाख 87 हजार 915 मकान बनने शेष है जिसको हम बनवाएंगे। मेरे पास मंत्री जी की उत्तर की कॉपी है जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 8 लाख के आपस-पास मकान बने हैं और करीब 8 लाख मकान बनना बाकी हैं, यह पूर्व मंत्री का जवाब है। कुल मिलाकर सरकार के जवाब में अलग-अलग उत्तर आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए प्रश्न।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार ने आपको 7 लाख 88 हजार 999 मकान जो स्वीकृत करके दिया, उसके लिए नरेन्द्र सिंह तोमर, गिरिराज किशोर केन्द्रीय मंत्री का आपके यहां पत्र भी आया है, आप कहेंगे तो मैं पत्र की कॉपी पटल पर रख दूंगा। उन शत प्रतिशत मकानों के लिए राज्यांश जारी करेंगे क्या ताकि सबका मकान बन जाए ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, वह उस वर्ष का लक्ष्य था, उसके बाद और स्वीकृति हुई है। इसलिए वह आंकड़े 7 लाख 88 हजार 999 है, वह सही नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- 7 लाख 88 हजार 999 है, आपने वर्ष 2022 के बाद कुल 79 हजार स्वीकृत किए हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं फिर से कह रहा हूं। वह वर्ष 2021-22 का लक्ष्य था, उसके बाद और स्वीकृत हुए हैं। इसलिए अब वह आंकड़े सही नहीं है। अलग-अलग समय लक्ष्य बदलते रहता है और हमने कहा कि जितने भी आवास शेष हैं, उनके लिए हमने बजट प्रावधान किया है, हम सारे गरीबों को मकान बनाकर देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ वह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 7 लाख 88 हजार 999 मकान केन्द्र ने दिए और उसके बाद तो आपने कुल 79 हजार स्वीकृत किया है। आपके हिसाब से 7 लाख 10 हजार मकान बचे रहना चाहिए। आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरक प्रश्न इतना लंबा पूछे जा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी सिर्फ यह प्रश्न है कि केन्द्र ने 7 लाख 79 हजार 888 मकान जो स्वीकृत किए हैं, उसके बाद आपने 79 हजार मकान स्वीकृत किए हैं। शेष 7 लाख 10 हजार मकान को आप स्वीकृत करेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- वह लक्ष्य वर्ष 2021-22 का था, अब वर्ष 2023-24 की ओर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य बदल गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने वर्ष 2021-22 के बाद स्वीकृत ही नहीं किया है, फिर आप बोलते हैं कि हम सबको आवास दे रहे हैं। यह सरकार पूरे प्रदेश की गरीब जनता का आवास छिनने वाली सरकार है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप प्रश्न करिए ना। भाषण मत दीजिए। लक्ष्य बदल रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिए-बैठिए। माननीय धर्मजीत जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक प्रश्न है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने मुझे इस प्रश्न को पटल पर रखने के लिए कहा। आपके ही प्रश्नोत्तरी सूची में संलग्न परिशिष्ट में माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है। मैं आपसे इस बात को पुन: कह रहा हूं कि मंत्री जी ने इन 4 वर्षों में

38,7,915 आवास स्वीकृत लिखा है न कि लक्ष्य, इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं कि आप उन स्वीकृत आवास को देंगे या नहीं ? मैं इस प्रश्न का पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपने प्रश्न को पटल पर रखिये। कौशिक जी, आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने इसी सदन में मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि वर्ष 2019-2020 से लेकर वर्ष 2023 तक 16 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे, उनमें से 82,900 मकान बनाये गये। इन्होंने 3 लाख आवास को स्वीकृति प्रदान की थी तो 82,000 आवास को हटाने के बाद जो 13 लाख 52 हजार 51 आवास अपूर्ण थे, उनके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उसमें आपने उस दिन उत्तर दिया था। आप उत्तर देने के बाद इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये। प्रश्न समाप्त हो चुका है।

श्री अमरजीत भगत :- भैया, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि 82 हजार में 3 लाख कैसे माइनस होगा ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको छोड़िये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कुल 16 लाख आवास में से 82 हजार आवास बनाये और 82 हजार आवास बनाने के बाद आपके जो बचे हुए आवास हैं उसके लिए आपने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में...।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों के भी प्रश्न लगे हैं। यह प्रश्न बहुत लंबा खींचा रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा तो केवल एक ही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, यह एक प्रश्न कर रहे हैं। आप जल्दी से अपना एक प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 16 लाख आवास में से 82 हजार आवास बनाये तो 82 हजार आवास बनाने के बाद जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तो जो बाकी मकान बचे हुए हैं क्या आप उनको बनाने के लिए इसमें कोई प्रावधान करेंगे या पैसे देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अऊ कोनो पूछइये तो नहीं हे न ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज तो तहुं ले पूछइया रहे हन।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, आप बताइये।

श्री रविन्द्र चौबे :- ममा, का तोर अऊ बाचे च हे ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं बाचे हे, बइठ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मोरे बाचे हे।

श्री कवासी लखमा :- तोर अधूरा बचे हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा प्रदेश के बाचे हे। तुमन कुछ करते च नहीं हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप मन 4-5 बार तो कर डाले हो गा। हड़ताल घला हो गेहे अऊ का बाच गेहे, ते समझ में नहीं आये?

श्री शिवरतन शर्मा :- साहब, पूरा बाचे हे। 7 लाख 10 हजार मकान बनाना हे।

अध्यक्ष महोदय :- ममा, सब तो हो गेहे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास बचे हैं। आपने जितने आवास स्वीकृत किये हैं और वर्ष 2011 की जनगणना के लिस्ट में जिनके नाम नाम हैं, क्या आप उन सबको आवास देंगे ? मेरा केवल इतना ही प्रश्न है।

श्री रामकुमार यादव :- जेला तुमन घर बना के दे रहे हो न, ओमन तुम्हर मन बर जंगा हे। ओ मन जान डारिस। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना में जितने लोगों के नाम हैं और जिनके नाम छूट गये हैं क्या आप उस लिस्ट को पूरा करेंगे ? मेरा केवल इतना ही प्रश्न है।

श्री रामकुमार यादव :- ओ 15-15 लाख रूपये ला दे देथो तो तुमन ला का लागतिस ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 3 प्रश्नों में 3 आंकड़े बताये गये हैं। माननीय धरम भैया का प्रश्न था कि 13 लाख आवास बचे हैं, उनका क्या हुआ ? आदरणीय शिवरतन भैया का प्रश्न था कि 16 लाख आवास।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैंने आपके प्रश्न में नहीं कहा।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने सभी प्रश्नों के उत्तर ही अलग-अलग दिये हैं। यह सारे प्रश्न आपके द्वारा दिये गये उत्तर से संबंधित हैं। कोई अलग-अलग नहीं बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- भाई, ते मोर उत्तर ला तो सुन।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मेरा उत्तर आपके प्रश्न से संबंधित है। आपने कहा कि केन्द्र ने वर्ष 2021-2022 में 7 लाख 88 हजार 999 मकानों की स्वीकृति दी और हम राज्यांश नहीं दे सके इसलिए वह पैसा वापस चला गया। उसके बाद आपने वर्ष 2022-2023 में 79 हजार मकान स्वीकृत किये हैं। मतलब, केन्द्र ने जो पहले 7 लाख 10 हजार मकानों की स्वीकृति दी थी, मैंने उसकी बात की

है। मेरा बिल्कुल प्वाइंटेड प्रश्न है कि क्या आप वह 7 लाख 10 हजार मकान बनाएंगे ? आपने जो उत्तर दिया है, मैंने उससे ही प्रश्न किया है।

श्री कवासी लखमा :- आप उत्तर में मत बोलिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आपके सामने 3 आंकड़े आये। आदरणीय धरम भैया ने 13 लाख कहा, आपने 16 लाख कहा।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने 16 लाख नहीं कहा। आपने जो उत्तर दिया है, मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है। आपने वर्ष 2021-2022 87 लाख 88 हजार 999 मकानों की स्वीकृति बताई है।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग आपस में तय तो कर लीजिए कि किसको क्या असत्य बोलना है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उसके बाद केन्द्र ने 7 लाख 10 हजार मकानों की स्वीकृति दी । मतलब, आपको 7 लाख 10 हजार मकान स्वीकृत करने हैं, जिसे आप स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके उत्तर से ही प्रश्न किया है। आप सदन को मत घुमाइये। आप मिश्रीलाल बने रहिये, जलेबी मत बनिये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप मिश्री भैया रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मिश्री भैया ही रहें।

श्री रविन्द्र चौबे :- भैया, ते बइठ न। मैंने आपको दो आंकड़े बताये हैं और तीसरा आंकड़ा मेरे मामा जी ने 38 लाख का कहा है। मैं खुद इन आंकड़ों में कन्फ्यूज हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह सरकार कन्फ्यूज है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह 38 लाख तक संख्या कैसे पहुंचाऊं और कहां से रिकॉर्ड लाऊं ? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, आपके प्रश्न में जो उत्तर है, वही बता दीजिए न ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर दिया है, वह मैंने पटल पर रख दिया है । आपने प्रश्नोत्तरी दिया है, उसके परिशिष्ट में आपने जवाब दिया है । उसी में आप दिखवा लीजिए । आपने जो उत्तर दिया है, वह परिशिष्ट में है, मेरा अलग से आंकड़ा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज़, प्लीज़ । खत्म करिए । मैंने धर्मजीत जी का नाम पुकार लिया है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने शहरी आवास, ग्रामीण आवास सब परिशिष्ट में दिया है। वह आपके ही प्रश्न के जवाब में है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है, मंत्री जी से उस प्वाइंटेड प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए । घूमाने का क्या मतलब है ? मैंने बहुत प्वाइंटेड प्रश्न किया है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- अध्यक्ष महोदय, हमने आवास का मामला कई बार उठाया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण मामला है और महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए हम कई बार यह प्रश्न सदन में उठा रहे हैं । माननीय शिवरतन जी ने 2021-22 की बात की है और आपने स्वीकार किया है कि हमने उस समय राज्यांश नहीं दिया। उसका क्या होगा, यह बता दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न थोड़ा परे जा रहा है । आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न है कि राज्यांश का क्या होगा ? केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ को जो देय राशि है, वह लगभग 38-40 हजार करोड़ है, वह हमें मिलेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो घूमाने वाली बात है । माननीय मंत्री जी प्वाइंटेड प्रश्न का प्वाइंटेड उत्तर दें । माननीय मंत्री जी घूमाने की बात कर रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- ये कहां से आ गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह मिश्री भैया का जवाब है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- ये लोग गरीबों का हित नहीं चाहते । ये लोग सीधा-सीधा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सब अलग-अलग बात कर रहे हैं । कोई सदस्य 7 लाख बोलता है, कोई 13 लाख बोलता है, यह कैसा प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा प्वाइंट वाली बात समझ में नहीं आ रही है । माननीय मंत्री जी, मैं फिर से अपने प्रश्न को दोहरा रहा हूं । आपने अभी स्वीकार किया है कि 2021-22 में 7,88,999 मकान केन्द्र ने स्वीकृत किए, हम राज्यांश नहीं दे पाये, यह आपने स्वीकार किया है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- स्वीकृत नहीं किये, वह लक्ष्य है । इनको कुछ ज्ञान नहीं हैं । वह लक्ष्य है, स्वीकृति नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसके बाद आपने 79 हजार मकान स्वीकृत किये हैं और 7 लाख, 10 हजार मकान शेष हैं, उसके लिए राज्यांश जारी कर दीजिए । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह लक्ष्य है, स्वीकृति नहीं है । मंत्री जी वही तो बता रहे हैं । थोड़ा बहुत अक्ल तो लगाए । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- स्वीकृत नहीं है, वह लक्ष्य है, सदन का समय जाया कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज़, प्लीज़ । आप लोग बैठिए । वे सक्षम मंत्री हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, केन्द्र के सचिव ने राज्य को पत्र लिखा है, मैं उसकी कॉपी पटल पर रख सकता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बेवजह सदन का समय जाया कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए, आप बैठिए । यदि आपका कोई अनुपूरक प्रश्न है तो मंत्री जी से करिए, उनका जवाब मत दीजिए ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए । आप मंत्री जी का जवाब नहीं देंगे । इसमें 22-25 मिनट चर्चा हो चुकी है । चार बार चर्चा हो चुकी है, हड़ताल हो चुका है । आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? मंत्री जी, आप स्पष्ट कर दीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य 38 लाख की बात कर रहे हैं, पर परिशिष्ट में 3 लाख, 87 हजार लिखा हुआ है । उसको 38 लाख बोलते हैं । थोड़ा ज्ञान तो रहे, कुछ भी बोल रहे हैं ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष जी, इसमें आपकी व्यवस्था आना चाहिए । आप खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं और दूसरे मंत्री उत्तर दे रहे हैं । ये प्रक्रिया है क्या ? आप जवाब दीजिए न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- संयुक्त जवाबदारी है ।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग एक साथ क्यों खड़े होते हो ?

श्री ननकीराम कंवर :- संसदीय कार्यमंत्री जी अक्षम हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आपके चेहरे में ये मुस्कुराहट गरीबों का आवान छीन लिये, इसके लिए है क्या ? गरीब अपने आवास से वंचित हो गए, इसके लिए आपके चेहरे में मुस्कुराहट है क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न तो कर नहीं पा रहे हो, भाषण बस दे रहे हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दे रहे हैं । मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया है, प्वाइंटेड प्रश्न का उत्तर प्वाइंटेड आना चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, इतने देर तक क्या कर रहे हो? अभी तक भाषण ही दे रहे हो । इस प्रश्न को आगे बढ़ाईए, इसकी कोई जरूरत नहीं है । सिर्फ भाषण दे रहे हैं, प्रश्न तो कर नहीं रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्नकाल को ज्यादा गरम मत करो भाई । मंत्री जी, आप मुस्कुराहट के साथ अपने जवाब से इनको संतुष्ट करिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मैं पहले भी शिवरतन जी को उत्तर दे चुका हूं । 7,81,999 लक्ष्य दिया गया था । लक्ष्य बदलते रहता है, उसके बाद वाले साल और लक्ष्य बदला हुआ है, मैंने वह भी आपको पढ़कर सुना दिया है । इसको स्वीकृति क्यों मानते हैं ? आप पूरा उत्तर सुन लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, एक मिनट । मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, लक्ष्य और घोषित में अंतर नहीं है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप कितने अनुपूरक प्रश्न करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो माननीय युवराज किशोर जी का, नरेन्द्र तोमर जी का पत्र मैं सदन के पटल पर रख देता हूं, जो माननीय भूपेश बघेल जी को और चीफ सेक्रेटरी को वहां के सेक्रेटरी ने लिखा है। मंत्री जी कहेंगे तो मैं पत्र की कॉपी पटल पर रखने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको दे क्यों नहीं सकते ? आप आफिस में जाकर नहीं दे सकते । आप कक्ष में जाकर नहीं दे सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं । आप तो विद्वान हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्वान नहीं हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं आपसे निवेदन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप विद्वान हैं । आप उनके कक्ष में जाकर दे दीजिए, चाय भी पीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्वाइंटेड प्रश्न का उत्तर मंत्री जी से प्वाइंटेड दिलवा दीजिए, घूमाने की बजाय ।

अध्यक्ष महोदय :- आप विद्वान आदमी हैं, आप जाकर बात कर लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- विद्वान हमारे अध्यक्ष जी हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शिवरतन जी को विद्वान कहा, लेकिन आज वे कन्फ्यूज़ हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, कन्फ्यूज़ हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं बार-बार उत्तर में कह रहा हूं कि हमने उस साल का राज्यांश नहीं दिया, उसमें कौन सी बात है । हम स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वीकार किया कि हम राज्यांश नहीं दे पाय ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां-हां, हमने कहा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, तो क्या आप बाकी आवासों के लिए राज्यांश देंगे ? मेरा यही प्रश्न है। आपने 79 हजार आवासों के लिए राज्यांश देना स्वीकार किया है। तो 7 लाख 10 हजार गरीब के जो आवास बचते हैं, आप उनके लिए राज्यांश देंगे क्या ? आप यह बता दो, बस। मेरा पाईंटेड प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, यह जिस वर्ष का लक्ष्य था, हम राज्यांश नहीं दे पाये थे। लेकिन जो शेष आवास हैं, हमने बजट में प्रावधान किया है। हम गरीबों को एक-एक मकान बनाकर देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपने दो लाख आवासों के लिए बजट प्रावधान किया है और कुल 7 लाख 10 हजार लोग आवास से वंचित हैं। आप प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी सब प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। लेकिन जो वर्ष 2021-22 का 7 लाख 10 हजार आवास राज्यांश नहीं मिलने के कारण शेष रह गया है, गरीब वंचित रह गये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वंचित नहीं, आप फार्म भरवा रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- इन्होंने नरेन्द्र सिंह तोमर और गिरिराज सिंह का उल्लेख किया। हम तो टी.एस. सिंहदेव साहब के पत्र का भी उल्लेख कर रहे हैं। हम तो उसका भी उल्लेख कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम वह कापी भी रख देते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- हम तो उसका भी उल्लेख कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आवास के मामले में आपका कोई पत्र नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- नेतागिरी कर रहे हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के आवास के मामले में यह सरकार गंभीर नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना को घुमा-घुमाकर बता रहे हैं। आप आवास नहीं देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11.31 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, ओ 15 लाख ले ले के आइहा। सीधा 15 लाख ला ले के आइहा।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी। चल ला धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- बैठ ना भईया, वह तो चले गये ना।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो आपका नाम कब से पुकार रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं तो कई बार खड़ा हो गया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप पूछिये।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

मुंगेली जिला अंतर्गत निर्मित गौठान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

6. (*क्र. 1340) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुंगेली जिला अंतर्गत तीनों विकासखंडों में कुल कितने गौठान कहां-कहां निर्मित हैं? **(ख)** कंडिका "क" के गौठानों में कौन-कौन सी गतिविधियां किस-किस समूह के द्वारा की जा रही हैं ? **(ग)** कंडिका "क" के कितने गौठानों में रीपा (RIPA) के कार्य स्वीकृत एवं प्रस्तावित हैं ? रीपा के लिए कितनी-कितनी लागत की कौन-कौन सी मशीन खरीदी गई है एवं खरीदी गई मशीन से क्या -क्या कार्य किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) मुंगेली जिला के तीन विकासखण्डों में कुल 261 गौठान निर्मित हैं। विकासखण्डवार स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) कण्डिका "6क" में उल्लेखित गौठानों में विभिन्न समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों की समूहवार गतिविधिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) कण्डिका "क" अनुसार 06 गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के कार्य स्वीकृत है एवं प्रस्तावित निरंक हैं। रीपा में प्राकृति गोबर पेंट इकाई की स्थापना एवं गोबर से पेंट निर्माण हेतु रू. 24.16 लाख की लागत से मिक्सिंग चेस्ट एजीटेटर, ट्रिपल डिस्क रिफाइनर, स्टॉक पंप, ब्लीचिंग टैंक, बेबी स्टीम बायलर, हाई स्पीड डिस्पेंसर, बिड मील एवं वेइंग मशीन का क्रय किया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का मुख्य आशय यह है कि मैं कुछ दिन पहले आपके उच्चाधिकारियों के संग गौठान के दौरे में गया था। मैंने 2 गौठान का निरीक्षण किया था। मुझे वहां जो कुछ कमी या उनकी जरूरत थी, वह दिखी। मैंने उसी के सिलसिले में यह प्रश्न पूछा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले यह प्रश्न पूछ लेता हूं कि आप 261 गौठान बना रहे हैं, जानकारी आ गई है। आप 6 गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्वीकृत कर रहे हैं। इसमें ये 6 पार्क कहां होंगे, वह नाम बता दीजियेगा ? आप उत्तर 'ग' के जवाब में दुनिया भर का नाम लिखे हैं मिक्सिंग चेस्ट, एजीटेटर, ट्रिपल डिस्क, ये सब अंग्रेजी नाम लिखे हैं, ये क्या है, अगर आप बता सकें तो ठीक है,

नहीं तो बाद में दे देंगे तब भी चलेगा। लेकिन हमारे लोरमी, पथरिया और मुंगेली, तीनों जगहों में 2-2 खुलेगा या कोई एक जगह ही एक ही ब्लाक में खुलेगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, जवाब में लिखा है कि मछली, बकरी पालन, मशरूम, बाड़ी, वर्मी खाद। तो मैं वर्मी खाद, मशरूम, बकरी पालन, अण्डा पालन तो देखा हूं। गौठान में मछली पालन कैसे हो सकता है ? यह मैं आज तक नहीं देख पाया हूं। तो आप इसके बारे में भी बता दीजियेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भईया ने बाकी जो जानकारी चाही है, वह सारी जानकारी उत्तर में दे दिया गया है कि कहां-कहां गौठान है और क्या-क्या एक्टीविटीज हैं, कितना स्वीकृत है और कितना काम हो रहा है। आपने रीपा के बारे में पूछा है। मुंगेली विकासखण्ड के सम्बलपुर और लिमहा, पथरिया विकासखण्ड के धरदेही और सिलतरा, लोरमी विकासखण्ड के चंदेली और सावसपुर, मैं समझता हूं कि ये दोनों आपे विधानसभा क्षेत्र में है। रीपा का काम महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का काम के लिए इन दो-दो गौठानों का चयन किया गया है। प्रत्येक गौठान में रीपा के काम के लिए लगभग दो-दो करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आपने कहा कि लोरमी और चंदेली में गोबर पेंट इकाई की स्थापना हेतु जो राशि खर्च की जा रही है, कौन-कौन सी मशीनें हैं, जिसके नाम का उल्लेख है। तो अब गोबर पेंट के जो आवश्यक मशीनें हैं, वह खरीदी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- मछली कैसे पालते हैं, यह बता दीजिये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- गौठान में मछली कैसे पालते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- कैसे पालते हैं ? मेरे ख्याल से गड्ढा खोदकर पालते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, हम अपने गौठान को कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का केन्द्र बनाना चाहते हैं। आदरणीय धर्मजीत भईया ने स्वीकार किया कि मशरूम उत्पादन से लेकर बकरी पालन तक, आपने अण्डा उत्पादन के नाम का जिक्र किया। आपने स्वयं देखा है। आपका मछली पालन के बारे में प्रश्न है। जिन गौठानों में ज्यादा एरिया मिला है, हमने दो एकड़ के भी गौठान बनाये हैं, 5 एकड़ के भी गौठान बनाये हैं, 10 एकड़ के भी गौठान बनाये हैं, पांच एकड़ के भी गौठान बनाये हैं और 10 एकड़ के भी गौठान बनाये हैं, जिन गौठानों में जगह उपलब्ध है, बार-बार अजय जी कह रहे हैं कि मनरेगा की राशि से हमने छोटे-छोटे पोंड्स का निर्माण किया है, तालाब का निर्माण किया है । प्रदेश में लगभग 1 लाख 50 हजार महिलाओं के स्व-सहायता समूह इन सारे कार्यों में लगी हुई है, कुछ समूहों के द्वारा, कुछ गौठानों में मनरेगा के तहत बनाये गये पोंड्स में, तालाबों में, मछली पालन का कार्य कर रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, सर ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिये, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जांजगीर में सादर आमंत्रित हैं ।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गौठान में मछली पालन हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- जांजगीर पहले देखेंगे । जांजगीर नजदीक है, आपका बहुत दूर है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लोरमी में नहीं हो रहा है ना ? मेरे जिले लोरमी में होगा तो मैं देख लूंगा । लोरमी ब्लॉक में दुल्लापुर नामक आदिवासी बाहुल्य गांव है, मैं वहां के गौठान का निरीक्षण करने गया था । वहां पर जो स्व-सहायता समूह की जो मातायें-बहने थी, उन लोगों से मैंने पूछा कि आप के यहां मुर्गी का अंडा कितने में बेचते हैं, उन्होंने प्राब्लम बताया कि शुरू-शुरू में जो गोदरेज का दाना आप देते थे, यह सरकार की तरफ से दिया जाता था, अंडे का उत्पादन ज्यादा होता था । अभी जब से उनको लोकल दाना मिल रहा है, अंडे का उत्पादन कम हो गया है । दूसरा, वर्मी खाद के लिये भी उनको बोरी दी जाती थी, अब उनको बोरी नहीं दी जा रही है, इससे पैसे ज्यादा लगते हैं और बचत कम होती है । इन दोनों के बारे में आप विचार करेंगे क्या ? उनको वर्मी खाद के लिये बोरी दे सकें और अंडे के उत्पादन के लिये गोदरेज वाला दाना ज्यादा कारगर है, उसकी व्यवस्था कैसे होगी ? यह दाने से प्रोडक्शन एकदम घट गया है । दोनों के बारे में आप जरा बता दीजिए, उसके बाद छोटा सा प्रश्न और पूछ लूंगा । इसके बारे में आप कुछ करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- उसी में शामिल कर दो ना, छोटा सा प्रश्न है तो ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, उसमें दाना नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, महिला स्व-सहायता समूहों को फायदा नहीं होगा । वह मुर्गी-मुर्गा दिखने भर में ठीक है, लेकिन पैसा तो अंडे से आता है ना ? अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने बहुत से देखे हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इनको थोड़ी सुविधा मिल जाये, आप दोनों दे दें, दोनों के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला वाला प्रश्न थोड़ा टेक्नीकल हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनसे पूछना चाहता हूँ । जो आपने उनको पहले दाना दिलाया है, कौन से कंपनी का है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- गोदरेज कंपनी का है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें कितने अंडे देते थे, बाद में लोकल आया तो उसमें कितने अंडे देते हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मानलो गोदरेज कंपनी में 7-8 अंडे देते थे, यह जो लोकल दाना है, वह उसमें कम हो गया है । कोई मेरे सामने में बात नहीं हुई है । दो-दो आई.ए.एस. अधिकारी वहां पर थे, उनके सामने में इन्होंने प्राब्लम बताया था। उसी प्राब्लम को यहां उठाकर उनकी मदद करना चाहता हूँ । वह 40 रूपया किलो है और आपका जो लोकल बंट रहा है, वह 20 रूपया किलो है । जो मक्के का दाना देते हैं, यदि गोदरेज के दाने में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्या दिक्कत है, इससे कितने हजार अंडों का उत्पादन बढ़ जायेगा । आप उसके बारे में विचार करेंगे क्या ? जो वर्मी खाद के लिये बोरी उनको मुफ्त

मिलती थी, बाजार से ज्यादा खरीदना पड़ता है, नहीं तो सरकार के तरफ से जैसा कि पैरादान मांग रहे हैं, वैसे ही आप बोरीदान मांग लीजिए । बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन वाले हैं, वह बोरी दे देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न सर । प्रश्न लंबा हो रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह दोनों बता दीजिए ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, एक ठन मोरो क्वेश्चन है ?

अध्यक्ष महोदय :- वोखर ला खत्म होन दे ।

श्री रामकुमार यादव :- एक मिनट । पहली अंडा आईस कि मुर्गी आईस । आज तक समझ नहीं आये हे ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास आना कक्ष में । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि तकनीकी बात हो गई है । मेरे कौन दो आई.ए.एस.अधिकारी उनके साथ गये थे, उन्होंने देखा कि पहले अंडा ज्यादा उत्पादन होता था कि बाद में कम होता था । मुर्गियों से वह बात किये कि नहीं किये ? पहले ज्यादा अंडे देते थे, बाद में कम देते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं दे रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं दे रहे हैं बता रहे हैं । अध्यक्ष जी, मैं विभाग में चर्चा कर लूंगा । पहले कौन सा फीड उनको दिया जाता था...।

अध्यक्ष महोदय :- गोदरेज । जो पहले ताला-चाबी बनाते थे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आप गोदरेज के फीड के लिये क्यों प्रेशर कर रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे अधिकारियों ने बताया, मैं तो गोदरेज की आलमारी ही जान रहा था, अभी-अभी आते-आते बताया गया कि गोदरेज का कोई फीड पहले शुरूआत में दिया गया । वहां पर उसके कारण अंडे का प्रोडक्शन हुआ। मैं जब महिलाओं के संग शेड के नीचे बैठकर बात कर रहा था तो उन लोगों ने भी बताया कि जब से गोदरेज का दाना बंद हुआ है तब से प्रोडक्शन कम हो गया है। यह एक गौठान का प्रश्न नहीं है। आप जरा सोचिये कि यदि एक गौठान में गोदरेज के दाने से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इस प्रदेश में हजारों गौठान बने हैं, सबमें कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह आपका एचिवमेंट होगा। अण्डे की बिक्री से पैसे मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो विचार करने के लिये बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यदि आप दाना नहीं भी देंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कोई दाना मत दीजिये, मुझे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। बोरी दे दीजिये, पैसा बचेगा। महिलाओं को ताकत मिलेगी। मैं एक आखिरी प्रश्न और करना चाहता हूं। मैं मांग कर रहा हूं, प्रश्न भी नहीं है। मैं होली के दूसरे दिन पंडरिया ब्लॉक के छिंदीडीह गांव में जो बैगा बाहुल्य है, वहां पर उनसे मिलने गया था। उन

लोगों ने कहा कि उनके गौठान में ट्यूबवेल नहीं है। आप कृपा करके यहीं घोषणा कर दीजिये कि वहां उन बैगा लोगों के गौठान में ट्यूबवेल खोदवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, खोदवा दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, एक, आदरणीय धर्मजीत भैया जिस गौठान में ट्यूबवेल खोदवाने की बात कह रहे हैं। हम अधिकारियों को निर्देश देंगे, वहां तत्काल ट्यूबवेल करवा देंगे। दूसरा, वर्मी कम्पोस्ट के लिये जो छोटी बोरी देने की बात हो रही है, अब हमारी एस.एच.जी. की महिलाएं खुद उत्पादन कर रही है, खुद बेचती है इसलिये उसको लिंक किया गया है। आपका तीसरा प्रश्न था कि अंडे का उत्पादन कम हो रहा है। ये या तो मुर्गियों की Age के कारण हो रहा होगा, वह पहले ज्यादा अंडे देती होंगी और बाद में कम देती होंगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सभी मुर्गियां यंग है।

श्री रविन्द्र चौबे :- या यह फीड के कारण है, उसको हम दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, उसकी जांच करवा लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सब यंग है। ऐसा उम्र के कारण नहीं है। आप गोदरेज का फीड दे दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा गंभीर प्रश्न है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मुर्गियों से पूछ लीजिये कि कौन-सा दाना खाकर ज्यादा अण्डा देंगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नहीं तो मैंने एक किस्सा बताया था। अध्यक्ष जी, आप नहीं थे। मैंने एक अण्डे वाला किस्सा बताया था।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये। जो गोदरेज का फीड है, वह 40 रूपये में मिलता है और आपका लोकल फीड 20 रूपये में मिलता है, तो आधा तो वैसे ही हो जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां। वही हिसाब से हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- वही तो हो रहा है।

धर्मजीत सिंह :- यह Age के हिसाब से नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिये। एक दिन आप नहीं थे तब मैंने यह बताया था। एक अधिकारी पोल्ट्री फॉर्म गया और बोला कि सब मुर्गियां अण्डा दो नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो सबने अण्डा देना शुरू किया। किसी ने 6, किसी ने 5, किसी ने 4 अण्डा दिया । उसने सबकी पीठ थपथपाई और कहा कि बहुत बढ़िया। आखिरी वाली एक मुर्गी ने एक अण्डा दिया तो उसको डांट पड़ी, जैसा अभी हम लोग डांट रहे हैं। उस अधिकारी पूछा कि तूने ज्यादा अण्डा क्यों नहीं दिया। उसने कहा कि सर, मैं आपके डर में एक अण्डा दिया हूं, वैसे तो मैं मुर्गा हूं। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन विपक्ष वाले मुर्गी को अण्डा भी नहीं देने दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये पूछिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक प्रश्न है। रीपा में प्राकृतिक पेंट इकाई की स्थापना एवं गोबर पेंट निर्माण हेतु 24 लाख 16 हजार की लागत से विभिन्न मशीनें खरीदी गयी है। इसमें जो छः गौठान का उल्लेख है, क्या यह मशीनें उसमें इंस्टॉल हो गयी हैं या सिर्फ खरीदे गये हैं ? यदि इंस्टॉल हो गये हैं तो कितनी लागत के कितने गोबर पेंट का उत्पादन हुआ ?

अध्यक्ष महोदय :- पेंट का या गोबर का ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पेंट का उत्पादन। या अभी इंस्टाल हुआ है और एडवांस में खरीदी गयी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, न केवल मशीनें इंस्टॉल हो रही है। उत्पादन भी प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कर रहे हैं नहीं। मंत्री जी, आपका स्टाईल गड़बड़ है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्लीज। मैंने यह कहा कि क्या मशीनें इंस्टॉल हो गयी हैं ? उन्होंने यह कहा कि हो रहे हैं। यहां का जो प्रॉपर प्रश्न में है, मैंने उसमें पूछा कि खरीद लिये गये हैं तो क्या इंस्टॉल हो गये हैं? यदि इंस्टॉल हो गये हैं तो उत्पादन कितना हुआ है ? कितने के बेचे गये हैं ? आपने उत्पादन हो रहे हैं बोला तो कहीं के इकाई में हो रहे होंगे। मैं तो यह प्रश्न में उसका उत्तर पूछ रहा हूं जो मैंने किया।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी के साथ गोधन की कई चर्चा में गोबर का पेंट, गोमूत्र की दवाई, , कितनी राशि, कितना सब कुछ, सब पर चर्चा हो चुकी है। माननीय धर्मजीत भैया के क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है, मैं अलग से आपको आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा।

<u>सरगुजा जिला अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा सामग्री /उपकरण का क्रय</u>

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 1394) डॉ. प्रीतम राम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सरगुजा जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-2022 से दिनांक 31-01-2023 तक किन-किन मदों में, क्या-क्या सामग्री/उपकरण, किस-किस प्रयोजन हेतु, किन-किन एजेंसियों से, कितनी- कितनी दर से क्रय किए गए हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[5] अनुसार है।

---

[5] परिशिष्ट 'पांच'

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समाज कल्याण विभाग से यह जानकारी चाही थी। जिसकी जानकारी मंत्री महोदय के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग से क्रय की गयी सामग्री एवं एजेंसी को किस आधार पर चयनित किया गया है। मंत्री जी, इसकी जानकारी देंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामग्री भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण एलिम्को, कानपुर से क्रय की जाती है। यह भारत शासन के द्वारा अधिकृत है। इसलिये हम लोग वहीं से खरीदते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप दूसरा प्रश्न कर लीजिए।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न यह कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सामग्रियां क्रय की गई हैं उनके मेक, मॉडल की जानकारी और कितने लाभार्थियों को उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय जी उसकी प्राप्ति की सूची बता सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको कक्ष में उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद्। आप उन्हें कक्ष में सूची उपलब्ध करवा दीजिएगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

<u>बोधघाट परियोजना पर व्यय की अद्यतन स्थिति</u>

[जल संसाधन]

8. (*क्र. 1360) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बोधघाट परियोजना का काम प्रारंभ होने वाला है ? यदि हां तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ? **(ख)** बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य किस एजेंसी को दिया गया है ? क्या एजेंसी को पूर्व में भी विभाग ने सर्वेक्षण का कार्य दिया था? यदि हाँ, तो कब ? क्या इन्होंने उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि हाँ तो कब ? क्या यह एजेंसी किसी राज्य में ब्लेक लिस्टेड है ? परियोजना पर अद्यतन कितना व्यय किया जा चुका है ? **(ग)** सर्वेक्षण की पूर्णता तिथि क्या थी ? क्या सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है ? यदि हॉ तो निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : **(क)** जी नहीं, वर्तमान में बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि अभी बता पाना संभव नहीं है । **(ख)** बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा भारत शासन के वैधानिक अनुमतियॉ प्राप्त करने का कार्य वाप्कोस लिमिटेड, गुरूग्राम को दिया गया है। जी हां, एजेंसी

को पूर्व में भी सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 27.10.2010 को दिया गया था। जी हां, एजेंसी द्वारा दिनांक 05.11.2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त एजेंसी के किसी अन्य राज्य में ब्लेक लिस्टेड होने की जानकारी शासन को नहीं है। बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण पर अद्यतन रूपये 1250.87 लाख (रूपए बारह करोड़ पचास लाख सतासी हजार) व्यय किया जा चुका है। **(ग)** बोधघाट बहुउददेशीय वृहद परियोजना के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य पूर्णता की तय तिथि 08.02.2022 थी। वर्तमान में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा आंशिक पूर्ण हो चुका है, संबंधित एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.08.2023 तक अतिरिक्त समयावृद्धि चाही गयी है। सर्वेक्षण कार्य अपूर्ण होने के कारण प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हम इसी कार्यकाल में बोधघाट परियोजना को शुरू कर देंगे, इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी या नहीं की थी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दक्षिण बस्तर के लिए बेहद आवश्यक है और दूसरा छत्तीसगढ़ अलग-अलग बेसिन में हमारी परियोजनाएं हैं, हम महानदी बेसिन का काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमत में जिस तरीके से महानदी में एनीकट बनाये गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहां से महानदी आ गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महानदी का प्रश्न नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बोधघाट गोदावरी बेसिन में जाना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गोदावरी बेसिन में चलने दीजिए। आप बाद में महानदी में आईएगा। हम जब प्रश्न पूछेंगे तो..।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो कह रहा हूँ कि महानदी बेसिन में आपके, आपकी सरकार के कारण जो ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट है...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गोदावरी बेसिन का प्रश्न किया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाये। यह गोदावरी बेसिन का मामला है। हमें हमारे हिस्से के पानी का उपयोग करना है। इसलिए हमने इस योजना की शुरूआत की थी। हम चाहते थे कि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में इस योजना से लगभग 2 से ढाई लाख हेक्टेयर में सिंचाई प्रारंभ करें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि हम इसका डी.पी.आर. बनायेंगे। उसके बाद इसका काम शुरू करेंगे तो उसमें कोई नहीं की बात नहीं है। हमने बजट में भी इसके लिए प्रावधान रखा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने और डॉ. रमन सिंह जी हम दोनों ने कहा था कि आप यह योजना प्रारंभ नहीं कर सकते। उस समय इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और आप दोनों ने खड़े होकर कहा कि हम इसी कार्यकाल में इस योजना को प्रारंभ कर देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हम इस योजना को पूरा कर देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हम इस योजना को पूरा कर देंगे। क्या आपने सदन में यह घोषणा की थी या नहीं की थी ? और अभी महानदी बेसिन की नहीं, गोदावरी बेसिन की बात चल रही है। उसमें कोई रोक नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नर्मदा बेसिन और गंगा बेसिन में नहीं पहुंच रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो मैं उधर भी आ जाऊंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोधघाट में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस समय डी.पी.आर. बनाने की बात हुई थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हम इस योजना को पूरा कर देंगे। यह घोषणा हुई थी।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। सवाल ही नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा हुई थी उसकी कॉपी निकलवाकर, फिर से पटल में रख देते हैं जो उस समय चर्चा हुई थी। डॉ. रमन सिंह, आप और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह जी ने कहा था कि आप डी.पी.आर. भी नहीं बना पायेंगे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसे बनायेंगे और इस योजना को प्रारंभ करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हम इस योजना को पूरा करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आप 30-30 सालों से कोई काम नहीं कर पाये, यह योजना पूरी करने की बात कहां से हो जाएगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 60 सालों में तो कुछ नहीं कर पाये थे। आपने सिंचाई का रकबे को डबल करने की बात कही थी। जो आप नहीं कर सकते, आप लोगों ने की थी, रोना यह है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह चर्चा का विषय नहीं है कि आप देश में 9-9 सालों से हुकूमत कर रहे हैं। आप एक ठोक सिंचाई की बड़ी परियोजना नहीं दे पाये। हम यह नहीं कह रहे हैं यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन यहां इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने डी.पी.आर. बनाने की बात कही थी, अभी माननीय बृजमोहन जी के प्रश्न में यह उत्तर आया है। मैं स्वीकार करता हूँ और हमने जिस कंपनी को डी.पी.आर. बनाने का कॉन्ट्रेक्ट दिया हुआ है, उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में जब इस योजना को केवल हाईड्रल पॉवर के रूप में शुरूआत की गई थी तो इस योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कंपनी को यह सर्वे का काम दिया गया है क्या पूर्व में भी उस कंपनी को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य की सिंचाई की पूरी योजना बनाने के लिए कोई काम दिया गया था ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस समय कहा कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। उस समय पर्यावरण कानून लागू ही नहीं था। वर्ष 1980 में पर्यावरण कानून आया। उस समय मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री नहीं थे जो इसका शिलान्यास करने आए थे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी ने प्रश्न पूछा है कि इस कंपनी को छत्तीसगढ़ में पूर्व में भी क्या और कोई कार्य दिया गया था? इस कंपनी को तांदुला जल संवर्धन योजना का विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करने के लिए जिसमें वन प्रकरण, डी.पी.आर. तैयार करना और केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने सहित 1 करोड़ 37 लाख रुपये का कार्य 27.10.2010 को दिया गया था, मैं समझता हूं कि उस समय आप ही जल संसाधन मंत्री थे। दूसरा इसी कंपनी को छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए दिनांक 05.09.2006 को लगभग 4 करोड़ रुपये का कार्य दिया गया था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस कंपनी ने क्या इस काम को पूरा कर दिया ? अगर इस काम को 10 सालों में भी पूरा नहीं किया तो इसको फिर दूसरा काम कैसे दिया गया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीण अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार की इसको नवरतत्न कंपनी माना जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नवरत्न नहीं है, मिनी नवरत्न माना जाता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिये, इसको मिनी नवरत्न कह दीजिए। बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने इस कंपनी की लगातार प्रशंसा की है। पहले जो काम दिया गया था, यह जो दूसरा काम

27.10.2010 को दिया गया था, 10.11.2022 को उसका भुगतान भी कर दिया गया है। उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन दूसरा काम जो उनको दिया गया था उसका आंशिक भुगतान हुआ है। लेकिन अभी उसके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस कंपनी को छत्तीसगढ़ की पूरी जल योजना के लिए मास्टर प्लान बनाने का काम दिया गया, उसने कार्य को पूरा नहीं किया तो इस कंपनी को बिना टेंडर के ये 41 करोड़ रुपये का काम कैसे दे दिया गया ? जो बिना टेंडर के दिया गया है, इस काम के संबंध में क्या Accountant General ने आपत्ति ली है ?

अध्यक्ष महोदय :- आज आप बड़े प्वाईन्टेड प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले जानकारी दिया पूर्व में इस कंपनी को दो-दो काम, हमारे आदरणीय बृजमोहन जी जब इधर बैठते थे, तब दिया गया था। एक काम उन्होंने पूरा किया, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और दूसरे काम का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन मैने कहा कि भारत की नवरत्न टाईप की कंपनी है और देश में इसकी प्रतिष्ठा है। हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये बडी परियोजना है, केन्द्र सरकार से हमें बहुत सारी अनुमति प्राप्त करनी थी, इसलिए इस कंपनी को ये बड़ा काम दिया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह तो जानना चाहता हूं कि इस कंपनी को 41 करोड रुपये काम बिना टेंडर के दे दिया गया। जबकि हमने पूर्व में इस कंपनी को यहां का मास्टर प्लान बनाने का काम दिया था उसको आज तक पूरा नहीं किया। उसमें भी वह 4 करोड रुपये का काम था, 3 करोड़ 56 लाख रुपये उसको पेमेंट कर दिया गया है। परंतु आज भी वह कंपनी मध्यप्रदेश में अमृत जल योजना के तहत ब्लैकलिस्टेड है, उसको बाद भी आपने उसको बिना टेंडर के काम क्यों दिया ? इसके बारे में Accountant General ने आपत्ति ली है या नहीं ली है ? मेरे पास में पत्र है। दिनांक 9.2.2022 को Accountant General ने आपको पत्र लिखा है। मेरे पास ये पूरी Accountant General की रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने उस कंपनी को जो काम दिया है, ये काम पूर्व में 1980 में हो चुके हैं, जब इसका सर्वे हुआ, ये सब काम हो चुके हैं। उसके बाद भी आपने उसको 12 से 13 करोड़ रुपये बिना काम किये पेमेंट कर दिया। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आपने बिना टेंडर के काम क्यों दिया, किस आधार पर दिया ? यह कंपनी केन्द्र सरकार की कंपनी नहीं है, वहां पर यह कंपनी केन्द्र सरकार में रजिस्टर्ड है, यह केन्द्र सरकार की कोई कंपनी नहीं है। नवरत्न कंपनी, मिनी नवरत्न कंपनी नहीं है। यह वहां पर रजिस्टर्ड है। हम भी इनपेनल करते हैं। ब्लैकलिस्टेड होने के बाद और पूर्व का काम पूरा नहीं करने के बाद भी इनको बिना टेंडर के काम कैसे दे दिया गया ? मेरे पास ये Accountant General की पूरी रिपोर्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, आप चाहेंगे तो मैं पटल पर रख दूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, Accountant General की ऑडिट में सारी इस प्रकार की चिट्ठीयॉ आती हैं, पैरा बनते हैं और ऑडिट का निराकरण किया जाता है। ये सतत प्रक्रिया है। माननीय बृजमोहन जी के पास जो चिट्ठी है, वह सरकार के पास भी है। दूसरा पहले भी आपने इसको काम दिया था, आज भी हमने इसको काम दिया है। तीसरा आपने कहा कि ये भारत सरकार की कंपनी नहीं है। हमारी जानकारी में है कि इसको मिनी नवरत्न कंपनी में गिना जाता है और चौथी बात आपने कही कि मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, अभी ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, पर सरकार के पास में ऐसी जानकारी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहला प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। यह मेरा चौथा प्रश्न है। मैं चार बार इसी विधानसभा में इस बात को बता चुका हूं कि वह ब्लेक लिस्टेड कंपनी है और अकांउटेंट जनरल ने इसमें आपत्ति की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्यावरण स्वीकृति में इस बात को कहा गया है कि वहां पर सिंचाई नहीं हो सकती। यह हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी और आपने इस सदन में कैसे घोषणा की कि हम इतनी सिंचाई करेंगे, जितनी जमीन के बारे में आपने कहा है? उतनी जमीन तो वहां पर है ही नहीं। उसके बाद में आपने उस फर्जी कंपनी को खाली फायदा पहुंचाने के लिए 41 करोड़ में 12 करोड़ रूपये का पेमेंट कर दिया। क्या आप इसी जांच करवायेंगे? मैंने जितने प्रश्न उठाये हैं, उसके बारे में आप जांच करवायेंगे क्या? आपने पूरे छत्तीसगढ़ को गुमराह किया कि हम बोधघाट परियोजना को हम इसी सत्र में पूरा कर लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर दावे के साथ कहा था कि अभी तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है। वह 12 महीने में सर्वे रिपोर्ट नहीं दे पाये हैं। फिर से आप समय बढ़ा रहे हैं तो आप यह आदिवासियों के साथ में मजाक कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब यह जानकारी आदरणीय बृजमोहन जी के पास कहां से आ गया कि केवल यह हाइड्रल प्रोजेक्ट बन सकता था, इसमें इरिगेशन नहीं हो सकता। यह तकनीकी काम है। यह टोपोग्राफिकली अध्ययन किया जाता है कि की इस पानी का उपयोग कितना सिंचाई किया जा सकता है। हम चाहते थे क्या कि हाइड्रल प्रोजेक्ट के साथ-साथ उस पानी का उपयोग हो और बस्तर में हम जल का उपयोग नहीं करेंगे तो आखिर सिंचाई की सुविधा नहीं बढ़ायेंगे तो कैसे संभव है। दूसरा, आपने कहा कि इसमें जांच की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आपकी भी सरकार ने भी 5-5 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करके इनको काम दिया था। यह वही कंपनी है और हम लोग इसको मानते हैं कि यह भारत सरकार का उपक्रम है। इसलिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति होगी तो मैं सदन के पटल पर यह पत्र रख देता हूं। दिनांक 05 फरवरी, 2004 को पर्यावरण स्वीकृति मिली है। आपके विभाग के लोग आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि कोई सर्वे नहीं हुआ

है, कोई पर्यावरण स्वीकति नहीं मिली है। मैं वह प्रश्न की तारीख भी बता देता हूं। मेरे पास में यह जानकारी है कि 05 फरवरी, 2004 को ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो उसको पटल पर रख रहे हैं न। आप रख दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं पटल पर रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप रख दीजियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूरा विभाग सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 41 करोड़ रूपये का पेमेंट करने के लिए और आपने उस कंपनी को वेब कॉस को यह काम दे दिया। यह कंपनी ब्लेक लिस्टेड है, केंद्र सरकार की कंपनी नहीं है। आप पहले भी बार-बार यह उत्तर दे चुके हैं कि यह केंद्र सरकार की कंपनी है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष जी ने बोल दिया तो आप पटल पर रख दीजिये, फिर देख लिया जायेगा। अब हो गया। खतम करिये।

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पांडे जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब पूरे छत्तीसगढ़ को गुमराह करने वाला जवाब है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। आप पटल में रखिये न, उसकी जांच करवा लेंगे। पटल में रख दीजिये और खतम करिये। अध्यक्ष जी ने पटल में रखने का अनुमति दे दिये हैं तो रख दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- अब पटल पर रख दीजिये न। अगली बार फिर प्रश्न पूछ लीजियेगा। आप चार बार प्रश्न पूछ चुके हैं। अगली बार और भी पूछ लीजियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 05 फरवरी, 2004 को पर्यावरण विभाग के द्वारा जो स्वीकृति दी गई, उस स्वीकृति में क्या इस बात का उल्लेख नहीं था कि इसकी सिंचाई नहीं हो सकती। खाली हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकता है। उसके बाद में भी आपने सिंचाई की योजना क्यों बनाई और इस सदन को और पूरे प्रदेश को गुमराह क्यों किया?

अध्यक्ष महोदय :- दो मिनट बाकी है। अब उनको भी पूछ लेने दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी इस विभाग का मत है कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और सकुमा जिले में सिंचाई हो सकती है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर बार-बार हो सकती है तो आप चार साल से [xx][6] रहे हैं क्या? (हंसी)

[6] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या [xx] रहे हो। आप पटल पर रखिये न। [xx] तो आप मार रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इको विलोपित करिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 4 साल में आपने कुछ नहीं किया। 4 साल में आपने गुमराह करने का काम किया है। अगर सिंचाई हो सकती है तो चलिये आप बताईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित करिये। वह पटल पर रखे।

श्री धनेन्द्र साहू :- 15 साल आपने क्या किया?

श्री अरूण वोरा :- 4 साल से ऐसे [xx] रहे थे तो ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको टेबल में खड़ा करिये। इनको टेबल में खड़ा करिये। पहले आप चोरहा लोगों को काम दिये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, जब इनके समय में उस कंपनी को काम दिया गया था तो उस समय ईमानदार था, अब उस कंपनी को काम दिया तो बेईमान हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए [xx] दिया गया और 40 करोड़ में 30 करोड़ रूपये गुम हो गये। ब्लेक लिस्टेड होने के बाद भी उस कंपनी को काम दिया गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, काम देने का शुरूआत इन लोगों ने किया है। काम देकर आप ईमानदार हो। आप चोट्टा लोगों को काम देते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप मुझे जरा यह बता दें कि उस कंपनी ने कितनी सिंचाई की होगी और सिंचाई नहीं हो सकती तो आप इसका सर्वे क्यों करा रहे हैं? जो पूर्व से 1980 से यह योजना में काम चल रहा है और पूरा सर्वे हो गया है और सर्वे होकर सब डाटा है। उस डाटा के बाद भी आपने काम शुरू करने की बजाय आपने काम क्यों दिया?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, उस कंपनी को बृजमोहन जी ही लेकर आये थे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त। माननीय मुख्यमंत्री जी। पत्रों का पटल पर रखा जाना ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखता हूं ।

(2) अधिसूचना क्रमांक 95/छ.रा.वि.नि.आ./2022, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 95/छ.रा.वि.नि.आ./2022, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 पटल पर रखता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) पटल पर रखता हूं ।

(4) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं ।

पृच्छा

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार की प्राथमिक जवाबदारी होती है कि नागरिकों को, गरीब लोगों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध करये । वर्ष 2007 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना शुरू की गयी । उस समय तक पी.डी.एस. को देश का सबसे भ्रष्ट सिस्टम माना जाता था । वर्ष 2007 के बाद पी.डी.एस. सिस्टम को रेगुलेट किया गया, कानून बनाये गये और कानून बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का पी.डी.एस. देश का सर्वश्रेष्ठ पी.डी.एस. है और आज क्या स्थिति है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कल के प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया गया था कि सरकार ने आनन-फानन प्रेस विज्ञप्ति जारी की और लीपापोती करने का प्रयास किया । सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है कि चावल में 149 करोड़ का घोटाला हुआ है यह सरकार के मंत्री ने स्वीकार कर लिया । यदि इसमें 149 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसमें 4 करोड़ रूपये की वसूली हुई है । आप आश्चर्य करेंगे कि 149 करोड़ के अगेंस्ट में 4 करोड़ यानी 2.66 प्रतिशत की वसूली हुई है । 5398 दुकानों में बचत स्टॉक में सत्यापन में कमी पायी गयी, 5398 दुकान इसमें से केवल 161 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित किया गया यानी इसका प्रतिशत 3 प्रतिशत है । कार्यवाही भी कर रहे हैं तो कितनी कोताही है कि 3 प्रतिशत दुकानों को किया गया ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने तो उस समय जवाब दिया है कहीं भी घोटाले वगैरह की बात नहीं हुई है । कहां स्वीकार किये हैं ? कोई स्वीकार नहीं किये हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस विज्ञप्ति में जो जानकारी आयी है उसमें 149 करोड़ को स्वीकार किया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब अपने हिसाब से मत बोलिए न ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सॉफ्टवेयर में मंत्री जी से अभी हम लोग प्रश्न करेंगे । कितना गंभीर मामला है कि जैसे कोयला घोटाला शुरू हुआ उस समय डिस्पेच ऑर्डर को मैनुअल किया गया इसी प्रकार पी.डी.एस. में गरीबों का निवाला छीनने के लिये जो ऑनलाईन हर दुकान के, पूरे प्रदेश की यथास्थिति चावल की स्थिति, नमक की स्थिति, शक्कर की स्थिति प्रदर्शित करता था उसको वेबसाईट से अब बाहर कर दिया गया ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आप कहां पी.डी.एस. में कोयला वगैरह ले आ रहे हैं ? आप पी.डी.एस. का पूछ रहे हैं तो पी.डी.एस. का पूछिए न भई । अभी हम आपको पूरा जवाब देंगे न ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े सिस्टम को और आप आश्चर्य करेंगे कि चूंकि मैं स्थगन की गंभीरता बता रहा हूं कि 13,351 दुकानों में से 5398 दुकानों में गड़बड़ी पायी गयी । 40 प्रतिशत की गड़बड़ी दुकानों में पायी गयी है, हिंदुस्तान में इससे ज्यादा करप्ट सिस्टम और क्या हो सकता है कि पूरा 40 प्रतिशत और जो 69 हजार मीट्रिक टन चावल की गड़बड़ी हुई है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो पूरा स्थगन को पढ़ रहे हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- बिंदु बता रहा हूं, पढ़ूंगा बाद में ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शून्यकाल में इस तरह स्थगन को पढ़ने का प्रावधान थोड़े ही है।

डॉ. रमन सिंह :- 600 करोड़ रूपए का लेन-देन हुआ है । यह 600 करोड़ का घोटाला है । हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा मामला नहीं है, गरीबों के मुंह से निवाला छीना गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ना बता दीजिए आप ।

श्री अमरजीत भगत :- यह तो कई बार बोल चुके हैं । अध्यक्ष महोदय जवाब हमारी तरफ से आने दीजिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- अध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह जी ने केवल चावल का मामला उठाया है । इसी तरह 3359 मेट्रिक टन शक्कर, 5063 मेट्रिक टन नमक, 3200 मेट्रिक टन चना, 500 मेट्रिक टन गुड़ इसका भी हिसाब किताब पोर्टल में नहीं है । इसकी कमी पाई गई है और इसका वितरण नहीं हुआ है । यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि गरीबों को मिलने वाला चावल, गुड़, चना इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसको जोड़ लेंगे तो हजारों करोड़ की गड़बड़ी होगी । इसको पोर्टल से क्यों हटाया गया ? राशन दुकानों को खाने के लिए क्यों दे दिया गया ? क्या इसमें सरकार शामिल है ? क्या इसमें मंत्री जी शामिल हैं ?

समय :

12.06 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भइया, खाए पिऐ तुमन हो अउ बदनाम हमन ला करत हौ, बड़ा मुश्किल के काम हे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने इस मामले में कि गरीबों का गुड़, गरीबों का नमक, गरीबों का चना ये सब भी पोर्टल से गायब करके, राशन दुकान में बचा हुआ और उसका वितरण नहीं हुआ और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले को लेकर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है हम चाहेंगे कि यह गरीबों के चावल में, गरीबों के गुड़ में, गरीबों के नमक में, गरीबों के चने में, गरीबों की शक्कर में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार के मामले में हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके चर्चा करवाइए तो निश्चित रूप से यह उजागर होगा कि किस प्रकार से गरीबों की और छत्तीसगढ़िया की बात करने वाली सरकार, उनका शोषण कर रही है । गरीबों के अनाज में, उनके खाने की थाली में भी चोरी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है । हम इसको उजागर करेंगे, आप इस पर चर्चा करवाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी पूरी बात आ गई ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक समय था जब छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की सबसे अच्छी, पारदर्शी वितरण प्रणाली मानी जाती थी । किंतु दुर्भाग्य से जब से सरकार बदली है, तब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डाका डालने का काम हुआ है । उपाध्यक्ष जी, हमने स्थगन में पूरे आंकड़े दिये हैं कि कितना चना, कितनी शक्कर, कितना गुड़, कितना नमक और कितना चावल कम पाया गया । 1000 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में है । सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सरकार ने नीति में ही परिवर्तन कर दिया । पहले हमारी नीति थी कि हर 2 महीने में स्टॉक वेरीफिकेशन होता था कि किस राशन दुकान में कितना स्टॉक शेष रहा गया । आपने आदेश करके उस सिस्टम में को समाप्त कर दिया । 2022 में पोर्टल से हटा दिया । उसका दुष्परिणाम यह है कि 1000 करोड़ रूपए का करप्शन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुआ है । जो चावल, जो शक्कर, गुड़, नमक गरीब जनता को देना चाहिए था, वह बड़े बड़े लोगों के पेट में चला गया । इस विषय में हमारा स्थगन है उसको स्वीकार करके चर्चा करवाइए ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- उपाध्यक्ष जी, ये अपने 15 साल के कार्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं । हमारे मंत्री जी बताएंगे कि 4 साल में सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है । ये तो अपने 15 साल के बारे में पढ़ रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके लिए है ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब दो तरह से काम कर रही है । जो स्टॉक बच रहा है वह घटाया नहीं जा रहा है या कैरीफारवर्ड नहीं किया जा रहा है । उस दिन की चर्चा में माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि इतनी गड़बड़ी पाई गई है । अब उतनी गड़बड़ी पाई गई है तो

उसके बाद सरकार का बयान है कि हम 24 तारीख तक इसकी जांच पूरी करवा लेंगे। 24 तारीख तक किस बात की जांच होगी, जिसमें सरकार खुद शामिल है ।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, गलत परिभाषित कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आने दीजिए बात ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शून्यकाल हमारा है उपाध्यक्ष महोदय । आपने अनुमति दी है ।

श्री अमरजीत भगत :- इनके समय में जो घोषणा कर दी जाती थी उसे मान लिया जाता था । हमारे समय में तीन जगह जांच होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं उनकी बात सुन रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- कोई माई का लाल किसी गरीब की चीज नहीं खा सकता । एक दाना भी नहीं खा सकता । (व्यवधान) तीन जगह जांच होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी मैं आपको मौका दूंगा ना, अजय जी जारी रखें ।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, ..।

श्री अमरजीत भगत :- ये घुमा फिराकर उसी बात को बोलेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका वक्तव्य है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनसे पूछकर बोलूंगा क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- (व्यवधान) हमारे समय में फ्री में चावल दे रहे हैं, किसी से एक पैसा नहीं ले रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उनसे पूछकर बोलूंगा क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं आपको मौका दूंगा, आप जारी रखें। मंत्री जी आप बैठ जाईए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्र केवल स्वीकृति देता है, चावल तो हमको अपने संसाधन से बांटना पड़ता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, शून्यकाल में सदस्यों को अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक-एक राशन दुकान में [XX][7] लिये जा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- जितना बांटते हैं, उसी का क्लेम होता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, शून्यकाल में मैं सदस्यों की बात सुनूंगा, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- गलत आरोप पेश कर रहे हैं ना। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हमने स्थगन दिया है।

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने इस चर्चा के बाद, राशन दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा कि [XX][8] स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं करने के बदले हर महीने देना पड़ता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसको विलोपित करें। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय, विलोपित करें।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसको विलोपित कराईए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपकी बात आ गयी है। बांधी साहब।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी बात अधूरी है। एक भी कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल पर चर्चा हो रही है या स्थगन पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान) शून्यकाल में भाषण चलेगा क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- तथ्यात्मक बात करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष जी, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसको विलोपित कराईए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा। मैंने बोल दिया, मैं दिखवा लूंगा। आप लोग बोलिए। आप बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल पर चर्चा हो रही है या स्थगन पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान) शून्यकाल में भाषण चलेगा क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आप उधर मत देखिए। इधर देखिए। आप मेरे से बात करिए। आपको मौका देंगे, आप शांत रहिए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में भाषण चलेगा क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- शून्यकाल में भाषण चलेगा क्या ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक भी कार्रवाई, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं की गयी। (व्यवधान) उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं इधर नहीं सुनूंगा। (वयवधान) चलिए आपकी बात आ गयी। बांधी साहब आप बोलिए। आपकी पूरी बात आ गयी है। दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में भाषण नहीं होता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तथ्य और प्रमाण दोनों आ जाएंगे। जो आंकड़े दल के द्वारा दिया जा रहा है, तथ्य और प्रमाण आ जायेगा, इस स्थगन को स्वीकार करना

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

चाहिए। यह सीधे-सीधे पी.डी.एस. से जुड़ा हुआ है, यह गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है। आप स्वीकार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप चिल्ला रहे हैं, वह भी प्रकट हो जाएगा। आप स्थगन स्वीकार कर लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ साहब।

श्री बृहस्पत सिंह :- छत्तीसगढ़ ने बड़े-बड़े नॉन घोटाले देखे हैं। कितने लोग जेल गये हैं, वह भी हम लोगों ने देखा है। कितने लोगों ने नार्को टेस्ट में क्या कहा है, वह भी छत्तीसढ़ के लोगों ने देखा है।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जब यह पूछा कि इतना चावल हिसाब से कहां चला गया तो इन्क्वायरी जनरेट हुई। जब इन्क्वायरी जनरेट हुई तो समझ में आया कि पूरा का पूरा चावल गायब है। अब जिनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है, लोग आकर बता रहे हैं कि 2019 में वहां के तत्कालीन अधिकारियों को रफा-दफा करने के लिए उन्हें पहले ही पैसा दे चुका था।

श्री रविन्द्र चौबे :- 2018 के पहले का।

श्री सौरभ सिंह :- वर्ष 2019, 2020 में दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि वहां पर जो ई पास मशीन चल रही है वह ई पास मशीन राशन दुकानों में किराये पर चल रही है और किराये पर किसने लिया है, नागरिक आपर्ति निगम ने किराये पर लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्थगन को गाह्य करिए, पूरी बात सामने आएगी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2018 के पहले की बात बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए रजनीश सिंह जी। आपकी पूरी बात आ गयी। सबको मौका दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सितंबर 2022 तक की जो जांच रिपोर्ट है उसमें 7 लाख 66 हजार 970 क्विंटल चावल की कमी पाई गयी है और जांच किसके द्वारा की गयी है, खाद्य अधिकारी और सहायक खाद्य अधिकारी के द्वारा जांच की गयी है। जबकि इसमें सहकारिता को भी जोड़ना था, शहरी क्षेत्र में जांच करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को है, उसको आज तक जांच में शामिल नहीं किया गया है। जबकि सहकारिता को अधिकार है। उन्होंने जांच में स्वीकार किया है कि इतनी कमी पाई गयी है। दो बार तिथि बढ़ा है, इसका आखिरी तारीख सितंबर था, उसके बाद भी आज तक जो चावल, शक्कर, नमक की मात्रा है, इसमें बहुत बड़ा घालमेल है, बहुत बड़ा घोटाला है, हमने स्थगन दिया है, इसमें कृपा करके चर्चा कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल-बिल्कुल। मोहले साहब।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ताओं ने जो चावल में गड़बड़ी के बारे में बात की है, मैं उसका आंकड़ा तो नहीं बताना चाहता, यह सब आंकड़े आ चुके हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो गड़बड़ी पाई गयी है, उसमें जांच की जाए और चर्चा की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, गरीबों की भूख को मिटाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनायी जाती है लेकिन जब से 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, ऐसा लग रहा है यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली कांग्रेस पार्टी के लिए बनाई गयी है। क्योंकि जितने अनाज हैं, वह इन्हीं के घर जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात रखिए। तथ्यात्मक बात रखिए। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- हिम्मत है तो स्वीकार कर लें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनके कार्यकाल में नॉन घोटाला हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा, विलोपित कर देंगे। (व्यवधान) हां मैं बोल तो रहा हूं। (व्यवधान) मंत्री जी, दिखवा लूंगा, विलोपित करवा दूंगा, ठीक है। अब शांत रहिए। चलिए आप तथ्यात्मक बात करिए। मैंने बोल दिया, दिखवा लूंगा, विलोपित कर देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल में भी नान घोटाला हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मुख्यमंत्री कौन हैं ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- एक-एक आदमी को...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैडम, आप मत रूकिये। मैं इसको दिखवा लूंगा। आप लोग शांत रहिये। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से पी.डी.एस. सिस्टम को ग्रहण लग गया है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप इस तरह के आरोप मत लगाइये। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उच्च स्तर पर कालाबाजारी हो रही है। इनके संरक्षण में कालाबाजारी हो रहा है। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बी.जे.पी. वाले 15 साल से चोरी करके बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई। चलिये, श्री धरमलाल कौशिक जी, आप बोलिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यह चावल कहां है ? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसको एक बार, दो बार नहीं तीन-तीन बार दिखाया गया। इस पर जांप पर जांच होनी चाहिए। कृपया आप इसे सदन में स्वीकार कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं इसको विलोपित कर दूंगा और दिखवा भी लूंगा। चलिये, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप लोग तथ्यात्मक बात कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके काल में हुआ है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको बताऊं कि गांव में कहावत है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब न कोई गलत राशन कॉर्ड बनवा सकता है और न राशन उठता सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको भी राशन मिलता था और उनके नाम पर भी राशन मिलता था। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में लोगों को चावल मिल सके और भूख से किसी की मौत न हो, इसके लिए इसको स्थापित किया गया। इससे गरीब लोगों को चावल मिलना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से नियम बनाये गये कि जहां से भी चावल उठाये जाएंगे और चावल को उठा कर दुकान तक ले जाने की मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद उपभोक्ता तक उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए नियम बनाये गये। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से उसको ऑफलाइन करके पोर्टल से हटा दिया गया।

सुश्री शकुंतला साहू :- आप यह बताइये कि सी.एम. मैडम कौन हैं ? उसके बाद आप बात करना। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जब उसकी मिलान कर रहे हैं तो उसमें 88 हजार 930 मीट्रिक टन अंतर सिर्फ चावल अंतर आ रहा है उसके बाद गुड़ का अंतर आ रहा है और शक्कर का अंतर आ रहा है। इस प्रकार से देखेंगे तो यह कांग्रेस की सरकार चावल में हजारों, लाखों, करोड़ों रूपये का घोटाला कर रही है। यह चावल चोरी कर रही है वह प्रमाणित हो रहा है। आखिर उसको पोर्टल से क्यों हटाया गया ? यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है। हम इस पर विस्तार से पूरी चर्चा करना चाहेंगे, इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पोर्टल की गड़बड़ी के कारण देश में आंदोलन किया जा रहा है। देश भर के लाखों कार्यकर्ता दिल्ली गये हुए हैं। यह यहां की गड़बड़ी नहीं है

यह तो दिल्ली सरकार की गड़बड़ी है। पूरे देश के राशन दुकान चलाने वाले लोग आंदोलन करने दिल्ली गये हैं। जतका झन हे, तेमन दिल्ली में हड़ताल करे बर गेहे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप सब लोग बैठ जाइये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह है कि शून्यकाल विपक्ष का होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने तो बंद भी कराया है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, विषय पर बात हो रही है। हमने जो स्थगन दिया है हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, क्या आप कुछ भी बोलेंगे ? आप क्या बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार बोलते हैं। आप पेपर में छापने के लिए भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- शून्यकाल कभू नहीं होए, शून्यकाल इन्हीं लोग ले लेंगे।

सुश्री शकुंतला साहू :- क्या आप कुछ भी बोलते रहेंगे और कुछ भी भाषण देते रहेंगे ? शून्यकाल है तो आप 2 मिनट बोलिये न। आप भाषण दे रहे हैं और कुछ भी आरोप लगा रहे रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाइये। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं।

श्री उमेश पटेल :- विपक्ष सिर्फ इसलिए आरोप लगता है कि कल पेपर में...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, नेता जी बोल रहे हैं। राठिया जी, आप बैठ जाइये। आप लोग समझिये। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- यह आरोप लगा रहे हैं। कुछु भी कहीही तो थोड़े बनही। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उस दिन बोल रहे थे कि हम 24 तारीख तक इसकी जांच करा लेंगे। क्या जब सदन उठ जाएगा, तब इसका उत्तर आएगा ? आपने जानबूझकर प्लेनिंग से इसको 24 तारीख रखा है। यह गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का गंभीर विषय है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से यह देश में अनोखा भ्रष्टाचार है और सुनियोजित भ्रष्टाचार है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार किसी भी प्रदेश में नहीं होते हैं। कोई भी गरीबों का चावल, गुड़, चना या अनाज नहीं खाता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यह सरकार गरीबों को भी नहीं छोड़ रही है और सारे सिस्टम को अपने अनुरूप बना रही है। कालाबाजारी आवश्यक अधिनियम-1955 के अनुसार यह अपराध है। अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आग्रह है कि यह एक गंभीर विषय है और हमने इस गंभीर विषय पर स्थगन दिया है और आप इस स्थगन को स्वीकार करके इस पर विस्तार से चर्चा कराएं। इस पर हमारे पक्ष के सदस्य इस सदन के सामने अनेक तथ्य रखेंगे। जो तथ्य अभी तक नहीं आये हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ऐखर मन के बात ला देख लो कि एमन कहात हे कि कालाबाजारी खत्म नहीं हो हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

समय :

12.19 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य पदार्थों के वितरण में कालाबाजारी होना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य पदार्थों के वितरण में कालाबाजारी होने के संबंध में 13 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
दूसरी सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य
तीसरी सूचना	-	श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
चौथी सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
पांचवी सूचना	-	श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
छठवीं सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
सातवीं सूचना	-	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
नवमीं सूचना	-	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
दसवीं सूचना	-	श्री सौरभ सिंह, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना	-	श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
बारहवीं सूचना	-	श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
तेरहवीं सूचना	-	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि श्री नारायण चंदेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

प्रदेश में वर्ष 2007 में जब गरीबों को 3 रूपये किलो की दर से चांवल देने की योजना बनाई गई, उसके साथ ही इस प्रणाली की लीकेज को खत्म करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम से राशन दुकान और हितग्राही तक पहुंचाने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया । इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 बनाया गया था । इसमें पारदर्शिता के उद्देश्य से खाद संचालक द्वारा राशन दुकानों को हर महीने 10 तारीख को अगले महीने के चांवल कोटा जारी रखने का नियम बनाया गया । राशन के सुचारू रूप से वितरण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश के पीडीएस सिस्टम

को लीकेज प्रुफ बनाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के देश के मॉडल पीडीएस सिस्टम भी कहा गया था और अन्य राज्यों ने इसका अनुसरण भी किया था, लेकिन प्रदेश में इस वर्ष 2018 में सरकार के आते ही प्रदेश की पीडीएस सिस्टम को ग्रहण लग गया था । नियम यह था कि राशन के दो महीने का 100 फीसदी कोटा दिया जाएगा और दो महीने के बाद राशन दुकानों के बचे चांवल आदि की मात्रा को घटा कर तीसरे महीने बाकी कोटा दिया जाएगा । वर्ष 2019 से दो महीने का पूरा कोटा और तीसरे महीने पिछले दो महीने में बचे चांवल आदि के कोटे को घटाकर बाकी कोटा को देने की व्यवस्था को शून्य कर दिया गया। फूड इंसपेक्टर दिसम्बर, 2021 तक अपने मॉड्यूल में प्रदेश के सभी राशन दुकानों में बचे हुए चांवल के स्टॉक की जानकारी देते रहे । प्रचलित व्यवस्था के तहत खाद्य विभाग के जनभागीदारी पोर्टल में किसी भी राशन दुकान में बचे हुए चांवल की मात्रा कहीं भी कोई भी देख सकता था, किन्तु जनवरी, 2022 से ये जानकारी पोर्टल से हटा दी गई । जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक हर राशन दुकान को पूरा कोटा दिया जाता रहा और बचत स्टॉक को नहीं घटाया गया । खाद्य विभाग के पत्र से स्पष्ट है कि कैसे चांवल, चना, शक्कर, नमक और गुड़ के आवंटन में से 3 हजार से अधिक राशन दुकानों में बचे हुए चांवल के स्टॉक में 68930 मीट्रिक टन चांवल का हिसाब किताब नहीं है एवं यह मात्रा कुल मात्रा की 42 प्रतिशत है । इसी तरह 3359 मीट्रिक टन शक्कर, 5063 मीट्रिक टन नमक, 3210 मीट्रिक टन चना एवं 506 मीट्रिक टन गुड़ का हिसाब भी गायब है । सभी जिलों के सभी राशन दुकानों में यह गड़बड़ी दिख रही है । केन्द्र सरकार के सब्सिडी वाले चांवल की कालाबाजारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार अपराध है । राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के संचालन की जो रिपोर्ट केन्द्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने जारी की है, उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ बीस बड़े राज्यों की सूची में उन्नीसवें नंबर पर है ।

अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने हर गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें भूख और कुपोषण से बचाना है तथा इस हेतु राज्य में अक्टूबर, 2019 से सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनवरी, 2019 से लेकर फरवरी, 2023 तक 17 लाख जरूरतमंद परिवारों को राशनकार्ड जारी कर उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य सुरक्षा के दायरे के अंतर्गत लाया गया है। यह सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007-08 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन तथा इसके कम्प्यूटरीकरण हेतु उल्लेखनीय कार्य किया गया, जिसका अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया गया है, किन्तु यह सही नहीं है कि वर्ष 2018 से पीडीएस सिस्टम को ग्रहण लग गया है, अपितु सही तथ्य यह है कि वर्ष 2019 में राज्य

सरकार द्वारा सार्वभौम पीडीएस लागू कर प्राथमिक परिवारों की राशन सामग्री पात्रता में वृद्धि की गई, सामान्य परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए नए राशन कार्ड जारी किए गए एवं वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2022 तक कोविड-19 की विभिन्न लहरों के दौरान गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य शासन द्वारा 20 माह के दौरान अंत्योदय तथा प्राथमिक हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है । पीडीएस की व्यवस्था के अंतर्गत राशन सामग्री के दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु फरवरी, 2022 से उचित मूल्य दुकानों में ई-पोस मशीन स्थापित कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण की चरणबद्ध रूप से राज्य में लागू की गई, प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के 96 प्रतिशत हितग्राहियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिये राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित हो रहा है। जबकि 2019 के पूर्व उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अधिकतम 6 से 8 प्रतिशत सदस्यों को भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिये वितरण हो रहा था। इससे स्पष्ट है कि 2018 के पश्चात पी.डी.एस. के अन्तर्गत राशन वितरण में अनियमितता को रोकने तथा बचत स्टॉक की सही गणना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व से भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2018 के पूर्व तथा इसके पश्चात किसी भी वर्ष में उचित मूल्य दुकानों को 2 माह लगातार आवंटन के अनुरूप राशन सामग्री प्रदाय किए जाने के उपरांत तीसरे माह में दुकानों में बचत स्टाक को घटाकर राशन दिए जाने का कोई नियम लागू नहीं था। अत: जब ऐसा नियम था ही नहीं, तो इसे वर्तमान सरकार द्वारा बदलने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। यह भी सही नहीं है कि खाद्य निरीक्षकों द्वारा दिसम्बर, 2021 तक अपने मॉडयूल से प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों में चावल की बचत स्टॉक की जानकारी देते रहे। अपितु सही तथ्य यह है कि फरवरी, 2022 तक उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा प्रत्येक माह राशन सामग्री की प्राप्ति वितरण मात्रा एवं बचत मात्रा की प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि खाद्य निरीक्षक द्वारा अपने मॉडयूल से की गई है तथा जुलाई, 2022 तक उचित मूल्य दुकानों को जनवरी, 2017 से बचत स्टॉक के आधार पर लागू नियम के आधार पर उचित मूल्य दुकानों को राशन सामग्री प्रदान की गई। फरवरी, 2022 से उचित मूल्य दुकानों में ई-पोस मशीन की स्थापना का कार्य चरणबद्ध रूप से शुरू हुआ, जो सितम्बर, 2022 तक पूर्ण हुआ तथा इस दौरान प्रदेश की उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री का वितरण डाटा दो सर्वर में जाने लगा, जिसके कारण उचित मूल्य दुकानों की बचत स्टाक की गणना में समस्या उत्पन्न हुई। जिसके परिणामस्वरूप अगस्त, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक उचित मूल्य दुकानों को प्रत्येक माह जारी आवंटन मात्रा के अन्तर्गत राशन सामग्री के भण्डारण की अनुमति दी गई। साथ ही खाद्य अधिकारी मॉड्यूल में दुकानों में बचत स्टाक के आधार पर प्रत्येक माह प्राप्त की जाने वाली राशन सामग्री में कटौती का प्रावधान भी दिया गया ताकि किसी भी दुकान में ओवर स्टॉक की स्थिति निर्मित ना हो। माह सितम्बर, 2022 के उचित मूल्य दुकानों के

बचत स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया गया तथा माह जनवरी, 2023 से 2 माह पूर्व बचत मात्रा के आधार पर उचित मूल्य दुकानों को राशन सामग्री का प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। 30 सितम्बर, 2022 की स्थिति में विभागीय डाटा बेस के अनुसार 13,392 उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री की बचत मात्रा का सत्यापन सभी जिलों में कराया गया तथा जिलों द्वारा प्रारंभिक जांच में दर्ज जानकारी के अनुसार 68,930 टन चावल, 3,359 टन शक्कर, 3,188 टन चना, 5,063 टन नमक तथा 507 टन गुड़ की मात्रा कम पाई गई एवं सभी जिलों द्वारा कम पाई गई मात्रा का सघनता से परीक्षण करने से स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक जिले में ई-पॉस मशीन स्थापना के पश्चात कुछ माहों में इस मशीन के जरिये वितरण ना करने, वितरण डाटा समय पर अपलोड ना करने अथवा अन्य तकनीकी त्रुटि के कारण भी राशन सामग्री के स्टॉक में कमी कुछ कमी प्रदर्शित हुई है, जिसके मिलान के पश्चात ऐसी दुकानें जहां स्टॉक में कमी पाई गई है, वहां प्रकरण दर्ज कर दुकानों को नोटिस जारी किया गया है तथा अधिकांश प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन है। विभागीय डाटा बेस में खाद्य निरीक्षकों द्वारा दर्ज जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टयां तकनीकी कारणों को छोड़कर कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा में से चावल की मात्रा 41,975 टन, शक्कर की मात्रा 2,162 टन, चना की मात्रा 2,159 टन, नमक की मात्रा 3,350 तथा गुड़ की मात्रा 270 टन है। इन सभी मामलों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय प्रकरण विचाराधीन है तथा राशन सामग्री के वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है एवं अब तक 4.55 करोड़ रूपये अनुमानित मूल्य की राशिन सामग्री की वसूली की भी जा चुकी है तथा शेष दुकानों हेतु यह कार्यवाही प्रचलित है, इन मामलों में अब तक 13 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है. 161 दुकानों का आबंटन निलंबित किया गया है, 119 दुकानों का आबंटन निरस्त किया गया है । इन प्रकरणों में किसी भी दुकान संचालक एवं अन्य द्वारा राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही तत्परता से की जाएगी. राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकानों में बचत स्टॉक के सत्यापन तथा इस पर कार्यवाही को लेकर अत्यंत गंभीर है तथा पीडीएस के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री के वितरण को प्रारंभ करके सभी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सजग है तथा इस हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है, मंत्री जी ने स्वीकार किया है...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- उनका जवाब है ...।(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चोरी नहीं है, डकैती है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्ट्राचार है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है । ऐसे शिकायत पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी । गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाली यह सरकार है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गरीबों के पेट में लात मार रही है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके शक्कर, गुड़, चना, सब को खाने वाली यह सरकार है । आपके इसके ऊपर में चर्चा करवायें । 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्ट्राचार करने वाली यह सरकार है, गरीबों का निवाला छीनने वाली यह सरकार है, इसमें चर्चा नहीं होती तो किसमें चर्चा होगी । माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें चर्चा करवायें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, स्वीकार करने के साथ-साथ इसी में आंकड़े अलग-अलग आ गये हैं । एक तरफ बोल रहे हैं कि 68,930 मिट्रिक टन चावल कम पाया गया, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि 40,975 टन..। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- वसूली हो गई है ना, आपको समझ में नहीं आता है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- वसूली क्या हो गई । आपने 4 करोड़ कुछ की वसूली की है । यह आपके वसूली का योग है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इतना बड़ा भ्रष्ट्राचार है ।(व्यवधान) 1000 करोड़ रूपये का भ्रष्ट्राचार हुआ है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने तो सुन लिया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया है । 1000 करोड़ रूपये से ज्यादा का भ्रष्ट्राचार है । आप इसके ऊपर में चर्चा करवाईये । मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है । (व्यवधान)

डॉ.रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा विषय है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है । फुड इंस्पेक्टर जो डाटा बेस में एन्ट्री करता है और सचिवालय को जानकारी भेजता है, यह कहा गया कि वह जानकारी नहीं भेजे हैं, इसलिए 59,000 मिट्रिक टन चावल...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी सब बातें सुन ली है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- दो पोर्टल में जमा हो रहा था डॉ.साहब । ई.पोस्ट में और आपके टेबलेट में अलग-अलग सर्वे में जा रहा था, उसको मिलान करने में टाईम लगा है । (व्यवधान)

डॉ.रमन सिंह :- यह जानकारी डाटा बेस में भेजा गया है । इंसपेक्टर संघ ने कहा है कि हम जानकारी भेज रहे हैं । वह रेगुलर जानकारी भेजते रहे हैं, गलती डायरेक्ट्रेट में हुई है....।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं इसको अनुमति नहीं देता हूँ । अब नियम 138 के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना लूंगा । श्री नारायण चंदेल जी । नारायण चंदेल जी सदस्य, ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे। (व्यवधान) सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित ।

(12.35 से 12.42 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.42 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) प्रदेश में श्रम विभाग अंतर्गत संचालित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंडस्ट्रियल हाईजीन लेबोरेटरी में नियम विरूद्ध सहायक संचालक (इंडस्ट्रियल हाईजीन) के पद पर नियुक्ति की जाना।</u>

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि प्रदेश में श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंडस्ट्रियल हाईजीन लेबोरेटरी, जो कि प्रत्येक राज्य में एक ही होती है, की स्थापना 2008 में की गई। इस लेबोरेटरी का कार्य कारखानों में श्रमिकों के कार्य स्थल पर प्रदूषण की जांच करना है, जिससे श्रमिकों का स्वास्थ्य ठीक रहे। वर्ष 2014 में इस लेबोरेटरी हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सहायक संचालक (इंडस्ट्रियल हाईजीन) का पद स्वीकृत किया गया था। पद हेतु आवश्यक योग्यता में एम.एस.सी. केमिस्ट्री एवं इंडस्ट्रियल हाईजीन लैब में 3 वर्षों का शोध एवं प्रायोगिक कार्य का अनुभव आवश्यक था। इस पद हेतु 37 लोगों द्वारा आवेदन किया गया। सभी को साक्षात्कार एवं प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु बुलाया गया, किन्तु इस पद पर अनुभवी व्यक्ति की योग्यता को नजरअंदाज करते हुए, उनके स्थान पर इंडस्ट्रियल हाईजीन कार्य में अनुभवहीन व्यक्ति जो कि कीटनाशक दवाई बनाने वाली कंपनी का अनुभव रखते हैं, उन्हें विभाग द्वारा नियम विरूद्ध पदभार ग्रहण कराकर उद्योगों में कार्यरत लाखों श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। सचिव, श्रम विभाग एवं आयुक्त, श्रम को अनेकों बार शिकायत की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करते हुए प्रमोशन से वंचित किया गया। विभाग में अनियमितताओं के प्रति उदासीनता के कारण जनप्रतिनिधियों, विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा श्रमिकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम विभाग के अंतर्गत एकमात्र आद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित इंडस्ट्रियल हाईजीन लैब, रायपुर में संचालित है एवं उक्त हाईजीन लैब की स्थापना वर्ष 2008 में की गयी है। यह कहना भी सही है कि इस लेबोरेटरी द्वारा कारखानों में कार्यस्थल पर प्रदूषण की जांच की जाती है। कार्यवातावरण में विभिन्न तरह के रसायनों, एसिड फ्यूम्स, मेटल फ्यूम्स, दूषित वायु एवं धूल के साथ-साथ प्रकाश एवं ध्वनि की मात्रा के विश्लेषण का भी कार्य किया जाता है। यह कहना सही है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार

आयोग द्वारा डाटा को राज्यों में स्थापित इंडस्ट्रियल हाईजीन लैब में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञानी (इंडस्ट्रियल हाईजिनिस्ट) की नियुक्ति करने के संबंध में अनुशंसा की गयी है, जिसके परिपालन में श्रम विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-09/2014/16, दिनांक 13.11.2014 द्वारा सहायक संचालक, हाईजिन के पद की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी आराम से।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर बहुत लंबा है इसलिये थोड़ा जल्दी कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, का है कि सब के ला मत दे। हमर विस्तृत देथन। तोहर सही नहीं देवन। हमर तो बने देथन।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लंबा-लंबा खाथो तो लंबा-लंबा उत्तर देथन।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अउ खाये के काम तो 15 साल तुही मन करे हव। दूसरा ला देख। खाये ते हस अउ नारायण चंदेल जी मोटा गे हवय।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सबको पूरा संतुष्ट कर दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा कर देथो। अब ऐ मन ला पढ़े में तको दिक्कत हे ता अब कैसे करबे बता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये पढ़िये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह कहना सही नहीं है कि सहायक संचालक, हाईजिन पद हेतु आवश्यक योग्यता एम.एस.सी. केमेस्ट्री एवं इंड्रस्ट्रीयल हाईजिन लैब में 3 वर्षों का शोध एवं प्रायोगिक कार्य अनुभव आवश्यक था। अपितु तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 1-10/2017/16, दिनांक 04 सितंबर, 2017 द्वारा सहायक संचालक, हाईजिन पद हेतु योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन अथवा जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष एवं वांछनीय-(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन इंडस्ट्रीयल हाईजिन (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित अर्हता उपरोक्त "क" में डॉक्टोरेट उपाधि तथा इंडस्ट्रीयल हाईजिन में तीन वर्ष का शोध/ प्रायोगिक कार्य अनुभव निर्धारित की गई है। यह कहना सही है कि इस पद हेतु 37 लोगों द्वारा आवेदन दिया गया । यह कहना भी सही है कि सभी को छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु बुलाया गया, जिसमें 25 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, 10 अभ्यर्थी अनर्ह पाये गये एवं 02 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। सहायक संचालक, इंडस्ट्रीयल हाईजिन के रिक्त पद हेतु छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 15/2022/परीक्षा, दिनांक 17.03.2022 प्रकाशन तिथि 30.03.2022 के माध्यम से सहायक संचालक, (इंडस्ट्रीयल हाईजिन) के 01 पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके आवेदन सीधे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वासरा प्राप्त आवेदनों के

आधार पर विज्ञापन की शर्तों के तहत् पात्र एवं योग्य 02 उम्मीदवारों का चयन साक्षत्कार हेतु किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर श्रम विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-24/2016/16 दिनांक 13.07.2022 द्वारा सहायक संचालक, (इंडस्ट्रीयल हाईजिन) के पद पर नियुक्ति दी गई। अत: यह कहना सही नहीं है कि अनुभवी व्यक्ति की योग्यता को नजरअंदाज करते हुए उनके स्थान पर इंडस्ट्रीयल हाईजिन कार्य में अनुभवहीन व्यक्ति को विभाग द्वारा नियम विरूद्ध पदभार ग्रहण कराकर उद्योगों में कार्यरत लाखों श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया।

यह कहना भी सही नहीं है कि उक्त संबंध में सचिव श्रम विभाग एवं आयुक्त श्रम विभाग को अनेक बार शिकायत की गई, परंतु संबंधित व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की गई उल्टे शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करते हुए प्रमोशन आदि लाभ से वंचित किया गया। अपितु तथ्य यह है कि सहायक संचालक, हाईजिन पद पर चयन के संबंध में कोई भी शिकायत सचिव श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त को नहीं की गई है। कार्यालय उप संचालक इंडस्ट्रीयल हाईजिन लैब, रायपुर में वर्ष 2008 से केमिस्ट के पद पर पदस्थ कर्मचारी श्री रजत केशरवानी द्वारा सहायक संचालक, हाईजिन के पद को सीधी भर्ती से हटाकर पदोन्नति द्वारा भर्ती करने या एक नवीन पद का सृजन कर पदोन्नत करने संबंधी अभ्यावेदन पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, किंतु भर्ती नियमों के अंतर्गत सहायक संचालक, हाईजिन का पद सीधी भर्ती का होने से उन्हें पदोन्नत किया जाना संभव नहीं था।

उल्लेखनीय है कि संबंधित केमिस्ट/शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं की पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका WP(S)NO.3674/2022 एवं सहायक संचालक, हाईजिन के नियुक्ति के संबंध में WP(S)NO.5319/2022 दायर किया गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अत: यह कहना सही नहीं है कि विभाग में अनियमितताओं के प्रति उदासीनता के कारण जनप्रतिनिधियों, विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा श्रमिकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इस पद के लिए कब विज्ञापन निकाला गया था? उसके लिए क्या-क्या योग्यता, अनुभव निर्धारित किया गया था, इसमें चयन हेतु क्या प्रक्रिया तय की गई थी? क्या इस पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी? इन दोनों, तीनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दें दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा उत्तर पढ़कर सुना दिया है। मैंने दो पेज पढ़ा है, उसमें पूरा लिखा है उसके बाद फिर और प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ।

श्री नारायण चंदेल :- आप प्वाईंटेड उत्तर बताईये। आपने तो 4 पेज का उत्तर पढ़ा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, 4 पेज नहीं है, 2 पेज का उत्तर है, उसमें पूरा लिखा हुआ है। मैं जो उत्तर दिया हूं, उसको भी थोड़ा पढ़ लिया करो। आदरणीय नेता जी, उसमें पूरा लिखा हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- चलिये, आप बताईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता तो रहा हूं न। इंडस्ट्रीयल हाईजिन लैब में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सहायक संचालक इंडस्ट्रीयल हाईजिन लैब के पद की भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक 15/2022/परीक्षा, दिनांक 17.03.2022, प्रकाशन तिथि 30.03.2022 के माध्यम से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो आवेदन किये गये थे, उसमें 37 आवेदन प्राप्त हुए थे। लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु 37 लोगों को बुलाया गया था जिसमें 25 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। लोक सेवा आयोग द्वारा सत्यापन में 10 अभ्यर्थी अयोग्य पाये गये तथा 2 अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन में सही पाये गये, उन्हें साक्षात्कार हेतु 30.05.2022 को बुलाया गया। इनकी नियुक्ति श्रम विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-24/2016/16 दिनांक 13.07.2022 द्वारा श्री राहुल शर्मा को सहायक संचालक (इंडस्ट्रीयल हाईजिन) के पद पर नियुक्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- बस उतना ही पूछ रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि एक तो इस पद की स्थापना इसलिए की गई थी, हम सब लोग उस समय मध्यप्रदेश में थे, आप भी थे। भोपाल का जब गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड के बाद में पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक हाईजिन लैब की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की गई थी ताकि दोबारा उस प्रकार की घटना की प्रवृत्ति न हो। वहां पर कोई सक्षम, जानकार, योग्य अधिकारी उपस्थित रहे जो उसी विषय का जानकार हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न पूछ ना, भाषण मत दे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह जो नियुक्ति हुई है, वह गलत हुई है, ऑउट ऑफ वे जाकर हुई है। उस पद के लिए उसकी योग्यता नहीं थी, लेकिन पता नहीं विभाग ने किस आशय से उसकी नियुक्ति की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दस्तावेज सत्यापन हेतु गठित समिति में सत्यापन के समय विभाग के कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दस्तावेज सत्यापन हुआ, उस समय शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र जांच हेतु श्रम विभाग द्वारा शासन की ओर से नामांकित अधिकारी श्री तोसन कुमार साहू, उप संचालक, संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और श्री विवेक चेलकर, सहायक संचालक, संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्ती नियम 2013 और 2017 इन्होंने ही बनाया था। भर्ती नियम में योग्यता का जो प्रावधान है, इनकी

सरकार के समय इन्होंने ही निर्धारित किया था। हमने अपनी तरफ से कोई नया नियम नहीं बनाया है। वर्ष 2013 और 2017 में इनकी सरकार थी, डॉ. रमन सिंह जी ने नियम बनाया था। यह अपने ही बनाये गये नियम का विरोध कर रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनका आदमी नहीं फंसा होगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी, आप बैठिये, मैं आपको बता रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- आपका उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें यह प्रावधान है कि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जिसको आपने भर्ती किया है, वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हरियाणा, दिल्ली से उसका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यहां पढ़ा है, इसी विषय में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से पी.एच.डी. किया है। वह यहां कई साल से रह रहा है। आप 6 महीने में अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देते हो, रमन सिंह जी ने यह नियम बनाया था। वह यहां का रहने वाला है।

श्री नारायण चंदेल :- क्या आप उसके जाति प्रमाण पत्र की जांच करायेंगे? रमन सिंह जी ने बनाया था, इनकी सरकार ने बनाया था, यह नहीं। आज तो आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसकी जांच करवा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- एक आदमी तो सलेक्ट हुआ है, उसका नाम भी शर्मा है। चलिये शैलेश पांडे जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है। हम लोग भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग में भेजते हैं और जो योग्य पाया जाता है, उसकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग करती है। यह जिस कर्मचारी के बारें में कह रहे हैं, उसकी तो वह योग्यता है ही नहीं, वह केमिस्ट है। कोई पटवारी बोले कि मेरे को 20 साल का अनुभव है, मेरे को सीधा कलेक्टर पदोन्नत कर दो, क्या ऐसा होता है, संभव है।

श्री नारायण चंदेल :- मेरा यह कहना है कि यदि नियुक्ति गलत है तो उसकी जांच कराने का आप आदेश कर दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इनके जिस व्यक्ति ने यह जो प्रश्न लगवाया है।

अध्यक्ष महोदय :- जब कोर्ट में विचाराधीन है तो उस मामले में यहां पर चर्चा मत करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बता दिया।

अध्यक्ष महोदय :- इस मामले में चर्चा मत करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने इस विधानसभा में प्रश्न लगवाया है, उसको आप विलोपित कर दें। इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलये, उसको निकाल देंगे। आप शांति रखिये। ठीक है। शैलेश पांडे जी।

(2) सरगुजा संभाग के भटगांव में रेत माफिया के द्वारा मारपीट किया जाना.

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरगुजा संभाग के भटगांव में आपसी रंजिश के कारण तथा रेत माफियाओं की आपसी लड़ाई में विवाद करते हुए कुछ नागरिकों के रॉड से दोनों पैर तोड़ दिये गये और कुछ लोगों के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। उक्त घटना के 12 घंटों के भीतर ही पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ लिया गया था, उसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा पुतला दहन किया गया। इस तरह की घटना के कारण क्षेत्र में नागरिकों के मन में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सूरजपुर के थाना भटगांव क्षेत्रांतर्गत दिनांक 28.02.2023 को रोहित सिंह तथा उसके साथियों द्वारा ग्राम केवटाली जंगल में अखण्ड प्रताप सिंह एवं उसके साथियों का रास्ता रोक कर मारपीट किये जाने की घटना में प्रार्थी अखण्ड प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर थाना भटगांव में दिनांक 28.02.2023 को अपराध क्रमांक 16/2023 धारा 341, 147, 148, 149, 294, 506, 323, 324, 307 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त घटना को लेकर आरोपितयों की गिरफ्तारी हेतु भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पुतला दहन का असफल प्रयास किया गया है।

उक्त घटना को लेकर वर्तमान में क्षेत्र की जनता में कोई रोष व आक्रोश नहीं है, जनजीवन सामान्य है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पहले छोटा प्रश्न करना चाहता हूं कि जिसने मारा, उसका क्या नाम था और वह कौन है? जो पीटे, उनका क्या नाम था और वह कौन थे?

अध्यक्ष महोदय :- जो मारा और जो मार खाया, उसका नाम आपके पास उपलब्ध है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- है न।

अध्यक्ष महोदय :- पढ़ दीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जी। मैं बता रहा हूं। भैयाथान निवासी अखण्ड प्रताप सिंह, अमन प्रताप सिंह, त्रिलोक पटेल तथा अभिषेक गुप्ता, यह लोग मोटर सायकल से जा रहे थे तो आरोपी, जो मारने वाले लोग हैं, वह रोहत सिंह तथा उनके साथियों द्वारा उनको ओव्हरटेक करके रोका गया, फिर उनसे मारपीट की गई। वहां पर यह चार लोग और दो लोग हृदय सिंह गोड़ और राम अवतार पाटिल चश्मदीद के रूप

में थे। इसमें अखण्ड प्रताप सिंह, अमर सिंह और त्रिलोक पटेल तथा अभिषेक गुप्ता, यह चारों लोगों के साथ इन लोगों ने मारपीट किया।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको गिरफ्तार किया, उनके नाम आपने कहीं नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय :- गिरफ्तार तो हो गये, फिर आपको क्या इंट्रेस्ट है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, अभी तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें संजय अग्रवाल, चंदन उर्फ चंद्र प्रकाश शर्मा एवं अफताब खान, यह तीन को गिरफ्तार किय गया है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश में जो पिछले 15 वर्षों से रेत माफिया लोग काम कर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं। यह पूरी घटना भाजपा कार्यकर्ताओं के आपस की लड़ाई की थी। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला क्यों जलाया गया? जबकि हमारी पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भारतीय जनता पार्टी के कोई भी अपराधी हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिये।

श्री शैलेश पांडे :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाने की क्या जरूरत थी? मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि यह सदन के लिए जरूरी प्रश्न है कि पूरे प्रदेश में रेत माफिया काम कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- पांडे जी, एक मिनट। आपके पार्टी के लोग मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कह रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हुआ है। आप पहले उस पर तो कार्रवाई करवा लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- गृहमंत्री जी क्या कह रहे हैं उनके क्षेत्र के लोग, उसका वीडियो वायरल हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसका भी वीडियो वायरल है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परेशानी है । समस्या यह है कि पूरे सरगुजा क्षेत्र में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के रेत माफिया पिछले 15 सालों से सक्रिय हैं और वे आपस में लड़ाई करते हैं । शहर में दहशत फैलती है, जनजीवन असामान्य हो जाता है, लोगों के मन में समस्या आती है । इस प्रकार की जो मारपीट होती है वह गलत है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई नीति बननी चाहिए जिस प्रकार से रेत माफिया, चूंकि कोई एक रेत ठेकेदार हो सकता है । लेकिन वह रेतमाफिया कैने बन जाता है ? और सवाल यह है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार नहीं किया है, इसमें मेरी जानकारी में यह है कि उनके पास पिस्टल भी मिली थी और उनके पास लाईसेंसी बंदूक थी लेकिन पुलिस ने उसको सीज नहीं किया जबकि आपने धारा-307 लगायी है । आपने स्वयं अपने वक्तव्य में बताया है कि धारा-307 लगाना और उनके पास पिस्टल होना यह तो

बहुत गंभीर अपराध है और इसमें दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें जो बचे हुए अपराधी हैं तो माननीय मंत्री जी आप इस बात की जानकारी अवश्य दें कि उन अपराधियों को आप कब तक पकड़ लेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मौके पर कोई पिस्टल, गन प्राप्त नहीं हुआ है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये एक टीम बना दी गयी है । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के द्वारा और उनमें 16 अधिकारी-कर्मचारी हैं, उनको मिलाकर टीम बना दी गयी है और वे कार्यवाही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मौके पर पिस्टल या बंदूक नहीं मिली ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मौके पर कोई पिस्टल या बंदूक नहीं मिली ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं मिली, यह बात सही है लेकिन क्या उनके पास पिस्टल या बंदूक का लाईसेंस है ? क्या लाईसेंसी बंदूक घर में रखा हुआ है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके पास लाईसेंस है । उनका पिस्टल थाने में जमा है । घटना के समय उनके पास कोई पिस्टल नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु चार मंत्रियों के विभागों की मांगों को रखा गया है ।

समय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आज ही चारों मंत्रियों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण कराई जाना है । मेरा सभी दलों से अनुरोध है कि केवल दो, दो वक्ताओं के नाम दें ताकि चर्चा समय पर समाप्त हो सके ।

साथ ही वक्ताओं से भी अनुरोध है कि वे भी समय को ध्यान रखते हुये अपनी बात रखें ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी की ओर से है । माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है ।

कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

पंचम विधानसभा के समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण का समूह छायाचित्र

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधानसभा के समस्त माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को अपराह्न 01.30 बजे एवं तुरंत पश्चात् पत्रकारगणों का समूह छायाचित्र विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में लिया जाना है ।

आप समस्त माननीय सदस्यों एवं पत्रकारगण से अनुरोध है कि समूह छायाचित्र हेतु कृपया अवश्य उपस्थित होवें ।

समय :

1.03 बजे

<u>नियम 267-क के अंतर्गत विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री चंदन कश्यप
2. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
3. श्री मोहित राम
4. श्री धरमलाल कौशिक

समय :

1.03 बजे

<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>

<u>(1) लोक लेखा समिति का एक सौ दोवां से एक सौ अठाईसवां तक 27 प्रतिवेदन</u>

सभापति महोदय (श्री अजय चंद्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं लोकलेखा समिति का एक सौ दोवां से एक सौ अठाईसवां तक 27 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- और ऐसे ही हमेशा प्रस्तुत करते रहें ।

<u>(2) याचिका समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन</u>

सभापति महोदय (श्री अरूण वोरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समय :

1.04 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री चंदन कश्यप
2. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

3. श्रीमती छन्नी चंदू साहू

4. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

समय :

1.04 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) के पु:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) का पु:स्थापन करता हूं ।

समय :

1.05 बजे

वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोगजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण

मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण

मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन

मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा

मांग संख्या 17 सहकारिता

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये - तीन सौ उनसठ करोड़, नब्बे लाख, चौबीस हजार रूपये,

मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण के लिये - पांच हजार छ: सौ सतासी करोड़, तिरसठ हजार रूपये,,

मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए - चौबीस हजार पचपन करोड़,पचहत्तर लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक हजार दौ सौ सैंतालीस करोड़, सत्तर लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये - दो करोड़, चौहत्तर लाख, अस्सी हजार रूपये,

मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए - एक सौ उनसठ करोड़, बयालीस लाख, छप्पन हजार रूपये,

मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये सात हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़, छ: लाख, एक हजार रूपये,

मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये - छ: सौ पंद्रह करोड़, दस लाख, दो हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये - एक सौ तैंतीस करोड़, बांसठ लाख, पच्चीस हजार रूपये,

मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए - एक सौ सतानबे करोड़, इकतीस लाख, चवालीस हजार रूपए,

मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - एक सौ चौरानबे करोड़, इकतालीस लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा के लिये - सात हजार तीन सौ अड़तीस करोड़, सतानबे लाख, उनतीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या 17 सहकारिता के लिये - दो सौ छियासी करोड़, सतानबे लाख, तेईस हजार रूपये तक की राशि दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तत हुआ ।

अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या - 33

आदिम जाति कल्याण

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री धरमलाल कौशिक	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	10

मांग संख्या - 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री धरमलाल कौशिक	2
3.	श्री शिवरतन शर्मा	12

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या - 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
2.	श्री शिवरतन शर्मा	2

मांग संख्या - 49

अनुसूचित जाति कल्याण

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	3
3.	श्री धरमलाल कौशिक	1
4.	श्री शिवरतन शर्मा	4

मांग संख्या 53

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
3.	श्री धरमलाल कौशिक	2
4.	श्री शिवरतन शर्मा	3

मांग संख्या 64

अनुसूचित जाति उपयोजना

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
2.	श्री धरमलाल कौशिक	3
3.	श्री शिवरतन शर्मा	4

मांग संख्या 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री धरमलाल कौशिक	2
3.	श्री शिवरतन शर्मा	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू 2

मांग संख्या 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन

1. श्री धरमलाल कौशिक 1
2. श्री शिवरतन शर्मा 2

मांग संख्या 15

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1. श्री धरमलाल कौशिक 3

मांग संख्या 27

स्कूल शिक्षा

1. श्री नारायण चंदेल 6
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल 19
3. श्री पुन्नूलाल मोहले 3
4. श्री धरमलाल कौशिक 22
5. श्री शिवरतन शर्मा 12
6. श्री केशव प्रसाद चंद्रा 22
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू 16
8. श्रीमती इंदू बंजारे 9
9. श्री रजनीश कुमार सिंह 7

मांग संख्या - 17

सहकारिता

1. श्री नारायण चंदेल 8
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल 3
3. श्री धरमलाल कौशिक 3

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4.	श्री शिवरतन शर्मा	10
5.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1
6.	श्री डमरूधर पुजारी	1
7.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	3

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

चलिए, शर्मा जी, आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आपने मेरा निवेदन सुन लिया होगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- जी-जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा प्रस्तुत मैं सभी अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी के पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि माननीय मंत्री जी के पास जो विभाग है, वह छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढ़ने वाला विभाग है। माननीय मंत्री जी, पर दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि जिस विभाग के पास छत्तीसगढ़ को गढ़ने की जवाबदारी हो, उस विभाग के मंत्री की सोच खाली एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिये गये भाषण से प्रकट होती है। माननीय मंत्री जी, बलरामपुर, रामानुजगंज में एक नशा मुक्ति अभियान में गेस्ट के रूप में गये थे। नशा मुक्ति के कार्यक्रम में प्रमख अतिथि के रूप में गये और मंत्री जी का भाषण हुआ। मंदिर, मस्जिद, झगड़े कराते, जेल कराते मधुशाला।

श्री बृहस्पत सिंह :- नशा वाला लखमा जी के विभाग में बोल लीजिए। आप इसको शिक्षा विभाग में कहां से ले आए।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो मधुशाला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सड़कें खराब है, इसलिए दुर्घटनओं के आंकड़ों में कमी आई है। अच्छी सड़कों में दुर्घटनाएं ज्यादा होती है और खराब सड़कों में दुर्घटनाएं कम होती है। अब शिक्षा मंत्री की सोच किस स्तर की है तो शिक्षा विभाग में काम किस प्रकार होता होगा, इसकी स्वाभाविक रूप से कल्पना कर सकते हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा विभाग में बीते चार वर्षों में क्या काम किया, यह तो मैं बताऊंगा ही। मैं शुरूआत करता हूं।

समय :

1:12 बजे **(सभापति महोदय (श्री सौरभ सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री के उपर सबसे पहले आरोप किसी विपक्ष के विधायकों ने नहीं लगाया, सत्ता रूढ़ पार्टी के विधायकों के डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री से मिल करके शिक्षा मंत्री पर

ट्रांसफर उद्योग चलाने का आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद इनके ओ.एस.डी. भी चेंज हुए पर आरोप लगाने के बाद ट्रांसफर उद्योग समाप्त नहीं हुआ है। ट्रांसफर उद्योग लगाचार चालू रहा। एक साथ दो हजार, चार हजार लोगों की लिस्ट निकली और लिस्ट तो ऐसी निकली कि ज्यादातर लिस्ट में स्वेच्छा के नाम पर ट्रांसफर किए गये थे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- शिवरतन जी, मेरी जानकारी में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में सौरभ भाई आसंदी में पहली बार बैठे हैं, उनको पहले हृदय से बधाई दे दो। (मेजों की थपथपाहट) बेहद जागरूक हैं, जब इधर बैठते हैं तो हम लोग इनके तीखे तेवर देखते हैं, आसंदी का संचालन भी बहुत अच्छे से करेंगे, मेरी बधाई और शुभकामनाएं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और साथ में बुद्धिमान सदस्य भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने उनको सभापति तालिका में स्थान दिया, उसके लिए अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं। सौरभ जी अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुरूप इस सदन का संचालन अच्छे तरीके से करेंगे, हमारी शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, आप पहली बार आसंदी पर बैठे हैं, हमारी तरफ से पूरे सदन की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस आसंदी का संचालन करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपको वहां देखकर, सुशोभित होकर बड़ी प्रसन्नता होती है। सिर्फ इतना ही निवेदन है, आप बहुत अच्छे विद्वान सदस्य हैं, अच्छा न्याय लेंगे, लेकिन यह हमारे कुछ मित्र हैं, जो दाहिने तरफ बैठते हैं, उनसे बचकर रहिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ओ जगह बइठे हो ता पड़ोसी होने के नाते ख्याल रखिहा। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आप इन 3-4 लोगों का मतलब समझ रहे हैं न? निश्चित रूप से।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कई लोगों के नाम कट गये हैं इसलिए आपसे यह आग्रह है कि आप उनको बोलने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धन्यवाद। आप इन 3-4 जबरदस्ती बोलने वालों का नाम काट के अच्छा काम किये हैं। आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आपसे आग्रह है कि आदरणीय सदस्य को अपनी बात रखने दें।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह भी बात है कि आप खुद बोलने से वंचित हो रहे हो। अब आप टोका-टाकी से वंचित हो गये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को आपका नाम सभापति तालिका में देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से आप इस सदन में पूर्व में भी विपक्ष की भूमिका में रहें और अभी भी आपने अपनी योग्यता को दिखाया है। इस प्रदेश के बारे में आपका जो चिंतन है उसको आपने सिद्ध किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां से भी उतने ही बेहतर ढंग से इस सभा को संचालित करेंगे। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, शिवरतन भैया अभी 3-4 लोगों का पूछ रहे थे। यदि आपको 3-4 लोगों के बारे में सही पूछना है तो आप डॉ. साहब से पूछिये, वह सही बताएंगे। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप शुरू कीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- आज सौरभ जी पहली बार आसंदी पर विराजमान हुए हैं। वह बहुत अनुभवी और ज्ञानवान हैं और आज आप आसंदी पर सुशोभित हो रहे हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, हम लोग पहले बधाई दे चुके हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप पहली बार आसंदी पर विराजित हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि जब आप आसंदी पर बैठे हैं तो मुझे पहले वक्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला है। मेरा आपसे एक आग्रह भी है क्योंकि माननीय डहरिया जी ने इधर के 3-4 सदस्यों के लिए आग्रह किया है और मेरा आग्रह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के 3-4 सदस्यों के लिए है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप 3-4 सदस्यों में अपने आपको क्यों गिन रहे हैं? रंजना जी, रजनीश जी, डॉ. बांधी जी भी शामिल हैं। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। मैंने कहा कि मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के 3-4 सदस्यों के लिए आग्रह करता हूं। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि स्कूल में कैसी शिक्षा दी जा रही है? स्कूल में शिक्षक हैं या नहीं हैं? स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता की क्या स्थिति है? शिक्षा विभाग का केवल एक ही काम रह गया है-ट्रांसफर। पहले ट्रांसफर की सूची जारी करना और ट्रांसफर की सूची जारी करके उसके कैन्सिलेशन का काम करना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने 4 साल में कितने ट्रांसफर किये और कितने ट्रांसफर निरस्त किये? इनके दल के विधायक साथियों ने इनके ऊपर जो आरोप लगाये गये थे, उस आरोप के संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के विधायक दल ने जो आरोप लगाये थे, उसको सब ने पढ़ा और सुना है। आप यह बताइये कि वह किस प्रकार के आरोप थे और यह आरोप लगाने की स्थिति क्यों निर्मित हुई? ट्रांसफर की स्थति यह थी कि स्वेच्छा के नाम पर ऐसे ट्रांसफर कर दिये गये और यह भी नहीं देखा गया कि जिस शिक्षक को हम हटा रहे हैं उस स्कूल में शिक्षक शेष रहेगा या नहीं रहेगा। रेट तय था। रेट लिस्ट बंगले में लगी थी

या रेट लिस्ट लोगों को बांट दी गई थी? आप उसको वसूल कर रहे थे। परंतु मैं आपको केवल अपने विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण बताता हूं। मेरे प्रश्न में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि भाटापारा और सिमगा विकासखण्ड के ऐसे 66 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया, जिनके ट्रांसफर के चलते उस शाला में उस विषय के शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- भैया, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिवरतन भैया यह भी बताये कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनकी पत्नी के नाम पर उनकी साली परीक्षा दी। क्या उसका भी कोई लेन-देन हुआ था या क्या उसका भी कोई रेट था?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं यह नहीं जानता कि किसकी पत्नी के बदले किसने परीक्षा दी। पर किसकी पत्नी ओ.एस.डी. बनी और किसकी पत्नी को हटाया गया, यदि आप बोलेंगे तो मैं इसको बता देता हूं। जो मैं जानता हूं उसको अभी बता देता हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- शर्मा जी, ओ जुन्ना बात होगे। जुन्ना बात ला भुलाओ। तुहर रेट लिस्ट करा ले शुरू हो हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे केवल एक विधान सभा क्षेत्र में 66 शिक्षक स्वेच्छा से ट्रांसफर करके हटा दिये गये और वहां उस विषय के पद रिक्त पड़े हैं। जब एक विधान सभा में यह स्थिति है तो आप पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि शिक्षा विभाग में कोई काम हुआ है तो नये-नये क्षेत्र स्थापित किये गये कि कहां से कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, कहां से कैसे उगाही की जा सकती है । इस सदन में अभी तीन पहले माननीय अमितेश शुक्ल जी का प्रश्न था । वे रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, उनका दबाव था तो डी.ई.ओ. को सस्पेंड करने की घोषणा करनी पड़ी । बच्चों के सूखे राशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार की सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। सोयीबीन की बड़ी खरीदने का मामला हो या खेल विभाग में खरीदी का मामला हो, सब चर्चित भ्रष्टाचार हैं ।

माननीय सभापति जी, मैंने स्कूल शिक्षा विभाग का वेबसाईड देखी । मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं । इनके दो वेबसाईट हैं । माननीय प्रमुख सचिव साहब उस मामले में होशियार हैं, मुझे तो यह कहते हुए खुशी होती है कि उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए हैं, जो छत्तीसगढ़ में आदर्श स्थापित हुए खासकर पीडीएस सिस्टम में । पर आपके शिक्षा विभाग के वेबसाईट की क्या स्थिति है ? 2019 के बाद स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 2019 और 2021 का ही डाटा है । इसमें अभी भी कोनोरा कॉल में आर्थिक मदद मांगने की माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी है, कहीं उसका जो अपग्रेड होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है ।

माननीय सभापति जी, वेतन विसंगति का मामला है । इस सदन में अभी चार दिन पहले मेरे प्रश्न में चर्चा हुई । माननीय अध्यक्ष जी ने आधे घंटे की चर्चा स्वीकार की । बार-बार पूछने के बाद भी

माननीय यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि वेतन विसंगति का मामला क्या है ? इन्होंने अपने जन घोषणा-पत्र में वेतन विसंगति का मामला दर्ज किया था और आज इस वेतन विसंगति के चलते लगभग 1 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं । आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं । माननीय सभापति जी, माननीय टी. एस. सिंहदेव जी अभी सदन में नहीं हैं । इनका एक ट्वीट मैं आपको पढ़कर बताता हूं । सभी बेरोजगार, शिक्षा कर्मियों, विद्यामितान, प्रेरकों एवं अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी और शर्मिन्दा हूं । जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वायदा आपको किया था, मैं उस पर अटल हूं । यही विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार प्रयास कर रही है कि हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे । यह आदरणीय टी. एस. सिंहदेव जी ने 2021 में ट्वीट किया था । उसका क्या हुआ? 43670 सफाई कर्मचारी हैं । आपने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि ये सारे कर्मचारियों को हम कलेक्टर दर पर वेतन देने की घोषणा करेंगे, पर आप क्या दे रहे हैं ? इनके वेतन में पांच साल में पहली बार 2400 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये की वेतन वृद्धि की घोषणा बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है । आप 43670 सफाई कर्मचारियों का क्या कर रहे हो ? सीधा-सीधा धोखा देने का काम कर रहे हैं । आपके जन घोषणा-पत्र में इनको कलेक्टर दर पर वेतन देने की बात थी और आप सिर्फ 300 रूपए दे रहे हो ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति जी, हमन दारी तो देतेच हन। हमर सरकार बनिस, तेकर बाद बढ़ाए हन, अभी घला बजट में शामिल करे हन। संविलियन करे हन । ये सब बुता ला तो हमर सरकार ह करतेच हे । आप मन तो कुछ नहीं करे रेहेव ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इनकी वेतन वृद्धि 2425 रूपए से आप 300 रूपये बढ़ाएंगे तो 2725 रूपए रहेगा । मानी रोजी कितनी पड़ेगी? 100 रूपए प्रतिदिन भी नहीं पड़ेगी ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति जी, आप मन के समय में 1300 रूपया मिलत रिहीसे, हमन ता डबल कर देन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, रसोईयों की क्या स्थिति है? रसाईयों को आप 1200 रूपए महीना वेतन दे रहे हो । अब उसमें 300 रूपए बढ़ाओगे तो वह 1500 रूपए होगा । अगर एक महीने का वेतन जोड़ेंगे तो 50 रूपए रोजी प्रतिदिन होती है । कलेक्टर दर क्या है ? उसके बाद मध्याह्न भोजन चल रहा है, उस मध्याह्न भोजन का कितने समय में पेमेंट नहीं हुआ है, यह भी बता देंगे । जब साक्षरता अभियान चल रहा था तो साक्षरता अभियान में प्रेरक नियुक्त हुए थे । छत्तीसगढ़ में 15,324 प्रेरक थे। आपने इन प्रेरकों के लिए अपने जन घोषाणा-पत्र में कहा था कि हम इनको शिक्षा विभाग में किसी भी तरह समायोजित करेंगे, इनको निकाला नहीं जायेगा, इनको काम पर रखेंगे। आप सवा चार साल में कितने लोगों को काम पर रख सकें, जरा इसकी जानकारी दे देंगे ? माननीय सभापति जी, जब मैं प्रेरकों की बात कर रहा हूं तो लालजीत सिंह खड़े हो गये। प्रेरकों के पक्ष में 33 विधायकों ने पत्र लिखा है। लालजीत सिंह जी, इसमें आपका भी पत्र है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- बिलकुल सभापति महोदय, हमारा भी समर्थन है कि उनका समायोजन हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, इसमें मरकाम जी का भी पत्र है, इसमें माननीय उमेश पटेल जी का भी पत्र है, माननीय धनेन्द्र साहू जी का भी पत्र है, माननीय अरूण वोरा जी का भी पत्र है, माननीय पाण्डेय जी, आपका भी पत्र है। छन्नी साहू जी, आपका भी पत्र है। 33 कांग्रेस के विधायकों ने प्रेरकों के लिए पत्र लिखा है। यह मैं सकेल (एकत्रित) नहीं रहा हूं। वह प्रेरक आकर सबको बांट रहे हैं। उमेश जी आपका पत्र है। 33 विधायकों का पत्र है।

श्री केशव चन्द्रा :- शर्मा जी, जितने विधायकों ने पत्र लिखे हैं, ये उनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो वे चुनाव में भुनायेंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- प्रेरकों के लिए पत्र लिखा है, प्रेयसी के लिए तो नहीं लिखा है भाई।

श्री उमेश पटेल :- क्या है कि केन्द्र सरकार ने अचानक प्रेरकों का जॉब खत्म कर दिया। इसलिए लिखना पड़ा।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है केन्द्र सरकार ने उनका जॉब 2016-17 में खत्म किया था। जब सन् 2018 का चुनाव हो रहा था तो अपने काम के लिए, जॉब के लिए धरने पर बैठे थे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- केन्द्र मा काकर सरकार रहिस हे? तेहू ला बता देवा।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, उनके धरनास्थल पर समर्थन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, वह समर्थन देने गये थे। उनको समर्थन देने के बाद उसके विषय को जन घोषणा-पत्र में शामिल किया गया था। आप लोगों के जो पत्र हैं, यह आपकी सरकार बनने के बाद सन् 2019 और 2020 में लिखे गये हैं। यदि आप बोले तो मैं आपका पत्र निकालकर पढ़कर सुना देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- शिव भईया, क्या है कि चाहे आपका भाषण हो, नेता जी का भाषण हो, बृजमोहन जी का भाषण हो या अजय भाई का भाषण हो, ये भाषण जन घोषणा-पत्र के इर्द-गिर्द ही घूमता है। कुछ तो नया बोलिये ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, ऐसा है कि 2023 तक हमारे जितने भाषण होंगे, तो हमारे भाषण का मुख्य केन्द्र बिन्दु आपका जन घोषणा-पत्र ही रहेगा। कांग्रेस के विधायक जन घोषणा-पत्र को भूल गये, माननीय मुख्यमंत्री जी और जन घोषणा-पत्र के जनक आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी और हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी जन घोषणा-पत्र को भूल गये। उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी जनता ने हमको दी है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, सर्वाधिक वादा पूरा करने वाली कोई सरकार है तो यह सरकार है। छत्तीसगढ़ में आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, अपने घोषणा-पत्र पर सर्वाधिक अमल करने वाली यह सरकार है।

श्री लालजीत सिंह :- आप मन तो 2100 रूपया देबो कहे रेवा अउ तीन सौ बोनस देबो कहे रेहा। आप मन तेला तो भूल गया। हमन तो 2500 ले के 2600 रूपया देवत हन।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में चुनौती देता हूं कि आज जन घोषणा-पत्र पर चर्चा करा लें, 36 बिन्दुओं में से एक बिन्दु को पूरा नहीं किया है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक भी पूरा नहीं किया है। मेरी चुनौती है।

श्री उमेश पटेल :- सुनिये न, ये अलग-अलग चश्मा है। आपके देखने का चश्मा अलग है, जनता के देखने का चश्मा अलग है। यह जनता बोल रही है कि बहुत सारे वादे पूरे हुए हैं। लेकिन शिवरतन जी, आपने जो चश्मा लगाया है उससे वह दिखता ही नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब ऐसा है कि आप जिस चश्में से देख रहे हो, जनता उस चश्में का उपचार करेगी, आप नवम्बर तक इंतजार करिये। आप जिस चश्में से देख रहे हो, आपको उस चश्में से 2023 दिसम्बर के बाद दिखना बंद हो जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन जी, यह तो लोकतन्त्र है। जनता, जनार्दन है। वह जो फैसला करेगी, वह सर्वोपरि है। लेकिन यह बताईये कि आपने लगातार 3 बार धोखा दिया, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, उनको लगातार ठगने का काम किया था। इसलिए इस बार जनता ने आक्रोश में आकर उसको 14 कर दिया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- लेकिन अभी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है। अभी भी जाग जाओ।

श्री उमेश पटेल :- का हे पम्मू, तहूं ओइच मन के चश्मा ला लगा लेहस। ये गलती होत हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- पम्मू जी, अब उमेश जी का दोष नहीं है। इस सरकार में मोतियाबिन्द का आपरेशन भी बंद हो गया है। इनके मोतियाबिन्द का आपरेशन भी नहीं हो रहा है तो इनको कहां से दिखेगा ?

श्री उमेश पटेल :- क्या है कि हम लोग आंख फोड़वा कांड नहीं करना चाहते हैं। आप समझिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति क्या है ? इन्होंने अलग-अलग ढंग से बड़ा अच्छा अभियान चलाया है, बड़े अच्छे नाम दिये हैं, सुग्घर स्कूल, सुग्धर पढ़ाय बर जाबो, छांट-छांट के नाम दिये गये । जो ग्रेडिंग हुई है, उस ग्रेडिंग में छत्तीसगढ़ के गुणवत्ता की स्थिति क्या है ? बहुत सी संस्थाओं ने अलग-अलग दिया है, 28 प्रान्त और 8 केन्द्रशासित प्रदेश, 36 में हम 34 वें स्थान पर हैं, गुणवत्ता में हम 34 वें स्थान पर हैं । माननीय सभापति महोदय, स्कूल भवन

के इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, हमारी गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब है । शासन ने मापदण्ड निर्धारित किया है, हर एक किलोमीटर में प्रायमरी स्कूल, हर तीन किलोमीटर में पूर्व माध्यमिक स्कूल, हर पांच किलोमीटर में हाई स्कूल और हर 7 किलोमीटर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलेंगे । बीते चार साल में आपने कितने स्कूलों का उन्नयन किया है ? मेरे पास वर्ष 2009-2010 से लेकर अब तक का आंकड़ा है । माननीय सभापति महोदय, इन्होंने वर्ष 2019-2020 में प्राथमिक में 0, माध्यमिक 1, हाई स्कूल 18, हायर सेकेण्डरी 22 स्कूलों का उन्नयन किया है, वर्ष 2019-2020 में कुल 40 स्कूलों का उन्नयन किया है, वर्ष 2020-2021 में निरंक है, एक भी स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ है, वर्ष 2021-2022 में 2 हाई स्कूल और 2 हायर सेकेण्डरी स्कूल, कुल 4 का उन्नयन किया है और वर्ष 2022-2023 में 6 हाई स्कूल, 11 हायर सेकेण्डरी स्कूल, कुल 17 का उन्नयन हुआ है, इस वर्ष पूर्व माध्यमिक से लेकर हायर सेकेण्डरी तक 32 स्कूल का उन्नयन हुआ है । आप यदि डॉ.रमन सिंह जी की सरकार का कार्यकाल देखो, एक बार तो 1485 स्कूलों का उन्नयन खाली वर्ष 2011-2012 में हुआ था । वर्ष 2009-2010 में 445 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2010-2011 में 717 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2010-2013 में 255 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2013-2014 में 300 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2014-2015 में 19 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2015-2016 में 47 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2016-2017 में 301 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2017-2018 में 257 स्कूलों का उन्नयन हुआ, वर्ष 2018-2019 में 272 स्कूलों का उन्नयन हुआ और आपने 4 साल में कुल कितने स्कूलों का उन्नयन किया ? 100 के अंदर है । आज भी आपके अंबिकापुर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पढ़ने के लिये बच्चों को 10 से 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है । यह आपके स्कूल के प्रति, शिक्षा के प्रति जो गंभीरता है, वह गंभीरता को प्रकट करता है । माननीय सभापति जी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत होशियारी से प्रतिवेदन में किस-किस क्षेत्र में कितने पद स्वीकृत हैं, इसका उल्लेख है । यह प्रतिवेदन में कहीं नहीं लिखा गया है कि स्वीकृत पद के विरूद्ध वर्तमान में कितने लोग वर्तमान में कार्यरत हैं । वर्ष 2018-2019 में जो स्वीकृत पद थे, वर्ष 2023-2024 में स्वीकृत पदों में कमी थी । वर्ष 2018-2019 में प्राथमिक शाला में 1 लाख 88 हजार 353 पद स्वीकृत थे और वर्ष 2022-2023 में प्राथमिक शाला में 1 लाख 88 हजार 353 पद स्वीकृत थे, वह 1 लाख 54 हजार 356 घटकर हो गये यानी 33,997 पदों की स्वीकृत पदों में कमी आई । सभापति महोदय, अब यह स्वीकृत पदों में कमी कैसे आ गई ? क्या आपके स्कूल कम हो गये ? सेट अप में यह कमी कैसे हुई, इसे स्पष्ट कर दें और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सवा चाल साल में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर्ड भी हुये हैं, आपने भर्ती कितने लोगों की की है, मुझे जहां तक ध्यान है, 14,850 लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें केवल 12 हजार लोगों की नियुक्ति हुई है, दो-ढ़ाई हजार लोगों की नियुक्ति अभी तक बाकी है । आप यह बतायेंगे कि स्वीकृत पदों में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 में कमी क्यों हो गयी है ? सिर्फ प्राथमिक शाला में कमी नहीं

हुई है, बल्कि पूर्व माध्यमिक शाला में वर्ष 2018-19 में 1 लाख 22 हजार 981 स्वीकृत पद थे और वर्ष 2022-23 में घटकर 98 हजार 416 हो गये, मतलब पूर्व माध्यमिक शाला में 24 हजार 565 पदों की कमी हो गयी। वर्ष 2018-19 में हाई स्कूलों में 26 हजार 321 पद स्वीकृत थे और वर्ष 2022-23 में यह घटकर 26 हजार 102 हो गये, 229 पदों की कमी हो गयी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, हमर सरकार हा लगातर जो शिक्षाकर्मी भर्ती होत रिहीसे तेला लगातार संविलियन के माध्यम से नियुक्ति करे हे। कैसे कम होइस ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, हव, बहुत अच्छा करे हे। उन्नयन से स्कूल बढ़े। उसके बाद सेटअप में स्वीकृत पद कैसे कम हुए ? चार, सवा चार साल में जो शिक्षक रिटायर हुए, यह सरकार उनकी कमी कैसे पूरी कर रही है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थोड़ा-सा ..।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- शर्मा जी, हमर सरकार में शिक्षक मन हा प्रमोशन पा के रिटायरमेंट होथे। अभी हमारे मंत्री जी हा बताइस कि कते कन के प्रमोशन करे हे, कतेक के नियुक्ति। आज यादव नइ हे गा, तेकरे बर तो मैं खड़े होवथो।

श्री नारायण चंदेल :- अच्छा। मतलब कार्यभार ग्रहण करे हव।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी अपने उत्तर में देने की कृपा करेंगे । सरस्वती साइकिल योजना के बारे में बोलना चाहता हूं। आपका जन घोषणा पत्र उठाकर देखिये। जन घोषणा पत्र में उल्लेख था कि सभी छात्र एवं छात्राओं को साइकिल देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, सम्माननीय सदस्य से कहिये कि जनघोषणा पत्र से आगे माननीय मंत्री जी के विभागीय चर्चा में आ जाये। हम लोग तो पहले दिन से ही जनघोषणा पत्र के बारे में सुन रहे हैं और कभी-कभार अपनी जनघोषणा पत्र का भी पन्ना पलट कर देख लिया करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप भारी विद्वान आदमी हैं। जन घोषणा पत्र में किसकी चर्चा होती है ? क्या विपक्ष के घोषणा पत्र की चर्चा होती है ? उस घोषणा पत्र के हिसाब से आपको मेंडेट मिला है। आपने उसको आत्मासात करके पहली बार शासकीय दस्तावेज बनाया है। जब हम शासकीय दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं, न कि किसी राजनीतिक दल के जनघोषणा पत्र का उल्लेख कर रहे हैं। जो शासकीय दस्तावेज है, हम उसका उल्लेख कर रहे हैं। आप उसमें भी चर्चा नहीं चाहते हैं। अब बताईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ये जन घोषणा पत्र जारी करके बम्फर मेजॉरिटी के साथ यहां पर पहुंच गये। अब उसको पूरा कैसे करें ? यह पूरा नहीं कर सकते हैं। रोज नयी नौटंकी,

कुछ भी बात हुई, यदि वह काम अच्छा हुआ तो हम कर रहे हैं और यदि नहीं हुआ तो केंद्र सरकार रोक रही है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, हम कहां कह रहे हैं कि यह जुमला है। कया हमने कुछ बोला ? देश में महंगाई कम करने की बात हुई थी। हम लोग प्रश्न करते हैं तो वह कहते थे कि चुनावी जुमला था। हम तो यह कह ही नहीं रहे हैं कि यह चुनावी जुमला है। शिव भैया, जो 15 लाख रूपये की बात थी उसको भी आपके गृहमंत्री जी ने यही कहा कि यह जुमला है। चुनावी जुमला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मैं आपकी बात में केवल एक ही बात बोलता हूं। हमारे राज्यसभा में छत्तीसगढ़ियां सांसद गये हैं ना ? माननीय के.टी.एस. तुलसी, राजीव शुक्ला जी और रंजीत रंजन जी। आप यह हमारे प्योर छत्तीसगढ़ियां सांसदों को बोलिये ना कि इस विषय को राज्यसभा में उठाये। क्या किसी ने रोका है ? आप उनको प्रेरित क्यों नहीं करते हैं ? सरस्वती साइकिल योजना में छात्राओं को साइकिलें मिली है लेकिन छात्रों को साइकिल कौन देगा ? जनता से तो आप वादा करके आये थे। उसमें भी सामान्य वर्ग की छात्राओं को नहीं मिला है। केवल बी.पी.एल., ओ.बी.सी., एस.टी. और एस.सी. की छात्राओं को साइकिल मिला है। स्कूल भवन की क्या स्थिति है ? माननीय मंत्री जी ने डॉ. रमन सिंह जी के एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 19 हजार 646 भवन जर्जर है। छत्तीसगढ़ में कुल 56 हजार स्कूल है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, सब जर्जर होये के का कारण हे ? ये मन 15 साल में काबर नइ बनाये हन। हमन अभी पास करे हन, अभी राशि हा सब जगह सेंक्सन हो के चले गे हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में कुल 56 हजार स्कूल हैं इन स्कूलों में 19646 भवन जर्जर हैं माने आपके 35 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हैं। प्राथमिक शाला 13 हजार 74, पूर्व माध्यमिक शाला 5 हजार 301, हाईस्कूल भवन 415, हायर सेकेण्डरी 856, आप यह जर्जर होना स्वीकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी शालाएं ऐसी हैं जो भवन विहीन हैं जितनी हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक शाला या हायर सेकेण्डरी स्कूल का उन्नयन हुआ है उसके भवन नहीं बने हैं। माने आपके 40 प्रतिशत स्कूलों की हालत क्या है ? आप जर्जर भवनों में बच्चों को बैठा रहे हो। आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस प्रदेश में मध्यान्ह् भोजन महत्वपूर्ण योजना है। यहां कितने महीनों से मध्यान्ह् भोजन का पेमेण्ट नहीं हुआ है। यहां 5 से 6 महीने से मध्यान्ह् भोजन का पेमेण्ट नहीं हो रहा है और दबाव यह है। एकाध स्कूल नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि यहां 5 से 6 महीने से मध्यान्ह् भोजन का पेमेण्ट नहीं हो रहा है और मध्यान्ह् भोजन के नाम पर जो नीचे स्तर पर वसूली हो रही है। बी.ई.ओ., ए.बी.ओ. जो वसूली करते हैं जो नीचे ...।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, अभी मध्यान्ह् भोजन बनईया मन के मानदेय ला बढ़ाये हन।

श्री अजय चन्द्राकर :- राठिया जी, तोर तबियत तो ठीक हे न?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, ठीक हे। प्रभु।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला अनाचक का हो गे हे?

सभापति महोदय :- माननीय राठिया जी, आप बइठ जाओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत सीधे, सादे, सज्जन, सरल आदमी हैं, मैंने माननीय मंत्री जी से कान में धीरे से एक बात कही। अब उसको सार्वजनिक कर देता हूँ। जो कर रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग में प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन के बाद पोस्टिंग होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय,उसका रेट तय हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बता रहा हूँ कि पोस्टिंग के लिए वसूली हो चुकी। आज मेरे पास एक लड़की आई थी। वह कह रही थी कि मैं घर में अकेली हूँ, मेरे पास तीन आदमी पैसे मांगने आ गये हैं। मैंने कहा कि आपको मालूम है या नहीं है? आपका नियंत्रण है या नहीं है? नीचे किसी का नियंत्रण है या नहीं? शिक्षा विभाग में यही खेला हो रहा है। कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, एमन ओ नोनी के नाम ला बताए। विधान सभा में जांच करवाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इस पवित्र सदन में जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैं उस लड़की का नाम गांव, पता सब बता दूंगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- बबा, नाम ला बतावव। आप उल्लेख करव।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसने कहा कि मैं घर में अकेली हूँ और मेरे पास तीन लोग आ चुके हैं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप ओकर नाम ला बतावव। कोन नोनी हे तेला, कोन स्कूल में हे, कहां पढ़त हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम है कि लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही है? केवल 24 तारीख तक विधान सभा निकल जाए तब तक हमें लिस्ट जारी नहीं करना है। अभी हम कुछ करेंगे तो विधान सभा में मामला उठ जाएगा।

श्री नारायण चंदेल :- महाराज, आज माननीय राठिया जी हा पिकअप ले हे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, सही बात हे। में पहाड़ ले उतर के आएं हों। असर तो पडही।

श्री उमेश पटेल :- अभी दो दिन में वैष्णव देवी जी का दर्शन करके आएं हैं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसाद बांट देता हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप प्रसाद बांट दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में शाला भवन जर्जर है। यहां मध्याह्न भोजन की हालत खराब है। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि प्रधान पाठक की सूची केवल इसलिए जारी नहीं हो रही है क्योंकि अभी जारी करेंगे तो विधान सभा में मामला उठ सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह काउंसलिंग से करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, क्या आप उसे कॉउंसलिंग करके सूची जारी करायेंगे ? यहां कॉउंसलिंग में भी कैसी नौटकी होती है ? भाटापारा के व्यक्ति की काउंसिलंग होगी तो उसको कसडोल और बिलाईगढ़ का रिक्त पद दिखाया जाएगा। बिलाईगढ़ और कसडोल के किसी शिक्षक की काउंसलिंग होती तो उसे सिमगा और तिल्दा का रिक्त पद दिखाया जाएगा। माने कॉउंसलिंग में भी नौटंकी होती है। यह प्रमाणित है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय शिवरतन भईया, जब आप लोगों की सरकार थी तो उस समय कॉउंसलिंग के जरिए ही पोस्टिंग होती थी। आप उसी का उदाहरण दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, स्कूलों की स्थिति क्या है, मेरे पास समाचार पत्रों की कुछ कटिंग पड़ी है। मस्तूरी, गौरेला, पेण्ड्रा, मगरलललोड, धमतरी, भरतपुर, तखतपुर, पौड़ी, पोड़ा, मरवाही और सूरजपुर आपका स्वयं का जिला है। वहां शराब के नशे में शिक्षक पाये गये हैं, उससे बुरी स्थिति क्या है ? 26 जनवरी जिस दिन ड्राई डे रहता है उस दिन मस्तूरी के स्कूल में शिक्षक पढ़ते पाये गये। अब आप तो कहते हैं कि "मंदिर मस्जिद लड़वाती,

मेल कराती मधुशाला।"

आपके कथन का असर शिक्षकों में भी हुआ है। स्कूल में शिक्षक पीकर पढ़ाने जाने लगे हैं। माननीय उमेश जी, आपके घोषणा पत्र के कुछ बिन्दु गिना देता हूँ। याद करिये। आपने कहा था कि हम विद्यार्थी कल्याण योजना लागू करेंगे। नौंवी कक्षा में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र, छात्राओं को साइकिल प्रदाय किया जायेगा। सभी ब्लॉकों में आदर्श विद्यालय की स्थापना होगी। 50 हजार रिक्त शिक्षकों के पद भरे जाएंगे । निजी स्कूलों के लिए फीस नियामक आयोग का गठन होगा, सभी शासकीय स्कूलों में कृषि आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। अब इस विषय को आप अपने जवाब में थोड़ा सा बता देना कि इनमें आपने कितना किया है। अब खेल-कूद की गतिविधिययों के लिए खेल सामग्री के लिए जो पैसा जाता है, उसका क्या होता है? डी.ई.ओ. के ऑफिस में फंड जाता है और एक आदमी घूम-घूम करके प्रधानपाठकों से खाली रिसीप्ट प्राप्त करता है कि हमने खरीद लिया, इतने का बिल है, ये है, ,वो है। यानि जितना आवंटन जाता है उसका 25 प्रतिशत खर्च होता है और वह 75 प्रतिशत पैसा वापस आता है। वह पैसा कहां आता है? वह खाली बी.ई.ओ., डी.ई.ओ. लेवल पर नहीं रहता न। सचिव लेवल पर आता होगा या नहीं होगा, मैं नही जानता, पर मंत्री लेवल तक तो आता है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आज जांच करवा लीजिए, 25 प्रतिशत से ऊपर का उपयोग नहीं होता।

पाठ्यपुस्तक निगम की तो इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। क्या गड़बड़ी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। पर 141 पद स्वीकृत हैं और 59 लोग काम कर रहे हैं। यह आपके पाठ्यपुस्तक निगम की स्थिति है। माननीय सभापति जी, प्रमोशन, पदस्थापना यह एक बड़ा खेल है। ज्यादातर डी.ई.ओ. के पद में प्रभारी काम कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है। 2000 से ज्यादा प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। वहां प्रभारी प्राचार्य काम कर रहे हैं, वहां प्रमोशन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामी आत्मानंद स्कूल है। मैं बार-बार बोलता हूं कि स्वामी आत्मानंद जी हमारे प्रदेश के गौरव हैं। पर दुर्भाग्य क्या है कि ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर शाला का संचालन हो और वह शालायें करप्शन का एक बड़ा अड्डा बन जायें। इंग्लिश मीडियम के 247 स्कूल और हिन्दी मीडियम के 32 स्कूल में सी.जी. कोर्स में पढाई हो रही है। आप उसमें सी.बी.एस.ई. कोर्स लागू क्यों करते ? आप अगर प्राइमरी से सी.बी.एस.ई. में पढ़ाई शुरू करोगे तो राष्ट्रीय स्तर में competition में विद्यार्थी भाग ले पायेगा। माननीय जोगी ने अपने समय में सी.बी.एस.ई के स्कूल प्रारंभ करने का एक प्रयास किया था और बाद में उसमें बच्चे सफल नहीं हो पाये और स्कूलें बंद हो गईं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- हमर इहां तो ओतको बुता ला हमर मुख्यमंत्री हा कर देहे कि स्वामी आत्मानंद के नाम इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू कर देईस।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, स्वामी आत्मानंद स्कूल में या तो टीचर प्रतिनियुक्ति पर गये हैं या टीचर की संविदा में भर्ती हुई है जो संविदा में भर्ती हुई है उसमें कहीं मेरिट बेस का पालन नहीं हुआ है। खाली लेन-देन हुआ है। कही आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। आप आओ, बातचीत करो, डी.ई.ओ. से सेट करो और सेट करके नियुक्ति पत्र ले जाओ। स्वामी आत्मानंद सकूल में डी.एम.एफ. में जितने काम हो रहे हैं, सारे काम भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ रहे हैं। यह खाली सेटिंग का विभाग बनकर रह गया है। ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर आपने स्कूल संचालित करने का निर्णय किया। उसमें मेन्टेनेंस घोटाला, खरीदी घोटाला, भर्ती घोटाला, स्वामी आत्मानंद जी के नाम से सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। कर्मचारियों को न समय पर डी.ए., एच.आर.ए. मिल रहा है। आप यह बता देंगे कि डी.ए.और एच.आर.ए. के लिए कितनी बार स्ट्राइक पर गये ? कितने डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. प्रभारी बनाये गये हैं, इनका समय पर क्यों प्रमोशन हो रहा है ? आप परमानेंट नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं ? प्रभारी बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है ? यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं तो सीधा-सीधा आरोप लगाता हूं कि यह जितने प्रभारी बनाये गये है न, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है। सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट आदेश है विभाग में उपलब्ध अधिकारियों की स्थिति में कनिष्ठों की पदस्थापना उच्च पदों पर नहीं किया जाना है। इसी के चलते पिछले माह ए.बी.ओ. की पदोन्नति जिसे बी.ई.ओ. व सहायक संचालक में किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने रोक दिया है। पर उसके बाद भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है। आपके जितने छात्रावास चल रहे हैं, उन

छात्रावासों की क्या स्थिति है? ज्यादातर छात्रावास दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आपके छात्रावास के अधीक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। माननीय मंत्री जी की कृपा से स्कूल शिक्षा विभाग का बंटाधार है। उसमें स्कूल शिक्षा विभाग इतना महत्वपूर्ण है ।

माननीय सभापति महोदय, इनके पास आदिम जाति कल्याण विभाग भी है। आदिम जाति कल्याण विभाग, मतलब छत्तीसगढ़ी की 95 प्रतिशत जनता इससे प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना इस विभाग के द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना की क्या स्थिति है। एकमुश्त 40 से 50 लाख रूपये गांव के विकास के लिए आता है। कार्ययोजना क्या बननी चाहिए? गांव की कार्ययोजना की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? कहीं कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आदर्श योजना में सबसे बड़ा काम अगर यह सरकार काम कर रही है तो खाली विद्युत विभाग की खरीदी का काम कर रही है। मैं एक दिन कलेक्टर साहब के पास बैठा था। मैंने कहा कि आप विद्युत विभाग की खरीदी कराते हैं। मैंने कहा कि मैंने डॉ. साहब के कार्यकाल में भाटापारा के लिए डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत कराई थी और टेण्डर निकला तो टेण्डर भरने वाले ने 46 परसेंट बिलों में भरा। विद्युत विभाग की खरीदी में उसने 46 परसेंट बिलों में भरा और मैंने कहा कि जितना काम होना था, उससे दोगुना काम हमने डी.एम.एफ. की राशि से कराया और आज बोलेंगे कि हम एस.ओ.आर. में करा रहे हैं। एस.ओ.आर. में कितना डाला है। उसका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना पर आपका खाली और खाली भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने नये-नये बोर्ड गठित किये हैं। तेल घानी बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड, रजक विकास बोर्ड। यह सारे बोर्ड आपके अंडर में हैं। सबके लिए आपने 40-40 लाख रूपये का बजट आवंटन भी किया है। यह जो बोर्ड गठित हुए हैं, इन बोर्डों का दायित्व क्या होगा? इनके क्या अधिकार होंगे? इन बोर्डों ने अपना प्रतिवेदन अब तक एकाध बार प्रस्तुत किया क्या? आप जरा यह सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे या खाली राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों को तुष्ट करने के लिए यह बना दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, जो छात्रावास की स्थिति है, उसकी 4 साल की उपलब्धि मैं आपके आंकड़े आपके सामने में ही रख देता हूं। छात्रावास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति प्री-मेट्रिक में वर्ष 2018 में स्वीकृत सीटों की संख्या 1,65,106 थी और साढ़े चार साल बाद भी 1,65,356 सीटों की स्वीकृति है। आप साढ़े चार साल में इन छात्रावासों की सीटों को नहीं बढ़ा सके हैं। वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति के 25,707 विद्यार्थी थे और अभी 25,709 विद्यार्थी हैं। वर्ष 2018-19 में अन्य पिछड़ा वर्ग में 1450 थे और अभी 1450 है। मतलब पहले 1,92,263 विद्यार्थी थे और अभी 1,53,063 विद्यार्थी हैं। सवा चार की उपलब्धि क्या है? आपने कितने प्री-मेट्रिक के लिए कितने सीटर छात्रावास नये स्वीकृत किया? आप जरा बताने की कृपा करेंगे। वैसे ही अनुसूचित जनजाति ..।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, हमर इहां एकलव्य विद्यायक के दू ठन खोले हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- कब खुले हे, एला बताना ग।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अभी हमर सरकार में हमर माननीय मुख्यमंत्री जी हर भूमि पूजन करे हे अउ भवन बने हे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- एकलव्य विद्यालय कहां पर खुले हे?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- हमर राज्य म खुले हे, हमर कार्यकाल म खुले हे।

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी खुले हैं, उसको तो बता रहे हैं। भिलाई में तो खुले हैं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- उहां खुले हे तेला तुमन कइहा। चाउर के योजना ल कोन लागू करे रहीसे, तेन ल तो बतावा? चावल के योजना ल कोन लागू करे रहीसे, चाउस वाले बाबा बने रहा, तिला मोला बता देवा?

श्री शिवरतन शर्मा :- अनुसूचित जनजाति वर्ष 2018-19 में 84,938 और अभी 85,188 विद्यार्थी हैं। तो कुल मिलाकर छात्रावास की स्थिति भी नगण्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के लोगों के हितों का ध्यान रखना । स्वयं मंत्री जी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं लेकिन आज सबसे ज्यादा इन सवा 4 सालों में कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है तो वह वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय सभापति महोदय, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया, मंत्री जी इससे ज्यादा और क्या करेंगे ? इससे ज्यादा एक्शन क्या लेंगे कि विधानसभा में तत्काल लंबित कर दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह तो आपके डर से कर दिया भाई । मैंने इसका उल्लेख आपके आने के पहले कर दिया कि आपके डर से कर दिया करके ।

श्री अमितेश शुक्ल :- घर से नहीं किया था, यहां आकर किया है भाई । बिल्कुल घर से नहीं किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आज अगर छत्तीसगढ़ में कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं । आज अगर सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है तो धर्मांतरण अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसके लिये क्या कर रहे हैं? अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति अपने समाज के हित में, अपने वर्ग के हित में विरोध करने सामने आता है तो प्रशासन किस पर कार्यवाही करता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन लोगों के ऊपर करता है । नारायणपुर, स्वयं मंत्री जी का सरगुजा संभाग एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है । (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय, आप लोगों के समय में फर्जी तरीके से जो आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये थे, हमारी सरकार ने उन सबको वापस करने का काम किया है । (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी, एक अधिकारी को निलंबित किया है, जबरदस्त एक्शन लिया है ।

सभापति महोदय :- बैठिए । आज सभी लोगों को 2-2 मिनट बोलना है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सरगुजा और बस्तर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं ये धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है । माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ में 4 सालों में कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है ? आप डाटा बोलेंगे तो बतायेंगे और 10-20 नाम बतायेंगे लेकिन हजारों की संख्या में, सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण का काम हो रहा है और जो व्यक्ति धर्मांतरण के विरोध में खड़ा हो रहा है खाली वोट बैंक की राजनीति के चलते उसे सरकार कैसे प्रताड़ित करे, कैसे असत्य केस में फंसाये, सरकार इसका इंतजाम करने में लगी हुई है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना है । मैंने सदन में पहले ही इस बात को रखा है कि रूपसाय सलाम, नारायण मरकाम धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नारायणपुर में विवाद होता है, पुलिस का अधिकारी जाता है टी.आई., रूपसाय सलाम को अपने साथ बैठाकर लेकर चलता जाता है कि चलो भैया आप लोगों को समझा देना । खुद टी.आई. अपनी मोटरसाईकिल में बैठाकर लेकर जाता है और बाद में प्रमुख अभियुक्त कौन बनता है ? रूपसाय सलाम । जो धर्मांतरण करा रहे थे, उनके किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं । चित्रकोट विधानसभा में 5000 आदिवासी खड़े हुए कि हम पेसा कानून वाले लोग हैं, हमारे गांव में पेसा कानून लागू है । हमारे ग्राम सभा का निर्णय है कि हमारे गांव के मरघट में जो अनुसूचित जनजातियों के रीति-रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करेगा, हम उसी को करने देंगे । (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, इसीलिये आपके शासनकाल में अनुमति दी गयी थी कि आदिवासी जमीन को गैरआदिवासी को दिया जाये करके, पेसा कानून के बात करथओ । आप लोगों ने आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों किया था ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांव वालों के आदिवासी समाज के विरोध में खड़ा हो रहा है । कार्यवाही किसके ऊपर होती है ? आदिवासी उन नेताओं के खिलाफ जो अपने आदिवासी हितों के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अपने प्रतिवेदन में अंतर्जातीय विवाह का उल्लेख किया है ।

सभापति महोदय :- 45 मिनट हो गये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपने अंतर्जातीय विवाह में उल्लेख किया है कि हमने 992 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि दी है । आप ढ़ाई लाख रूपये प्रोत्साहन राशि देते हैं । आपने जो दिया वह तो बता दिया लेकिन कितने आवेदन लंबित हैं वह तो बता दीजिये । मैं 4-5 नाम बता दूंगा जो मेरे क्षेत्र के लोग ढ़ाई-तीन साल से घूम रहे हैं जिनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए वह प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है । वैसे ही अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के

अंतर्गत पीडित पक्ष को राशि देने की बात है । उसमें भी बड़ी संख्या में लोग उससे वंचित हैं । वन भूमि का पट्टा डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के पीरियड में वन भूमि में काबिज लोगों को पट्टा देने का अधिकार मिला और पट्टा देने की शुरूआत हुई । आप बोलते हैं कि हमने इतने लोगों को पट्टा दे दिया और इतने लोगों को पट्टा दे दिया लेकिन आज सबसे ज्यादा वन भूमि में अगर कोई समाज प्रताड़ित है, जिनको पट्टा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है वह है यादव समाज । यादव समाज हर गांव में एक घर, दो घर, चार घर का मिलेगा लेकिन वन भूमि में यादव समाज को पट्टा नहीं मिल रहा है । 75 साल का पुराना रिकॉर्ड लाओ, 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड लाओ तब आपको पट्टा मिलेगा । अब 3 पीढ़ी का आदमी कहां से रिकॉर्ड लाये ? आप वन पट्टा के नाम पर भी लोगों को प्रताड़ित करने में लगे हैं । माननीय मंत्री जी के पास सहकारिता विभाग भी है । सहकारिता विभाग का तो भगवान ही मालिक है। मंत्री जी के स्वयं के क्षेत्र में एक शुगर फैक्ट्री खुली । मां महामाया शक्कर कारखाना, सभापति जी, इस शुगर फैक्ट्री में ही 12 करोड़ की शक्कर कम पाई गई । ऑनलाईन जो स्टॉक है और मिल में जो स्टॉक है उसमें 2320 मेट्रिक टन शक्कर कम है । इसके साथ साथ मोलासिस ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेश जी लंच लेकर नहीं आए होंगे तो उधर व्यवस्था है, पीछे तरफ । आप थोड़ा लंच ले लो ।

श्री अमितेश शुक्ल :- ऐसा अजय भाई, आपने खा लिया तो हमने खा लिया ।

सभापति महोदय :- आदरणीय 50 मिनट हो गए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बस हो गया । केवल शक्कर कारखाने में 12 करोड़ रूपए की, 1640 टन का अंतर तो मोलासिस में पाया गया । मंत्री जी ने इसके लिए समिति गठित की थी । क्या हुआ उसकी रिपोर्ट का, आपने दोषियों पर क्या कार्रवाई की ? सभापति जी, सहकारी समितियां छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण समितियां हैं । ये समितियां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई । समय पर चुनाव कराने की हिम्मत इस सरकार की नहीं थी, समय पर इसलिए चुनाव नहीं कराए गए क्योंकि अगर चुनाव होते तो इनके लोग चुनाव नहीं जीत सकते थे । वहां केवल नियुक्तियां हुई और नियुक्तियां भी कैसे हुई ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अतका कर्जा बांटे हन अउ किसान मन के कर्जा ला माफ करे हन । किसानों के पक्ष में इतना काम कर रहे हैं तो किसान कैसे हमारे पक्ष में मतदान नहीं करेगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी अगर आप बोलेंगे तो मैं क्लिपिंग सदन के पटल पर रख सकता हूं कि कांग्रेस के नेता एक-एक सोसायटी में नियुक्ति के नाम पर एक-एक लाख रूपए की मांग कर रहे थे । जब यह मामला मैंने विधान सभा में उठाया तो इनके जिले के एक महामंत्री को तो इन्होंने पार्टी से निलंबित भी किया । आप बोलो तो पत्र रख देता हूं, पैसे के लेनदेन की वीडियो क्लिपिंग रख देता हूं । 2000 सोसायटियों में जो नियुक्तियां हुई हैं वह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए हुई

हैं । कितनी सोसायटियां घाटे में चल रही हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि इस साल उपार्जन केन्द्रों से धान उठ गया और सीधा कस्टम मिलिंग के लिए चला गया, ठीक है । जो अच्छा हुआ उसको स्वीकार भी करते हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकामा :- अच्छा हुआ है ना ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, हां जो अच्छा हुआ है उसको स्वीकार करते हैं । लेकिन आपके उपार्जन केन्द्रों में समय पर धान न उठने के कारण 500 से ज्यादा सहकारी समितियां घाटे में चली गईं । 500 से ज्यादा समितियां डिफाल्टर हो गईं । उसके लिए आप क्या कहेंगे, ज़रा यह बता दो ? सभापति जी, 500 सहकारी समितियां डिफाल्टर हो गईं और इसके साथ साथ सहकारी समितियों को कब से कमीशन नहीं दिया गया है, चाहे धान खरीदी का, चाहे पीडीएस संचालित करने का जो कमीशन मिलना चाहिए, सहकारी समितियों को वह कमीशन नहीं मिला है । सभापति जी, उसको समय पर कमीशन दे दो तो शायद वे उबर जाएं । अगर आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं तो आपकी कमी को भी आपको स्वीकार करना चाहिए । सभापति जी, इन्होंने प्रतिवेदन में एक बात लिखी है कि पूरे प्रदेश में 33 जिला विपणन कार्यालय कार्यरत है और प्रदेश में 29 किसान राईस मिल एवं पशु आहार केन्द्र संचालित हैं । किसान राईस मिलों की क्या स्थिति है ? एक भी किसान राईस मिल चालू हालत में है क्या ? आपने इन मिलों को चालू करने के लिए साढ़े चार साल तक क्या प्रयास किया । आपने इन मिलों को चालू करने के लिए क्या प्रयास किया ? यह 29 राईस मिलें जब बनी थीं, तब शहर के बाहर थीं आज ज्यादातर राईस मिलें शहर के बीच में आ गई हैं और इनको जो जमीन आवंटित हुई है वह जमीन करोड़ों और कुछ स्थानों पर अरबों की हो गई हैं । आप अगर योजना बनाएं तो इन सारी राईस मिलों को पुनर्जीवित कर सकते हैं । इन सारे राईस मिलों के लिए जो स्थान आवंटित हुआ है, यह स्थान सहकारी समितियों के लिए एक इनकम का बड़ा साधन बन सकता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, जितनी किसान राईस मिलें हैं।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य महोदय, थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- बस पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- बस एक सेकंड में अपनी बात रख रहा हूं। प्रदेश में जितनी किसान राईस मिल है, उसको सरकार के द्वारा लीज में जमीन आवंटित की गयी है। आप नूतन राईस मिल को देख लीजिए, लीज है। अब वह डूबी कैसे ? ब्याज और दंड ब्याज से डूबी। ब्याज के उपर ब्याज से डूबी। अब उसके बाद आप नीलाम करेंगे तो सब खंडहर हो गयी। आप अपनी ही जमीन को नीलाम करेंगे। वह कैसे वसूल होगी ? इसलिए उसको एकमुश्त माफ कर लीजिए, आप जमीन को बेच देंगे तो आपको बाजार से ज्यादा पैसा मिलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपने प्रतिवेदन में अपनी उपलब्धि छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना बताई है। सहकारी बैंकों के माध्यम से गोबर विक्रताओं तथा स्व सहायता समूह गौठानों की योजना के अंतर्गत गोबर एवं वर्मी कंपोस्ड की राशि का भुगतान किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी जरा बता दें कि सहकारिता विभाग के पास वर्मी कंपोस्ड को टेस्ट करने के लिए कितने लैब हैं ? आपने सहकारी समितियों के लिए वर्मी कंपोस्ड खरीदी तो कितने लैब में उनका टेस्ट हुआ और किस लैब में टेस्ट हुआ ? सरकार ने वर्मी कंपोस्ड के नाम पर किसान का शोषण करने का काम, सहकारी समितियों के माध्यम से किया है। आदेश निकल गया कि अगर किसान को फर्टिलाईजर, नगद लोन लेना है तो 3 बोरा वर्मी कंपोस्ड लेना पड़ेगा और वह वर्मी कंपोस्ड के नाम पर सूखे गोबर को पीसकर, उसमें मिट्टी मिलाकर किसान को दे दिया गया। किसान ने एकड़ में 900 रूपये घाटा उठाया है। जो किसान का शोषण का माध्यम बना, उसको माननीय मंत्री जी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए ना कि किसी किसान ने स्वेच्छा से कहा हो कि मैं वर्मी कंपोस्ड लेना चाहता हूं। आपने किसानों को जबर्दस्ती दी है, हम आपको लोन तभी देंगे, हम आपको फर्टिलाईजर तभी देंगे जब आप एकड़ में तीन बोरा वर्मी कंपोस्ड लोगे। यह कहकर आपने वर्मी कंपोस्ड पकड़ाया है। आपकी समितियां किसान का शोषण करने का माध्यम बन गयी। आप बिना ब्याज की ऋण को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। 9 प्रतिशत से 7, 6, 3,1 और बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था करने वाले अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति हैं तो डॉ. रमन सिंह जी हैं, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की शुरूआत की थी। आपने कोई नया काम किया हो तो बता दीजिए। आपने तो किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। अल्पकालीन ऋण माफ किए, मध्यमाकालीन और दीर्घकालीन ऋण को कौन माफ करेगा ? आप बता दीजिए कि आपके घोषणा पत्र में सिर्फ अल्पकालीन ऋण माफ करने की बात थी, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण माफ करने की बात नहीं थी। अपनी असफलता को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। समितियों की स्थिति क्या है ? जब किसान को डी.ए.पी. की जरूरत है, तो सोसायटियों से डी.ए.पी. गायब। 1200 की डी.ए.पी. किसान 1800, 2000 रूपये में खरीद रहा है। जब किसान को यूरिया की जरूरत है तो यूरिया गायब। 266 का यूरिया किसान 500, 600 रूपय में खरीद रहा है। आप जानबूझकर डबल लॉक में रखते हो। आप सोसायटियों को क्यों नहीं देते। शासन का नियम है ना, फर्टिलाईजर आएगा तो कम से कम 60 प्रतिशत सहकारी समितियों को जाना चाहिए, प्राईवेट सेक्टर में 40 प्रतिशत जाना चाहिए। साथ में यह भी लिखा है कि अगर आवश्यता पड़े तो 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और आवश्यकता पड़े तो शत प्रतिशत सहकारी समितियों को खाद जाएगी। इस चार साल से ही किसानों को खाद की संकट का सामना करना क्यों पड़ रहा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- इस ब्लैक मार्केटिंग के पीछे कौन है ? इस गिरोह माफिया का संचालन कौन कर रहा है? उसके पीछे कौन है ? आप क्यों कार्रवाई नहीं करते ?

श्री अजय चंद्राकर :- अमितेश जी बताईए।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय सभापति जी, अब चंद्राकर जी ने बोल ही दिया तो बता दूं कि यह जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, यह 15 साल से चल रही थी, आपको यह बात पता है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, लगभग एक घंटे हो गए हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- बस दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप इस सदन को बताईए कि 15 साल में डॉ. रमन सिंह जी से कितनी बार मिले हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, वर्मी कंपोस्ड के नाम पर लूट, फर्टिलाईजर के नाम पर किसानों से लूट, इस सरकार के द्वारा किसान सब प्रकार से ठगा जा रहा है। सबसे बड़ा काम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम किया जा रहा है और आरक्षण के नाम पर उनको धोखा देने का काम किया जा रहा है। यह धोखा देने वाले लोग कौन हैं? आप और आपकी सरकार। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- अब आप यह तो मत कहिये कि आरक्षण के लिए कौन जनता को धोखा दे रहा है। आपने आरक्षण के बिल को सर्वसम्मति से पास किया और उसके बाद भी आज तक वह बिल कानून का स्वरूप नहीं ले पाया है। अब यह तो टेक्निकल बात है और इसको आप भी जानते हैं उसके बाद भी आप बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिये, हमने सर्वसम्मति से आरक्षण के बिल को पास किया है और हम सब आरक्षण के पक्षधर हैं परंतु राज्यपाल जी ने क्वांटीफायी डाटा मांगा है। आप वह डाटा क्यों नहीं भेज रहे हैं? वह डाटा भेजने का काम भी तो इसी अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग का है। पहली बात, आप राज्यपाल जी के द्वारा मांगे गये क्वांटीफायी डाटा को क्यों नहीं भेज रहे हैं? और दूसरी बात, आप सदन में क्वांटीफायी डाटा क्यों नहीं रख रहे हैं और जो लोग कोर्ट में गये, उन सबको आपकी सरकार ने ही उपकृत किया न? अनुसूचित जाति आयोग आपके अंडर में आता है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, एक घण्टे हो गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी, बस समाप्त कर रहा हूं। अनुसूचित जनजाति आयोग आपके अंडर में आता है। के.पी. खाण्डे, प्रतिभा मनहर, कुणाल शुक्ला जो-जो लोग आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गये, उनको आपकी सरकार ने ही उपकृत किया है। कुल-मिलाकर आरक्षण के मामले में यह सरकार षडयंत्रकारी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शिवरतन भैया, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, यह के.पी. खाण्डे जी का नाम ले रहे हैं। वह कोर्ट में किसलिए गये थे? वह इसलिए गये थे कि आपने आरक्षण को कम करके 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया था इसलिए वह आरक्षण को 16 प्रतिशत करने के लिए गये थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह सरकार पूरे प्रदेश की जनता को आरक्षण के नाम पर धोखा दे रही है। अच्छा, कुणाल शुक्ला क्यों कोर्ट गया था?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कुणाल शुक्ला आपका आदमी है। उसको आप जानिये। लेकिन के.पी. खाण्डे जी तो आपने आरक्षण में जो कटौती की थी, उसको बहाल करने के लिए कोर्ट गये थे।

समय :

2.12 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- आप उसको बोलिये कि वह कोर्ट में जाए। कुणाल शुक्ला तो आपके केबिनेट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में गया था। वह आपके निर्णय के खिलाफ गया था। उसके चलते आपके केबिनेट के 27 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर कोर्ट ने स्टे लगाया।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री मिश्री भैया अंदर नहीं रहते हैं तो माननीय डहरिया जी, माननीय अमरजीत जी और माननीय कवासी लखमा जी की ताकत आधी रहती है। यदि वह रहते तो पूरी जानकारी दे देते। अभी राठिया जी संभाले हे, कहां चल दीस? (हंसी)

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यदि आरक्षण के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने वाली कोई सरकार है तो वह भूपेश बघेल जी की सरकार है। सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि यदि आरक्षण का सबसे बड़ा फायदा किसी वर्ग को मिल रहा था तो वह वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिल रहा था और वह आपके... हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए आपको माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका 1 घण्टे से ज्यादा हो गया। शर्मा जी, आप समाप्त करें। शैलेश पाण्डे जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। शैलेश पाण्डे जी।

श्री अजय चंद्राकर :- पाण्डे जी, आप पक्का प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। हर विभाग पर चर्चा करने की शुरूआत मोहन मरकाम जी करते थे और अब आप कर रहे हैं तो उनके हटने के तत्काल

बाद अब आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खुशी में एडवांस में बधाई दे देता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लेकिन इतना तो तय है कि आप अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय, क्या है कि वह बड़े-बड़े काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।

श्री उमेश पटेल :- शैलेश जी, एक मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब आप देख रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता प्रतिपक्ष बने के तोरो नंबर नहीं हे। बृजमोहन भैया, नेता प्रतिपक्ष बनने में अभी आपका भी नंबर नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोला बनना ही नहीं हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हो, ओ पीछू वाले तो नंबर लगाये रीहिस हे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले मोहन मरकाम जी सदन में पूरे समय उपस्थित रहते थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- आज भी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने उनका हश्र देख लिया कि अब उनके बोलने पर प्रतिबंध लग गया है। शैलेश पाण्डे जी, आप भी थोड़ा संभल कर बोलिये नहीं तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लग जाएगा। आपका नाम लिखना बंद हो जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से शैलेश जी पहली बार किसी विभाग की चर्चा की ओपनिंग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- कर दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहन मरकाम जी के बाद उन्हीं का नंबर लगने वाला है। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह हमारी सरकार, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे सभी माननीय मंत्रिगण का विश्वास है। उन्होंने अक्सर इस दायित्व को लिया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को रखूंगा। आज शिक्षा मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, आदिवासी विकास कल्याण विभाग के मंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है। मैं इस चर्चा के समर्थन में अपनी बात को रखूंगा। अभी शिवरतन जी ने इन चार सालों की बहुत लंबी-लंबी बातें की हैं, वह कितना सही है, कितना असत्य था, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के 15 सालों के कार्यकाल की एक भी बात नहीं बताई । माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से किसी भी जाति, धर्म का गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन का स्तर बढ़ा सकता है । शिक्षा हर व्यक्ति को इतना सशक्त कर देता है कि शिक्षा के माध्यम से कोई भी गरीब आदमी कहीं भी जाकर बैठ सकता है । इसलिए शिक्षा इतना महत्वपूर्ण माध्यम है चाहे वह विश्व

हो, चाहे हमारा भारत देश हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, सबके लिए है । जितना आवश्यक विषय है, उतनी ही गंभीरता से हमारी सरकार काम करती है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर हम अपने प्रदेश में एक आंकड़ा देखते हैं तो कुल 56,494 स्कूल हैं, जिसमें कि प्राथमिक स्कूल 32 हजार, माध्यमिक स्कूल 16 हजार के आसपास, हाईस्कूल 2700 के आसपास और हायर सेकेण्डरी स्कूल लगभग 4500 के आसपास हैं । इन स्कूलों में लगभग 57,64,227 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, जिसमें बालक और बालिकाओं की संख्या लगभग बराबर हो गई है । यानी हमें इस पर गर्व करना चाहिए । हम छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में जितने बालक पढ़ते हैं, उतनी ही बालिकाएं भी स्कूल जाती हैं, इसका श्रेय हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांडे जी, विभाग का जो प्रतिवेदन है, उसे देखिए, सरकारी कागज मत पढ़िए । सरकारी कागज पढ़ना बंद करो, प्रतिवेदन से पढ़ो । सब गोलमाल है भई गोलमाल है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भाई, पांडे जी ह तोर से ज्यादा अच्छा से बात करथे । बोलन द न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोर से अच्छा से बोलथे । मैं कहां पढ़े-लिखे हवं, वह तो यूनिवर्सिटी वाला हे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह यूनिवर्सिटी वाला हे अउ तै स्कूल वाला अस ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आराम से बोलिए, गुस्से में क्यों बोल रहे हो ?

(श्री अजय चन्द्राकर जी के सदन से बाहर जाने पर)

श्री शैलेश पांडे :- चन्द्राकर जी, आप बैठिए न । मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं । आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, आप बैठिए न ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सब ला लेजा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 मिनट में आता हूं ।

श्री शैलेश पांडे :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो हर व्यक्ति को सशक्त बनाता है । हमारा राज्य लगभग 137 लाख हेक्टेयर में बसा हुआ है, जिसमें से 44 प्रतिशत वनाच्छादित है और दूर-दूर में स्कूल है, दूर-दूर में बच्चे हैं और हमारा राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है । इस प्रदेश में बच्चों की जिम्मेदारी तो ठीक से लेना पड़ेगी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करें, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगी, उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गणवेश की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए सायकल की व्यवस्था करनी पड़ेगी । आपने क्या किया ? आपकी सरकार में आपके शिक्षा मंत्री जी ने क्या बयान दिया था? क्या सरकार बच्चे पैदा करती है ? वह इतना बड़ा-बड़ा पेपरों में

छपा था । वह मंत्री कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा । आज वे इस सदन के सम्मानीत सदस्य हैं, प्रतिभावान सदस्य हैं । हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री इस प्रकार का बयान देता है क्या, कभी किसी ने इस प्रकार का बयान दिया क्या ? यह बयान क्यों दिया गया होगा, आप बताईए । क्या सरकार बच्चे पैदा करती है, यह पूर्व शिक्षा मंत्री का वक्तव्य था और यह सभी अखबारों में छपा था । यह मैं एक शिक्षा मंत्री की बात बता रहा हूं । दूसरे शिक्षा मंत्री की बात अभी थोड़े देर पहले रखी थी कि ये क्या घोटाला करते थे ? 40 प्रतिशत से नीचे में कोई काम नहीं होता था। मैं अभी इस पर आऊंगा। मैं पहले अपनी अच्छी बातें रखता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम ग्रॉस इनरालमेंट की बात करते हैं तो आज हमारा छत्तीसगढ़ देश का 13वां राज्य है, जो स्कूल शिक्षा में सर्वाधिक इनरालमेंट करता है। (मेजों की थपथपाहट) पहला राज्य मणिपुर, दूसरा राज्य मेघालय, तीसरा राज्य अरूणाचल प्रदेश, छठवां राज्य मध्यप्रदेश है, सातवां राज्य झारखण्ड है, नौवा राज्य केरल है, दसवां राज्य तामिलनाडु राज्य है। बारहवां राज्य उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ तेरहवां राज्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बाद कौन-कौन से राज्य हैं। चौदहवां राज्य उत्तराखण्ड है, पन्द्रहवें नंबर में गुजरात राज्य है। सोलहवें नंबर में उड़ीसा राज्य है। उसके बाद बाकी पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कनार्टक, आन्ध्रप्रदेश राज्य है। ये राज्य इनरालमेंट में हमसे भी पीछे हैं। यानि हमारे लगभग-लगभग सौ प्रतिशत बच्चें प्रदेश में पढ़ाई करें, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं ? चाहे कोई भी गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, वह स्कूल पढ़ने जाता है तो क्यों जाता है ? वह स्कूल पढ़ने इसलिए जाता है कि वह अपना जीवन स्तर बेहतर करेगा, इसलिए हम उसको पढ़ाते हैं। वह बच्चा अपने घर के जीवन स्तर को बेहतर करेगा, इसलिए हम उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद वह समाज के स्तर को बेहतर करेगा, समाज से उस राज्य का और देश का स्तर भी बढ़ता है। आपने क्या किया ? आपने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या किया ? आज हमारे लिए गर्व करने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक और डेटा है, वह हायर एजुकेशन का है, इसलिए उसको अभी देना उचित नहीं समझता हूं। धर्मजीत भईया, मैं आप सबका ध्यान इस बात पर ले जाना चाहता हूं कि मैंने इस बात को तलाशा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स किस राज्य के आते हैं तो जवाब मिला राजस्थान। अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान प्रदेश के बच्चे सबसे ज्यादा इंजीनियर की नौकरी पाते हैं। मैं आकड़ा बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा डाक्टर्स किस प्रदेश से निकलते हैं, तो वह पहला राज्य आन्ध्रप्रदेश और दूसरा कनार्टक राज्य, चौथा महाराष्ट्र। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आई.ए.एस., आई.पी.एस. की बात करते हैं तो

किस राज्य के बच्चें आते हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य के बच्चें चयनित होते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से आते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पाण्डे जी, बस एक लाईन सुन लो। मैं इस विभाग में तोलाबाजी भर को बंद करवा दो, बाकी सब ठीक है। हम सर्वसम्मत से पारित कर देंगे। मंत्री जी, बोल बस दे कि अब तोलाबाजी नहीं होगी, कटमनी नहीं होगी। सर्वसम्मति से स्वीकृत।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इंजीनियर्स, डाक्टर्स, आई.ए.एस., आई.पी.एस. का डेटा बता रहा था, इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया, हमारी सरकार ने विचार किया, हमारे मंत्री जी ने स्वीकार किया कि राजस्थान के कोटा शहर में जाकर छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक आवासीय परिसर बच्चों के पढ़ने-लिखने के लिए जमीन ली जायेगी और भवन बनाया जायेगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम यह कहना चाहते हैं, आपने क्या किया ? आपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन वह किस काबिल बने। धर्मजीत भइया, मैंने आपको यह आकड़ा इसलिए बताया कि..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। पाण्डे जी, आप कोटा शहर का समर्थन कर रहे हो तो आप यह बताओ। कोटा में आत्महत्या का प्रतिशत कितना है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- उससे इसका क्या करना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उससे क्या मतलब है, ये नहीं। आप बताईये। कोटा में कोचिंग इन्स्टीट्यूट में कहीं भी, किसी भी शहर से ज्यादा बच्चें या बच्चियां आत्महत्या कर रहे हैं। आप बच्चों को वहां भेजने के बजाय, किसी आकांक्षा, जोर-जबर्दस्ती करने के बजाय यहीं इन्स्टीट्यूट बनाईये न, बच्चें हमारे निगरानी में पढ़ेंगे।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भाई, यह देखने का काम मंत्री जी का नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भाई, 15 साल क्या किए ? कुछ किए ही नहीं। तै हा शिक्षा मंत्री घलो रहे, उच्च शिक्षा मंत्री रहे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक काम करो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भाई, 15 साल क्या किये । कुछ किये ही नहीं ?

श्री अजय चन्द्राकर:- फिर वो दिन बताय रेहेव नहीं, एक काम करो । सुनो आप ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- मैं काम नहीं करंव । मैं तोला पूछथंव ?

श्री रामकुमार यादव :- पैसा वाला के लईका विदेश में पढ़य । गरीब के लईका ला कोटा भेजथन त मना कर देथव ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बात तें संभाल लेस का ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अभी एमा तें बोलबे कि नहीं बोलबे । तेला बता ना । नई बोलथस त चुप बैठ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन ना। उही शैली में भर मत बोले कर ना ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- हां ले बता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर विभाग में जब चर्चा होही माननीय मंत्री जी, एक घण्टा तैं रखवा 15 साल अऊ 1 घण्टा रखवा 5 साल । दोनों में संयुक्त चर्चा एक साथ करबो ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- करबो ना तैयार हंव । कोन जगह करबे, इंहा करबे या जे जगह करबे । तैयार हंव ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो आपको इंजिनियर्स का डॉक्टर्स का, आई.ए.एस., आई.पी.एस. का डाटा बता रहा था, हमारे प्रदेश के बच्चे बहुत सारे इंजिनियर्स न बनें या आई.ए.एस. न बनें, आई.पी.एस. न बनें, क्या इसके लिये सरकार को नहीं सोचना चाहिये ? क्या इसके लिये हमको काम नहीं करना चाहिये ? क्या वह एक दिन में हो जायेगा ? एक दिन में नहीं होगा, हम लगातार बच्चे के ऊपर मेंहनत करेंगे, हम लगातार बच्चों की 5-7 साल ट्रेनिंग करेंगे, तब जाकर बच्चा इस स्तर पर बनेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक दिन का विषय नहीं है, उसी सोच को रखते हुये आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गये हैं, क्यों खोले गये हैं ? इसकी क्या जरूरत थी ? आपने क्या किया ? आपने निजी विद्यालय खोले ? आपने उनको बेतहाशा फीस लेने के लिये मजबूर किया ? आपने खूली छूट दी ? उन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा, गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा ? काम वाली का बच्चा कहां पढ़ेगा ? रिक्शेवाला का बच्चा कहां पढ़ेगा ? मजदूर का बच्चा कहां पढ़ेगा, क्या मजदूर के बच्चे को कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं है, क्या सफाई वाले के बच्चे को कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं है..।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- पाण्डेय जी, एक प्रतिवेदन है, इसका पेज नंबर 12 है, इसको निकाल लीजिए । आप इसमें देखें कि बच्चों की ड्राप आऊट संख्या प्रायमरी में कितनी है ? उसके स्तर को सुधारने की भी कल्पना कर लो । इस पर भी बातचीत कर लो । पेज नंबर 12 निकालिये ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय बांधी जी के क्षेत्र की बात बताता हूँ । बांधी जी के पास वह डेटा नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ । बांधी जी, आपके क्षेत्र में अरूचि मेदुलकर नामक बच्ची है, जिसका पिता चपरासी है, आपके क्षेत्र में करूणा यादव नामक बच्ची है, जिसके पिता का नाम दुर्गेश यादव है, वह एक गरीब आदमी है । आपके क्षेत्र में तुलेन्द्र यादव नामक बच्चा पढ़ता है, जो सेकण्ड क्लाज में है, जिसका पिता मजदूर है, आपके क्षेत्र में विवेक जायसी नामक बच्चा पढ़ता है, जिसका पिता लेबर है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं,

उसका फायदा क्या होगा ? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, फायदा एक दिन में नहीं दिखता है, फायदा दिखता है, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, शिवरतन भईया ने बात कही कि आप सी.बी.एस.ई. स्कूल क्यों नहीं खोले हैं ? आपने सी.जी.बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों खोले हैं ? आप पहले बच्चे को सी.जी.बोर्ड की आदत डालेंगे, उसके बाद उसको सी.बी.एस.ई. की आदत डालेंगे, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, वह सी.बी.एस.ई. बोर्ड के स्कूल रहे, लेकिन क्या वह एक दिन में हो जायेगा ? वह एक दिन में नहीं हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गये हैं, इससे बच्चों के गुणवत्ता का स्तर बढ़ेगा, इससे छत्तीसगढ़ का स्तर बढ़ेगा, आज मेहनत करेंगे, आज से दस साल बाद छत्तीसगढ़ वह राज्य हो जायेगा, जो एक बेहतर आई.ए.एस., बेहतर आई.पी.एस. यहां से पैदा कर सकेगा, यह सोच होनी चाहिये, यह दिशा होनी चाहिये । वह सोच, सोच के बाद दिशा और उसके बाद कार्य को करना भी पड़ेगा, वह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, इसे सुनिये, यह सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के लिये महत्वपूर्ण डाटा है, मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ । मेरे क्षेत्र में लोकेश वस्त्रकार लड़का है, जिसका पिता सफाई कर्मी है, 12 वी क्लास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, मेरे क्षेत्र में काजल साव, पिता फिरोज साव है, इनके पिता नल का काम करते हैं, मेरे क्षेत्र में कमलकांत लहरे, अजय कुमार लहरे हैं, इसके पिता दर्जी हैं, उसका बच्चा छठवी क्लाज में पढ़ता है । इसी तरह से सफाई कर्मी, नल कर्मी, बिजली कारीगर, दर्जी वाहक, वाहन चालक, मजदूर और सब्जी विक्रेता, इन सब के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। आदरणीय धर्मजीत भैया, यह देखिये कि हर्ष जासवाल, 8वीं क्लास में है, इसके पिता हरि जायसवाल सब्जी विक्रेता है। यह सब्जी विक्रेता का बच्चा पढ़ रहा है। इसमें मोबाईल नंबर भी है। आप चाहे तो मैं पटल पर रख दूंगा, आप इसको सत्यापित कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी आपने क्या सपना देखा था कि आत्मानंद स्कूल खोलने के बारे में आपने सोचा ? आपका यही सपना था ना कि एक सब्जी वाला, एक मजदूर का बच्चा, एक गरीब आदमी का बच्चा, एक सफाई काम करने वाला, एक जूता बनाने वाले का बच्चा..।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- शैलेश जी, आप तो उस दिन बोल रहे थे कि यह सपना तो मुख्यमंत्री जी का था।

उपाध्यक्ष महोदय :- रंजना जी बैठिये। आपका भी नंबर है।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, दोनों एक साथ सपना देखे थे। धर्मजीत भैया, आप सुनिये, एक Important बात यह है कि फल बेचने वाला और फेरी वाले की बिटिया का नाम श्रद्धा देवांगन नाम है और मंगला के स्कूल में पढ़ती है। यह डाटा दे रहा हूं। मैं आपका एक मिनट और लूंगा। माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरम लाल कौशिक जी, जो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य है। मैं बताना चाहता हूं कि इनके क्षेत्र में जो बच्चे आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके

पिताओं के व्यवसाय इस प्रकार है, क्लीनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेलर, ड्राइवर, लेबर। इनके बच्चे इंग्लिस मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं इसको भी पटल पर रख दूंगा। माननीय मंत्री जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो बच्चे स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां लगभग-लगभग 60 प्रतिशत बच्चे उन लोगों के पढ़ रहे हैं, उस वर्ग के लोगों के पढ़ रहे हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिस मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। कौन-सा प्राइवेट स्कूल फीस माफ कर देगा ? प्राइवेट स्कूल कितनी फीस माफ कर देगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पाण्डे जी, आर.टी.ई. में पूरी फीस माफ है। क्या आपको पता नहीं है कि आपकी सरकार दे रही है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- बैठिये तो। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवा दो बजे से बोलना शुरू किया हूं। अभी मात्र 15 मिनट हुए हैं। उनके पहले वक्ता ने सवा एक घंटा लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज 04 विभाग है। सबको मौका देना है।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, हम बस अपनी पूरी बात रख दें क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। जो स्कूल की बात होती है। आज हम सब का दायित्व है। आपके कार्यकाल में क्या हुआ, वह आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यह भी आप देख रहे हैं। लेकिन यह जिम्मेदारी सबकी है। यह पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और यहां पूरे प्रदेश से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। यह पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का मंदिर है। यह पूरे 90 लोगों की जवाबदारी है कि हमारे प्रदेश का बच्चा आगे बढ़े और हमारे प्रदेश का बच्चा देश में अन्य राज्यों के बच्चों की तुलना में आगे बढ़ता जाये। हमारा डाटा कहता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा वह काम सही दिशा में हो रहा है और हम ऐसे हर बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं इसमें आपके सामने दो बातें और कहना चाहता हूं कि मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैसे की समस्या आती है। पैसा कहां से आयेगा ? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जितने ज्यादा स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूल खुलेंगे, आप जितने ज्यादा स्कूल खोलेंगे, प्रदेश का उतना ज्यादा भला होगा और उतना ज्यादा उन गरीब लोगों का भला होगा, उन आदिवासी लोगों का भला होगा, उन बी.पी.एल. कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं, जो डेली का छोटी-छोटी राशि कमाते हैं, उनके लिये फायदा होगा। प्राइवेट स्कूल अपना काम कर रहे हैं, वे अपना काम अच्छे से करते रहे। लेकिन सरकार को उस वर्ग के लिये तो सोचना पड़ेगा । आपने यह बात क्यों नहीं सोची बताईये ना। आपने 15 वर्ष तक कौन-सी क्रांति लायी ? यह विचार है और विचार तो जुड़ेगा ना।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ । आदरणीय धर्मजीत भईया, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में कैसे काम किया जाता है। जब कोरोना का काल

आया था। उस कोरोना काल में जब हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे और स्कूल में बच्चे नहीं आ पाते थे तब उन बच्चों के लिए उनके घर में हमने रेडियों के माध्यम से, बुल्टू के बोल, मोहल्ला क्लास, लॉउडस्पीकर, गुरूजी, श्यामपट्ट ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जिनके माध्यम से हमने उस समय उन बच्चों को पढ़ाया, जिस विधि वह पढ़ाई कर पायें और आगे बढ़ पायें। उनके लिए हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ accelerated learning for knowledge economy चार प्रोजेक्ट बनाएं। उस समय के लिए यह चार प्रोजेक्ट है जो हम पुराना समय बीता चुके हैं। उससे हमने सबक लिया है। उससे सबक लेकर, हमने इन 4 प्रोजेक्ट, इन सारे कामों में लिए 400 करोड़ रूपये का आवंटन किया है यह इनोवेशन है। हम इनोवेशन पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों का क्या नई चीज सिखायेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद् देता हूँ इस प्रदेश में नि:शुल्क गणवेश, सरस्वती साईकिल, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक दिये जा रहे हैं। मैं स्कूल गया था । मैं कई स्कूलों में जाता हूँ। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि कई स्कूलों में जाते हैं । वहां बच्चियों को साईकिले दी जाती हैं। वह बच्चियां खुशी-खुशी साईकिलें लेती हैं। उनको समय पर साईकिले बांटी जाती है। इस प्रदेश में बच्चियों को और साईकिलें बांटनी चाहिए। यह बिल्कुल बांटना चाहिए। अगर हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं हमारी सरकार की भी यही सोच है। मैं भी माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस प्रदेश में हर साल हम बच्चियों को और साईकिलें बांट सकें। हम बच्चियों को और ज्यादा पैसा दे सकें। मेरा इस सरस्वती साईकिल योजना में एक सुझाव है कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस योजना का नाम सरस्वती साईकिल योजना है। सरस्वती जी तो देवी हो गईं अब साईकिल योजना, साईकिल तो चलने वाली चीज है, सरस्वती जी का वाहन..।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस साईकिल की क्वालिटी तो सुधार दीजिए। एक लात मारे तो टूट जाता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरस्वती जी का वाहन हंस है। हम उनको हंस वाहिनी, ज्ञान दायिनी बोलते हैं। मैं इसमें सुझाव चाहता हूँ कि इस सरकार में इस योजना का नाम सरस्वती हंस वाहिनी योजना रखा जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वह सरस्वती जी का वाहन है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा लग रहा है कि अभी अमितेष शुक्ल जी और अरूण वोरा जी साथ में बैठे हैं। बहुत पहले मध्यप्रदेश की विधान सभा में पंडित श्यामा चरण शुक्ल जी और मोतीलाल वोरा जी को देखते थे। आप लोग ऐसी बैठा करो, हमें अच्छा लग रहा है। आज उनकी याद ताजा हो गई।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बच्चों को केवल वही चीजें नहीं सीखा सकते जो पहले उनको परम्परागत शिक्षा दी जाती थी। आज उनको व्यवसायिक शिक्षा देने की बहुत

जरूरत है। बच्चे स्कूल के कक्षा एक के माध्यम से ही व्यवसायिक शिक्षा में निपूर्ण हो सकें। यानी बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ एक हुनर देने की भी आवश्यकता है। आज बच्चा पैदा होता है, वह छोटा सा रहता है, लेकिन वह मोबाईल में टक-टक करता रहता है। वह करता है या नहीं ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, आप उसमें क्या कहना चाहतें, जो धर्मजीत भाई ने कहा। वह बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। हम दोनों नये रूप में दिख रहे हैं। आप चुप रहेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप लोग नये रूप में नहीं दिख रहे हैं। जो श्यामा भईया थे उनको कुछ गलत लगता था तो वह सरकार के खिलाफ जमकर बोलते थे। अमितेष शुक्ल जी तो टांय-टांय फिस्स हो गये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब माननीय अमितेष शुक्ल जी बोलते हैं तो बाकी लोगों की बोलती बंद हो जाती है।

श्री अमितेष शुक्ल :- आप एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें वह अपनी सरकार के खिलाफ बोले हों। वह 14 सालों तक शांत रहे थे।

श्री धर्मजीत सिंह:- आप तो नहीं बोलते न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको हीरा खदान याद है ?

श्री अमितेष शुक्ल :- हीरा खदान बंद है। जब खुलेगी तो देखेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको याद है ? जब डिबियर्स कंपनी को यहां से भगाया था तो मेरे साथ में माननीय श्यामाचरण जी खड़े थे। कि यहां विदेशी कंपनी को नहीं मिलना चाहिए।

श्री अमितेष शुक्ल :- अभी यहां डिबियर्स कंपनी आई कहां है ? जब यहां आएगी तो आपके साथ हम उन्हें भगायेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में टोका-टाकी बंद करें। माननीय पाण्डे जी, अब समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी ने उनसे पूछा कि पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? आदरणीय अमितेश जी स्कूल में जितना पढ़े हैं, उतना पढ़े हैं, अब तो पढ़ हीं नहीं रहे हैं। कहां से अभी ताजा घटनाक्रम को बतायेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। यह सब बात हो गई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पांडे जी, आप बहुत बढ़िया बोल लिये। अब यह बताओ कि आपके बिलासपुर में सब स्कूल चकाचक है या नहीं, सब बिल्डिंग ठीक है न, गुरूजी हैं या नहीं ? यह बता दें। कल पता कर हम फिर बतायेंगे।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी के पास सहकारिता विभाग है, इसलिए मै थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी चूंकि समय कम है, मैं आपसे कुछ मांग भी जरूर रखना चाहूंगा। बिलासपुर सहकारी बैंक में चार निर्माणधीन शाखा सरगांव, बम्हनीडीह, जांजगीर, मुलमुला में लगभग 2 करोड़ रुपये की जरूरत है, आपसे अनुरोध है कि इस पर आप जरूर ध्यान देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वह प्राइमरी स्कूल नहीं दे सकते।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपके हाथ में क्या है ?

श्री शैलेश पांडे :- दूसरा विषय है कि आप शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं। प्राचार्यों को लेकर प्रमोशन होना है अगर उसको भी शीघ्रता से किया जायेगा तो उससे बच्चों की शिक्षा और गुणवत्ता में असर पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात को यह बात कहकर खत्म कर रहा हूं कि शिक्षा वह महत्वपूर्ण साधन है, अस्त्र है, उसके प्रति हमारी सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। लेकिन केवल शिक्षित करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें पूरे देश में उस बच्चे को लांच करना है, उसके लिए सभी प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल बनाना है, इग्लिश मीडियम स्कूल और खोलने हैं और रचनात्मक कार्य करने हैं, इनोवेटिव, मल्टीमीडिया, वोकेशनल के कार्य करने हैं। स्कूल एजेकुशन में जिस प्रकार से हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी कार्य कर रहे हैं। यह एक अच्छी सोच है। इसके परिणाम 20-25 साल बाद जरूर आयेंगे और बेहतर परिणाम आयेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- बाकी के वक्ता 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के फैसले के बाद शिक्षकों में एक पदोन्नति की आस जगी। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया सभी के मन में बहुत हर्ष हुआ और उनको यह लगा कि जो लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में उन्हें जीत हासिल हुई जिसमें प्राचार्य, व्याख्याता, माध्यमिक प्रधानपाठक व उच्च वर्ग शिक्षक पदोन्नति सभी लोग इसमें शामिल रहे। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं इस बात को रखना बहुत आवश्यक समझती हूं कि पदोन्नति के पश्चात अब जो विषय आने वाला है वह पदस्थापना का है। अब इनकी पदस्थापना होनी है, चूंकि यह विषय अभी और चर्चा में आया था। मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूं कि आप इस सदन में जब अपने विभाग की अपनी बात रखेंगे तो इस विषय का उल्लेख जरूर करियेगा कि पदस्थापना के लिए क्या आप काउंसलिंग करेंगे ? ताकि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार या वसूली वाला विषय हमारे शिक्षकों के बीच न आये। उन्हें अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाये। पूरी पारदर्शिता से

आपका विभाग चले। क्या आप इसके लिए मुझे आश्वस्त करेंगे ? यदि उनके मंशानुरूप पदस्थापना नहीं होती है तो शिक्षा विभाग में यह भी समस्या आती है कि जब पदभार ग्रहण का समय आता है तो वह अपने स्थानों पर भी नहीं जाते हैं। फिर वह स्थान हमेशा के लिए रिक्त रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि प्रदेश में ई-वर्ती समवर्ग के प्राचार्य और व्याख्यता के कितने पद रिक्त हैं, इस विषय को वह हमें जरूर बतायें। प्रदेश में ई-वर्ती समवर्ग के कितने माध्यमिक प्रधानपाठक व उच्च वर्ग के शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं और यदि पद रिक्त हैं तो क्यों रिक्त हैं, अभी तक उन पदों पर भर्ती क्यों नहीं की गई ? अभी शैलेश पांडे जी ने अपने 20 मिनट के भाषण में आत्मानंद से ऊपर ही नहीं गये। चूंकि सत्तापक्ष के जितने विधायक यहां बैठे हैं, इस बात को भी कहा जाता है कि असतय को भी यदि बहुमत के साथ कह दिया जाये तो वह भी सत्य लगने लगता है। यह बहुमत के आधार पर केवल आत्मानंद, आत्मानंद कर रहे हैं। इसकी सच्चाई यह है कि शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। जो स्कूल पूर्व में बन चुके हैं, उनको ही रेनोवेट करके आत्मानंद स्कूल का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। उसके लिए इस सरकार ने 1 रुपये का बजट नहीं रखा है। यह सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि डी.एम.एफ. से लेकर, केन्द्र सरकार से अन्य जो राशि भेजती है, उसका उपयोग यह आत्मानंद स्कूल में करते हैं। यह स्थिति इनकी है कि दूसरे के पैसे और उधार के पैसे से यह स्कूल कितना चलेगा ? आत्मानंद सकूल के विषय में बार-बार यह विषय रखते हैं। इस विषय को मैं बहुत स्पष्ट करती हूं कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट आई, उसमें 5वीं के 48 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं कि कक्षा दूसरी का पाठ पढ़ ही नहीं पाते हैं।

संसदीय सचिव (श्री द्ववारिकाधीश यादव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बच्चे इंग्लिश भी बोल रहे हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- इनके शिक्षा का स्तर ऐसा गिरा है। यह आत्मानंद-आत्मानंद बोल रहे हैं। आप बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाईये न। हमने कब मना किया है। वह तो अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में बोले। हमको बहुत खुशी होती है।

श्री द्ववारिकाधीश यादव :- आदरणीय दीदी, ग्रामीण अचंल के बच्चे अब इंग्लिश बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ओला सीखा-सीखा के बोलवाथा।

श्री द्ववारिकाधीश यादव :- आज तक हमन अंग्रेजी नइ सीख पायन त ओमन कइसे सीख जाही।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि आज भी हमारे बच्चे ग्रामीण स्तर पर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपकी प्राथमिकता यह है कि आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा देनी है। आप केवल आत्मानंद में लग गये। आप खुश हो गये कि हमने आत्मानंद खोल दिया, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे को क्या अधिकार नहीं है कि वह भी अच्छी शिक्षा लें? क्यों आज प्रदेश में 48 प्रतिशत बच्चे हैं कि वह

5वीं क्लास में होकर दूसरी क्लास का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं? आगे पाठ और पीछे सपाट। क्यों उन शिक्षक को इतना ट्रेंड नहीं किया जा रहा है कि वह बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें? केवल 50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो अंग्रेजी थोड़ा पढ़ सकते हैं। 34.8 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो 11 से 99 तक की संख्या को केवल पहचान सकते हैं। आज भी स्थिति यह है कि 15 से 16 साल के 13 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है। यह जिस शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता क्यों आवश्यक नहीं है। केवल आत्मानंद खोल देने से क्या हिंदी मीडियम के बच्चों को हमको प्राथमिकता नहीं देनी है? जनरल नॉलेज, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे जब आगे हायर एजुकेशन में या किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो हममें यह कमी होती है। विशेषकर हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जी.के. का विषय को नहीं पढ़ा पाते हैं और इसलिए वह किसी भी लेवल की प्रतियोगी परीक्षा हो, हमारे बच्चे वह प्रतिष्पर्धा में भाग ले लिये, वह बहुत बड़ी बात है। पर उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, इसलिए यह आवश्यक है कि जी.के. की एक विषय को इनको लागू करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छा कर सकें। इनके प्रदेश के शिक्षक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा विभाग को केवल और केवल प्रयोगशाला समझ लिया गया है। शिक्षक इस बात को मानते हैं। उस बात को अंदर से पीड़ा होती है कि शिक्षा विभाग को स्वतंत्र नहीं रखा गया है। चाहे वह राज्य शासन का फंड हो, चाहे केन्द्र शासन का फंड हो, यह एन.जी.ओ. को भेजते हैं। जो एजुकेटेड शिक्षक हैं, जो बी.एड., डी.एड. किए हुए शिक्षक हैं, जो कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, जो एन.जी.ओ. में काम करता है, वह शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, वह प्रशिक्षकों को पढ़ायेगा। यह स्थिति आज प्रदेश की है। शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इससे हमें कोई खुशी नहीं है। आप लोग दो-चार, बीस, पच्चीस-पचास आत्मानंद स्कल खोल दीजिये, पर हमारे बच्चों की शिक्षा का जो स्तर गिरा है, वह हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है। पहले हमारे बच्चों को व्यायाम और योग बहुत अच्चे से सिखाया जाता है। आज स्थिति यह है कि न तो स्कूलों में व्यायाम के शिक्षक हैं और न तो नई भर्ती की जा रही है। जहां पर शिक्षक नहीं है, वहां पर इनको नई भर्ती की आवश्यकता है। इन्होंने वहां पर नई भर्ती नहीं की। आज हमारे बच्चों को योग और मेडिटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि हाल की दो घटना है। रायपुर की एक 9वीं की छात्रा है, जिसने सोसाइट कर लिया। महज 13-14 साल की बच्ची थी। उसको कितना दिमाग रहा होगा। उसने पढ़ाई के प्रेशर में आत्महत्या कर ली। एक बिलासपुर की घटना है। 12वीं की छात्रा ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली। यह आपका शिक्षा विभागग है। हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आपने उनकी मानसिक स्थिति जानने का प्रयास नहीं किया कि हमारे छोटे बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। आपको उनको योग और मेडिटेशन का एक घंटे का क्लास देना होगा ताकि वह प्रेशर में न पढ़े, वह स्वतंत्र रूप से पढ़े और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चे आगे जा सकें। यह इनको शिक्षा के स्तर में काम करने की आवश्यकता है। व्यायाम, जो हमारे बच्चों को देनी चाहिए। पहले

हम भी छोटे थे तो हमको भी याद है कि जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो 1 घंटा पहले व्यायाम कराया जाता था। तो वह भी न तो इनकी व्यायाम शिक्षक है, न उन्होंने इसके लिए कभी प्रयास किया। प्रत्येक जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कम से कम हमारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, ओ.बी.सी. के बच्चों के लिए, एस.टी., एस.सी. बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की नितांत आवश्यकता है। लेकिन यह सरकार केवल और केवल आत्मानंद स्कूल से ऊपर ही नहीं जा रही है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चों का सेलेक्शन नहीं हो रहा है, इस बात की चिंता इस स्कूल शिक्षा विभाग को है ही नहीं। इन्होंने बालवाड़ी की शुरूआत की और इन्होंने इस बालवाड़ी के विषय में बहुत बड़े-बड़े भाषण दिये हैं। मैं आपको सत्यता से अवगत कराती हूं कि आंगनबाड़ी के बच्चे जब प्रमोट होते हैं तो उनको बालवाड़ी में भेजा जाता है । अब बालवाड़ी के लिये अलग से कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, अलग से क्लासरूम की व्यवस्था उन बच्चों के लिये नहीं है । ये बालवाड़ी के नाम से वाहवाही लूटते हैं कि केवल 10-15 हजार रूपये अलग से अतिरिक्त कक्ष को रेनोवेट के लिये दिया जाता है । अलग से कोई बालवाड़ी में शिक्षक की व्यवस्था नहीं है । जो पहली कक्षा का शिक्षक है, जो पहली कक्षा को पढ़ाता है उस शिक्षक को भेज दिया जाता है कि जाईये आप बालवाड़ी में पढ़ाईये नहीं तो आंगनबाड़ी के बच्चों को प्रमोट करके यहां पर ले आते हैं कि आप उन बच्चों को बालवाड़ी में पढ़ाईये और महज 500 रूपये जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको अतिरिक्त केवल 500 रूपये दे दिया जाता है कि आप बालवाड़ी पढ़ाओ और यह सरकार उसकी वाहवाही लूटती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चों को हर जगह रोजगार मिले लेकिन कम से कम हमारे सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स जो बहुत अधिक आवश्यक है लेकिन इनहोंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि हमारे स्कूलों में क्या कमियां है ? हमारे बच्चों को और क्या चाहिए ? हमारे बच्चे और क्या बेहतर कर सकते हैं ? इन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यावसायिक कोर्स जो कि बहुत आवश्यक है वह इन्होंने नहीं किया । अभी तक इन्होंनेने कोई भी हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूल के उन्नयन के विषय में सोचा ही नहीं है । इनको अतिरिक्त भवन देना तो दूर, अभी तक उन स्कूलों का उन्नयन भी इन्होंने नहीं किया है । भारत एवं स्काउट गाईड के छात्र-छात्राएं जिनकी आगे जाकर एक समाजसेवी के रूप में इनकी भूमिका होती है । जैसे एन.सी.सी. और एन.एस.एस. में केम्प और ट्रेनिंग जो लगती रही । जैसे एन.सी.सी. और एन.एस.एस. है ।

श्री रामकुमार यादव :- बहिनी, तुंहर सरकार में कई सौ स्कूल ला बंद कराये रहे हा । भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कई सौ स्कूल मन बंद होगे रिहिस हवय, ताला दे दे रिहिन हवय ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कितने दिन बोलते रहोगे ? मान लो इनकी सरकार में ये जांघिया-बनियान में घूम रहे थे तो क्या आप [XX] [9] घूमोगे ?

श्री रामकुमार यादव :- हमर सरकार तो इंग्लिश गोठियाये बर लइका मन बर इंग्लिश स्कूल खोले हे, उहू मा तुमन ला दर्द होवत हे । पिछड़ा वर्ग बर हास्टल खोलिस तेमा तुमन ला दर्द होत हे । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में संवाद न करें । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- 15 साल, 15 साल करके बात मत करो । ये विवाई की बेला है । (व्यवधान) मान लो ये जांघिया-बनियान में घूम रहे थे तो क्या आप **[XX]** घूमोगे ?

श्री रामकुमार यादव :- ये पहिली सरकार हे जेन गरीब मन बर चिंता करत हे, गरीब के लइका बर । राजस्थान में मेडिकल कॉलेज पढ़े बर हॉस्टल खोले उहू मा तुमन ला दर्द होत हे । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप राजस्थान-पंजाब को छोड़ो न । आप छत्तीसगढ़ की बात करो । जबर्दस्ती 15 साल-15 साल करके 4 साल खराब कर दिये ।

श्री रामकुमार यादव :- ये मोदी जी ला समझावा न, ओ हा 35 साल-35 साल कहत हावय । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- मोदी जी से पूछने के लिये उन लोगों को बोलो, वे लोग पूछेंगे । वहां न आप जा सकते हैं, न हम जा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, रंजना जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस 2-3 विषय हैं । जिस प्रकार स्काउट एवं गाईड ये भी एक संस्था है । जिस प्रकार एन.सी.सी. काम करती है, एन.एस.एस. में हमारे बच्चे जाते हैं तो उनको हम आगे भावी पीढ़ी एक समाजसेवी के रूप में, समाज के अच्छे व्यक्ति और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हम उन्हें देखते हैं । बहुत सी अच्छी चीजें वे सीखते हैं और समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं लेकिन पिछले 4 वर्षों से राज्यस्तरीय इनके आयोजन जिसमें इनको ट्रेनिंग, कैम्प आदि दिया जाता है जो कि पिछले 4 वर्षों से हमारे बच्चों के लिये बंद है तो क्या इनके पास, इनके बजट में इतना पैसा नहीं है कि हमारे इन बच्चों के लिये व्यवस्था की जाये ? जो बच्चे एन.सी.सी. स्काउट, एन.एस.एस. रेडक्रॉस में जो बच्चे हैं क्यों इनके लिये अलग से फंड की व्यवस्था नहीं करते ? जो भविष्य खुद बनकर तैयार होना चाहते हैं, क्या आप उनको सहारा नहीं दे सकते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाई-हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अभी तक चपरासी की व्यवस्था नहीं है । ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं । हम भी कभी स्कूलों के निरीक्षण में कभी बच्चों से मिलने चले जाते हैं तो वहां पर स्वयं बच्चे चाय और पानी पिलाते हैं तो बच्चे चपरासी की तरह काम करें या फिर वे बच्चे वहां

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

पढ़ने के लिये गये हैं ? ये उन स्कूलों में चपरासी की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमजोर ओ.बी.सी. वर्ग के लिये छात्रावास की बात कही गयी थी लेकिन कहीं पर भी ये अभी तक छात्रावास नहीं खोल पाये हैं । प्रदेश में अधिकांश स्कूल आज भी ऐसे हैं जिसमें बालक ओर बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय नहीं है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में यह बोलती हूं क्योंकि बालिकाओं के लिये अलग से जो शौचालय की व्यवस्था इनकी होनी चाहिए वह अभी तक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका समय हो गया । श्री लखेश्वर बघेल जी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय और है । जो विद्या मितान हैं । इन्होंने विद्या मितान को वापस क्यों नहीं लिया ? जो हमारे शिक्षकों की अनुपस्थिति रही, जब वे नहीं रहे और उस समय हमारे विद्या मितानों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया । उन्होंने सकूलों को समझा, उन्होंने बच्चों को समझा लेकिन आज उस विद्या मितान को उनका अधिकार देने की बजाय उनको बाहर कर दिया गया है । आज उनकी यह आवश्यकता है, नौजवान साथी हैं, वे कहां पर जायेंगे ? ये तो रोजगार दे नहीं रहे हैं और ये 0.4 प्रतिशत बेरोजगारी दर बताते हैं तो आज हमारे वे विद्या मितान के साथी आज भी आस लगाये देख रहे हैं कि कब उन्हें नौकरी दी जायेगी ? आर.टी. में भर्ती, पिछले 4 साल से आर.टी. में हमारे जो प्राईवेट स्कूल हैं उनको उनकी राशि नहीं मिली है । कुछ ऐसे चुनिंदा स्कूल हैं जिनकी जान-पहचान वाले होंगे या इनके करीबी होंगे, उन्हीं स्कूलों को इन्होंने आर.टी. में पैसा दिया है । इन्होंने आर.टी. में 30 प्रतिशत की कमी कर दी है, इन्होंने आत्मानंद खोल दिया है तो लगातार इस तरह के विषय आ रहे हैं । मैं एक आखिरी विषय रखती हूं । माननीय मंत्री जी, यह ट्रांसफर नीति क्या है ? यह मुझे जरूर बताइएगा । जिस नीति से आपने ट्रांसफर किया है, मैं मानती हूं कि आपकी यह नीति गलत है । यदि कहीं पर गणित के व्याख्याता है तो एक ही स्थान पर तीन-तीन गणित पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां गणित के शिक्षक है ही नहीं । कहीं पर दो विज्ञान के शिक्षक हैं लेकिन कई स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं । किस नीति पर किस आधार पर आपने ट्रांसफर किया है, यह बताइएगा ? मैं मंत्री जी की सभी अनुदान मांगों का विरोध करती हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- शर्मा जी चेत लगाके सुनिहौ ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सब ला सुनत हर, गुणगान हे । हमर सरकार, हमर सरकार, अउ हवय कुछु नहीं । अउ 15 साल ए करेव,वो करेव एला छोड़ के कुछ नइ हे ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन के 45 साल वाला कहे हवव ।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग

कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग । इन विभागों में से वर्ष 2023-24 के लिए महत्वपूर्ण बजट प्रावधान रखे गए हैं । हम सब इनका समर्थन करते हैं । जैसे नवा रायपुर में विश्वस्तरीय सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय खोलने की बात है । चॉक प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । इसी तरह मध्याह्न भोजन के लिए मिलेट्स ईयर पूरा विश्व मना रहा है । उसके लिए भी बच्चों को कुपोषण से मुक्ति में सहायता के लिए, कोटा में कोचिंग के संबंध में भी हमारी सरकार के द्वारा 25 लाख का बजट प्रावधान रखा है । इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत् अधोसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है । इसी तरह शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के लिए भी 1 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है । विभिन्न प्रकार के पुरस्कार के लिए सरकार के द्वारा भी टेली प्रेक्टिस, एन.आई.सी. के मूल्यांकन एप को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है । उसी तरह आदिम जाति कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति संस्कृति का परीक्षण एवं विकास के लिए प्रावधान रखा गया है । प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आर्थिक विकास हेतु 2015-16 से यह कार्य कर रहे हैं । इस वर्ष 2023-24 के लिए 40 करोड़, 10 लाख रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है । विभाग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग के हितों संरक्षण के लिए भी आयोग का गठन किया गया है । अनुसूचित जाति आयोग के लिए 2023-24 में 230 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जाति के लिए भी 2023-24 के लिए 224.80 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । अल्पसंख्यक आयोग के लिए भी 308.50 लाख बजट प्रावधान किया गया है । पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी वर्ष 2023-24 के लिए भी 192.30 लाख का बजट प्रावधान रखा है । छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्दू अकादमी के लिए 200 लाख का बजट प्रावधान है ।

हमारी सरकार अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक समृद्धि के साथ ही उनकी लोककलाएं, भाषा, रीति-रिवाज, परम्पराओं के संरक्षण व संवर्धन हु भी कृत संकल्पित है । इस हेतु हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में तीन आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं एक अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया है ।

समय :
3:00 बजे

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु 55.50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए 35.50 करोड़ और आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु 34 करोड़ तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हेतु 36 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार से इन चारों प्राधिकरणों हेतु कुल 161 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

श्री डमरूधर पुजारी :- उपाध्यक्ष महोदय, पटल पर रखा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ नया बात बोलिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण गठन अब ऐसे ही बोलूं। देखकर कुछ नहीं बोलते हैं, आंकड़ा भी देखना मना है क्या ? आप लोग भी तो देखते हो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैडम बोलती हैं कि कुछ नहीं किया है, इसलिए बताना पड़ता है।

श्री बघेल लखेश्वर :- 15 साल सही में कुछ नहीं किए, पिछले कार्यकाल में प्राधिकरण गठन हुआ था। आपकी सरकार हम लोगों को सिर्फ 20 लाख रूपए देती थी, हमारे प्राधिकरण में एक-एक विधायक एक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक करोड, दो-दो करोड़, तीन-तीन करोड़ रूपये दे रहे हैं। उसमें क्या अंतर है बताईए ? आप लोगों ने क्या किया बताईए ? आप लोग हम लोगों को 25 लाख रूपये देकर छुट्टी कर देते थे। वह भी कितनी किस्तों में देते थे....।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अभी चार सालों में प्राधिकरण में हमको कितना दिए हैं पता करवा लेंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप मध्य क्षेत्र प्राधिकरण में हैं। मैं आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात कर रहा हूं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- प्राधिकरण में पता करवा लीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उनका जितना गांव है, उसके अनुसार दिया गया है। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जितना गांव है, उतना मिलेगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- आदिवासी विकास प्राधिकरण में किसी को भी पूछ लीजिए। 35, 55 करोड़ रूपये का प्रावधान रखे हैं। हम लोग 12 विधायक हैं, कितना हिस्सा आएगा पता कर लीजिए। पहले भी तो था। रमन सिंह जी को पूछ लीजिए। भीख मांगे जैसा दो किस्त में हमको 25 लाख रूपये देते थे, बार-बार पैर पड़ना पड़ता था। आप समझ गए ना। अब आप कुछ नहीं बोलते।

श्री रामकुमार यादव :- बाकी मन ला ए मन कुछ नहीं देवए। बाबा जी के ठूल्लू।

श्री बघेल लखेश्वर :- इसी तरह हमारे छात्रावास आश्रमों के लिए भी एक हजार से 1500 रूपए किए, आप लोगों ने उस समय नहीं किया। आप लोगों ने 15 साल में एक रूपया बढ़ाया ? आप लोग और क्या बात करोगे ? जो बढ़ाया है, उसके लिए भी चीढ़ हो रही है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सर जी, इधर भी अत्याचार हुआ है तो आप लोग भी अत्याचार करोगे क्या ?

श्री बघेल लखेश्वर :- जो सत्य है उसी बात को कह रहे हैं, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रूपये प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर 1200 रूपये प्रतिमाह किया है। मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्रों में संस्कृति

और परंपरा को बनाये रखने के लिए प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 10 हजार रूपये देने की बात कही है।

श्री अजय चंद्राकर :- वाह।

श्री बघेल लखेश्वर :- उससे बड़ी क्या बात है, आप लोगों ने कभी सोचा था। वाह, वाह क्या बात कर रहे हो। आदिवासियों को दे रही है तो जलन हो रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। आदिवासी परंपरा को संरक्षित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रूपया है। 85 टी.डी. ब्लाक में 5 हजार 5100 के आस पास पंचायत है, कितना पैसा मिलेगा अभी तुरंत गुणा भाग कर लीजिए। यहां मैं खड़ा हूं, मैं वित्त आयोग का अध्यक्ष था, अपने जनपद में अभी फोन करके पूछिए, आदिवासी परंपराओं के संरक्षण के लिए 2 लाख रूपये प्रतिवर्ष मिलेगा, यह मेरे वित्त आयोग की अनुशंसा है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया था। अभी 5 करोड़ को 51 हजार पंचायतों में गुणा कर लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी तो इन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बोलूंगा। अभी क्या चालू हो गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपस में संवाद ना करें। बघेल जी भाषण जारी रखें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- भैया, आरक्षण बिल को पास करा दीजिए तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। आप आरक्षण बिल में राजनीति कर रहे हैं, आप आदिवासियों का हित चाहते हैं तो आरक्षण बिल में साईन करवाने जाओगे क्या ?

श्री रामकुमार यादव :- 15 साल के सरकार में एमन काय करिस। हमर सरकार हा हमन बर (व्यवधान) जाथे, विदेश ले भी आदिवासी मन नाचे ले आथे, (व्यवधान) एमन तो श्रीदेवी ला नचवाय बर लानए। हमन तो आदिवासी मन के संस्कृति ला नचवात हन।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए यादव जी।

श्री बघेल लखेश्वर :- अजय भैया, आप तो आदिवासी क्षेत्रों में एक रूपया दिए नहीं, आज पैसा देने लगे हैं तो आप लोग खेल रहे हैं। इसी तरह 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष की बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप संतुष्ट हो ना।

श्री बघेल लखेश्वर :- हां संतुष्ट हैं। पहले एक रूपया नहीं मिलता था। भागते भुगते लंगोट सही।

श्री अजय चंद्राकर :- आगे बढ़िए।

श्री बघेल लखेश्वर :- आपने तो एक रूपया नहीं दिया। हम तो रहे हैं उसमें क्या बात है। इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा छात्रावास आश्रमों में सी.सी.टी.व्ही. लगाने के लिए बजट दिया है, आपने तो सी.सी.टी.व्ही. नहीं दिया है, अब दे रहे हैं उसमें भी चीढ़ है। इसी तरह और भी बहुत से आकर्षक पुरस्कार हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गयी है। (व्यवधान) हमारी सरकार के द्वारा दी जा

रही है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की बात कर रहे थे, एक भी भर्ती नहीं हुई। शिवरतन भैया, आप सुन लीजिए। बस्तर जिले में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया। उसमें लगभग 5000 बेरोजगारों की भर्ती की गई। न्यायालय के रोक के कारण हम उनकी भर्ती नहीं कर पाये लेकिन हमको 12,000 लोगों की भर्ती करनी थी। क्या आप लोगों ने कभी कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया? आपने नहीं किया। इसी तरह हमारे वन अधिकार अधिनियम-2006 के अनुसार आप लोगों ने 1 लाख लोगों की भर्ती नहीं की थी, आप लोग 1 लाख लोगों को पट्टा नहीं दे पाये थे। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राप्त 3 लाख आवेदनों में 2 लाख 33 हजार लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया गया। इसी सदन में आप लोग एक विधेयक लाये थे कि हम सब लोगों को पट्टा देंगे। लेकिन पिछली बार हम लोगों ने उसका विरोध किया। इसी तरह हमने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. अंतर्गत 2,17,825 लोगों को पट्टा दिया। हमने सामुदायिक वनाधिकार अंतर्गत 20,34,71 लोगों को पट्टा दिया। अजय भैया, आप सुन लीजिए। आप लोग ने नहीं दिया था। यदि आपको इसका विरोध करना है तो कर लीजिए। आपने किसी भी पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग को पट्टा नहीं दिया था। आप लोग बोलते थे कि इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग और अन्य लोगों को भी पट्टा दिया। इस तरह से हमने हमारे बहुत से आदिवासी क्षेत्रों देवगुड़ी-मातागुड़ी, घोटुल तथा आदि के लिए भी बहुत से कार्य किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करिये।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस समय के हमारे बजट में रखे गये सभी प्रावधानों से इस सदन को अवगत करना था लेकिन मैं केवल अपने क्षेत्र की कुछ आवश्यक मांगों को आदरणीय मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय मंत्री जी के द्वारा उन्हें इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अपने क्षेत्र में हाई स्कूल के उन्नयन के लिए अनुरोध करता हूं कि आप चीतालूर, सतोषा व संधकरमरी, कुडकानार, मोहनई-01, मोहलई-02 को अपने बजट में शामिल करें। इस प्रकार पूर्व माध्यमिक शाला भोण्ड, बोड़नपाल, तालूर, छोटेदेवड़ा किंजोली को हाई स्कूल में परिवर्तन करना था। मेरे क्षेत्र में कुछ जगहों में हाई स्कूल जर्जर हैं, मैंने टेम्पलकोमार, जैतगिरी तथा कोलचूर हाई स्कूल के लिए नवीन भवन बनाने की मांग की थी, उनको शामिल नहीं किया गया था। आप कुछ तो बोलिये। आप बोले तो सब कुछ माफ और बाकी बोले। मैंने बकावण्ड में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण के लिए दिया था। अशासकीय संस्थाओं को एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान था, उसे मैं निरंतर करने का अनुरोध करता हूं। बस्तर में बहुत से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में आहरण-संवितरण अधिकार प्रदत्त नहीं है उसको भी आप कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर दौरे के दौरान बी.एड. कॉलेज स्थापना की घोषणा की थी लेकिन उसे इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप उसे इस बजट में शामिल करें। मेरी और भी मांगे हैं। आपके पास सहकारिता

विभाग भी है और आपने सहकारिता विभाग के लिए बजट में बहुत से प्रावधान रखे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले कई वर्षों से और पिछले कार्यकाल से बस्तर क्षेत्र के किसानों के आर्थिक समृद्धि हेतु गन्ना प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करें। मैं इसके लिए हर समय निवेदन करता हूं। बस्तर में गन्ना का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने से धीरे-धीरे रकबा समाप्त होते जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि भविष्य में इस पर विचार हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। चलिये, माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शैलेश पाण्डे जी को देख रहा था। वह भाषण देते हैं और चले जाते हैं। उनको यहां पर रहना चाहिए। वह इस सदन में आधे घण्टे से नहीं हैं। शायद वह मेरी आवाज सन रहे होंगे तो आएंगे । शैलेश पांडे जी ने स्वामी आत्मानंद से शुरू किया और स्वामी आत्मानंद में ही सत्यनारायण की कथा को समाप्त कर दिया। यह कौन बोल रहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल खराब है । हमने तो इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम की सराहना की है । हम लोग चाहते हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल पुरस्कृत हो, पलवित हो, समृद्ध हो और उसकी छाया में हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़े-लिखें, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलें, जो हम और आप नहीं बोल पाते हैं। उस स्वामी आत्मानंद स्कूल में मजदूर के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं । खाली मजदूर के बच्चे कहने से आप मजदूरों का अपमान क्यों कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर इसलिए मजदूर है क्योंकि वह बहुत मजबूर है और वह बहुत मजबूर है इसलिए वह मजदूर है, लेकिन उसके बच्चे की क्वालिफिकेशन होगी, उसका नम्बर होगा, तब तो वहां एडमिशन हुआ होगा । उसमें ऐसा कौन सा क्लाज़ है कि मजदूर के बच्चे को भर्ती कर दो । अगर उस गुदड़ी के लाल में हिम्मत है तो स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और उसको अच्छी शिक्षा पाने का हक है । अगर किसी भी प्रदेश में जीना है तो वहां की कानून व्यवस्था अच्छी हो, वहां पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो, वहां चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, वहां की सड़कें अच्छी हों, वहां का हॉस्पिटल ठीक हो । यह तो मूलभूत सुविधा में आपका विभाग आता है । माननीय मंत्री जी, मुझे बहुत अफसोस है कि आपका विभाग इन सब मापदण्डों पर खरा नहीं उतर रहा है । आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जंगल के ऐसे-ऐसे स्कूल दिखाऊंगा, जो जर्जर स्थिति में हैं । बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल का छत कभी भी गिर सकता है । उन गरीब और मजदूरों के बच्चों को अच्छी ईमारत में पढ़ने का अधिकार आप नहीं दे सकते । 15 साल वाला रोना बंद करिए, बहुत हो गया । आपकी सरकार को चार साल हो गए हैं, अब यह बिदाई सत्र है और यह आपके बजट का आखरी सत्र है । यह आपके विभाग का आपका आखरी बजट भाषण है । अब इन सब चीजों में आप बात मत करिए कि आपने 15 साल क्या किया ? आप ऊंगली दिखा रहे हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- उपाध्यक्ष जी, जब तक हम लोग भी 15 साल शासन नहीं करेंगे, तब तक बोलते रहेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उन 15 सालों में मैंने भी यहां बैठकर बहुत बोला है ।

संसदीय सचिव (स्कूल शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध) श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, यह छत 4 साल में ही खराब हुई है, 15 साल में सही था । बच्चे चार साल के अंदर ही पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी भाषण शुरू करथे त 60 साल ले शुरू करथे।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिए, यहां आप मोदी जी और भूपेश बघेल अपने दिमाग में रखकर बात करेंगे तो उचित नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब, आप बहुत बुद्धिमान हो, मैं जानत हवव। तोर गोठ में हमन कोई नहीं सकन, लेकिन हमु मन ला सीखोवव ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके बोलने से मैं एक मिनट भी विचलित नहीं होऊंगा, आप धोखे में मत रहना । मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब हम कोई बात कह रहे हैं तो मोदी जी या भूपेश बघेल जी चेहरा देखकर या फोटो देखकर या उनके बारे में अच्छी या बुरी धारणा सोचकर नहीं बोल रहे हैं । जब हम यहां पर बोल रहे हैं तो Field से जो feedback हमको मिलता है, हम उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। कई स्कूलों की मरम्मत के लिए हम लोग पत्र लिखते हैं, कई स्कूलों के अहाता निर्माण के लिए पत्र लिखते हैं, कई स्कूलों के भवन निर्माण के लिए लिखते हैं । यह कौन से फंड में हो रहा है और हो रहा है तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो रहा है। इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े ब्लॉक में जहां इतने बड़े-बड़े स्कूल जर्जर हालत में हैं, जहां बच्चों की जिन्दगी खतरे में है, उनको बचाने के लिए कोई बड़ा फंड आपके पास होना चाहिए था । जो स्कूल जैसा है, आप उसी को तो सुधारिए । उसको तो आप सुधार नहीं पा रहे हैं । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के स्कूलों को दिखाने के लिए दूसरे प्रदेश के लोगों को बुलाते हैं और उन्होंने 10-20 स्कूल बनवाकर रखा है, उसको दिखा देते हैं । आप कम से कम 10-20 स्कूल वैसे ही बनवाकर दिखवा दीजिए । हम स्वामी आत्मानंद स्कूल की आलोचना नहीं कर रहे हैं। पांडे जी, कल आप बिलासपुर आएंगे तो मैं आपको बिलासपुर और बिलासपुर जिले के स्कूलों की हालत दिखाऊंगा, वहां स्कूलों के गुरूजी की स्थिति कैसी है ।

श्री कवासी लखमा :- अभी पांडे जी सीट में नहीं हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं हैं तो वे सुन तो रहे होंगे । नहीं सुनेंगे तो अभी मैं उनसे मिलकर सुना दूंगा । मुझे याद है । वहां की शिक्षा विभाग के कारनामे 50 बार अखबारों की सुर्खिया बनती हैं । अब मैं उसको इसलिए रखकर नहीं लाया कि हम Use to हो चुके हैं । सुबह उठो तो यही पढ़ने को मिलता है कि यह डी.ई.ओ. ने ऐसा किया, शिक्षक खिलाड़ियों का पैसा खा गए, उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया ।

दुनिया भर की बात होती है । शिक्षा विभाग में इतनी बारिकी में अब हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। मैं मोटी-मोटी बात यह कहना चाहता हूं कि आप स्कूल का व्यापक सर्वे कराईये और सर्वे कराकर जो जर्जर स्कूलें हैं, उनको बदलवाईये। चलिये, इस पर भी पैसा लगेगा। आपने कभी स्कूल का रिपोर्ट मंगवाया ? प्रायमरी स्कूल, मीडिल स्कूल के ऊपर चारो तरफ बिजली का तार फैला हुआ है। कोई भी नौनिहाल करंट की चपेट में आकर मर जायेगा। जब एक आंधी-तूफान में बड़े-बड़े पंडाल और झाड़ गिर रहे हैं तो बिजली का तार टूटकर स्कूल के बच्चों के ऊपर गिरेगा। आपने कोई सर्वे कराने का प्लान तैयार किया कि इन स्कूलों के ऊपर के तार को बदलेंगे ? क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं है। यह स्कूल के ऊपर के बिजली का तार किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता, जब तक आप बिजली विभाग के लोगों को पैसा नहीं देंगे। आपके पास बहुत से मद हैं। शिक्षा विभाग का मद है, डी.एम.एफ. का मद है। आप सर्वे करा लीजिये, आप एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल में उसको बदलवाईये। परन्तु आपको ध्यान नहीं है। क्योंकि आपके विभाग के अधिकारियों को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर.टी.ई. के बारे में तो मेरा प्रश्न भी लगा है। वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के बारे में प्रश्न लगा है। आप पैसा क्यों नहीं देते भाई ? जब सरकार का नियम है, आपको गरीबों के बारे में बहुत चिंता है, जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको पढ़ाना है, तो आप कहीं से भी पैसा लाईये। लेकिन जो बच्चें प्रायवेट स्कूल में भर्ती हुए हैं, आप उनको पैसा नहीं देंगे तो बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। दुनिया भर का इफ, बट लगाकर समस्या पैदा करेंगे। तो आप इसको भी प्राथमिकता दें और देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल। आप मीडिल स्कूल तो खोल ही नहीं रहे हैं। जो भी स्कूल खुला है, वह पूरे प्रदेश में असंतुलित तरीके से खुला है। जहां अपना आदमी है वहां दे दो, जिधर जहां जरूरतमंद है, वहां मिल ही नहीं रहा है। आपको कम से कम मीडिल स्कूल तो खोलना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं कि मजबूत सरकार है तो मीडिल स्कूल तो खोल दीजिये। हाईस्कूल को खोल दीजिये। जब बच्चें मीडिल स्कूल में ही नहीं पढ़ेंगे तो आत्मानंद स्कूल में कहां से जायेंगे ? प्रायमरी स्कूल, मीडिल स्कूल से पढ़कर प्रगट थोड़े हो जायेंगे ? इसलिए आपकी यह स्कूल वाली व्यवस्था भी ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी गुरूजी लोगों का ट्रांसफर किया है। मैं एक उदाहरण देकर ट्रांसफर वाली बात बंद कर दूंगा। आपने ही ट्रांसफर किया, आपके ही अधिकारियों ने ट्रांसफर किया। शक्ति आपके पास है, अधिकार आपके पास है। आपने कवर्धा जिले में 130-140 लोगों का ट्रांसफर कर दिया। जब आपने ट्रांसफर कर दिया तो उनको रिलीव करना चाहिए था। आपने कलेक्टर को एक आदेश जारी कर दिया कि ये रिलीव नहीं होंगे। क्योंकि यहां पर उनके एवज में कोई नहीं आया है। तो आप यह बताईये कि जब आप ट्रांसफर किए तो आपको इस बात का ख्याल नहीं था कि वहां पर एवजी के लिए

भी किसी को भेजना पड़ेगा। मनमर्जी तरीके से ट्रांसफर, आपने भेज दिया और फिर रोक दिया। वहां पर एक लड़का (गुरूजी) हार्टफेल होकर मर गया। वह रिलीव नहीं होने के कारण मरा है और उसका दोष शिक्षा विभाग के ऊपर है। इस तरीके का काम भी नहीं होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, एक तखतपुर का भी मामला है। शायद वहां की विधायक भी बैठी हैं। वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि मैं यह मामला आपके संज्ञान में लाऊं।

श्री रविन्द्र चौबे :- तखतपुर के लोगों ने आपसे कहा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- जी। मुझे उन लोगों ने लिखकर दिया है। यह एक फोटो है, 4 फरवरी, 1964 के लोकार्पण अवसर का छाया चित्र है। दूसरा फोटो, संत विनोबा भावे का लोकार्पण करते हुए है, तीसरा फोटो संत विनोबा भावे के संग रमा बाई पाण्डे की फोटो है, चौथा फोटो विनोबा भावे के संग रमा बाई पाण्डे और पं. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, जो बाद में विधायक बने और मध्यप्रदेश तथा यहां छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका है। माननीय मंत्री जी, स्वन्त्रता के समय से ही अंचल के छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए तखतपुर के नगरवासियों जनता हाईस्कूल तखतपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालय खोला था । विद्यालय के सामने ही 5 दिसम्बर 1956 को धरमपुरा के मालगुजार माननीय जनकलाल पाण्डेय की जीप से सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रमाबाई पाण्डेय ने उनकी स्मृति को संजोये रखने के लिये 17 एकड़ भूमि दान कर जनकलाल मोतीलाल पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक शाला का निर्माण कराया और जिसका लोकार्पण संत विनोबा भावे द्वारा किया गया । वर्ष 1971 को इस महाविद्यालय का शासकीयकरण हुआ । मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आपने स्वामी विवेकानंद स्कूल खोला, उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, उस स्कूल के खुलने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन पूर्व में संचालित हिन्दी माध्यम के स्कूल का संस्था क्रमांक 31152 को विलोपित कर स्वामी आत्मानंद विद्यालय एसएजीईएस को नया क्रमांक 311316 प्रदान किया गया है । आखिर इतना अन्याय क्यों ? माननीय जनकलाल पाण्डेय उस युग में मुंगेली के जनपद अध्यक्ष थे, वह बहुत बड़े मालगुजार थे ...।

श्री उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, सर । आपका समय भी...।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट तो बोलने दीजिए ना साहब ? ऐसे में तो कोई सरकार को दान नहीं देगा। उनकी पत्नी ने उस जगह पर जहां मृत्यु हुई थी, उनकी दानवीर पत्नी ने एक जमीन दिया, स्कूल बनवाया, उसके नाम से स्कूल चल रहा है, आप स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोले हैं तो इस स्कूल का अस्तित्व आपको जिंदा रखना चाहिये । आपने क्रमांक 31152 स्कूल को जो विलोपित किया है, उसे वापस लाईये, उस भवन में हिन्दी मीडियम का स्कूल चलने दीजिए और अंग्रेजी मीडियम का कोई शानदार इमारत आप बना सकते हैं तो बनाईये । एक बात और कहते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके ट्राईवल का जो हॉस्टल है, अधिकांश हॉस्टल जर्जर हैं, वहां के आदिवासी समाज

के बच्चे बहुत तकलीफ में रहते हैं, ठीक से टायलेट नहीं है, ठीक से बिजली का लायनिंग नहीं है, ठीक से पेंट नहीं हुआ है, उनकी सुविधा का ख्याल रखिये । यह जो सेवा सहकारी समिति बनाये हैं, उसमें तो इस प्रदेश में भयंकर सौदेबाजी हुये हैं । कवर्धा जिले में भी एक टेप वायरल हुआ है कि फलां-फलां को पैसा देना है, भाटापारा जिले में तय हुआ कि आप इसमें बन जाओ, बहुत कमाई है, उसका भी टेप हमारे पास है । इस तरह से सेवा सहकारी समिति के माध्यम से जनता तक सेवा करना चाहते हैं, यह होगा नहीं, इसलिए कभी भी इस प्रकार के मेरिट के आधार पर इसे करिये । मेरे क्षेत्र में तो बहुत से मिडिल स्कूल खोलना था, एक बार नाम जिक्र कर देता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है, आप नहीं दे पायेंगें, इसलिये स्वीकृति के लिये नहीं बोलूंगा । वन ग्राम सुरही में मिडिल स्कूल नहीं है, रबेली में मिडिल स्कूल नहीं है, सारिस्ताल में मिडिल स्कूल नहीं है, परदेशीकापा में भवन नहीं है, फुलवारी एप में हाई स्कूल भवन नहीं है, घानाघाट में नवीन हाई स्कूल खोलना है, कोदवामहत में नवीन हाई स्कूल खोलना है, पेंड्रीतालाब बी में नवीन मिडिल स्कूल खोलना है, ऐसे बहुत से हैं लेकिन आप चार साल में वहां पर कोई भी मिडिल स्कूल नहीं खोले हैं, इसलिये वहां की जनता सुन रही होगी, वहां की जनता जानेगी और आपको गलत काम करने के लिये या वहां की जनता की उपेक्षा करने के लिये माफ नहीं करेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका विभाग आमजनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है, गांव-गांव में स्कूल है, गांव-गांव में व्यवस्थायें छिन्न-भिन्न, अस्त-व्यस्त और त्रस्त हैं । आप कृपा करके उसको सुधारिये और मुझे लगता नहीं है कि आपके विभाग में आपकी व्यवस्था सुधर पायेगी । जब भी कभी ट्रांसफर करें तो अपने अधिकारियों को बोलो कि थोड़ा ठीक से सोचसमझकर ट्रांसफर करें, हमको बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं है, हो या न हो, लेकिन ट्रांसफर तो कम से कम बैलेन्स होना चाहिये । एकतरफा मत करिये, डेढ़ सौ ट्रांसफर कर दिये हो, दो आदमी नहीं भेजे हो । कलेक्टर कैसे रिलीव करे, यह तो आपका काम है, आपके दस्तखत से आर्डर हो रहे हैं ना, आपके सेक्रेटरी से दस्तखत से हो रहे हैं, इतना तो थोड़ा प्रथम संज्ञान में देखना चाहिये । आप बाद में 15 साल, 15 साल करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, ममता चन्द्राकर जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मानलो वह 15 साल जांघिया बनियान पहन कर उत्पात कर रहे थे तो क्या आप जांघिया भी उतार कर [XX][10] नाच करोगे क्या? ऐसा नहीं होता है । आप अपना देखिये, कोई भी आदमी उँगली दिखाता है ना तो तीन ऊंगली उसकी तरफ इशारा करती है कि अपने तरफ देखो, अपने गिरेबांन में झांककर देखो, इसलिये आप दूसरों का आड़ लेकर बच नहीं सकते । आपके यहां जो खामी है, गलती है, वह है और उसको दूर करने का प्रयास करिये। आचार संहिता के पहले चार-छै: महीना जो बचा है, कोशिश कर लीजिए, वैसे मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

[10] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्रीमती ममता चंद्राकर (पंडरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्कूल शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री जी के सभी अनुदान मांग में समर्थन में बोले बर खड़े हव। हमर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मंत्री जी अउ हमर सरकार, एकर मन के एक ही मंशा, शिक्षा ला ले कर हर वर्ग, चाहे हम स्कूल शिक्षा के बात करही या पिछड़ा वर्ग के या अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अल्पसंख्यक के कोई भी वर्ग के बात करही, ता हमर मुख्यमंत्री जी के उद्देश्य ओकर स्थिति सुधारे के काम हे। अभी स्कूल शिक्षा, आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूल के बारे में सब झन सराहना करत रिहीस, पूरा देश हा सराहना करत हवय। कोई भी सोचे भी नइ रिहीस, कल्पना भी नइ करे रिहीस कि कोई गरीब के लइका, बड़े स्कूल, इंग्लिस मीडियम स्कूल में पढ़ पाबो। हमर आदरणीय सभी वरिष्ठ सियान मन, साथी मन कहत रिहीस कि गरीब के बात आथे, मजदूर के बात आथे। हमर सरकार के उद्देश्य यही हे कि जेकर मन के व्यवस्था नहीं हे, आर्थिक व्यवस्था नहीं हे, उही मन ला सुविधा दे बर यह बेहतर व्यवस्था करे के काम करत हवय। कोरोना काल में भी बहुत लइका मन के अनुपस्थित होये के भी बात आइस। हमर मुख्यमंत्री जी हा ओकर सुधार बर भी विश्व बैंक के समर्थन में ''चाक परियोजना'' के प्रारंभ करिसे। यह चाक परियोजना में लगभग 04 सौ करोड़ के प्रावधान हे। एकर से हमर लइका मन ला स्कूल जाये में, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल के गुणवत्ता के सुधार के साथ-साथ हमर लइका मन स्कूल आये बर प्रोत्साहन भी मिलही अउ ओ मन शिक्षा के बेहतर अवसर भी मिलही। अभी हमर विपक्ष की साथी, रंजना साहू जी भी कहत रिहीसे कि बेटी मन के लिये शौचालय नहीं हे, व्यवस्था नइ हे, स्कूल मन जर्जर हे । मैं बताहु कि हमर विपक्ष के साथी मन बर 15 साल के मौका रिहीसे अउ ये जो जर्जर की स्थिति आये हे ये आज एकरे मन के देन हे। 15 साल के जर्जर स्थिति हे अउ हमर सरकार 04 साल में बराबर कोशिश करथे कि हर व्यवस्था ला सुधारे। यही कड़ी में हमर मुख्यमंत्री हा ''मुख्यमंत्री स्कूल जतन'' योजना शुरू करे हे अउ एमा भी लगभग 05 सौ करोड़ के प्रावधान हे।

सभापति महोदय, मैं हा आपके माध्यम से कइहू कि यह जेन 05 सौ करोड़ के प्रावधान हे। ऐखरे माध्यम से हमर मुख्यमंत्री हा आने वाले समय मा स्कूल के जेन भी आवश्यकता रिहीस ओकर व्यवस्था कराही। अब जनता आशीर्वाद दे हे अउ 04 साल के ही कार्यकाल होये हे। इकर मन पास पूरा 15 साल के समय रिहीस। तै ऐसे कोई भी योजना नइ लाइस अउ ऐसे कोई भी काम नइ करिन जेकर से हमर स्कूल के अर्थव्यवस्था, स्कूल के शिक्षा या कोई भी व्यवस्था के बात करे हन, जे मा सुधार हवय। हमर मुख्यमंत्री जी हा केवल एही काम करथे काबर के छत्तीसगढ़ हे। जब तक छत्तीसगढ़ के जनता के अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होही, वो कुछू चीज के कल्पना नइ कर सके। में हमर मुख्यमंत्री जी हा हर वर्ग ला सबसे पहले ओकर आर्थिक वित्त विकास, शिक्षा के विकास, ये काम ला करथे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ये साल पूरा विश्व हा मिलेट्स ईयर मनावत हवय। अउ मिलेट्स ईयर मा हमर राज्य ला पूरे देश स्तर में सराहना मिलथे । छत्तीसगढ़ मिलेट्स ईयर अउ ये मा हमर

मध्याह्न भोजन में भी हमर छत्तीसगढ़ सरकार हा कोदो-कुटकी-रागी ला शामिल करे के योजना करिस, आदेश करिस। एकर से हमर कुपोषण भी दूर होही, हमर छत्तीसगढ़ सुपोषित होही अउ हमर लइका मन के बेहतर भविष्य के हम कामना कर पाबो।

उपाध्यक्ष महोदय, जब ले छत्तीसगढ़ सरकार हा बने हे सब ला ध्यान रखथे। सभो कर्मचारी के पेंशन भी बहाल करिस, ओमा शिक्षा विभाग भी शामिल हे। लगभग 22 हजार 500 सहायक शिक्षक हे, जेन मन ला पदोन्नत करके प्रधान पाठक के दर्जा दिस। लगभग 35 सौ प्राथमिक स्कूल के गुरू जी हे, ओमन ला भी प्रमोशन करके प्रधान पाठक बनाइस अउ ऐखर से हमर शिक्षक मन के स्थिति भी बने होइसे। मे आदरणीय मंत्री जी ला अपने विधान सभा के बारे में बताना चाहू कि विधान सभा पंडरिया लगभग वनांचल क्षेत्र भी हे अउ वहां आदिम जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबके समावेश हे। बेलकी पंचायत में बदनाचुआ स्कूल हे। आदरणीय धर्मजीत भी अवगत कराइसे। वह स्कूल काफी जर्जर हे, वहां के लइका मन परछी में बैठ के पढ़थे। साथ ही खामी पंचायत हे, वहां के भी स्कूल भवन हा तालाब के किनारे बसे हे अउ जब बरसात आथे तो पूरा स्कूल में पानी भर जाथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। बहुत दिन में बोलथो, आपके आज्ञा रिही। यह दोनों स्कूल अउ साथ-साथ हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करे बर मैं स्कूल कोलेगांव, सोमनापुर नया, ग्राम पंचायत दनिया, धौराबंद, यहां भी स्कूल में लइका मन के संख्या ज्यादा हे। आप वहां 11वीं, 12वीं के स्कूल के अनुमति प्रदान करव । ये मय मांग करथौ। साथ ही साथ में केवल हमर मुख्यमंत्री जी बर अउ पूरा सरकार बर चार लाईन बोलहूं।

गरजत हे छत्तीगसढ़ बढ़त हे छत्तीसगढ़
विकास के नवा रद्दा गढ़त हे छत्तीसगढ़
स्वामी आत्मानंद ले फैले हे शिक्षा के उजियार
गरीब लइका अंग्रेजी पढ़ए, मिल गे हे ओ मन ला अधिकार,
अलख जगाए छत्तीसगढ़ पढ़ई तुहर दुआर
कोदो कुटकी मिलेट्स ले मिलही पोषण आहार
विकास के नवा रद्दा गढ़त हे कांग्रेस सरकार
गुरूजी के भर्ती नियमित होगे बढ़ही ज्ञान के भण्डार।
खुशहाल हावए छत्तीसगढ़िया धन धान्य भरमार,
विकास के नवा रद्दा गढ़त हे कांग्रेस सरकार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस दो लाईन कहना चाहत हौं। अभी आदरणीय शर्मा जी सहकारी विभाग में कहिस हावए कि विडियो रिकॉर्डिंग हे, डील करत हौ, अउ अध्यक्ष मनोनीत करथौ। मैं

आदरणीय जी ला एक बात कहूं। आप मन ला 15 साल के अनुभव हे। हो सकत हे कि आप ही मन के टीम के साथी मन रिकार्ड करके फैलावत हवए। छत्तीसगढ़ के छवि ला धूमिल करे बर, कांग्रेस पार्टी के सरकार ला धूमिल करे बर।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय ममता जी, 15 साल में लगातार चुनाव होए हे, नियुक्ति नइ होए हे। नियुक्ति के काम तुंहर सरकार हा करत हे।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- हां तो हमर मुख्यमंत्री जी अइसे काम करत हे कि हितग्राही मन ला सीधा लाभ मिलत हे। ए आपे मन के सब दलाल मन करत हे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मन मोला बोले के मौका देव, तेखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री रामकुमार यादव :- एमन के समय में लइका मन पढ़े-लिखए, ओ मन 5 वीं में पढें। अपन दाई ददा के नाम ला लिखए बर नइ जानए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनना। रामकुमार जी, आज धर्मजीत भईया जी हा घोषणा करे हे कि ते आजीवन कुंवारा रहिबे। में तो धर्मजीत भईया ला निवेदन करथौ कि एकर मेडिकल जांच कराए कि काबर कुंवारा रिही करके।

श्री रामकुमार यादव :- आप मोर मेडिकल जांच के बात ला छोड़व। में पहिली तुंहर ला बतात हौं कि तुमन 15 साल में अइसे सरकार चलाए हो कि 5 वीं तक लइका मन अपन दाई अउ ददा के नाम लिखए ला नइ जाने। तुमन सोच लो कि कइसे शिक्षा दे हहौ तेला।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी की मांगों का विरोध करते हुए, अपनी बात रखना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति उप योजना में 3 वर्षों का जो आवंटित बजट हैं, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 में 33.60 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 68.99 प्रतिशत बजट और वर्ष 2022-23 में माह नंवबर तक 36.63 प्रतिशत बजट सरकार खर्च कर पायी है। जो बजट देती है उसमें बहुत खर्च होता है तो इस तरह से बजट रखने का कोई मतलब नहीं है। यह सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं इस कारण कहना चाहूंगा कि जो बजट आवंटित होता है, उसको पूरा खर्च किया जाए। मैं अन्य विभागों में दूसरी बात कहूं तो प्रदेश में आरक्षित 1 लाख 71 हजार 700 पदों में से 87 हजार 289 पद अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं। उनको भर्ती करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए, मैं माननीय मंत्री जी से ऐसी मांग करता हूँ जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग के लोगों को फायदा हो।

श्री रामकुमार यादव :- बबा हो गा आप आरक्षण विधेयक ला पास करवा दव। आप उहां जाकर रोकवा दे हावव।

श्री पुन्नूलाल मोहले:- आप आरक्षण की बात करते हैं तो अभी आरक्षण में हाईकोर्ट का फैसला आएगा, यह आपको मालूम है ?

श्री रामकुमार यादव :- पहली इहां ले दस्तखत करव। उहां का हो ही तेला देखे जही। का करही सुप्रीम कोर्ट ते बाद के बात हे। पहली आप मन ला दस्तखत तो करवा देवव।

श्री पुन्नूलाल मोहले:- मैं एक शब्द कहता हूँ उसको आप नहीं जानते। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए फिर उसके बाद आप बात करना। अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो..।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह पदोन्नति के मामले में बात करें इसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति के जो आरक्षण के कारण पदोन्नति नहीं हो रही है।क्योंकि उसमें हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद यहां आरक्षण का बिल पास हो गया। यह सब रूका हुआ है। इस पर सरकार प्रयास करें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर मैं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण की बात कहूं तो इसमें 47 प्रकार की कंडिकाएं हैं अगर अत्याचार निवारण में प्रथम रिपोर्ट पर अत्याचार होने वाले लोगों को 25 प्रतिशत राशि, उसके बाद रिपोर्ट, चालान पेश करने पर 50 प्रतिशत राशि, आखिरी फैसला होने पर 25 प्रतिशत राशि दी जाती है। इस चालान को जल्दी रिपोर्ट करें, फाईल दर्ज करें। इस अत्याचार निवारण में जितने प्रकरण हैं माननीय मंत्री जी द्वारा उन प्रकरणों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या उसकी मिटिंग होती है तो उसमें एक सर्तकता कमेटी होती है उस सतर्कता कमेटी में अत्याचार से लेकर सामाजिक संरचना, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के संबंध में बात होती है। लेकिन अब इस सतर्कता में केवल मिटिंग होती है उसके लिए जिले स्तर, प्रदेश स्तर की भी कमेटी बनी है। प्रदेश स्तर की कमेटी में 6 महीने में बैठक होती है। हमने तो उस समय 2-2, 3-3 महीने में बैठक की है, जिससे सरकार भी सतर्क रहे और वहां के कार्यकर्त्ता या जो लोग हैं, जो आवेदन देते हैं, उन आवेदनों पर सरकार सतर्कता नहीं बरत रही है, मैं ऐसी आशा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति का शामिल किया गया है। इसी तरह मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में मध्य आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 25 प्रतिशत से ज्यादा के 37 बाहुल्य गांव हैं जो शासन के पास विचाराधीन है। मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया था। इसमें इसको शामिल करेंगे तो मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के जो 25 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी हैं, उनकी भी आर्थिक, शैक्षणिक समस्या का निराकरण होगा और उनका विकास हो सकेगा। अगर मैं अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग की बात करूं, इसमें जो राशि आवंटित की गई है, वह राशि बहुत कम है। सिलाई में, व्यवसाय में, रजक वाले में, आयोग भी बना है, इन सब में 40 लाख रुपये की राशि दी गई है, इस राशि को बढ़ाया जाये इससे उनका शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास ठीक तरह से होगा। अगर मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो उन विकास प्राधिकरणों में 35-35 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। अगर हम प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात मे कहें

तो उनका प्रतिशत बहुत नगण्य है, ऐसी आशा करता हूं कि इस राशि को बढ़ायेंगे। यह पिछले सरकार के कार्यकाल का है। यह 35 करोड़ की राशि को इस सरकार के कार्यकाल में 60 लाख, 70 रुपये करें तब उनके विकास में और गति आयेगी। प्री-मेट्रिक छात्रावास में बहुत जगहों में अंबिकापुर या मुंगेली जिले का उदाहरण दूं या अन्य जगह जहां हम लोग भ्रमण में गये हैं, वह छात्रावासों के शौलालय में गंदगी व्याप्त है। उन छात्रावायों के शौचालय को साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी रखे जायें। उन छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। उनकी सफाई, पोताई से लेकर, कई जगह मच्छरदानी नहीं हैं, बच्चों के लिए जो डाईट की राशि दी जाती है, उनकी डाईट के लिए कम पैसा दिया जाता है जिससे वहां के लोगों को कठिनाई हो रही है। इस कठिनाई को माननीय मंत्री जी दूर करें वह जो छात्रवृत्ति की राशि देते हैं, वह राशि कम है। अभी बजट में वह राशि बढाई गई है। इसको और बढ़ाया जाये, ऐसी मैं आशा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। अभी 4 विभाग है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी और बचा हुआ है। शिक्षा विभाग में मुंगेली जिले व अन्य जिले में डाईट का पद खाली है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि डाईट का प्रशिक्षण केन्द्र खोलेंगे। वहां सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, मुश्किल से उनको 2 हजार रुपये दिया जाता है, उस 2000 रुपये में 500 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है, अब 2500 रुपये हो गया है, उनको कम से कम कलेक्टर दर पर दिया जाये। रसोईयां हैं, छात्रावास में काम करने वाले हैं, उनकी स्थिति दयनीय है, वह 4-6 हजार रुपये में अपना गुजारा कैसे करेंगे। इनकी भी राशि बढोत्तरी की जाये। मैं ऐसी आशा करता हूं। सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी समिति की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। आपने मनोनीत कर दिया है, आप उसका चुनाव करायेंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं जिससे वहां के लोगों को फायदा हो। आप के.सी.सी. का लोन देते हैं, उस लोन की सीमा को अधिकतम 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाये। खाद, बीज लेने वाले किसान को प्रति एकड़ में 10 हजार रुपये का लोन दिया जाता है, उस लोन की सीमा को बढाया जाये। आज की स्थिति मे अगर फसल उत्पादन को दोगुना करना है तो उसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों की जो भर्ती होती है, उनको सामान वेतन दिया जाये। समान वेतन मिलने से उन लोगों को उसका लाभ मिलेगा और अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, कृपया समाप्त करें। श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल है, इसकी भी संख्या बढ़ाई जाये, जिससे थल सेना, वायु सेना, नौ सेना में भर्ती होती है, उन स्कूलों में देश भक्ति सिखाई जाती है, इनको और ज्यादा राशि दें। यह राशि दी जाय, जिससे उन लोगों का विकास हो। व्यावसायिक परीक्षा हो, नर्सिंग हो या अन्य ट्रेनिंग के लिए भी राशि बहुत कम लोगों को दी जाती है, मुश्किल से 2 हजार लोगों को दी जाती है, सभी को राशि दी जाये और इसकी राशि में बढोत्तरी की जाये जिससे वहां के लोगों को

शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास हो। मैं इतना कहकर अपनी बात समापत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी शिक्षा विभाग से हमारे सत्तापक्ष वाले बहुत विधायक साथी लोग बहुत बात कर रहे थे कि हमारी सरकार अच्छी शिखा दे रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रायमरी स्कूल तक के बच्चे मिट्टी के मूर्त रूप होते हैं उन लोगों को जैसा आकार में ढालना चाहे, ढाल सकते हैं। आपके कक्षा-5 में पाठ्यक्रम है जिसमें एक साधु का फोटो लगाकर साधु रूप में ठग है और लोगों को ठगने का काम करता है, यह किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि श्री श्री 108 अनिमुक्तेश्वानंद शंकराचार्य महाराज जी ने इसका खुले रूप से विरोध किया है और भरी मंच में इस पाठ्यपुस्तक को फाड़कर हिंदू धर्म के विरोध में बताया गया है। सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं? 5वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में साधु के खिलाफ में हिंदू धर्म के बारे में छापकर आप क्या कहना चाहते हैं? शंकराचार्य जी ने भरे मंच में जो बोला है, मैं उसका पूरा वीडियो यहां पर रख दूंगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- पम्मू भाई, मेरी बात सुन लीजिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बच्चों को विश्व में स्थापित करना है, ग्लोबलाईजेशन है, उसका अनुकूल शिक्षा है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- उपाध्यक्ष महोदय, पंडित जी मंत्र को गलत पढ़ रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पम्मू भाई को थोड़ा सा पता नहीं है। जब से वह इधर से गये हैं तब से उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। जो रावण था, वह साधु के भेष में ही आकर माता सीता का अपहरण किया था।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- तो क्या साधु-संतों का ऐसी अपमान करेंगे? लिख कर पढ़ा रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- तब से कहावत है कि साधु के भेष में भी शैतान उपस्थित होता है। उस चीज को लेकर आप उस डिसपार्टमेंट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा धर्मांतरण पर बात होती है, वैसी आप बात कर रहे हैं तो यह गलत बात है।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें रावध लिख दो न।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, वैसे हमन जानत हन कि आसाराम के चेला हा तेला।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, प्रमोद शर्मा जी यह बोल रहे हैं कि वह साधु क्यों लिखे? इसको और भी तो कुछ बना सकते थे। साधु लिखे हो, बताओ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- शिक्षा के नाम में सदियों से 80.5 परसेंट लोगों का शोषण हुआ है।

डॉ. विनय जायसवाल :- रावण को भी तो साधु बोले हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- रावण लिख दो न। रावण को तो जलाते हैं। रावण को बुरा नहीं मानेंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप अपना मत स्पष्ट करें।

श्री रामकुमार यादव :- आसाराम अउ राम रहीम के चेला हा, तेला जानत हन।

श्री धर्मजीत सिंह :- रावण के भेष में शैतान, ऐसा लिखो। साधु के भेष में आप शैतान क्यों लिखेंगे?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय धर्मजीत भैया, क्योंकि रामचरित मानस में भी यही लिखा है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब, आप बैठ जाईये। आप स्पष्ट कर रहे हैं क्या?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जब चारों ओर खुशी हो जाती है (व्यवधान) आ जाता है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्योतिपीठ के शंकराचार्य महाराज श्री श्री 108 अनिमुक्तेश्वानंद महाराज जी ने खुले मंच में हिंदु धर्म के खिलाफ में छपा हुआ बताया गया है। मंत्री जी, आप इसमें अपना स्पष्ट बयान दीजियेगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? शंकराचार्य जी को शंकर जी का अवतार माना जाता है। आपसे इसमें घोर आपत्ति करता हूं और आप इसको तत्काल डीलीट करवायें। शिक्षा विभाग में भी यही चल रहा है। किताब कौन छाप रहा है, कौन लिख रहा है? हमारे यहां के एक अधिकारी एक पत्रिका किताब लिख रहे हैं। यही पर बैठे हुए हैं । ललित पत्रिका, जिसमें अधिकारी ही लेखक है और अधिकारी के मिसेस उस किताब को छापने वाले आपके विभाग में 5 करोड़ रूपये का बंदरबांट कर रहे हैं। यूथ क्लब की राशि को पत्रिका के लिए 5 करोड़ की राशि को ..।

श्री रामकुमार यादव :- पूर्व सरकार के मंत्री के घरवाली ल नकल पकड़ते हुए रहीसे। याद करा। पूर्व मंत्री के घरवाली हर नकर करत रहीसे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहती हूं कि सारे पाठ्यक्रमों की जांच किया जाए। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रमों की जांच होनी चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपकी सरकार ठगने का काम कर रही है। आपकी सरकार गुमराह कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, अब आप बात करिये। कोई खड़े होकर संवाद न करें। आप लोग सब सहयोग करें।

डॉ. विनय जायसवाल :- (व्यवधान) तो आपका ही गाइडलाईन है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपके अधिकारी भ्रष्ट कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। कोई बोल रहे हैं तो जरा सुनना भी तो चाहिए। यहां वह खड़े क्यों हुआ है। वह बैठने के लिए थोड़ी खड़े हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- कोई भी बिना अनुमति के खड़े मत होना।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब, बिल्कुल खड़े मत होना। रंजना जी, खड़े होही त ध्यान रखबे। (हंसी) तैं ज्यादा बोलबे त पटक दिही। माननीय सभापति महोदय, भ्रटाचार नहीं, घोर भ्रष्टाचार है। अब इन लोगों का कहना है कि 15 साल तक इधर भ्रष्टाचार हुआ है तो हम लोग भी जम कर भ्रष्टाचार करेंगे। फिर आपके और इनके बीच में क्या अंतर रहेगा? थोड़ा सा सुधरिये। 15 साल तक यह किये, 15 साल तक यह किये। 15 साल तक यह किये हैं कह कर आप लोग भ्रष्टाचार करेंगे क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की पदोन्नति की बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, जो लोग 15 साल की बात करते हैं न। मैं 5 महीने स्कूल शिक्षा मंत्री था। उस 5 महीने में क्या-क्या काम किया, उस पर आप बहस कर लीजिये। आप 5 साल में उसका 10 प्रितशत काम नहीं कर पाये हैं। चलिये, उसी में अभी बहस हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- टोका-टाकी न करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहां होना-जाना कुछ नहीं है और अब विधायकी छोड़कर बाबा बन जाये। आप लोग के शासन में कुछ नहीं होना है। ट्रांसफर के नाम से खुला धंधा हो रहा है। दुकान खुला है। दुकान खोले हैं, उसमें 2 लाख ट्रांसफर कराने का फीस है। अगर हमारे पास अनुशंसा करने आते हैं तो नहीं होता। वही ट्रांसफर को वहां पर पैसा लेकर जाते हैं तो हो जाता है। यह मेरा ही नहीं, यहां के साथी लोगों की भी पीड़ा है। यहां पर व्यक्त नहीं करेंगे। यहां पर तो भक्ति भाव करेंगे। अगर अतका भक्ति शंकर भगवान में करतेओ तो ओहा प्रकट हो जतिस ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी समाप्त करें । चलिये, 5 मिनट का आपका समय समाप्त हो गया । (व्यवधान) बाकी आप लोग टोका-टाकी मत करिये । इंदू बंजारे जी। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रमोद शर्मा जी यह बतायें कि वे कौन से दल से बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप बेरोजगारी की भाषा तय करेंगे तो जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की अनुशंसा कर रहा है उनको बेरोजगार में शामिल मत करना ।

डॉ. विनय जायसवाल :- ऐकर बाद भी तोला बलौदाबाजार से टिकट नइ मिलही ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नइ मिलही ता मैं बाबा बन जहूं न । (हंसी)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- तें हा अभी से बाबा जी जइसे गोठ ला झन गोठिया । बाबा बनबे तेकर बात अलग हे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उजागर करने दीजिये क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा में है । यहां पर ट्रांसफर का धंधा चल रहा है । यहां पर यह स्थिति है कि हम लोगों को खराब लगता है केवल पैसा देकर ट्रांसफर हो रहा है । कोई भी विधायक, यहां जो बैठे हैं सब पीड़ा में

बोल रहे हैं, केवल सामने में बोल रहे हैं लेकिन सभी को इस बात की पीड़ा है कि 2 लाख रूपये फीस निर्धारण है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- इनको पीड़ा नहीं है, इनका हो गया है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पीड़ा है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकय । का करबे बेचारा मन ला बोलना हे । आमा ला इमली कइही ता तुमन हा आम ला इमली कइहा । अतका भक्ति करतेओ ता भगवान भी प्रकट हो जतिस । यहां पर सही बात ला रखओ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब वेतन विसंगति की बात हे । घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों की जो पीड़ा थी मतलब सभी पढ़े-लिखे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। आप वेतन विसंगति को दूर कर दीजिये । उन लोगों की मांग है, हर विधानसभा में कम से कम 2000, 3000 की संख्या में है । आप लोगों के लिये भले यहां पर 4 साल बीत गये हैं लेकिन उनके लिये एक-एक दिन भारी हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोलें ? भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन गया है । सरकार नहीं, पूरे अधिकारी चला रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये शर्मा जी, समाप्त करें । आपको 8 मिनट हो गये हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक-दो मांग है । मैं मांग रख देता हूं । बाकी होना-जाना तो कुछ नहीं है । मंत्री महोदय, ओला थोकन नोट कर लेतेओ ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मंत्री महोदय, बहुत गंभीर हैं । ओला पूरा सुनत हैं । आप मन बोलओ । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहती हूं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा में सुहेला क्षेत्र में ऐसे 10-12 स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है । आपने पदौन्नति करके सभी शिक्षकों को बाहर भेज दिया है और वहां पर बच्चों के पढ़ाने के लिये एक भी शिक्षक नहीं है । माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात को आप कृपया गंभीरता से लेते हुए इसको लिखिए और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चों का भविष्य खराब मत करिये । बिकट सारा स्कूल हे, 25-30 ठन हावय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी के कक्ष में जाकर दे दीजियेगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 25-30 स्कूल के नाम बतावव । (व्यवधान) बिना गुरू जी के स्कूल चलत हे तेला हमू मन जानना चाहत हन ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहती हूं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना गुरूजी के 10-12 ठन हावय । मैं आप ला आवेदन बनाके दे दूहूं थोड़ा गंभीरता से ले के कभू-कभार ध्यान दे देओ करा । आपके पाठ्यक्रम में जो साधू के बारे में अड़गन टिप्प्णी हे, माननीय मंत्री महोदय ओला खत्म करेओ । हमर शंकराचार्य महाराज जी हे, नइ तो आप मन के ऊपर गाज गिर जही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी ।

श्री रामकुमार यादव :- सब नेता मन लिख-लिख के देवा कौन-कौन लोग लइका सरकारी स्कूल मा पढ़ाबो कहिके, चला तो तुहू मन ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- यादव जी, तुंहर लइका होही तेला हमन शासकीय स्कूल मा पढ़वाबो ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट बोलना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, पहिली ओला लईका पैदा करे लइक तो बना दे। (हंसी) पहिली लईका पैदा करे लायक हो जाये ओकर बाद में हो जाही ।

श्री रामकुमार यादव :- मोर हा शुरू होही ता तुमन थरिया जहा । (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपस में समय बर्बाद न करें ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, ये रामविचार नेताम जी वैसे परेशान हैं इनको पापा-पापा कहने वाले हर 2-4 गांव के आड़ में बहुत से लोग हैं । (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भईया, हर गांव में पापा बोलने वाले नहीं हैं बल्कि चाचा बोलने वाले हैं । (हंसी)

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । चूंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य में जितने लोग भी बोल रहे हैं उनका पूरा समय मुझे आखिरी में दीजियेगा । आप कृपया मत बोलियेगा कि समय हो गया करके क्योंकि इनकी टोका-टाकी में ज्यादा समय हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप इधर देखकर बोलिये । आप उन पर ध्यान मत दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- तुमन टोका-टाकी करके ध्यान ला भटका देथेओ ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में बोला कि शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है इसलिये शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जितने भी हमारे बच्चे होते हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा जितनी सुदृढ़ होती है उतना ही उसके भविष्य का निर्माण होता है । चूंकि जितने भी हमारे बच्चे होते हैं चाहे वे डॉक्टर बनना चाहें, चाहें इंजीनियर, कलेक्टर जो भी बनना चाहते हैं वे शिक्षा के बेस पर चलकर ही बन सकते हैं । शिक्षा के स्तर को हम जितना आगे बढ़ायें, जितनी इसकी सुदृढ़ व्यवस्था बनायें उतना ही हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण होता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि भले ही आपने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है लेकिन जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं वे

भवनविहीन हैं, जर्जर स्थिति में हैं । कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पीने की व्यवस्था नहीं है, हमारी बेटियां पढ़ती हैं । वे छोटे-छोटे गांवों से आती हैं । उन स्कूलों में शौचालय नहीं होते हैं, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन है कि बेटियों के भविष्य को देखते हुए जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां किचन और शौचालय आमने सामने हैं । इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, पामगढ़ में ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिनके भवन अत्यंत जर्जर हैं, कुछ भवनविहीन हैं । मैंने पत्र के माध्यम से भी इन्हें बजट में शामिल करने का अनुरोध किया था । जो प्रमुख हैं उनके बारे में बात भी देती हूं । पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक शाला खरगनी है जो अत्यंत जर्जर है, शासकीय मिडिल स्कूल चुरतेला है अत्यंत जर्जर होने के कारण बच्चों को बाहर ले जाकर पढ़ाया जा रहा है । दो-दो शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है । मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देंगे । मंत्री महोदय, स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी है । अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां महिला शिक्षक नहीं होने के कारण छात्राएं अपनी बात कहने में हिचकिचाती हैं । मैं इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं । साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहूंगी मैंने पूर्व में भी सदन के माध्यम से अवगत कराया था कि मेरे गृहग्राम भिलौनी में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन अत्यंत जर्जर है । मैंने अनेक बार पत्रों के माध्यम से इसकी शिकायत की । लोक निर्माण शिक्षण समिति के द्वारा भी भवन निर्माण के लिए पत्र भेजा गया था । लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न तो कोई फंड उपलब्ध कराया गया और न ही भवन निर्माण के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है । वह भवन अत्यंत जर्जर है, चूंकि वह मेरा गृह ग्राम है मैं वहां निवास करती हूं इसलिए उसकी वास्तविक स्थिति मुझे अच्छे से मालूम है । यह गनीमत है कि वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। इस पर मेरा ध्यानाकर्षण भी लगा था । दीवारें भी हिल रही हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, विधायक जी के गृहग्राम का स्कूल तो बनवा दीजिए । अनुसूचित जाति की विधायक हैं और उनके गृहग्राम का स्कूल खराब है । बुरी हालत में है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 15 सालों तक स्कूल शिक्षा मंत्री भी तो थे ना ये । अब ध्यान देंगे, बिल्कुल अब बन जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 4 साल से क्या हो रहा है ?

श्रीमती इंदू बंजारे :- उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल हो या 5 साल हो । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और भवन में अप्रिय घटना न घटे और भवन बन जाए, यह हमारी नीति होनी चाहिए । 15 साल इन्होंने क्या किया और 5 साले आपने क्या किया, यह नहीं होना चाहिए । बल्कि हमारी एक ही नीति हो कि हम शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाएं ? 15 साल और 5 साल करते करते पूरा समय बीत जाएगा और हमारी शिक्षा का स्तर ज़ीरो परा चला जाएगा । इसमें हमें

समय बर्बाद नहीं करना है । हमें इस बात पर फोकस करना है कि हम शिक्षा की नीति को कैसे आगे बढा सकते हैं ? बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं चूंकि स्कूल भवन बहुत जर्जर है, दीवारें हिल रही हैं । बच्चे परेशान है इसलिए आपके माध्यम से निवेदन कर रही हूं कि इसे बजट में शामिल कर, प्रशासकीय स्वीकृति दिलाकर भवन का निर्माण कराएं ।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ स्कूलों के उन्नयन की भी आवश्यकता है । पामगढ़ विधान सभा अंतर्गत कोड़ाभाट में शासकीय मिडिल स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन की मांग करती हूं । कटौद में शासकीय हाईस्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन की मांग करती हूं । द्विगांव में शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन की मांग करती हूं । कोसा में शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन की मांग करती हूं । दूरपा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन की मांग करती हूं । रिनडी में शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन की मांग करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप मंत्री जी के कक्ष में दे देंगे ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- एक विषय और है उपाध्यक्ष महोदय । हम बोल ही सकते हैं क्योंकि बजट में शामिल होने के बाद ही सडनली बजट से बाहर हो जाता है। यह हमारे लिए बहुत पीड़ा की बात होती है लेकिन कम से कम यहां बोलकर अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं और आमजनों को बता भी देते हैं कि हमने आपकी बातों को वहां पर रखा है । उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर उन्नयन करें । एक विषय और है सहकारिता का। पूरे प्रदेश भर में 2617 सहकारी समितियों में कार्यरत् अनियमित कर्मचारी हैं, सरकार की महात्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों का धान दिन रात खरीद रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में वाहवाही लुटा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा धान खरीदने वाली सरकार है । वह अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन इन अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है जिनकी बदौलत धान खरीदी की जा रही है और देश में अव्वल नाम दिलाया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि इन अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, साथ ही जो तीन चार वर्षों से लंबित वेतन है, उसका भुगतान किया जाए। इसके साथ साथ जो धान खरीदी का पिछला भुगतान नहीं हुआ है, उसका भुगतान किया जाए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिम जाति कल्याण विभाग चर्चा हो रही है, मैं यह कहना चाहती हूं कि जब छत्तीसगढ़ प्रदेश बना, जहां आदिवासी बहुसंख्यक में रहते हैं,

इसलिए मध्यप्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना है लेकिन संविधान के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है, आज सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। वर्ष 2012 में भी आरक्षण का गलत ढंग से काम किया गया, जिसके कारण आदिवासियों को घर से बाहर निकलकर सड़क पर आना पड़ा। लाठी, डंडे खाने पड़े। आज फिर वही स्थिति है तो संविधान में अधिकार रह करके भी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची लागू हो करके भी इनके साथ शोषण हो रहा है। आज एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी.,72 प्रतिशत है, मंडल आयोग लागू किया गया है, तब भी हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा में सर्व सम्मति से पारित किया गया है। सर्व सम्मति से जो विधेयक पारित किया गया है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर में राजनीति क्यों हो रही है? यह आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा दुख दर्द है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि....।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एमन राज्यपाल ला जा के चबा देथे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मेरे विधान सभा में 50 स्कूल टूटा हुआ था, वह बन गया है, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने मुझे बजट दिया है। लेकिन बहुत सारे स्कूल उन्नयन का है, घठुला, करैहा, बाजार कुर्रीडीह, भोथापारा, भैंसामुड़ा, तुमड़ीबहार, बिरनासिल्ली, कपालफोड़ी, उमरगांव, रतावा, गेदरा, मल्हार, कसपुर, बरोली, मूलगांव, इन स्कूलों का उन्नयन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जंगल में दूर-दूर तक रहकर निवास करते हैं। उनको पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत है। अहाता भी होना जरूरी है और शौचालय का निर्माण होना भी जरूरी है। मैं यह मांग माननीय मंत्री महोदय से कर रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं बस एक मिनट लूंगा। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है, मेरे क्षेत्र में तांदुलडीह गांव है, वहां प्रायमरी स्कूल नहीं है और शत प्रतिशत अनसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसके कारण वहां बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको लिखित में भी दिया था और इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बड़ी मांग नहीं है, आप तांदुलडीह में प्रायमरी स्कूल खुलवा दीजिए। धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट, एक छोटी सी मांग है। माननीय मंत्री जी, करमी चलगली हाईस्कूल को उन्नयन करके हायर सेकेण्डरी करने का अनुरोध कर रहा हूं और दोलंगी हाईस्कूल को उन्नयन करके हायर सेकेण्डरी करने की मांग कर रहा हूं। माध्यमिक शाला चिनिया को हाईस्कूल करने की मांग कर रहा हूं और माध्यमिक शाला चंदरनगर को उन्नयन करके हाईस्कूल ही मांग करता हूं।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दो छोटी सी मांग है। खड़गवां जनपद के दुगछोला हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन कर दें और झगड़ाखंड नगर पंचायत है, वहां हाईस्कूल है, उसको हायर सेकेण्डरी में उन्नयन कर दें। धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- जमनाल में एक ठन एस.सी. छात्रावास और जिंगेल में एक ठन अनुसूचित जनजाति के छात्रावास मोर दू ठन मांग हे महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी चलिए। अब आप बाद में कक्ष में जाकर मिल लीजिएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोद, मेरे विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, भाई शैलेश पाण्डे जी, आदरणीय श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, आदरणीय लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय श्रीमती इंदू बंजारे जी, आदरणीय श्रीमती ममता चंद्राकर जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, आदरणीय भाई प्रमोद कुमार शर्मा जी, आदरणीय डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय भाई केशव प्रसाद चंद्रार जी, आदरणीय भाई बृहस्पत सिंह जी, आदरणीय डॉ. विनय जी, सभी ने भाग लिया और विभाग को अच्छे सुझाव दिये हैं। बहुत से सुझाव कटौती प्रस्ताव के माध्यम से भी मिले थे। हमने उनके जवाब भेज दिये हैं। माननीय शर्मा जी ने इसकी शुरूआत की थी तो माननीय शर्मा जी और बाकी जितने सदस्य हैं वह अपनी चर्चा की शुरूआत केवल अपनी जन घोषणा पत्र से करते हैं। यह अच्छी बात है कि आप लोग हमारे जन घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। आपने अपने जन घोषणा पत्र को तो कभी पढ़ा नहीं। आपने न कभी संकल्प पत्र पढ़ा और न कभी उसको देखने की जरूरत पड़ी। आप केवल कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप केवल ट्रांसफर की बात पर घूमते रहे कि ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या आपके समय में ट्रांसफर नहीं हुए होंगे? आपके समय में भी ट्रांसफर हुए होंगे और निरस्त भी हुए होंगे। यह तो एक सतत् प्रक्रिया है। ट्रांसफर तो होते रहते हैं और जहां उनकी कमी होती है वहां पर उसकी व्यवस्था भी करते हैं। जहां पर एकल स्कूल है वहां पर उसकी पूर्ति करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैंने आपको केवल अपनी विधान सभा का उदाहरण बताया था कि 66 ऐसे ट्रांसफर हो गये, जिसकी जगह एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। केवल एक विधान सभा का उदाहरण बताया था।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं यही बात बोल रहा हूं कि ट्रांसफर में आपकी जो सीमा थी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सीधे-साधे सरल मंत्री हैं। लेकिन आप बोलिये कि तोलाबाजी नहीं होगी, कटमनी नहीं होगी और यह विभाग मेरे नियंत्रण में है। आप आत्मविश्वास से बोलिये और बिना कार्ड देखे बोलिये। हम इन मांगों को सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बिल्कुल, यह विभाग मेरे नियंत्रण में है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी ने आपकी बात मान ली, अब आप भी अपनी बात पर कायम रहिये। आप संशोधन वापस ले लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धरम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि आप किसी को उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली तो उधर रहती है लेकिन 4 उंगली आपकी तरफ रहती हैं। यही बात जब आप लोग शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, यह सब हो रहा है तो वह उंगली किधर जा रही है ? वह भी आप सबके के देखने की बात है लेकिन आपने बहुत से अच्छे सुझाव दिये। धरम भाई ने बहुत प्रेम से बहुत से सुझाव दिये हैं। हम लोग बिल्कुल उसमें सुधार करते हैं। प्रमोद कुमार शर्मा जी यहां पर नहीं हैं। वह कहां चले गये ? उन्होंने एक बात कही कि एक किताब में एक कपटी साधू के बारे में छपा है। उसमें पाठ में यह कहा गया है कि साधु कपटी नहीं होते हैं बल्कि यह कहा गया है कि कुछ कपटी लोग साधु के भेष में गलत काम करते हैं और लोगों को ठगते हैं। यह किताब कब छपी है ? माननीय बृहमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे, यह किताब तब छपा था और आज तक छप रहा है। न तो उसके कन्टेन्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है और न ही फोटो में कोई परिवर्तन हुआ है। तो शुरूआत तो यहां से हुई है। प्रमोद भाई को उसको देखना चाहिए कि उसकी शुरूआत कहां से हुई है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका मुख्य स्लोगन था- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे हमने ठगा नहीं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसकी शुरूआत कब से हुई है ? यह 7 साल से चला आ रहा है। 7 साल से न तो उसके कन्टेन्ट में कोई परिवर्तन हुआ है और न ही उसकी फोटो में कोई परिवर्तन हुआ है। प्रमोद भाई, आपका सिर इधर होना चाहिए ताकि यह लोग भी ठीक-ठाक करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं शिक्षाविहीन की बात हुई, आज यदि प्रश्न के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जहां कहीं भी कमी होती है उसकी हम व्यवस्था करते हैं। हमने तो शिक्षकों की भर्ती की। हमने शिक्षकों की नियमित भर्ती की और आप लोगों ने क्या किया ? जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने जो वायदे थे, वे तत्काल पूरे किये गये। चाहे वह धान खरीदी का मामला हो, चाहे किसनों का कर्जा माफी का मामला हो, हमने 2 घण्टे में निर्णय लिया। आप लोगों ने क्या किया ? जब शिक्षाकर्मी का संविलियन हो रहा था तो आपने वर्ष 2004 में कहा कि जैसे ही हम कुर्सी में बैठेंगे, वैसे ही संविलियन करेंगे। उसको कितना समय लग गया ? आपको उसको सोचने में 15 साल लग गये। आपने शिक्षाकर्मी का संविलियन कब किया ? जुलाई, 2018 में जब चुनाव बिल्कुल पास में था, तब किये और उसकी प्रक्रिया पूरी करते-करते चुनाव आ गया। शिक्षा कर्मी समझ गए कि इनकी नीयत ठीक नहीं है । उन्होंने आपको पूरा अवसर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने आपको आईना दिखा दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, जो प्रतिवेदन में है, वह बताने की जरूरत नहीं है । हम लोगों ने पढ़ लिया है । उसके बाहर का होगा तो बताना ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सभी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की तारीफ की । हमारे धर्मजीत भाई ने बहुत तारीफ की । सबको पढ़ने का अधिकार है और सरकार की मंशा रहती है कि जहां उत्कृष्टतापूर्ण शिक्षा दी जाए तो इसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इतने साल हो गए, हम अच्छे स्कूल नहीं बना पाए, जहां पर सरकारी कर्मचारी के बच्चे पढ़ सकें । जो कल्पना थी, उसको साकार करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित किया, जिसमें गरीब का भी बच्चा पढ़ सके, जिसमें मध्यम वर्ग का भी बच्चा पढ़ सके और इसमें सभी सुविधाएं रहेंगी । अच्छे लैब रहेंगे, उसमें अच्छी लायब्रेरी रहेगी, उसमें अच्छे क्लास रूम रहेंगे, ताकि एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई हो सके । हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि जो अंग्रेजी माध्यम के बड़े-बड़े स्कूल हैं, उसकी फीस इतनी रहती है कि वहां हर कोई पहुंच नहीं पाता है तो ऐसे अभिभावकों के सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सोचा और विभाग को दिशा-निर्देश दिया । इसमें बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जो देश-विदेश की जो प्रतिस्पर्धा होती हैं, उसमें अंग्रेजी माध्यम में ही होती है । मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित करने का अवसर दिया और हमने इसकी शुरूआत की । इस परिकल्पना को हमने 2020-21 में शुरू किया था, जब हम लोगों ने 52 स्कूल खोला। उसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी की एक-एक सीट के लिए 40-40 आवेदन आये । उस स्कूल की लोकप्रियता के कारण दूसरे स्कूल के बच्चे वहां से अपना नाम कटाकर स्वामी आत्मानंद स्कूल आये । हम केवल अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के साथ-साथ 32 हिन्दी माध्यम के स्कूल भी खोल रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के करीब 30 हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं । बहुत लोगों ने इसकी तारीफ की है । इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई, जहां-जहां मुख्यमंत्री जी भेंट, मुलाकात करने के लिए गए । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी शुरूआत की है कि हर विधान सभा में भेंट मुलाकात करना, रात में वहां रूकना, सभी लोगों से बातचीत करना । उसमें प्रमुख रूप से हिन्दी माध्यम के स्कूल की मांग आई तो इस सत्र में हम लोगों ने 101 नया स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है, उसके लिए 870 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हमारे यहां के महापुरूष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं । हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम जो भी स्कूल को स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तित कर रहे हैं तो जिस नाम से वह स्कूल है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और वह स्कूल उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का होगा, लेकिन उसके पहले उसका दानदाताओं का नाम रहेगा, आपकी चिन्ता थी कि दानदाताओं का भी नाम उसमें रहे । जब हम लोग स्कूल खोलेंगे तो उस स्कूल का नाम पहले जो होगा, उसके पश्चात् स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम योजना हम लोग उसमें जोड़ेंगे । आपकी जो चिन्ता है, वह उसमें पूरी हो जाएगी । आपने कहा कि जे.एल.पी. स्कूल (जनक लाल पांडे) का यूडाईज़ कोड को

बदलने की बात कही । उसमें आपका एक प्रश्न भी है, जिसका क्रमांक 1431 है । उसमें आपने जो प्रश्न पूछा है कि किस कारण से परिवर्तित कर रहे हैं ? हम लोगों ने उसमें कहा कि जनक लाल मोती लाल पाण्डे, शासकीय उच्चतर विद्यालय, तखतपुर को स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत जे.एल.पी. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया, लेकिन उसका यूडाईज़ कोड पूर्ववत् है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है और हिन्दी माध्यम का विद्यालय पूर्ववत् रहेगा । साथ ही साथ दानदाताओं के अस्तित्व, शिलालेख को समाप्त नहीं किया गया है। उसमें उनका जो भी नाम हो, उन सभी का नाम है। उसमें फोटो दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कोरोना काल में लर्निंग लॉस हुआ है हम लोगों ने प्रदेश में उसकी भरपाई के लिए नवाचार किया है। नवाचार के माध्यम से चाहे मोहल्ला क्लास हो, बोल टू के बोल हो, लाउडस्पीकर के गुरूजी हों, अंगना में गुरू जी, हम लोगों ने तमाम प्रकार के नवाचार किया है। ताकि हमारे यहां के बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का लॉस न हो, दिक्कत ना हो और पढ़ाई में निरन्तरता बनी रहे। हमने इसमें बहुत सा नवाचार किया। इसमें बहुत सारे टीचर्स आये। सर्वे रिपोर्ट भी आया। बाकी जहां अन्य राज्यों में पढ़ाई में कमी आई, उसकी अपेक्षा हमारे यहां ठीक रहा। लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए एक चॉक परियोजना शुरू किया गया। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए शुरूआत किया है। ताकि उसका जो लर्निंग लॉस हुआ है, हम उसकी किस प्रकार से भरपाई कर सकें। बच्चों में ज्ञानात्मक सुधार किस प्रकार से हो सकता, राज्य के सुदूर अंचलों में संचालित स्कूलों के अधोसरंचना में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, कक्षा के स्तर को उसके अनुरूप बनाने के लिए उसमें दक्षता में किस प्रकार वृद्धि हो सकती है, शिक्षकों के दक्षता में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूल तक की कक्षा में प्रत्येक विषय में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, ये तमाम चीजें चॉक परियोजना के तहत शुरूआत किया गया है। इसके लिए शासन द्वारा 4 सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें विश्व बैंक सहायता कर रहा है, इसमें 2500 करोड़ सहायता प्रदान कर रहा है। हमने कहा कि हमारे जो स्कूल छूटे हैं, जो लर्निंग लॉस हो रहा है, उसकी किस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो टीचर्स हैं, उनको भी लगातार अपडेट होने की आवश्यकता है। उनके ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एन.सी.आर.टी. के माध्यम से ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था, कई दिनों से आवश्यकता महसूस हो रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशासनिक अकादमी बने, ताकि हमारे जो टीचर्स हैं, वहां उनको ट्रेनिंग मिल सकें और राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "सुघ्घर पढ़हैया योजना", इसके तहत कोई भी स्कूल अपने आप में चुनौती लें कि हमारे स्कूल में जो अच्छी पढ़ाई हो रही है, जितने हमारे मापदण्ड हैं, उसको वहां कोई भी

संस्था आकर चेक कर सकता है। हमने इसके लिए "सुघ्घर पढ़हैया योजना" तैयार किया गया है। विद्यार्थी अपनी बुनियादी दक्षता प्राप्त करे, इस हेतु विभाग द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। 8 साल की आयु तक समझकर पढ़ना, जोड़ना, घटाना, इत्यादि है। इसके तहत कोई भी अपने स्कूल को किसी दूसरे पार्टी को आमंत्रित कर सकता है कि आप हमारे यहां देखें, पढ़ाई मापदण्ड के अनुरूप है या नहीं, पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, लिखना, समझना, पूर्ण करना इत्यादिकाम होंगे। अभी जो स्कूल हैं, वे आमंत्रित करेंगे। अभी तक 48 हजार विद्यालय इसमें अपनी चुनौती के लिए स्वीकार किया है। हम अभी एस.ई.आर.टी. के तहत भेजेंगे। 630 विद्यालय को एस.ई.आर.टी. के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ताकि वे लोग अपने आपको सक्षम बना सके। जब वहां वे लोग दक्षता के लिए जायेंगे, वहां पर कोई भी पार्टी जायेगा तो वहां पर 90 प्रतिशत दक्षता हासिल रहती है, तो हम लोग उसको प्लेटिनम का प्रमाण-पत्र देंगे। जो 85 से 90 अंक पाने वाले स्कूल हैं, उसको गोल्ड का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। जिस स्कूल के 80 से कम अंक होंगे, उनको सिल्वर प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। तो हम इस तरह स्कूल में व्यापक व्यवस्था कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके लिए शुरूआत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबकी चिंता है कि हमारा स्कूल अच्छा बने, जो जर्जर, अति जर्जर भवन हैं, जहां भवन नहीं हैं, अतिरिक्त कमरे नहीं हैं, हम लोगों ने उसके लिए योजना बनाई है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप चिंता की बात कर रहे हैं। उपयोजना के बजट का 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, 1 लाख करोड़ बजट का 12 हजार से 25 हजार करोड़ कर रहे हैं। आपने अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में कितने मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया, हाई स्कूल को अपग्रेड किया, बताईयेगा। कितने पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल को आपने....।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- मैं अभी स्कूल का बोल रहा हूँ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि स्वाभाविक चिंता है, स्कूल अगर जर्जर है, स्कूल में कमरा नहीं है, स्कूल में कमी है, उसको दूर किया जाये । इस बात को श्री शिवरतन शर्मा जी ने उठाया, धर्मजीत भाई ने इस मसले को उठाया, श्रीमती ममता चन्द्राकर और इंदू जी ने भी इस मामले को उठाया है, इस बात पर चिंता की है । उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, उसके तहत जितने भी जिले में स्कूल हैं, चाहे प्रायमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, आश्रम हो, छात्रावास हो, अगर स्कूल जर्जर है, अगर उसकी रिपेयर हो सकती है, अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता होती है, हमने सभी जिलों से जानकारी मंगाई है, अगर आपये यहां किसी प्रकार से कोई कमी है तो पोर्टल में यहां पर भेजिये । नया सत्र शुरू होने से पहले स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो जाये, उसकी व्यवस्था हो जाये, अभी तक 11 हजार विद्यालय चिन्हांकित हुये हैं । अभी जो पोर्टल खुला हुआ है, उसमें 31 तारीख तक सभी

ब्लॉक और सभी जिले से उसमें जानकारी आ जाये । नये शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले यह बन जाये, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिये हम लोगों ने 193 करोड़ की राशि कलेक्टर को दे दी है और 500 करोड़ का प्रावधान हम लोगों ने रखा हुआ है । इससे पूरे स्कूल ठीक-ठाक हो जायेंगे, पेंट बनेंगे, उसकी पुताई हो जायेगी, चिंता हमारी है, जो आपकी चिंता है, वह हमारी चिंता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से बच्चे पढ़ाई करने के लिये, मेडिकल एवं इंजिनियरिंग में कॉम्पिटिशन के लिये कोटा में जाते हैं, वहां पर पूरे देश के लोग जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे भी वहां जाते हैं । हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोटा में हम लोग दो छात्रावास बनायेंगे, वह 100-100 सीटर की होगी, एक बालिकाओं के लिये होगा और एक बालकों के लिये होगा ताकि वहां के जो कोंचिंग हैं, चाहे वह बंसल का हो, कोई और हो, जहां पर लोग जाते हैं, उसके लिये भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, वहां पर हमारा हॉस्टल बन जाये, जो सक्षम लोग हैं, पी.जी. के माध्यम से, छात्रावास के माध्यम से, पढ़ाई करते हैं, लेकिन गरीब लोग उससे वंचित हो जाते हैं । उन लोग भी जाकर वहां पढ़ाई कर सकते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बालवाड़ी की भी चिन्ता की है, जहां प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी एक साथ हैं, ऐसे जगहों पर 5173 स्थानों पर बालवाड़ी की शुरूआत की है । यह प्रायमरी स्कूल में जाने के पहले की एक शुरूआत है ताकि वहां पर अपनी पहचान उन लोग कर सकें । प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है । हमने इसकी शुरूआत की है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 को मिलेट्स इयर के नाम से जानते हैं और हमारे स्कूल में भी बच्चों को पोषणयुक्त भोजन मिले, हम इसे मध्यान्ह भोजन में शामिल करें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की भर्ती हम लोगों ने 10,834 नियमित भर्ती की है, अभी और भर्ती करने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा आरक्षण बिल रूका हुआ है, जैसे ही आरक्षण बिल समाप्त होगा, हम निश्चित रूप से भर्ती करेंगे, ताकि यहां के जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिलेगी और शिक्षा की जो कमी है, वह दूर की जा सकेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निर्देश है कि थोड़ा कम बोलना है ...।

डॉ.रशिम आशीष सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहूंगी । मेरे यहां सहदा में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हाई स्कूल उन्नयन के लिये घोषणा हुई थी, लेकिन आपके बजट में मुझे ढूंढने से नहीं मिल पा रहा है, सहादा हाई स्कूल के उननयन को आप शामिल करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणायें हैं, चाहे वह मिडिल स्कूल की हो, प्रायमरी स्कूल की हो, हम लोग उसको पूरा करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपले मांग करे हे, मुख्यमंत्री जी ला बीच में झन ला ।

डॉ.रशिम आशीष सिंह :- मुख्यमंत्री जी, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घोषणा किये थे । यह बता रही हूँ ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- भेंट मुलाकात में जो घोषणा की गई है, उसको हम करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके घोषणा पत्र जिनका बहुत गुणगान करते हैं। इसकी शुरूआत ही हमारे सहकारिता विभाग के ऋण माफी से हुई। ऋण माफी की जो समय-सीमा थी कि हम लोग 10 दिन में ऋण माफ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 02 घण्टे में कर्जमाफी की शुरूआत की। (मेजों की थपथपाहट) हम लोगों ने इस प्रकास से घोषणा की थी। उस समय यह स्थिति थी कि वोटिंग हो रही थी और किसानों ने अपने धान को नहीं बेचा था, उनको यह विश्वास था कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और तब हम वहां जाकर धान बेचेंगे। हमारी सरकार के प्रति किसानों का ऐसा विश्वास है। हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे वह धान खरीदी की योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, अब हमारी जो कृषि है, यह लाभ का व्यवसाय बन चुका है। इसीलिये हम जो ब्याज मुक्त ऋण बांटते हैं। वर्ष 2017-18 में 03 हजार 800 करोड़ का लक्ष्य था, वह 03 हजार 543 करोड़ का वितरण हुआ। वहीं वर्ष 2022-23 में 06 हजार 436 करोड़ का वितरण हुआ, मतलब 18 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। यह हम लोगों का कार्य दिखाता है कि हमारी जो योजनाएं हैं, उसको लोग किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जो अंशकालिक ऋण देते हैं, उसमें अभी हमने लाख उत्पादन को भी, मछलीपालन को भी और उद्यानिकी को भी कृषि का दर्जा दिया है। जिसमें कृषि में 05 लाख, लाख उत्पादन के लिये 02 लाख, मछलीपालन के लिये 03 लाख और उद्यानिकी के लिये भी 03 लाख रूपये जीरो प्रतिशत ब्याज में लोन देने का प्रावधान किया गया है। किसानों से जो धान खरीदी होती है, उसमें धान खरीदी की जो संख्या थी, हमने उसकी भी बढ़ोत्तरी की है। जहां वर्ष 2018-19 में 1995 धान खरीदी केंद्र थे, वह हम लोगों ने वर्ष 2022-23 में 2617 केंद्र, मतलब 622 धान खरीदी केन्द्र की वृद्धि की है। जहां वर्ष 2018-19 में 15 लाख किसान थे, वह वर्ष 2022-23 में बढ़कर 23 लाख 82 हजार किसान हो गये हैं। वर्ष 2018-19 में धान उपार्जन 80 लाख मीट्रिक टन था, वह अब बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वह मनरेगा का हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना का हो, हम लोग जो उनके खातों में पैसा डालते हैं, तो वहां पर बहुत किसानों की भीड़ रहती है। उसमें हम लोगों ने बैंकों की नवीन शाखाएं भी बनाई है। जहां पर कुल मिलाकर 276 बैंक की शाखाएं थीं, हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 325 बैंक की शाखाएं, मतलब 49 बैंक शाखाएं नयी बनायी है। जहां पर 30 ए.टी.एम. केंद्र थे, हमने बढ़ाकर 149 ए.टी.एम, मतलब 119 नये ए.टी.एम. बनाये है। इस प्रकार से हम देखते हैं किसानों के हित के लिये, जहां उनके नजदीक धान खरीदी केन्द्र हो, वहां ए.टी.एम. की संख्या बढ़े, बैंकों की संख्या बढ़े। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी भेंट मुलाकात करने के लिये जाते हैं, वहां पर दो मांगें प्रमुख रूप से आती है। एक तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने के लिये और दूसरा बैंक की शाखा खोलने की भी मांगें आती है।

हमने बैंक की शाखा को भी खोलने की प्रकिया शुरू किये हैं। आपको इस संबंध में बताया कि हमने 49 नये बैंक की शाखाएं खोली है। प्राथमिक साख सहकारी समिति के बारे में बताना चाहूंगा। जहां 1333 साख समिति थीं, वहां हम लोगों ने बढ़ोत्तरी की, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले, मध्यप्रदेश में 1996 में अपेक्स का पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद पहली बार हम लोगों ने प्राथमिक साख सहकारी समिति का पुनर्गठन किया है और हमने 725 नयी समिति बनाई हैं, उसकी कुल मिलाकर अभी 2058 समिति हो गयी है। उसमें ऑफिस कम गोडाउन का निर्माण किया जायेगा। जिसमें 02 सौ मीट्रिक टन के गोडाउन होंगे और वह 25 लाख की लागत से बनेगा। इस प्रकार हमने इसमें काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिम जाति कल्याण विभाग में भी बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है । यहां पर 30.62 प्रतिशत आदिवासी और 12.82 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7 प्रतिशत से अधिक भूभाग अनुसूचित क्षेत्र में है और 65 प्रतिशत से ज्यादा अधिक आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आदिवासी मंत्रणा परिषद बना हुआ है और उसमें हमारे आदिवासी विधायक और बाकी साथी बैठकर निर्णय लेते हैं उसी प्रकार हम अनुसूचित जाति के लिए भी मंत्रणा परिषद बना रहे हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए भी एक मंत्रणा परिषद बना रहे हैं। अभी माननीय बांधी जी बोल रहे थे कि उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अगर हम मुख्य बजट में देखें तो माननीय बांधी जी वर्ष 2022-23 में 2 हजार 347 करोड़ रूपए का बजट था। वर्ष 2023-24 में इसमें 2 हजार 976 करोड़ रूपए का बजट है इसमें लगभग 27.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति, जनजाति...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने इतने में कितना अधोसंरचना का उपयोग हॉस्टल बनाने में किया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग है, उसमें हमारे विभिन्न जो सेक्टर हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. हल्ला मत कर, पढ़न देना।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। हेल्थ में अच्छा काम किया है, महिला एवं बाल विकास में अच्छा काम किया है, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है। हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में काम किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तकलीफ दूसरी है। उधर से जितना लिखकर दिया है वह नहीं पढेंगे तो वह नाराज़ होंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह पूरा पढ़ेगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जितने सेक्टर हैं चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे पंचायत का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो। हमने सभी में अच्छा काम किया है उसमें हमारे आदिवासी लाभांवित हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ। जो वर्ष 2022-23 में हमारे अनुसूचित क्षेत्र और उपयोजना क्षेत्र में 21 हजार, 492 करोड़ रूपए का बजट था और वर्ष 2023-24 में 2668 करोड़ रूपए का बजट प्रावधानित किया गया है।मतलब इसमें 21.75 की वृद्धि हुई है और अनुसूचित उपयोजना क्षेत्र में 6740 करोड़ रूपए का बजट था, वह बढ़कर 8 हजार 276 करोड़ हो गया है। इसमें कमी नहीं हुई है, इसमें बढ़ोत्तरी हुई है इसमें अनुसूचित उप योजना में 2200, 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम शिशुवृत्ति में वृद्धि की है हम लोग प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक में आश्रम भी खोल रहे हैं हम अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवास खोल रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लिए भी हर जिले में आश्रम, छात्रावास खोलने की व्यवस्था की है। हम उसमें 15 आश्रम, छात्रावास खोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, इसे पटल पर रख दीजिए। यह पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। आप उसको प्रिंट करवा दीजिएगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी। हम लोग पोस्ट मेट्रिक छात्रावास 15 खोल रहे हैं ताकि उनको सुविधा मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरी अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27, 17 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा भाषण होगा तो अब हम कटौती प्रस्ताव को वापस भी लेने को तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब, मैं मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये - तीन सौ उनसठ करोड़, नब्बे लाख, चौबीस हजार रूपये,

मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण के लिये - पांच हजार छः सौ सतासी करोड़, तिरसठ हजार रूपये,,

मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए - चौबीस हजार पचपन करोड़,पचहत्तर लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक हजार दौ सौ सैंतालीस करोड़, सत्तर लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये - दो करोड़, चौहत्तर लाख, अस्सी हजार रूपये,

मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए - एक सौ उनसठ करोड़, बयालीस लाख, छप्पन हजार रूपये,

मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये सात हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़, छः लाख, एक हजार रूपये,

मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये - छः सौ पंद्रह करोड़, दस लाख, दो हजार रूपये,

मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये - एक सौ तैंतीस करोड़, बांसठ लाख, पच्चीस हजार रूपये,

मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए - एक सौ सतानबे करोड़, इकतीस लाख, चवालीस हजार रूपए,

मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - एक सौ चौरानबे करोड़, इकतालीस लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा के लिये - सात हजार तीन सौ अड़तीस करोड़, सतानबे लाख, उनतीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या 17 सहकारिता के लिये - दो सौ छियासी करोड़, सतानबे लाख, तेईस हजार रूपये तक की राशि दी जाए ।

मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

02. मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
मांग सख्या 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या 35 पुनर्वास
मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित वयय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये- उनतीस करोड़, चौबीस लाख, उनहत्तर हजार रुपये,

मांग सख्या 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये- एक हजार आठ सौ पचासी करोड़, सत्तावन लाख, इक्यावन हजार रुपये,

मांग संख्या 35 पुनर्वास के लिये- दो करोड़, तिरपन लाख, चालीस हजार रुपये तथा

मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये- एक हजार तीन सौर सत्तर करोड़, चवालीस लाख, इकहत्तर हजार रुपये
तक की राशि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मागों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री नारायण चंदेल	6
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
3.	श्री अजय चन्द्रकार	1
4.	श्री धरमलाल कौशिक	10
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1

अशोधित/असंशोधन के लिए नहीं

मांग संख्या- 8

भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3.
3.	श्री अजय चन्द्रकार	1
4.	श्री धरमलाल कौशिक	2

मांग संख्या- 35

पुनर्वास

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
2.	श्री अजय चन्द्रकार	1
3.	श्री धरमलाल कौशिक	2
4.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2

मांग संख्या- 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय।

1.	श्री नारायण चंदेल	1
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
3.	श्री अजय चन्द्रकार	1
4.	श्री धरमलाल कौशिक	3
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मागों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार-पांच भाषण हो गये। सिर्फ रविन्द्र चौबे जी ने कहा है कि कटौती प्रस्ताव का परीक्षण कराकर उत्तर दूंगा। यदि मंत्रीगण उसका उत्तर नहीं देंगे तो आप बोलें तो हम लोग कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- मैं भी कहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नहीं बोले हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाला सबसे बड़ा विभाग है। केन्द्र शासन में तो राजस्व विभाग का और ज्यादा महत्व है, परंतु मुझे माननीय मंत्री जी के अधिकारों के ऊपर में [xx] आता है कि वह दंत विहीन, नख विहीन, अधिकार विहीन, ऐसे मंत्री जिनको खाली विधानसभा में उत्तर देना है। बाकी किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी, 27 जिलों को 33 जिला बनाया जाता है। उसका उद्घाटन होता है। आप एकाध जिले में गये हैं। मंत्री जी को बुलाया तक नहीं जाता। कलेक्टर इनके राजस्व विभाग में आता है। डिप्टी कलेक्टर आता है, तहसीलदार आता है, पटवारी आता है, परंतु कभी आपसे डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार के ट्रांसफर में आपसे पूछा जाता है। माननीय मंत्री जी मिटिंग बुलाते हैं तो कलेक्टर बोल देता है कि माननीय मंत्री जी को मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं है। ऐसे मंत्री का हम बजट क्यों पारित करें, किसलिए पारित करें? माननीय मंत्री जी पत्र लिख कर कहते हैं कि हमारा कलेक्टर भ्रष्ट है। उसको तुरंत हटाया जाया। जमीनों के धंधे में लगे हैं, कोयलों के धंधों में लगे हैं। ऐसे मंत्री को बजट क्यों दिया जाए? किसी समय पर एक ब्रिटीश शासन में व्यवस्था थी। 1765 से 1772 तक उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी कि मंत्री को अधिकार नहीं होता था, राजा को अधिकार होता था। काम मंत्री को करना होता था। मुझे लगता है कि इस तुगलकी शासन में फिर से वह 1765 से 1772 की व्यवस्था दोहराई जा रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- भैया, आप उससे बाहर आईये। (हंसी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उस दिन भाषण दिये थे। [xx] , 1765, फिर [xx], उससे बाहर आईये। वह हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- और शुतुरमुर्गी सरकार।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं उससे बाहर आ रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- और शुतुरमुर्ग। मतलब जो पुराना रिकार्डिंग था, वह रिकार्ड घीस जाता था और कांटा भी अटक जाता था। वही-वही बजता था। आप वैसी मत करिये। अब थोड़ा आगे बढ़िये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। वह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। राजा टोडरमल से पहले जमीन बंदोबस्त का काम छत्तीसगढ़ के कल्याण साय ने शुरू किया था। टोडरमल से पहले कल्याण साय ने जो रतनपुर राज के थे और जहांगीर के दरबार में रहते थे। इसको खोजवाकर लिखवाईये। राजस्व विभाग को ऐसी बातों से मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल साहब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में अंग्रेजों की उस व्यवस्था की आलोचना हुई थी। आज वही हालत छत्तीसगढ़ में है। एक बार और बंगाल में ऐसा शासन हुआ था । उसको द्वैध शासन कहा जाता है। 1767 से लेकर 1770 तक उस समय भी वहां के मंत्री को भयंकर अकाल पड़ा था। वहां के मंत्री को कोई अधिकार नहीं था। खाली उसको जनता के जवाब देने पड़ते थे। आज छत्तीगसढ़ में लगभग यही हालत है। संभाग आयुक्त, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, पूरा राजस्व अमला, उस अमले की हालत यह है कि माननीय मंत्री जी की बातों को वह अमला सुनता नहीं है, इसके ऊपर में ध्यान नहीं देता है,उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं करता है। मैं बताऊंगा कि आपके कितनी पद खाली हैं। अगर आपको अधिकार है कि उन पदों को आप क्यों नहीं भर पायें?

संसदीय सचिव (श्री द्ववारिकाधीश यादव) :- भैया, आरक्षण विधेयक में दस्तखत करवाओ न। तुरंत भर्ती होगा।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, अधिकार विहीन हैं।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- एक दिन अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में राज्यपाल के पास थोड़ा मिलने जाईये। बाकी जो नियुक्तियां बची हैं, वह तुरंत हो जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जिन अधिकारियों, कर्मचारियों को राजस्व विभाग तनख्वाह देता है, वह राजस्व विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, मंत्री जी की बातों को सुनते नहीं है। कलेक्टर बोल देता है कि आपको मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं है। मंत्री जी, आप क्यों बैठे हुए हैं? अगर कलेक्टर आपकी बात को नहीं सुनता । (माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन से बाहर जाने पर) मुख्यमंत्री जी आप कैसे चले गये ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की स्थिति मैं तो कहता हूं कि यह लाल झंडे की सरकार है, यह नौकरशाही की सरकार है । आपका राजस्व अमला कितना बड़ा है ? आप जरा उधर देखिये कि आपका राजस्व अमला कितना बड़ा है ? आपकी कितनी चलती है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में, माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में कई बार मैंने कहा ...।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- इतना काफी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्रीगण, काफी नहीं है । आपकी चलती नहीं है, अधिकारी आपकी इज्जत नहीं करते हैं । अधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं । अधिकारी आपकी मीटिंग्स में आते नहीं हैं ।

श्री कवासी लखमा :- अभी जितने तहसील खुले हैं न, उतने 15-22 सालों में नहीं खुले हैं । पूरे हिंदुस्तान में नहीं खुले हैं । अग्रवाल जी आप इसको बता दो।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- वे दारू भट्ठी कहां से खोलेंगे ? दारू भट्ठी खोला है ?

श्री कवासी लखमा :- तहसील खोलना है कि नहीं खोलना है, उसको बताओ । आप दारू की तरफ क्यों जा रहे हैं ? वह भी खोलना है तो बताओ । उसको खोल देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, तहसील । मैंने उसको दारू भट्ठी सुन लिया ।

श्री कवासी लखमा :- हम दारू भट्ठी भी खोल देंगे लेकिन तहसील कितने खोले हैं ? हमने डबल खोले हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को कोई अधिकार नहीं । वे कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तहसीलें नई खुल गयीं । एस.डी.एम. नये पदस्थ हो गये, जिले नये बन गये तो क्या खाली आई.ए.एस. अफसरों के लिये बने हैं कि ये कलेक्टर नियुक्त हो जायेगा । एक एस.पी. नियुक्त हो जायेगा, तहसीलदार कहां से आयेंगे ? पटवारी कहां से आयेगा ? आर.आई. कहां से आयेगा ? डिप्टी कलेक्टर कहां से आयेगा ? 15 साल हम भी मंत्री रहे हैं, अगर किसी आई.ए.एस. में हिम्मत नहीं थी, अगर वह नहीं आता था न तो चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखना पड़ता था कि आप इसकी सी.आर. में करिये कि ये मंत्रियों का सम्मान नहीं करता है । मंत्री को इतना अधिकार है कि वह किसी भी विभाग की फाईल को बुलाकर देख सकता है । मंत्रियों को अपना अधिकार समझना पड़ेगा । मंत्रियों को अपने अधिकारों को समझकर उसके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी । हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वे नौकरशाह हैं और अगर वे हमारी बात नहीं मानते हैं और अगर हम चुपचाप बैठे रहते हैं तो क्या इसी प्रकार से सरकार चलेगी ? इसी प्रकार से राजस्व विभाग चलेगा ? राजस्व विभाग पूरी सरकार को नियंत्रण करने वाला विभाग है । मुख्यमंत्री जी के यहां से एक ऑर्डर होता है कि बाबुओं की भर्ती होगी उसमें टायपिंग परीक्षा पास करना जरूरी है । माननीय मंत्री जी, मैंने पत्र लिखे हैं, मैंने प्रश्न पूछे हैं । क्या छत्तीसगढ़ में आज तक टायपिंग परीक्षा हुई है ? हॉयर सेकेण्डरी टॉयपिंग परीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको भर्ती नहीं करनी है । बाबुओं के पद खाली हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टायपिंग परीक्षा हो नहीं रही है । मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या हो रहा है ? जमीन कैसे बिक रही है ? कलेक्टरों को आपने अधिकार दे दिया है, मुझे मालूम है कि आपने नहीं दिया है । जमीन कौन खरीद रहा है ? कोई भी जमीन पर आज जाकर कब्जा करता है और कल कलेक्टर को आवेदन करता है, वह प्रभावशाली है, वह पैसे वाला है, वह कांग्रेस का नेता है तो उसके नाम पर पट्टा जारी हो जायेगा । साढ़े सात हजार फुट तक का आपने तुगलकी आदेश जारी कर दिया । क्या सरकार को स्कूलों के लिये जमीन नहीं चाहिए, क्या कार्यालयों के लिये जमीन नहीं चाहिए ? सामुदायिक भवन के लिये जमीन नहीं चाहिए ? कॉलेजों के लिये जमीन नहीं चाहिए ? शासकीय उपयोग के लिये जमीन नहीं चाहिए? माननीय सब विधायकगण बैठे हैं । आप किसी जमीन के लिये एप्लाई कर दो लेकिन आपको जमीन नहीं मिलेगी । लेकिन कोई पॉवरफुल है, कोई पैसे वाला है । कोई मुख्यमंत्री जी का खास है तो उसको जमीन मिल जायेगी । क्या राजस्व विभाग को इसलिये बनाया गया है कि वह छत्तीसगढ़ की खाली जमीनों को बेच दे ? शासकीय उपयोग की जमीनों को बेच दे ? हमारे रायपुर में आज स्कूल के लिये जगह नहीं मिल रही है, कॉलेज के लिये जगह नहीं मिल रही है । रायपुर

में छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा अपना एक मकान हो जाये । राजधानी में मेरे बच्चे पढ़-लिख लें । लेकिन आज क्या हालत हो रही है ? और ऐसी स्थिति हम क्यों इस विभाग के बजट को पारित करें । अजीबोगरीब स्थिति है । माननीय मंत्री जी बस्तर में जंगल की जमीन को बाहर की जमीन बताकर बेचा जा रहा है, लोगों के नाम पर किया जा रहा है । कभी आपके संज्ञान में आया है । क्योंकि जंगल की जमीन का एलॉटमेंट नहीं हो सकता इसलिए उसकी कैफियत बदल दो, उसको बाहर की जमीन बता दो । उसके बाद कलेक्टर उसको एलॉट कर देता है । शरीर रहेगा और अगर हमारी सांसे नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं रहेंगे । ऐसे ही हमारे बस्तर के जंगलों को बेचा जा रहा है । बाहर की जमीन बताकर बेचा जा रहा है । पुरखों की जमीनों को बड़े-बड़े माफिया उसको खरीद रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग आते हैं आदिवासी बच्चियों को पटाकर उनसे शादी करते हैं । उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और उनके पूरे परिवार को भगा देते हैं आखिर छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ? सब चीज बिकाऊ है। पुरखों की जमीन, बाप-दादाओं की जमीन, पुश्तैनी जमीन, उन जमीनों को माफिया खरीद रहे हैं और कलेक्टर परमीशन दे रहा है । नये नये तरीके इजाद हो रहे हैं । जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला राज यहां पर चल रहा है । मंत्री जी, आपके बारे में तो हमने सुना है कि आप दमदार हैं । दमदारी दिखाइए । राजस्व प्रकरण, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत निपटाए जाने चाहिए लेकिन आजकल भू-राजस्व संहिता नहीं चलती है । आजकल लेन-देन की संहिता चलती है । सैंया भये कोतवाल को डर काहे का । मैंने उस दिन प्रश्न पूछा था कि अभनपुर में भारत माला प्रोजेक्ट में किसानों की जमीनें हैं उन किसानों की जमीनों को भू-माफिया अपने नाम पर करवाकर, वहां पर चकबंदी नहीं हो रही है । वहां पर किसानों के नाम की जमीन का पैसा भू-माफिया उठा रहे हैं । आखिर आपका कैसा शासन चल रहा है ? किसानों के खून पसीने का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है । भू-अभिलेखों में नाम परिवर्तित हो रहा है । सालों साल लोगों के सीमांकन नहीं हो रहे हैं, बटांकन नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं ? भूमाफिया जमीनों को अपने नाम पर करवा रहा है । उसके नक्शे खसरे, चार साल आपको भी हो गए, बंटाकन क्यों नहीं हो रहा है ? नक्शों का दुरूस्तीकरण क्यों नहीं हो रहा है, बंदोबस्त क्यों नहीं हो रहा है । बंदोबस्त के प्रकरण क्यों पेंडिंग हैं, त्रुटि सुधार क्यों नहीं हो रहा है ? आपकी चलती नहीं है क्या या आपकी सुनते नहीं हैं या आप किसी को हटा नहीं सकते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है, अगर मंत्री जी की सुनी जाती तो बार-बार अपने कलेक्टर की शिकायत क्यों करते ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- कलेक्टरों की शिकायत ही नहीं, कलेक्टरों को हटवाया भी है और आपकी सरकार में भी हटवाया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी कम से कम यह तो मत बोलिए कि हटवाया है । उसको हटाकर, उसका प्रमोशन कराकर 4 विधान सभा क्षेत्र से बड़े, 5 विधान सभा क्षेत्र वाले जिले में भेज दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने कलेक्टर्स पर जितने आरोप लगाए थे । एक पर कोई जांच, कोई कार्रवाई हुई ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- वहां जांच तो आपकी केन्द्र सरकार नहीं होने दे रही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आपने हटवाया या प्रमोशन करवाया । आपके कहने से तो नहीं हटे बल्कि उनका प्रमोशन हो गया । आपकी कितनी चल रही है यह तो हम लोग भी देख रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन मंत्री महोदय में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि कलेक्टर के खिलाफ बोले, बाकी तो बोलते ही नहीं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये बधाई के पात्र हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिए ये बधाई के पात्र हैं ।

श्री शैलेश पांडे :- 15 साल ये लोग किसी के बारे में बोल पाए क्या । दमदार कौन है । दमदार हमारे मंत्री हैं या दमदार ये मंत्री थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन आपके गुट के मंत्री तो दमदारी नहीं दिखाते। वे दमदारी दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मुझे आपके विभाग में बोलना नहीं है लेकिन मेरे को एक बात जाननी है। यह कोरबा के पानी में क्या है ? वहां जाने वाला हर कलेक्टर भ्रष्ट हो जाता है, वहीं जाने के बाद भ्रष्ट होता है कि पूरे 33 जिले हैं, उनके भ्रष्ट हैं, इसको थोड़ा क्लीयर करिए ना।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- क्यों भैया, अलग से क्लीयर करना है या सबके सामने करना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सबके सामने करना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिकार एस.डी.एम. को होना चाहिए, वह अधिकार जानबूझकर पटवारियों को, तहसीलदारों को, आर.आई. को दे दिए गए हैं और वह बटांकन में जमीनों के नक्सों में छोड़छाड़ कर रहे हैं। क्या आपने बंदरबाट करने के लिए ऐसा किया है ? जब किसान एस.डी.एम. कार्यालय में जाता है, एक छोटा व्यक्ति जाता है तो उसके साथ में क्या व्यवहार होता है ? एस.डी.एम. बोलता है मुझे यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार, आर.आई. को है, तहसीलदार को है, पटवारी को है। कलेक्टर से बड़ा आर.आई. हो गया, पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया, एस.डी.एम. से बड़ा हो गया। आपके राजस्व विभाग में जिनको भुईंया के अंतर्गत भूमि संबंधी खसरा और बी-1 की जानकारी नहीं है, ऐसे अधिकारियों को जिनको चार सालों से भू-अभिलेख की ट्रेनिंग नहीं दी गयी है, ऐसे डिप्टी कलेक्टर, ऐसे नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जा रही है। उनको बटांकन का अधिकार दिया जा

रहा है। जो भू-माफिया हैं, वह राजस्व न्यायालय को कंट्रोल कर रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। मैंने परसों ही अपने बजट भाषण में बताया था कि किस प्रकार से आपका जो काम है, वह काम थानेदार कर रहा है। एस.पी. कर रहे हैं। जमीनों की विवाद निपटाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है, राजस्व की है। अगर आजकल एस.पी. या थानेदारों की सबसे ज्यादा कमाई है तो जमीनों के मामले में है। भू-माफिया थानेदार के पास, कलेक्टर के पास जाता है, उनका जेब गर्म करता है, थानेदार बुलाता है कि आप यह जमीन छोड़ दो, आप यह जमीन इसको बेच दो। आप जरा, रायपुर में जाकर देखिए, कोरबा में जाकर देखिए, जमीनों के कितने प्रकरण हैं। आजकल पुलिस का एक ही काम रहता है, जमीनों के प्रकरण में अपराध दर्ज करना। क्या यह पुलिस का काम है ?

समय:

4:53 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, आपको सीधा बोलना चाहिए, कोई भी एस.पी. जमीनों के मामले में जब तक कलेक्टर रिकमेंड नहीं करेगा, एस.डी.एम. रिकमेंड नहीं करेगा, तहसीलदार रिकमेंड नहीं करेगा, तब तक आप अपराध दर्ज नहीं करेंगे। पहले राजस्व विभाग इसकी जांच करेगा। सबसे बड़े कमाई का साधन आजकल जमीनों की अफरा तफरी जमीनों के मामले में 420 का अपराध दर्ज करना, आजकल तो ऐसा अजीबोगरीब मामला हो गया है, रिपोर्ट लिखाने वाले से पहले ले लेते हैं और बाद में दूसरे को खबर करते हैं कि आपके खिलाफ 420 का अपराध दर्ज हो गया है, खात्मा करना है क्या बताईए। उसने इतना दिया है, आपको उसका दुगुना देना पड़ेगा। आपने अपराध दर्ज क्यों किया था ? किसके कहने पर किया था ? आपके वर्ष 2022-23 के बजट में आप कितना खर्च कर पाए ? किसानों की बड़ी बडी बात करने वाले छत्तीसगढ़ में 90 प्रतिशत लोग कहीं न कहीं गांव से जुड़ हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, जमीनों से जुड़े हैं, अगर राजस्व का अमला पूरा नहीं होगा, अगर राजस्व की व्यवस्था पूरी नहीं होगी, लोगों के जमीनों के मामले नहीं निपटाये जाएंगे। मुझे लगता है आपका पैसा 100 प्रतिशत से ज्यादा खर्च होना चाहिए। आपका केवल 58 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। आप कैसे किसानों की चिंता कर रहे हैं ? राजस्व मंडल में आपके 47 में से 16 पद खाली हैं। संचनालय, मुद्रणालय लेखन में टोटल 21 पद हैं उसमें से 18 पद खाली हैं। ये पद क्यों खाली है? क्योंकि प्रिटिंग का भी बहुत बड़ा बंदरबांट चल रहा है। आप शासकीय मुद्रणालय को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? जितनी शासकीय प्रिटिंग हैं वह शासकीय मुद्रणालय में प्रिंट क्यों नहीं हो सकती? क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव में है वह आज से नहीं है वह मध्यप्रदेश के जमाने से है। उसमें 207 में से 160 पद खाली हैं। क्षेत्रीय मुद्रणालय रायपुर में है। उसमें 107 में से 93 पद खाली है। राहत आयुक्त में 26 में से 18 पद रिक्त हैं। यदि मैदानी अमले की इतनी रिक्तता होगी तो फिर आपका राजस्व विभाग कैसे चलेगा? आपने बचाव बाढ़

राहत के तहत् प्रत्येक जिले को 95-95 लाख रूपये दिये। क्या आपकी जानकारी में है कि उन पैसों का क्या हुआ? क्या आपने उन पैसों का कोई हिसाब-किताब लिया है? वह कलेक्टरों की जेब खर्च बन गयी है। वह जेब खर्च का रास्ता बन गया है। आपने अपने आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत फायर वाहन, उपकरण, आपदा सामग्री के लिए 13 जिलों को 164 करोड़ रूपये दिये हैं। क्या आपने उसको बारे में कभी जानकारी प्राप्त की है? आपके पास पैसे हैं। आपको आपदा राहत के अंतर्गत केन्द्र सरकार पैसे दे रही है उसके बाद भी रायपुर में यदि रायपुर में कहीं बड़ी आग लग जाए तो उसको नियंत्रित करने के लिए भिलाई से, पूरे छत्तीसगढ़ से बुलाना पड़ता है। फायर अमले के जो ऑडिट करने वाले होमगार्ड के जवान हैं उनको पैसे आप देते हैं तो आप उसकी ऑडिट कर सकते हैं। उसपर नियंत्रण आप रख सकते हैं। वहां पर होमगार्ड और पुलिस के लोग बैठे हैं। फायर क्लिरेंस के लिए वहां कितने पैसे लगते हैं और लोग कितने परेशान होते हैं? यदि आप पैसे दे रहे हैं तो आप उस पर नियंत्रण क्यों नहीं करते हैं? उसमें आपदा राहत के तहत नाव क्यों नहीं खरीदी जा रही है? फायर ब्रिगेड क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं? फायर के उपकरण क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में पूछताछ की है? हमारे उरला क्षेत्र में 4 फायर स्टेशन बनकर तैयार हैं। वह इंडस्ट्रीयल एरिया है। वहां बड़ी मात्रा में टैक्स आता है। यहां पर सत्यनारायण शर्मा जी नहीं है। वह उनके क्षेत्र में आता है। आज तक वहां पर फायर स्टेशन नहीं खुले हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजधानी के चारों तरफ भू-माफियाओं का राज हो गया है। मैं इस पर प्रश्न किया था तो आपने उसकी जांच के आदेश दिये थे। क्या उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई? मठपुरैना, बोरिया, संतोषी नगर, भाटागांव, चंगोराभाटा का मामला मैंने इस सदन में उठाया था। आपने कहा था कि मैं इसकी जांच करवा कर आपको इसकी जानकारी दूंगा। क्या आज तक उसकी जांच हुई? पूरा रायपुर शहर के चारो तरफ भू-माफिया है। अभी मुख्यमंत्री जी के जिले में कोहका में एक पटवारी के पास से 5 लाख 26 हजार रूपये जप्त किया गया है। पटवारी की तन्ख्वाह कितनी होती है? आज पटवारी राजा बन गया है। पहले जिस चीज के लिए 2-5 हजार रूपये लगते थे, आज उस चीज के लिए 2-5 लाख रूपये लग रहे हैं। गरीब आदमी कहां जाएगा और क्या करेगा? वह अपना घर कैसे बनाएगा?

श्री कवासी लखमा :- अग्रवाल जी, पटवारी भी हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं। आप इतना असत्य तो मत बोलिये। आदिवासी आदमी, गरीब आदमी कहां 1-2 लाख रूपये दे रहा है? आप इसको बात दीजिए कि आपके समय कितना लेते थे? यह पटवारी भैया के लोग हैं यदि वह ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप यह बताइये कि पटवारी 1-2 लाख रूपये कहां से लेगा?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोहका (दुर्ग) के पटवारी के कार्यालय से 5 लाख 26 हजार रूपये जप्त किये गये।

श्री उमेश पटेल :- आपको तो इस पर खुश होना चाहिए कि उस पर कार्रवाई हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उस पर क्या कार्रवाई हुई? माननीय मंत्री जी, हम आपके जमीर को जगाना चाहते हैं कि आप जागिये। भले ही लोग राजस्व विभाग को महत्वपूर्ण विभाग न मानते हों, परन्तु छत्तीसगढ़ के भविष्य को बनाने वाला यह विभाग है ।

समय :

5:00 बजे

इस विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जल, जंगल, जमीन को बचाया जा सकता है । भू-माफियाओं को समाप्त किया जा सकता है, गरीब किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है, उनकी जमीनों को बचाया जा सकता है ।

सभापति महोदय, आपने 5 जिले बनाये, आपने अनुभाग बनाए, आपने 54 नई तहसीलें बनाईं । आप जरा बताईए कि आपने वहां पर कितना अमला पदस्थ किया है ? आपने लोगों को दिखाने के लिए जिला बना दिया । अगर वहां के प्रकरण के बारे में भी मैं बात करूंगा । राजस्व प्रकरणों में हमारी सरकार थी, जब आप सरकार में आये तो 50406 प्रकरण लंबित थे । आज सवा चार साल के बाद भी 33174 प्रकरण लंबित है, यह आपने प्रतिवेदन में लिखा है । 34 प्रतिशत की कमी हुई । क्यों भैया ? 2018 में 50 हजार प्रकरण लंबित थे ।

श्री कवासी लखमा :- आपके 15 साल में इतने प्रकरण लंबित क्यों थे ? हमें तो सिर्फ चार साल ही हुआ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चार साल से क्या कर रहे हो ? [XX][11] रहे हो ।

श्री कवासी लखमा :- [XX] रहे हैं, आप 15 साल में [XX] रहे थे क्या ? हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भू माफियाओं की कमी हो गई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह माननीय मंत्री जी का विभाग है, यह आपको मालूम है और उसको बोल रहे हैं कि [XX] लीजिए, ऐसा मत बोलिए । आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सरकार के मंत्री ने धुंआधार तहसील खोल दिया । आप रिकार्ड देख लीजिए, इतने राजस्व न्यायालय कभी नहीं खुले, जितने इस कार्यकाल में खोले गए हैं ।

सभापति महोदय :- इसे विलोपित कर दें ।

श्री उमेश पटेल :- कवासी जी, पूरे सरकार में बृजमोहन भैया की तो चलती नहीं थी । लोग इनकी ही जमीन की खुदाई करते थे, लोगों को आकर बताते थे कि यह निकलवाया है, वह निकलवाया है । अब आप भूल गए क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप रिकार्ड देख लीजिए, इतने राजस्व न्यायालय कभी नहीं खुले, जितने इस कार्यकाल में खोले गए हैं । इस सरकार में जितने सब डिवीजन और तहसील खुले, वह कभी नहीं

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

खुला । कार्यालय खुलने का रिकार्ड तोड़ दिया । इतने सालों में आपने कभी इतना कार्यालय नहीं खोला।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, राजस्व निरीक्षक के 301 पद खाली हैं । पटवारी के 1067 पद खाली हैं । कैसे न्याय होगा, लोगों की जमीन के मामले कैसे निपटेंगे । सहायक ग्रेड 3 के 67 पद खाली हैं । मानचित्रकार के कुल 53 पद हैं, उसमें से 15 पद भरे हैं, 38 पद खाली हैं । भृत्य के 84 पद खाली हैं, चैनमैन के 294 पद खाली हैं । जमीनों के सीमांकन के लिए चैनमैन सबसे बड़ी कड़ी है । चैनमैन के कुल 676 पद में से 294 पद खाली हैं । आपके यहां प्रशिक्षण पूरी तरह से खतम हो गयी है ।

सभापति महोदय, ई-धरती योजना में आपका प्रोग्रेस 6.53 प्रतिशत है । भू अभिलेख, कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार, इसमें जीरों खर्च हुआ है । कम्प्यूटरीकरण करके भ्रष्टाचार को कम करना, भू अर्जन हेतु जमा राशि में अर्जित ब्याज प्रशासनिक शुल्क की 10 करोड़ रूपए में से जीरों व्यय । राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए खर्चे की राशि जीरों । प्रधानमंत्री फसल बीमा के खर्च की राशि जीरों । अन्न उत्पादन के लिए जो अनुमान लगाया जाता है, उसमें 69 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, परन्तु खर्च जीरों ।

सभापति महोदय, स्वामित्व योजना । केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी योजना स्वामित्व योजना बनाई । जिस योजना में गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की जमीन का उसको अधिकार पत्र मिलना है, केन्द्र सरकार ने योजना को लांच कर दी, पर आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं, आप गांव के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते कि उनकी जमीन के स्वामित्व का कागज उनको मिल जाये तो लोन ले सकता है, वह अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले सकता है, वह अपना घर बना सकता है, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको किसने रोका है ? राष्ट्रीय भू अभिलेख का आधुनिकीकरण का खर्च जीरों ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनको बोलते हुए एक घंटे हो गए हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बोलोगे तो मैं बैठ जाऊंगा । देखो, माननीय डहरिया जी, पटेल जी, सब लोग गांव से आते हो । अगर हमारा राजस्व अमला स्ट्रांग नहीं होगा, अगर हमारे राजस्व के अधिकारी-कर्मचारी नहीं होंगे तो छत्तीसगढ़ में अनारकीय हो जाएगी, वह हो रही है । यह हमारा नया राज्य है, नौजवान है, 22 साल का है, उसको रास्तों से मत भटकाओ । अगर आप उसको रास्ते से भटका दोगे तो पूरा छत्तीसगढ़ भटक जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अग्रवाल साहब, इसीलिए हम लोग जल्दी-जल्दी भर्ती करना चाह रहे थे। आपने विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया और आप वहां जाकर राज्यपाल जी के यहां रूकवा दिया। अगर यह आरक्षण वाला लफड़ा नहीं हुआ होता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह इसी विभाग का है क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- लफड़ा नहीं हुआ होता तो राजस्व विभाग में जो अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, उनकी भर्ती हो गई होती। इसीलिए तो भर्ती रूक गई है, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। आप जितना पद खाली बता रहे हैं, वह भर गया होता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, नहीं, इस सरकार का हर बात में जवाब 15 साल, 15 साल, 15 साल। आप क्या कर रहे हो यह तो बताओ ? राहत आयुक्त कार्यालय में 26 में से 18 पद खाली हैं।

श्री उमेश पटेल :- बृजमोहन भईया, क्या है कि केन्द्र में आपकी सरकार है। उन्होंने साल में कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात का 70 साल, 70 साल, 70 साल। वह भूल गये ? उन्होंने और कुछ कहा है ? सिर्फ यही 70 साल का रोना रोया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी हम लोग 15 साल, 15 साल, 15 साल केवल 4 साल ही बोले है। अभी तो आगे भी बोलना है।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, 31 मिनट हो चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बस 10 मिनट में समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा से बचाने के लिए है। अब कल ही ओले गिर गये। कल ही बरसात हो गया, कल ही आंधी-तूफान चला, फसलें बर्बाद हो गईं। रायपुर में कई जगह पानी इंटरलॉक हो गया। अगर आपदा प्रबंधन विभाग में पद खाली रहेंगे और इन आपदाओं से कहीं बाढ़ आ गई, हम उससे कैसे निपटेंगे ? हम कैसे उसका सामना करेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास वाणिज्यक कर, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग भी है। माननीय मंत्री जी, आप जरा बताईये कि मुद्रांक विभाग में नामान्तरण के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ? यदि कोई नामान्तरण के लिए आवेदन देता है तो रजिस्ट्री कार्यालय से तहसीलदार के पास रजिस्ट्री पहुंच जाना चाहिए, उसका आटोमेटिक नामान्तरण हो जाना चाहिए। नामान्तरण के लिए भी दुकानें चल रहीं हैं। जब रजिस्ट्रार कार्यालय में खरीददार, बेचने वाले, दोनों को बुलाया जाता है, दोनों की फोटो लगी है, दोनों की उपस्थिति में रजिस्ट्री होती है तो फिर नामान्तरण के लिए उनकी पेशी की जरूरत क्या है ? उगाही का एक और साधन, उगाही का एक और माध्यम। कलेक्टर मनमाना आदेश जारी कर देते हैं कि यहां की जमीन की बिक्री पर रोक, यहां पर जमीन की खरीदी के लिए कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या कलेक्टर उस जिले के राजा हो गये ? क्या वह शहंशाह हो गये ? बिना राज्य सरकार की अनुमति के वह आदेश कैसे जारी कर देते हैं ? मैं अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक जमीन है, उस जमीन की पहली रजिस्ट्री हुई तो 3 करोड़ रूपये उसको स्टाम्प ड्यूटी पटानी पड़ी और जब उसकी दूसरी रजिस्ट्री हुई तो 80 लाख की स्टाम्प ड्यूटी में रजिस्ट्री हो गई। यह कैसे हो सकता है ? एक बिरयानी सेन्टर है। क्या आपके रजिस्ट्रार इसको देखते नहीं हैं ? आजकल आप पंजीयन कार्यालय में टोकन देने लगे हैं, समय देने लगे हैं। जो लोग आते हैं, किसानों के बैठने के लिए कोई शेड बना है ?

आपको इतना पैसा रजिस्ट्री से आता है, लेकिन वहां कहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था बनी है ? तहसील कार्यालयों में कहीं शेड बने हैं ? तहसील कार्यालयों में मेला लगा होता है। क्या आप उनके लिए एक छोटी सी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ? कोरोना के बाद से लोगों में जमीनों में इनवेस्टमेंट के प्रति झुकाव बढ़ा है। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए। यह सब कलेक्टर के नाक के नीचे होता है। ठेका पद्धत्ति से होता है, दलाल बोलते हैं कि तुम्हारी रजिस्ट्री इतना पैसा में करवा देंगे। तुम इनको पैसा दे दो। अगर दलाल जाता है तो उसको टोकन जल्दी मिल जाता है। यदि कोई अपने आप जायेगा तो उसको टोकन जल्दी नहीं मिलता है।

श्री कवासी लखमा :- हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या हो गया, मंत्री जी। नहीं-नहीं, थोड़ा लिया करो, ज्यादा मत लिया करो।

श्री कवासी लखमा :- कल साथ में लेते हैं, आओ। (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी का कल वही विभाग है। कल मंत्री जी का ही विभाग है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-सभापति महोदय, भूमि को रिकार्ड से बाहर करने के लिये भू-राजस्व संहिता के 173 में खाते के विलोपन का अधिकार तहसीलदार को है, क्या तहसीलदार अपने इन अधिकारों का उपयोग कर रहा है ? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जमीर को जगाते हुये और इस बात का आग्रह करते हुये कि मंत्री जी राजस्व अमले को ठीक करिये, छत्तीसगढ़ के जमीनों को बंदरबांट होने से रोकिये । सरकारी जमीनों में जो लोग, जरा आप दिखवा लेना, चिटफण्ड की जमीनें आपने जब्त की है, उस जमीनों का बाजार दर क्या है ? उन जमीनों को खरीदने वालों ने कितने में खरीदा है और कैसे खरीद लिया ? स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिये पैसा बचाने के लिये, कभी रजिस्ट्रार उसका उपयोग करते हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनकी रजिस्ट्री को रोका नहीं जा सकता है । पूरे छत्तीसगढ़ में राजस्व अमले की कमी के कारण, सरकारी भूमि के बंदरबांट के कारण, लोगों की सुविधा के लिये आपने गलत नियम बनाये हैं । आम आदमी को उन सुविधाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, उसका फायदा गिने-चुने प्रभावशाली लोग जो सत्ता पार्टी से जुड़े हुये हैं, ऐसे लोग उठा रहे हैं । भिलाई, दुर्ग से तो यहां के चार-चार, पांच-पांच मंत्री आते हैं, वहां तो अति हो गई है । प्रायवेट जमीन पर कालोनी के प्लाट काट कर बेचने का धंधा हो गया, उसमे नगर निगम ने सड़क स्वीकृत कर दी है, जब कमिश्नर के नॉलेज में आया तो उन्होंने सड़क को निरस्त कर दिया । आखिर ये सब जो काम हो रहा है, इसे कौन रोकेगा ? ये काम आपका है और इसलिये माननीय सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करते हुये, उनके बजट का विरोध करते हुये कि उनको जब किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं है, मंत्री जी एस.ई.सी.एल. के द्वारा मदनपुर ग्राम सरगुजा में राज्यों की सूची खसरा नंबर 795, 811,

1143, रकबा क्रमांक 2 हेक्टेअर, 2.10 हेक्टेअर, 1.94 हेक्टेअर जनसुनवाई के दौरान किन नामों से वर्ष 2020-2021 तक दर्ज था, राजस्व परिवर्तित करना पड़ा ? वर्तमान में उपरोक्त के नाम से दर्ज है ।

सभापति महोदय :- कृपया समापत करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह कैसे हो गया और ये सब धंधे चल रहे हैं, इसलिये माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को अपने विभाग को ठीक करना चाहिये, अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिये, दंतविहीन, नखविहीन, अधिकारविहीन, बनने की बजाय थोड़ा पुरूषार्थ दिखाना चाहिये और थोड़ी दमदारी दिखानी चाहिये । आपमें इतना दम है कि आपका एक पत्र बड़ों-बड़ों की पेंट ढ़ीली कर सकता है ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य समाप्त करें । माननीय बृजमोहन जी समाप्त करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-मैंने एक पत्र लिख दिया था, मेरे पास 100 फोन आये होंगे कि क्या आप उनसे नाराज हैं क्या ? मैंने कहा कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने तो सामान्य वे में पत्र लिखा था, उसका महत्व होता है और आप यदि कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का भला होगा । माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देते हुये मंत्री जी की मांगों का विरोध करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- धन्यवाद बृजमोहन जी ।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में और पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें ।

सभापति महोदय :- डॉ.विनय जायसवाल जी ।

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

डॉ.विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी के अनुदान मांगों के समर्थन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की जब चर्चा हो रही थी, माननीय बृजमोहन जी के भाषण को ध्यान से सुन रहे थे, 10 वीं, 12 वी, सत्रहवीं शताब्दियों के राजा के बारे में खूब सारा अध्ययन, खूब सारा शोध करके, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने भाषण को प्रारंभ किया । माननीय सभापति महोदय, राजाओं के बारे में इन्होंने बताया कि इतिहास में ...।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कवर्धा में एक शिव मंदिर है और उसका ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अंदर 120 एकड़ जमीन है। ट्रस्ट स्वामी ने वृद्ध होने के कारण उस ट्रस्ट की देख-रेख के लिये 04 लोगों को जिम्मेदारी दे दी। क्या उन 04 लोगों ने उस ट्रस्ट की जमीन को अपने-अपने हिस्सेदारी में करके, उस जमीन को अपने नाम पर चढ़ा लिया ? क्या यह उचित है ? इसको थोड़ा-सा दिखवा लीजिये। साथ ही साथ इन 04 लोगों ने उस जमीन को अपने नाम पर चढ़ा लिया और ट्रस्ट स्वामी को बेदखल भी कर दिया। धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, प्रारंभ करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, इतिहास में तुगलक राजा को अपनी राजधानी बदलने के नाम से जाना जाता है कि उसने अपने पूरे शासन काल में कम से कम 06 से 07 बार अपनी राजधानी को बदलने का काम किया। पिछले 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत सीनियर सदस्य है, वे यदि इसकी तुलना डॉ. रमन सिंह जी से करते तो उचित होता।

माननीय सभापति महोदय, देश के सर्वाधिक 100 पिछड़े जिलों में से इनके राज में छत्तीसगढ़ के 10 जिले थे। उसमें दुर्भाग्य यह था कि डॉ. रमन सिंह का जो गृह जिला राजनांदगांव था, वह इन 15 सालों में देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शामिल था। आज जब हम राजस्व विभाग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू की। आज उसका नतीजा यह हुआ कि हम जो अंत्योदय की बात करते हैं या हम समाज में सबसे ज्यादा वंचित वर्ग की बात करते हैं, उसके पास खेती बाड़ी नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है। आज यदि हम 2022-23 की बात करें तो ऐसे हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 186 करोड़ 75 लाख 64 हजार रूपये डी.बी.टी. किया जा चुका है। उसके तीसरे किश्त के रूप में 140 करोड़ 06 लाख 40 हजार रूपये की जो राशि है, इस वित्तीय वर्ष में उनके खाते में शीघ्र जाने वाली है। यदि हम वर्ष 2023-24 की बात करें तो लगभग 05 लाख हितग्राहियों के लिये कुल 350 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमेशा बड़ी-बड़ी बातें होती है, लेकिन इन वंचित वर्गों में जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, हमारे जो चरवाहा है, बढ़ई है, लोहार है, मोची है, नाई है, धोबी है और जो पुरोहित जैसे लोग हैं, इनको इससे फायदा मिल रहा है, इससे इनकी मजबूती हो रही है। ऐसे ही यदि हम नवीन जिलों की बात करें। खासकर नवीन जिले की बात करना इसलिये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जब हम लोग छोटे-छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हमारे लोगों ने 6-6 महीने का बड़ा आंदोलन किया था। कई लोग जेल गये थे, उस समय अंबिकापुर के जेल में गये थे, कई लोगों ने लाठी खायी, कई लोगों ने धरना किया, कई लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इन 40 सालों में बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश

बघेल जी की सरकार आने के बाद हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी के विभाग ने हमारे उस पूरे क्षेत्र मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की नवीन जिले के रूप में स्थापना की, जो वर्षों की मांग थी। मुझे पता है कि जब हम लोग वर्ष 2018 में नये-नये चुनकर आये थे जो मेरा पहला भाषण था, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का मौका दिया था। मैंने अपने पहले भाषण में ही मांग की थी कि हमारे क्षेत्र को जिला बनाये, क्योंकि वहां के लोगों की 40 वर्षों से मांग थी। इसके बाद निरंतर हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस मांग को दोहराते रहे। आखिर में हमारे क्षेत्र के लोगों की बड़ी इच्छा पूरी हुई और हमारे क्षेत्र को बड़े जिले के रूप सौगात मिली। ऐसे ही अन्य जो जिले बनें हम गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही, खैरागढ़ की बात करें। इस प्रदेश में जितने भी जिले बने हैं आज जो हमारे लोगों को उनके घर के नजदीक प्रशासनिक सुविधा मिल रही है। अगर हम जिले के अलावा बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में नवीन तहसीलों की जो घोषणा थी, नवीन तहसीलों की जो स्थापना थी, वह हमारी सरकार ने पूरा किया। वहां तहसील बनने का यह फायदा हुआ क्योंकि इनके समय में भी जिले का निर्माण हुआ था, लेकिन इस प्रदेश में नवीन तहसीलों के बनने से जितने भी राजस्व के काम हैं। चाहे हम नामंतरण की बात करें, फावती की बात करें, लोगों को अपने घर के नजदीक यह सारे के सारे काम मिलने की सुविधा प्राप्त हुई। निश्चित रूप से इससे उनका समय भी बचा और उनको जो आर्थिक नुकसान होता, उनको फायदा पहुंचाने का काम हुआ। इस प्रदेश में नवीन तहसीलें, जिलें बने। इस प्रकार से बजट में जो पद सृजित है लगभग 70 नवीन पदों का सृजन हुआ है और इस बजट में जिलों के लिए अलग से पदों की स्वीकृति मिली है। इससे निश्चित रूप से एक रोजगार का जो विषय है, सरकार रोजगार के ऊपर भी कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ी है। निश्चित रूप से राजस्व के प्रकरणों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले की तुलना में, पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्व के जितने भी प्रकरण हैं, चाहे हम नामंतरण की बात करें, खाता विभाजन की बात करें, हम डायवर्सन की बात करें या सीमांकन की बात करें, इसमें हमारे शासन काल में पहले से 34 प्रतिशत की कमी आई है। अभी माननीय बृजमोहन जी बहुत बड़ी-बड़ी बात बोल रहे थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है। आज जिस तरह से राजस्व के प्रकरणों में कमी आई है, उसका कारण यह है कि जितने भी आधुनिक संसाधन हैं जितने भी भूअभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने की बात करें, असंरक्षित ग्रामों के संरक्षण की बात करें और संपूर्ण राज्य में राजस्व संरक्षण की बात करें। इसके साथ-साथ में हमारी सरकार ने पटवारी नक्शों का जो जियो रिफ्रेशिंग करने का काम किया है तो इस कारण से जितने भी राजस्व के लंबित प्रकरण हैं, उनका समाधान हो रहा है। हमारी सरकार ने जो छोटे भूखण्ड हैं उनके लिए भी रिलेक्सेशन देने का काम किया है। इस कारण से जो छोटे-छोटे भूखण्ड हैं तो उनके सीमांकन और बटांकन में जो समस्या आती थी उसके भी समाधान के प्रयास किया जा रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय डॉ. साहब संक्षिप्त करें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं राजस्व में ओपनिंग में बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आप दो मिनट बोलने दें। निश्चित रूप से इस तरह से जो सरकार ने जो कदम उठाये हैं आज छोटे तबके के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इनके समय में भी होता था यहां राजस्व के लिए काम होते थे और राजस्व के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन वह किनके लिए बनती थी ? वह जो जमीन के दलाल हैं उनके लिए योजनाएं बनती थी, इसमें कॉर्पोरेट के जो काम करने वाले बड़े-बड़े भू-माफिया थे, उनके संरक्षण का काम होता था, लेकिन आज सरकार जो योजना बना रही है वह हमारे मध्यमवर्गीय लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए और जो सीधे आम उपभोक्ता हैं, उसको उससे फायदा हो, उसका घर बन सके, वह अपनी जमीन खरीद सके, हमारी सरकार की योजनायें उसके ऊपर केन्द्रित है। यह बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें रहती हैं कि ऐसा कर देते तो ऐसा होता, ये राज ऐसा था। तुलना करना बहुत आसान होता है। सरकार ने रियायती व गैर रियायती दर पर आवंटित भूमि को फ्री-होल्ड करने का जो निर्देश दिया है, यह भी राजस्व विभाग का एक बड़ा कदम है। मैं चाहूंगा कि जो भी बजट का प्रावधान राजस्व विभाग में किया गया है, उसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से अपने विधान सभा के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। चिरमिरी नगर निगम, झगराखांड नगर पंचायत है, यहां पर लगभग 100 साल के आसपास हो गया है, वह पूरा क्षेत्र कोयले का उत्खनन कर रहा है। आज कहीं न कहीं कोयले के उत्खनन के बाद उस क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. का जो लीज का एरिया है, भू-स्वामित्व का जो एरिया है, उसमें परीक्षण करा करके, क्योंकि जो लेबर उस समय काम करते थे, अब मात्र 10 से 15 प्रतिशत एस.ई.सी.एल. के कर्मचारी रह गये हैं। लेकिन करोड़ों-अरबों का जो इनवेस्टमेंट है, इन 100 सालों में जो क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है वहां पर उनका चिन्हांकन करके, जहां पर जो लोग बसे हुए हैं, उनको जब अवैध बोलते हैं तो दिल में बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे जो रहवासी, नागरिक हैं कि उनको आप अवैध क्यों बोल रहे हैं। उनकी वैधता के लिए लीज होल्ड की जो जमीन है, जहां जो लोग रहते हैं, उनके लिए प्रयास करके उनको मालिकाना हक मिले, ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो मनेन्द्रगढ़ हमारी नगरपालिका है, वहां पर उस समय के राजा ने उनको जमीन दान में दिये थे। बीच में कोई गड़बड़ी हुई, इस बात को पूरे राजस्व के भी अधिकारी जानते हैं, मैंने माननीय मंत्री जी से भी चर्चा की है। उनको उसका भू-स्वामित्व मिले। आज वह अपनी बेच नहीं पा रहे हैं, यह बड़ी समस्या है। मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका का यह जो भू-स्वामित्व का मामला है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको आज ही अपने बजट भाषण में घोषणा कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इसका लगभग मामला पूरा हो चुका है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन चाहूंगा कि जो हमारा खड़गवां जनपद में

सुंदरपुर ग्राम है, उसको राजस्व ग्राम घोषित करने की कृपा करें। मैं निश्चित रूप से राजस्व की जितनी भी योजना सरकार ने बनाई है, माननीय मंत्री जी ने इसके ऊपर काम किया है, उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि पूरा सदन ध्यनिमत से माननीय मंत्री जी की अनुदान मागों को पारित करे। माननीय सभापति महोदय आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति जी, बृजमोहन जी, मंत्री जी के कलेक्टर से बात करने के बारे में बोल रहे थे, आप कलेक्टर से जो बात किये, मैं उसकी तारीफ करता हूं। कलेक्टर से ऐसे ही बात करनी चाहिए जैसा आप करते हैं। मंत्री हैं, ठीक है आपकी आत्मा जगी, आपने बोला। आपने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। इसलिए आपकी हिम्मद की दाद देता हूं। मंत्री जी, मैं दो-तीन बात बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपकी वर्किंग को देख रहा हूं आप बहुत सख्ती से अधिकारियों से बात करते हैं, वह लोग बिल्कुल इसी भाषा को समझेंगे, वह ज्यादा प्रेम की भाषा समझते नहीं हैं। पहली बात यह है कि जब भी कोई संस्थान खोलना होता है, बड़े-बडे कॉलेज, अस्पताल खोलना होता है तो छोटे झाड़, बड़े झाड़ जंगल की बहुत ज्यादा समस्या आती है। इसके बारे में कृपा करके यह जरूर बतायें कि हर एक विधान सभा में कोई भी जमीन जब स्कूल, अस्पताल, कॉलेज के लिए लाते हैं तो छोटा झाड़, बड़ा झाड़ बीच में आडें आता है। तो यह छोटा झाड़, बड़ा झाड़ तो वहां नहीं है। इसके बारे में आप क्या रास्ता निकाल सकते हैं, जरा बता दीजियेगा। दूसरा खुड़िया को राजस्व ग्राम बनाने का आपने मेरे विधान सभा के प्रश्न में उत्तर में जवाब दिया है। मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि आप खुड़िया को राजस्व ग्राम का दर्जा दें ताकि वहां के ग्रामीणों को राजस्व पट्टे का लाभ मिल सके। कर्ज मिल सके, धान बेच सकें, लोन ले सके, के.सी.सी. बन सके, वगैरह-वगैरह। तीसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी। जायसवाल जी, मेरे को बोलने दीजिये, नहीं तो वह सुनेंगे नहीं। अभी तक तो आपने राजस्व ग्राम बनवाने के लिए कह दिया है, उसको करवा दीजिये। कलेक्टर को फोन कर दीजियेगा। कलेक्टर कर देंगे। आपने बड़ी कृपापूर्वक लोरमी के लालपुर को तहसील बनाया, लेकिन बीच में जो लालपुर का तहसील बना, उसके बाउण्ड्री के गांव, लोरमी के बहुत नजदीक हैं। मैं गांव वालों को लेकर आपके पास ज्ञापन देने भी आया था। आप उन दो-चार, पांच-सात गांवों को लोरमी में मिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करा दीजियेगा ताकि उनको वहां से बहुत दूर आना न पड़े। लोरमी वहां से नजदीक है और आपसे बस एक और निवेदन करना चहता हूं कि लोरमी के पास खामी के पास ढिंढोरी बाजार है, वहां पर अगर एक उप तहसील की स्थापना हो तो प्रशासन का विकेन्द्रीकरण अच्छे से होगा। वहां के आसपास के 25-30 गांवों के लोगों को, 40 गांवों के लोगों को उप तहसील की सुविधा मिलेगी। सारे अमले लोरमी तो में है, उनको आप एक उप तहसील लोरमी के ढिंढोरी के बाजार में वहां पुलिस स्टेशन चौकी भी खुल गया है, वहां बैंक भी खुल गया है, वहां बाजार है, बड़ा सेंटर प्लेस है, वहां आप एक उप तहसील की घोषणा कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और बाकी तो आप लगे रहते हैं। काम कर ही रहे हैं। कोई जरूरत होगी तो आपसे बात

करते रहेंगे। आप मेरी इन मांगों का विशेष ध्यान दीजियेगा। अभी विनय जायसवाल जी के रहने के कारण आप छोटे झाड़ और बड़े झाड़ के जंगल को नहीं सुन पाये थे, क्योंकि बहुत से संस्थानों को हम बनवा नहीं पाते, जगह नहीं दे पाते, क्योंकि लोरमी शहर में छोटे झाड़ , बड़े झाड़ का जंगल रिकार्ड में है। वहां कहां झाड़ है। न छोटा है, न बड़ा है। रिकार्ड में लिखा भर है। उसको कैसे बदला जा सकता है। बदलेगा या नहीं बदलेगा, उसका क्या रास्ता हो सकता है, यह जरा निकालिये। यह प्राब्लम न केवल लोरमी में है, बल्कि हर विधान सभा में है। इसको आप जरूरत ध्यान दीजियेगा और आप कृपापूर्वक उप तहसील की घोषणा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय सभापति जी, मैं हर माननीय मंत्री जी के अनुदान मांग के समर्थन में बोले बर खड़े हव। छत्तीसगढ़ के सरकार अउ मोर मंत्री जी, जिस प्रकार से काम करत हे। जैसे कि हमन के पुरखा मन जो सपना देखे रहीसे कि यह मध्यप्रदेश हर बहुत बड़े राज्य रहीसे। छत्तीसगढ़ से हमन जब राजधानी जाथन त बहुत धूरीहा पड़थे, भोपाल जाथन कइ दिन में ट्रेन में जाथन, बस म चढ़ के जाथन त धूरीहा-धूरीहा हे, ऐसे हमर पूरखा मन सोचकर छत्तीसगढ़ ल अलग कराय के काम करे रहीन। वही सपना ला साकार करते हुए छत्तीसगढ़ जब अलग होईस। 15 साल के एमन के सरकार में छत्तीसगढ़ तो अलग होगे, लेकिन ओ गरीब किसान मन जब जिला के कलेक्टर करा मिले जाय बर रहय, ओ किसान मन ला कोई रजिस्ट्री कराय के लिए तहसीलदार करा मिले जाय बर रहय ता ओमन ल बहुत दूरी तय करे बर लागय। ओमन कभी भी ओमन के भावना ल नइ सोचीस, लेकिन मोर सरकार, मोर भूश बघेल जी के सरकार, मोर मंत्री जी आज ओमन के भावना ल समझते हुए जिला के गठन करीस, तहसील के गठन करीस, अनुभाग के गठन करीसे। एमन ल कोन रोके रहीसे आज देखथन कि जब भी खड़ा होथे त नाना प्रकार के ओमन शब्द खोज कर लाने रइथे अउ ओमन ला सिर्फ विरोध करना हे कइके ओमन के उद्देश्य ला करथे। एमन ला जिला ला छोटे करे बर कोन रोके रहीसे हावय। एमन ला राजस्व बनाय बर कोन रोके रहीसे। एमन ला तहसील बनाय बर कोन रोके रहीसे। एमन ला 15 साल तक कोई गरीब किसान के भावना ला कदर नइ करीस। एमन मुआवजा के बात करथे । देखे होइहा कि 15 साल के सरकार म एमन नाना प्रकार के चाहे बैराज के बात करव, चाहे कंपनी के बात करव। कंपनी ला खोलवा दीस। ठीक हे कि कंपनी खोला । बहुत अच्छी बात हे, लेकिन ओकर मुआवजा ला कोन दिलाही। ओकर लिये एमन कभू चिंता नइ करीस। मैं जेन क्षेत्र में रइथव। महानदी में 5 ठन बैराज बनीस। कल्मा, साराडीह, मिरोनी, बसंतपुर, शिवरीनारायण। एक छोड़कर एक बैराज के दूसरा बैराज के दूरी 15 किलोमीटर तो 5 ठक बैराज कहे ले 15 पंचे 75 । नदी के ये किनारे अउ 75 किलोमीटर नदी के ओ किनारे, 150 किलोमीटर के किसान मन प्रभावित रहिन । माननीय सभापति महोदय, मोला दुख होथे ये बात ला कहते हुए कि ओ किसान मन सदियों से नदी के किनारे मा ककड़ी, कलिंदर लगाकर के

जीवन-यापन करत रिहिन । ओमन अपन जमीन में जीवनयापन करत रिहिस हे लेकिन जब मुआवजा ले के पारी अइस तो बाहर कौन, कहां-कहां से बड़े-बड़े उद्योगपति मन जाके गरीब आदमी, भोला-भाला के जमीन ला ठग के रात के 2 बजे रजिस्ट्री करईन । ओमन के सरकार कहां गे रिहिस हे ? जब गरीब आदमी मन के जमीन लूटत रिहिस हे ता एमन कम्बल ला ओढ़ के सुतत रिहीन हे । लेकिन आज मोर सरकार जब ले माननीय भूपेश बघेल जी हा यहां प्रदेश के बागडोर ला संभाले हे अउ राजस्व विभाग के जवाबदारी हमर जयसिंह अग्रवाल जी ला मिले हे । कोई एक ठन अइसे केस बता देवओ जहां कोई गरीब किसान के जमीन लूटत होही ? एमन बात करथे । आज किसान मन के मुआवजा ला चार गुना देके काम हमर सरकार हा करत हावय । ये मन जो हे, 15 साल के सरकार में आप सूचना जानय के अधिकार मा लगा लूहू कि किसान मन के जमीन लूट-लूट के, लूट-लूट के बड़े-बड़े पईसा वाले मन के चले गिस । यहां तक कि आप जितना नेशनल हाईवे रोड में चलिहा डेरी हाथ, जउनी हाथ दोनों के पटवारी ला पूछत जावा तो किसान के जमीन नइ हे, बड़े-बड़े आदमी मन के नाम में ऐमन के ओ समय लूट के पूरा एमन रजिस्ट्री करा दे हे ।

माननीय सभापति महोदय, जाति प्रमाण पत्र । जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में ओ गरीब आदमी भी सोचथे कि मोरो लईका ला मैं हा कलेक्टर बनातेओं । मोरो लईका ला तहसहीलदार बनातेओं । मोरो लईका ला बड़े-बड़े पद में पहुंचातेंओं अइसे किसान मन सोचथे लेकिन पटवारी कनी, गुरू जी कनी हमन के जब जाथे लइका मन भर्ती कराय बर ता ओ कथे का नाम हे एकर ? ता ओ कतिस अजय चंद्राकर जी ओकर नाम मान लओ एक उदाहरण कहत हंओं अजय चंद्राकर फिर अजय संवरा लिख दिस ता गुरूजी ओला लिख दिस स में आ की मात्रा स और रा में आ की मात्रा रा, संवरा । या अंक के मात्रा मा संवरा लिख दिस । गुरू जी लिख दिस । गरीब आदमी पढ़े-लिखे तो है ही नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार जी, बहुत अच्छे वक्ता हो । आप काम की बात करो भैया, सरकार की प्रशंसा 5 मिनट कर लो कि सब अच्छा हो रहा है करके ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, काम के ही बात आत हे । महोदय जी आप मन थोड़ा बईठओ ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको जो मांग वगैरह करना है तो अपने क्षेत्र की बात बोल दो ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमन एमन के फेक बात ला आधा-आधा घंटा सुनथन । हमर सितो ला भी तो आप मन सुन लओ ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मत छेड़ो भई कुंआरा लड़का है, बढ़िया भाषण दे रहा है । देने दो । वे छत्तीसगढ़ के हित में बात कर रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- कुंआरा है तो क्या कुंआरे को कोई प्रिविलेज है ? हमने तो बोल दिया है कि लड़की नहीं मिल रही है तो बछिया खोज लो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वरिष्ठ होने के नाते यह आपकी जवाबदारी बनती है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, गुरू जी ओसनहे लिख दिस। पटवारी के रजिस्ट्री में ओसनहे लिख दे हे अउ लइका मन भटकत रहए, जाति प्रमाण पत्र नइ बनत रहए लेकिन मोर भूपेश बघेल जी के अउ राजस्व मंत्री जी के सरकार धन्य हे ओ कदिस कि मात्रा के त्रुटि से कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं रोका जायेगा । मोर राजस्व मंत्री अपन तहसीलदार ला, पटवारी ला, एस.डी.एम. ला, कलेक्टर ला आदेश कर दिस कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो आदिवासी समाज हे ओ 15 साल तक भटकत रिहिस हे, ओला रोकना नइ हे, ओला जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हे अइसे अगर कोई आदेश करने वाला हे ओ सरकार ला मैं सेल्यूट करथओं । हमर भूपेश बघेल जी अउ हमर मंत्री ला मैं सेल्यूट करथओं । एम का बात करथे ? 15 साल तक संवरा, खोबिया, खड़िया, मांझी, उरांव, धरवार, कोल, कुड़ाकू अइसे समाज ला रोके के काम करे हे । ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार मा ।

श्री सौरभ सिंह :- रामकुमार ओला केंद्र सरकार हा सुधारिस हे ।

श्री रामकुमार यादव :- केंद्र सरकार हा पहिली इंहां ले भेजही तभी तो उंहां ले सुधारही । पहिली नींव बनथे कि पहिली लेंटर बनथे ? नींव हम डारेन ।

संसदीय सचिव, आवास एवं पर्यावरण मंत्री से संबद्ध (श्री चंद्रदेव प्रसाद राय) :- पहिली 15 साल में सुधार नइ करे रहिथओ ।

श्री रामकुमार यादव :- पहिली नींव बनथे कि एके घा के लेंटर धरथे ? मोर भूपेश बघेल जी के सरकार हा नींव धरे हे । माननीय सभापति महोदय, आज अगर बात किया जाये । मैं जानत हंओं कि ज्यादा समय नइ हे, ये पहिली सरकार हे जेला जब तक चंदा-सुरूज रइही तब तक याद करे जाही । का नाम से मोर राजस्व विभाग हा 150 सौ लाख एकड़ आज जो हे जमीन ला आरक्षित कर दिस । हमन गांव के रहइया हन । हमन छोटे-छोटे रहे हन, हमन गरूआ ला ढ़ील के जाबन अउ गांव के भाठा में चरावन, लेकिन एमन के 15 साल के सरकार मा वो जमीन पूरा कब्जा हो गिस । हमर गरवा बछरू ला कांदी ला लूके, पइरा ला खवा कर राखन । लेकिन अब हमर बर गरवा ला चराए के जगह नइ रहिस हे । लेकिन मोर सरकार गौठान के नाम से कोनो गांव में 10 एकड़, कोनो गांव मा 5 एकड़ कोनो गांव मा 15 एकड़, आज 1 लाख 50 हजार एकड़ आरक्षित करे के काम करे हे, ये छोटे मोटे बात नो हे । जब चंदा सुरूज रहि तब तक वो जमीन गांव मा रही । ये बहुत बड़े उपलब्धि हे एखर बर तो विपक्ष ला ताली बजाकर सरकार के स्वागत करना चाहिए । आज मोला वो जमाना याद आत हे हम जब छोटे छोटे रहे हावन, वो समय इंदिरा गांधी जी के सरकार मा बड़े बड़े आदमी मन के जमीन ला निकाल के गरीब ला बांटे के काम करे रहिस हावय । आज उसी प्रकार से मोर सरकार हा गरीब किसान मन के चिंता करथे। किसान मन ला कइसे सुविधा दे सकिन ताकि किसान मन ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हो सकय । वो मन भाई भाई मा विवाद मत होवय । ये सोचकर, चिंता करके काम ला करत हे ।

सभापति महोदय, अगर आपदा प्रबंधन विभाग मा बात किये जाए । तो पहिली जमाना मा, एमन के समय में कोनो ला सांप चाब देवय, कोनो ला बिछी मार देवय, कोनो किसान खेत मा काम करत राहय आकाश ले बिजली गिरकर खतम हो जाए । 5-5 साल, 10-10 साल ओमन ला मुआवजा नइ मिलय । लेकिन जब ले मोर सरकार हा बागडोर ला संभाले हे । राजस्व मंत्री जी जब आदेश करत हे तो अब जल्दी मुआवजा मिलत हे, जेला आज ऐमन कभी नइ कर सकय ।

सभापति महोदय :- समय का ख्याल रखेंगे, संक्षिप्त करें ।

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल, बिल्कुल । महोदय जी मैं समय के ख्याल करथौं । एमन कहिथैं केन्द्र सरकार के बात किये जाए तो जब भी ए देश के प्रधानमंत्री बात करथे तो 60 साल के बात करथे, 70 साल के बात करथे, अउ जब हम 15 साल के बात करथन तो एमन आग बबूला हो जाथे । 15 साल मा एमन कुछ नइ कर सकिन । 4 साल के अल्प समय मा ओमा भी 2 साल कोरोना खा दिस ओखर बावजूद आज मोर मंत्री जी, मोर सरकार हा मजबूती के साथ मा छत्तीसगढ़ के हित में काम करत हे । मैं मोर क्षेत्र कुछ मांग हे मंत्री जी के ध्यान ला आकर्षित करते हुए अपन वाणी ला विराम दिहां । माननीय मंत्री जी मोर प्रभारी मंत्री भी हे । उदार हृदय वाला मंत्री हे । कोई भी ओखर दरबार मा जाए ओला खाली हाथ नइ लौटाए अइसन मंत्री हे । मोर क्षेत्र मा दौरा करे बर गे रिहिस हे । मैं मांग करेंव सिंघा ग्राम ला उप तहसील के घोषणा करे रहिस हे । मैं निवेदन करहूं कि उंहा आदेश करके तहसीलदार भेजय ताकि उहां जल्दी से जल्दी उप तहसील चलय । मैं यह भी मांग करिहौं कि मोर क्षेत्र मा जोन बैराज हे ओमा बहुत किसान के नाम हा छूट गे हे ओखर सर्वे कराकर जो योग्य किसान हैं तेमन ला फिर से मुआवजा मिलय। उसी प्रकार ले घटोई जलाशय हे जेमा ए सदन मा भी प्रश्न कर रहेंव । माननीय मंत्री जी हा कहे रहिस हे लेकिन अभी तक ओमा कार्रवाई नइ होय हे । उहां के जो प्रभावित किसान हे ओमन ला मुआवजा दे दिया जाए । अउ मैं नदी के किनारे के रहइया हौं । नदी किनारे बाढ़ आथे, रोड हा टूट जाथे तो हमन के जो बाढ आपदा के जो फंड होथे ओमा के राशि से सुधार किया जाए, नया रोड बनाया जाए, नया सी.सी. रोड बनाया जाए । अड़भार नगर पंचायत में उहां के गरीब किसान सदियों सदियों से रथे, लेकिन वां धरसा लिखा गे हावय, उहां पट्टा नइ मिल पाथे जेखर कारण गरीब आदमी मन ला इंदिरा आवास नइ मिल पात हे । मैं निवेदन करिहौं कि रिकॉर्ड ला सुधार कर ओमन ला पट्टा दिया जाए । अइसन मांग करते हुए मोर दल के मन मोला बोले मौका दिस एखर ले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिहौं, आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद् दिहौं अउ अपन वाणी ला विरो देत हौं ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, प्रदेश में भू-माफिया हैं, भू माफिया के कारण जो आम किसान हैं, उनकी जमीन सुरक्षित नहीं हैं। आज नीचे स्तर का अधिकारी और कर्मचारी, यह भू-माफिया ऐसा समझते हैं कि अधिकारी कर्मचारी उनके जेब

में हैं, उनके पॉकेट में हैं। इसी प्रकार से लगभग पूरे प्रदेश में कार्य हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जब मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला आया, जो सरकारी जमीन है, उस सरकार जमीन को धड़ल्ले के साथ अधिकारियों के द्वारा किसी प्राईवेट व्यक्ति के नाम में कर दिया गया। जब मैंने मंत्री जी से बात की तो मंत्री जी ने कहा कि यह नहीं चलेगा, मैं सस्पेंड करता हूं और मंत्री जी ने उस अधिकारी को सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद बहाल करने की प्रक्रिया स्वाभाविक है, वह ठीक है, लेकिन सरकार को कोई डर और भय नाम की चीज नहीं है या आप यह कह सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में यह सारी कार्रवाई हो रही है। भू-अभिलेख का जो कम्प्यूटरीकरण हैं, अभी कम्प्यूटरीकरण में सबसे बड़ी समस्या ऑनलाईन और ऑफलाईन की है। किसान का जो खाता है, उसमें उनका नाम लिखा हुआ है और उसके बाद जब वह वहां पर जाते हैं तो पटवारी बताते हैं कि ऑनलाईन में आपका नाम नहीं है। ऑनलाईन में उनका नाम नहीं है, उसमें उस किसान की क्या गलती है। अब वह किसान उसके लिए आवेदन पत्र लगाए, एस.डी.एम. कार्यालय में जाए और जा करके जब उनकी पेशी चलेगी, वे रेंगेंगे, तब उसके बाद उनके नाम में आ जाए और नहीं तो यह भी संभव नहीं है, वे दो साल तीन साल तक केस लड़ते रहेंगे। आपकी ऑनलाईन व्यवस्था ठीक है लेकिन उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को सुधारिए, जब ऑफलाईन में उनका नाम है, उन्होंने किसी को रजिस्ट्री नहीं की, उन्होंने किसी जमीन को वसीयत में नहीं दी है तो आखिर दूसरे के नाम वह जमीन कैसे आ गयी। यदि वह जमीन दूसरे के नाम में आ गयी तो जो अधिकारी दस्तखत किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वे कार्रवाई नहीं करते, भुगतना किसान को है। इस प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हम लोग देख रहे हैं और किसान इससे प्रताड़ित होते रहते हैं। वास्तव में उसका सरलीकरण करना चाहिए। जब उनके नाम में सारे डाक्यूमेंट ऑफलाईन में है और ऑनलाईन नहीं है तो यह किसान की गलती नहीं है। यह राजस्व विभाग के अधिकारियों की गलती है। जब राजस्व विभाग के अधिकारियों की गलती है तो इसको तय करने का काम राजस्व विभाग को करना चाहिए। आजकल छत्तीसगढ़ में एक और प्रवृत्ति बढ़ गयी है, किसान की जो सामने की जमीन है, उसके पीछे यदि कोई भू माफिया जमीन ले लिए, छत्तीसगढ़ में जमीन भी रेंगना शुरू कर दिया है। किसान की जो सामने की जमीन है, वह सीमांकन कराता है तो सीमांकन में वह जमीन पीछे आ जाएगा और पीछे वाले की जो जमीन है, वह सामने रेंगना शुरू कर दिया है। यह बड़ी समस्या है, खासकर जो हाईवे है, जो सड़कें बनी हुई है।

श्री शैलेश पाण्डे :- भैया, आज आप वैसे कुर्ता बहुत अच्छा पहनकर आए हैं, बारदाने टाईप लग रहा है। बढ़िया चल रहा है, एकदम सुंदर लग रहा है, पहले तो कुर्ता की तारीफ ही करना था।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, समय कम है, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, एक मिनट, भदौरा कांड छत्तीसगढ़ में हुआ था, क्या हुआ था ? मरे हुए लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हो गयी थी, उस बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे संवेदनशील नेता हैं, आप उसमें जरूर अपनी बात रखें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, 7500 वर्गफीट की शासकीय भूमि वह 2017 से काबिज है। वह उनके नाम में कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। अब इस चक्कर में अफरा-तफरी मच गयी है। 2017 नहीं, आज जो अच्छी जमीन है, उसको लोग जाकर कब्जा कर लिए, कब्जा करने के बाद उसमें 2017 के पूर्व दिखा रहे हैं। इनके अधिकारी उसमें काम भी कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें और भी विभाग हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है। मेरे पास तीन कंडिका है, मैं पांच पांच मिनट में तीनों में बोल देता हूं या उसमें और कम कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, 7500 वर्गफीट जो जमीन का मामला आया, यह कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। कब्जा करने से अब दिक्कत आ रही है, हम यदि शासकीय बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं या समाज के लिए कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई जमीन भी नहीं है। जो जमीन बची हुई है, उसको 2017 के पूर्व दिखाकर जो कब्जा करना शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि कुल मिला करके जमीन का बंदरबाट है। यह गांव के लोग नहीं ले रहे हैं, इसको कोई भी जाकर कब्जा कर रहे हैं। भू-माफिया सरीखे लोग उसको कब्जा करवा रहे हैं और कब्जा करवाने के बाद जैसे ही उनके नाम में जाने के बाद, उसका हस्तांतरण कर रहे हैं, उसको विक्रेता बनकर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो यह जो मामला है यह बहुत गंभीर मामला है। केन्द्र सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना लाई गई-स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का जो अभिलेख है उसमें जिनका कब्जा है और जो वर्षों से जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान को उसके नाम पर दर्ज करना है। लेकिन स्वामित्व योजना में सरकार की रूचि नहीं है। इसको लाने के पीछे का आशय यह था कि उनको लोन मिल जाएगा। अब वह प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बना सकते हैं। उसके नाम से कोई कोई लोन ले सकते हैं। लेकिन स्वामित्व योजना की कार्रवाई ज्यों की त्यों पड़ी हुई है क्योंकि इस योजना में सरकार की रूचि नहीं है। सरकार इस योजना में इसलिए रूचि नहीं ले रही है कि सरकार को लगता है कि इसमें कुछ मिलना नहीं है और इसके कारण से स्वामित्व योजना ज्यों की त्यों रखी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो हमारे साथी बात कर रहे हैं कि राजस्व प्रकरण में कमी आई है। लेकिन अभी भी 33 हजार 174 प्रकरण लंबित हैं। वास्तव में जो निराकरण होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इसके कारण से लगातार पेन्डेन्सी बढ़ती जा रही है और पक्षकार उसमें परेशान हो रहे हैं। परेशान होने के कारण से वह केवल चक्कर लगा रहे हैं। उसके अलावा उनको और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह जो डायवर्टेड जमीन है और सरकार ने जो 5 डिसमील जमीन को बेचने का जो अधिकार दिया है।

सरकार द्वारा अधिकार देने के बाद उस जमीन की रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन रजिस्ट्री के बाद जब उसके नामांतरण की बात आती है तो फिर लोग उसके नामांतरण के लिए चक्कर लगाते रहते हैं और घूमते रहते हैं। उनका एक विभाग से नामातंरण नहीं होना है। एक तो उनको डायवर्सन ऑफिस जाना पड़ेगा, दूसरा उनको तहसीलदार के कार्यालय में जाना पड़ेगा और उसके बाद उनकी जमीन का नामांतरण होगा। इस पर मंत्री जी विचार करना चाहिए कि लोगों को नामांतरण के एक कार्य के लिए दो कार्यालयों में जाने की आवश्यकता न पड़े। यदि लोग दो कार्यालय में जाकर चक्कर लगाये तो मुझे लगता है कि यह केवल लाभ के लिए किया गया है। लेकिन उनको इसका लाभ कहां मिलेगा ? कुल-मिलाकर उनको परेशान किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में चांदा मुनारा गायब है और चांदा मुनारा गायब होने के कारण से जो भूमि का सीमांकन होना चाहिए। आज जो सबसे ज्यादा झगड़ा और विवाद का विषय है तो वह जमीन का है और जमीन में भी उसके सीमांकन का विषय है क्योंकि पहले चांदा-मुनारा से मिलाकर जमीन का सीमांकन करते थे तो उसके विवाद की स्थिति नहीं बनती थी। लेकिन आज जमीन के विवाद की स्थिति बन रही है। इसलिए मंत्री जी को इसको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले चांदा मुनारा होता था लेकिन अब चांदा मुनारा के नहीं होने के कारण से यह स्थिति बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको जानबूझकर गायब किया गया है क्योंकि जो भू-माफिया हैं, उन भू-माफियओं के कारण से यह चांदा मुनारा गायब हुआ है और इसके कारण से यह परेशानी हो रही है तो चांदा मुनारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक बार चांदा मुनारा से पूरा सीमांकन हो और और पूरे प्रदेश को चिन्हांकित करके करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश विवाद की स्थिति का कारण यही है।

माननीय सभापति महोदय, जो पारिवारिक संपत्ति है और जो हक त्याग करते हैं आज उनको भी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। रजिस्ट्री कराने के बाद।

सभापति महोदय :- कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- जी, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि जो पारिवारिक हक त्याग करते हैं उसमें उनको जो अनावश्यक रजिस्ट्री शुल्क देनी पड़ रही है उस रजिस्ट्री शुल्क को एडजर्न करें। कोर्ट में बुलाये और बुला कर उनका साक्ष्य ले और साक्ष्य लेने के बाद, तस्दीक करने के बाद उनको यह अधिकार होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, अभी 100 करोड़ रूपये की सब्जी खराब हुई। आपने भी इसको पेपर में पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से उसका सर्वे भी नहीं हुआ है। यह एक उदाहरण है, ऐसे अनेक हैं। अभी 1-2 दिन में जो बारिश हुई है और उससे जो फसल खराब हुई है। उसमें गेहूं की फसल भी खराब हो रही है, उसमें चने की भी फसल खराब हुई है और उसके अलाव साग-सब्जी की भी फसल खराब हुई है। वास्तव में यह कहा जाता है सर्वे का आदेश दिया गया है।

लेकिन उसका सर्वे नहीं होता है और सर्वे नहीं होने के कारण से किसान को आपदा के समय जो क्षतिपूर्ति का लाभ मिलना चाहिए, किसान उस क्षतिपूर्ति से वंचित हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके पास मुद्रांक विभाग भी है। मुझे लगता है कि प्रिंट होना तो राजनांदगांव और रायपुर प्रेस से लगभग बंद हो गई हैं, कहने के लिए है कि मुद्रांक विभाग है । आप मुद्रांक विभाग में देखेंगे तो लगभग पूरे पद रिक्त हैं । नया रायपुर के कार्यालय का सेट-अप देखेंगे तो स्वीकृत पद 26 हैं, उसमें 18 पद रिक्त हैं । इसी प्रकार राजनांदगांव जिले का सेट-अप देखेंगे तो 207 स्वीकृत पद में से 107 पद रिक्त हैं । ऐसी स्थिति में काम कौन करेगा ?

सभापति महोदय, अब जो उपलब्धियां हैं, उसको में बोल रहा हूं । 2022-23 का मुद्रण इंम्पेशन ए/2 आकार की 4.29 प्रतिशत इनकी उपलब्धि है । कम्पोजिंग पृष्ठ ए/4 आकार 17.22 प्रतिशत इनकी उपलब्धि है । इस प्रकार से मुद्रांक केवल नाम के लिए है । नाम के लिए होने के कारण में उसका उपयोग प्रदेश में होना चाहिए, मुझे लगता है कि प्रिंटिंग के लिए सब जगह प्राईवेट में दी जा रही है और मुझे लगता है कि उस विभाग में रूचि नहीं होने के कारण भर्तियां नहीं हो रही हैं, न वहां काम हो रहे हैं । हमारे यहां अरपा भैंसाझार योजना है, उस योजना में जब शिकायत की गई तो उसके बाद कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी बनाई गई । कमेटी बनाने के बाद में अभी जांच हो रही है । अरपा-भैंसाझार की पूरी ड्राइंग और डिजाईन को बदल दिया गया है और उसके बाद में कुछ कर्मचारियों को दोषी पाया गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है । कार्रवाई नहीं हो रही है तो ऐसा लगता है कि मंत्री जी की इच्छाशक्ति खत्म हो गई है कि जो लोग गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करें । मैंने यहां ध्यानाकर्षण भी लगाया था, उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया था कि उसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हे । यदि शिकायत पर कार्रवाई ही नहीं होगी तो आने वाले समय में किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर लें, अधिग्रहण करने के बाद उसको उपयोग में न लाएं और जिनका उपयोग नहीं किया गया है तो उनको मुआवजा दे दिया जाए तो क्या उचित है ? यदि इस राज्य में इतनी अंधरेगर्दी चलेगी तो मुझे कुछ नहीं कहना है । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति जी, मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । राजस्व विभाग किसानों का महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि किसान की किस्मत राजस्व विभाग ही लिखता है चाहे करोड़पति बना दें या करोड़पति से भीखमंगा बना दे । पटवारी के हाथ में यमदूत जैसे उनकी कलम है। कब उसको समाप्त कर दें, नहीं कह सकते । जब तक राजस्व विभाग में पटवारी नहीं सुधरेंगे, जब तक राजस्व विभाग में पटवारी अपने मुख्यालय में नहीं रहेंगे और जब तक राजस्व विभागब में पटवारी अपने एजेंटों को नियुक्त करके नहीं रखे रखेंगे, तब तक राजस्व विभाग की समस्या आती रहेगी और आम नागरिक, आम किसान उससे परेशान होते रहेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग के सभी चीजों का टाईम लिमिट है, लेकिन कोई भी काम टाईम पर नहीं होता । किसान ने जमीन बेच दी तो नम्बर छांट के लिए भटक रहे हैं । जब तक मोल भाव नहीं होगा, उसको नम्बर छांट नहीं मिलेगी । आम नागरिक ने जमीन खरीद ली तो नामांतरण के लिए तहसील के कोर्ट में दौड़ते रहेंगे । जब तक चढ़ावा नहीं होगा, तब तक उसका नामांतरण नहीं होगा । और तो और फौती जैसे प्रकरण में भी फौती नहीं काटेंगे । लोग कई सालों तक भटकते रहेंगे, लेकिन फौती नहीं कटती है । माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे मंत्री हैं, लेकिन जब तक इस व्यवस्था को मंत्री जी नहीं सुधारेंगे, तब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरेगी । अभी त्रुटि सुधार का मामला चल रहा है । त्रुटि सुधार में जब ऑनलाईन व्यवस्था शुरू हुई, ऑनलाईन पर शिकायत दर्ज नहीं की गई । मेरी भी शिकायत थी। भू अभिलेख के आयुक्त तीन बार जैजैपुर तहसील गए, लेकिन तीन बार में वह सुधरवा नहीं पाये । आज हमारा मैनुअल रिकार्ड अलग बता रहा है और ऑनलाईन रिकार्ड अलग बता रहा है।

समय :

6:00 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)

अगर ऑनलाईन रिकार्ड गलत बता रहा है तो हमारी गलती नहीं है, किसान की गलती नहीं है। राजस्व विभाग के अधिकारी बोलते हैं कि त्रुटि सुधार के लिए एस.डी.एम. के पास आवेदन दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी क्या गलती है कि हम उसमें वकील नियुक्त करें, एस.डी.एम. के पास जायें। एस.डी.एम. गवाही में बुलाये उसके बाद ऑनलाईन में सुधार हो। यदि हमने जमीन खरीदा है, हमारे पास रजिस्टर्ड दस्तावेज है, उसमें हमारा नामान्तरण दर्ज हुआ है, ऋण पुस्तिका बनाकर दिया गया है। तो किसान के पास ये दो ही दस्तावेज रहता है। एक ऋण पुस्तिका और अगर खरीदा है तो रजिस्टर्ड दस्तावेज। इसके अलावा किसान के पास और कोई दस्तावेज नहीं रहता है। बाकी तमाम चीजें राजस्व विभाग में रहता है। अगर उसके बाद भी ऑनलाईन में पटवारी की गलती के कारण किसान का नाम गलत दर्ज है तो यह प्रकरण एस.डी.एम. कार्यालय नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको स्वत: सुधार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निवेदन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी शासकीय काम हो, अगर भूमि अधिग्रहण का मामला है, तो राजस्व विभाग करता है। राजस्व विभाग कितने दिन में करता है, कैसे करता है, मैं इसका एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। बेलादुला से कलमीडी सड़क और छीतापड़रिया से खम्हरिया सड़क, सन् 2016 में इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिली। आज तक भूमि अधिग्रहण का मामला नहीं निराकृत नहीं हुआ है। इसमें एक प्रकरण में अभी-अभी अवार्ड पारित हुआ है, लेकिन छीतापड़रिया से खम्हिरया तक की सड़क भूमि अधिग्रहण का मामला अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इसको कौन करेगा ? पी.डब्ल्यू.डी. को बोलते हैं तो कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण का मामला लटका है, राजस्व विभाग के कारण नहीं हो पा रहा

है। तो हम किसको बोले और कहां जायें ? जब तक राजस्व विभाग भूमि अधिग्रहित नहीं करेगा तब तक किसान को मुआवजा नहीं देंगे, किसान क्यों निर्माण कार्य होने देंगे। माननीय सभापति महोदय 2-3 मामले के बारे में माननीय मंत्री जी के साथ ही साथ कई अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया। लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। एक 6(4) का मामला है। जिसमें जैजेपुर तहसीलदार ने वर्ष 2021-22 में किसानों की फसल क्षति में 2,105 किसानों का 61 लाख 27 हजार 2 सौ रूपया स्वीकृत किया और 2,105 किसानों को 40 लाख रूपये का मुआवजा तो बांट दिया, लेकिन 6 सौ किसानों को 20 लाख 68 हजार 7 सौ रूपये का मुआवजा नहीं बांटा गया है। अब तहसीलदार का कहना है कि प्रकरण गलत बना है तो ये प्रकरण बनाने वाले कौन हैं ? 6(4) प्रकरण कैसे बनता है ? पटवारी रिपोर्ट देता है, तहसीलदार उसकी स्वीकृति देता है। अगर गलत प्रकरण बना है, तो उस तहसीलदार के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हो रहा है ? अब आप तहसीलदार के ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे, आप किसान को मुआवजा भी नहीं देंगे, कोई निराकरण भी नहीं करेंगे तो विभाग के प्रति तो ऊंगली तो उठेगी। लोग संशय की नजर से देखेंगे ही।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम किकिरदा का मामला है। उस गांव में एक ही मूल नंबर- 1041 खसरा नंबर, जो बटांकन होते-होते 680 बटांकन हो गया है। 680 बटांकन होने के बाद आज नायब तहसीलदार ने रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, नामान्तरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, फौती पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी किसान को धान बेचने नहीं दिया गया और सभी के पंजीयन को निरस्त कर दिया। एक नायब तहसीलदार, जिसको किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद, विभाग के सचिव के संज्ञान में आने के बाद भी उस नायब तहसीलदार का दादागिरी चल रहा है तो ऐसे में लोग परेशान होंगे ही। जब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक मैं समझता हूं कि किसान लोग राहत महसूस नहीं करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे नामान्तरण का प्रकरण हो, चाहे फौती का प्रकरण हो, इस तरह के जो प्रकरण हैं, सीमांकन का प्रकरण है, इस कार्य के लिए जो समय-सीमा निर्धारित है, आपके अधिकारी लोग गलत जानकारी देते हैं कि हम समय-सीमा में पूरा कर लेंगे। लेकिन दो-दो साल तक सीमांकन नहीं हुआ है। सीमांकन की समय-सीमा क्या है ? 2 साल तक सीमांकन नहीं हुआ, उसके बाद भी बोलते हैं कि हम समय-सीमा पर कर लेंगे। इसके कारण लोग परेशान हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दो ऐसे ही परसापाली, कारीभावर मोहल्ला है। वह राजस्व ग्राम नहीं है, लेकिन आम प्रचलन में इसको राजस्व ग्राम के नाम से जानते हैं, लिखते भी हैं । इनका पूरा प्रकरण नये राजस्व ग्राम के लिये जो है, उसका पूरा मुआयना कलेक्टर जी के द्वारा कर लिया गया है । सरकार को प्रतिवेदन भेज दिया गया है । परसापाली बम्हनीनडीह तहसील के पोड़ीशंकर राजस्व ग्राम के अंतर्गत आता है और कांरीभांवर जो है, जैजेपुर तहसील के आमगांव राजस्व ग्राम के अंतर्गत आता

है । मेरा निवेदन है, गांव की जो व्यवस्था है, जिसको हम लोग जानते हैं, उस गांव की सीमा भी है, इन दोनों मोहल्ले को परसापाली और कारीभांवर को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाये, यह माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है, मैं उनहें धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान तीन-तीन मुझको तहसील दिया है । बम्हनीनडील विकासखंड मुख्यालय था, लेकिन तहसील नहीं था, आपने उसे तहसील बनाया है, तहसीलदार बैठ रहे हैं, उसके लिये आपको हृदय से धन्यवाद । इसके साथ ही हसौद जो उपतहसील था, यह बहुत समय से खुला था, उसको भी पिछले बजट में लिये हैं । प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी वह तहसील बन जायेगा, उसके लिये भी आपको धन्यवाद देता हूँ । अभी-अभी वष्र्ज्ञ 2001 से जो भोथिया उप तहसील था, उसको भी बजट पर तहसील का दर्जा देने के लिये बजट में सम्मिलित किये हैं, उसके लिये भी धन्यवाद । राजस्व विभाग के कुछ काम सुचारू रूप से हो, मैं इसके लिये बम्हनीनडीह तहसील के अंतर्गत बिर्रा जो एक बड़ा गांव है, केन्द्रबिन्दु है, वहां उप तहसील खोलने के लिये, मालखरौदा तहसील के अंतर्गत थपोरा एक बड़ा गांव है, केन्द्रबिन्दु है, वहां मैं तहसील की मांग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उपतहसील जहां सप्ताह में एक-दो दिन वहां लिंक कोर्ट लग जाये, अत: उपतहसील खोलने के लिये अनुरोध करता हूँ । आपने मुझको बोलने का मौका दिया, आपको हृदय से धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह । पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के मांगों पर विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत आजाद हुआ तो यह राजस्व महकमा सरकार का सबसे बड़ा आय का स्त्रोत हुआ करता था, इसीलिए हम बजट में राजस्व व्यव और राजस्व प्राप्ति कहते हैं, लेकिन अब यह बहुत पीछे चला गया है। वर्ष 2000 करोड़ इस वर्ष का टारगेट है और 2100 करोड़ अगले वर्ष का टारगेट है । माननीय मंत्री जी आपने सिर्फ 5 परशेंट बढ़ाया है । ऐसा क्यों । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पीछे एक कहानी है । आप गाईड लाईन रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, आप इसे रोक कर रखे हैं । वर्ष 2018-2019 का जो गाईड लाईन रेट है, वह आज भी वही है, आप उसको 40 परशेंट पीछे ले गये । छत्तीसगढ़ भारत का अकेला राज्य होगा, जो अपने गाईड लाईन रेट है उसको नीचे ले जा रहा है यानी अपने प्रदेश के संपत्ति का अवमूल्यन कर रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, आप बैंक से कर्जा लेने जायेंगे तो आपको कम कर्जा मिलेगा, हाऊसिंग लोन में कम कर्जा मिलेगा, उसके बाद जो भू अधिग्रहण हो रहा है, उसमें भी लोगों को कम पैसा मिल रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसलिये किया गया है, उसका सिर्फ कारण यह है, छत्तीसगढ़ को ...।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- गड़करी जी तो बोलते हैं कि मुआवजा कम दो, तब सड़क स्वीकृत करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- उसका कारण सिर्फ एक है कि छत्तीसगढ़ ब्लैक मनी पार्क करने का जमीन में अड्डा बन गया है । अगर गाईड लाईन रेट नीचे होती है तो एक नंबर के पैसे की जरूरत कम पड़ती है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय गड़करी साहब ने क्या कहा था आपको मालूम है, आप थोड़ा अवलोकन कर लें ।

श्री रामकुमार यादव :- नोटबंदी आपे मन कराय रेहेव, काय होईस ? खोदा पहाड़ निकला चुहिया ।

श्री सौरभ सिंह :- लगातार एक समस्या आ रही है, जिसका साढ़े चार साल में निराकरण नहीं हुआ है, वह है अनसर्वेड विलेज, जिसको मसाती गांव बोलते हैं । माननीय मंत्री जी के जिले में, रायगढ़ जिले में, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जहां मसाती गांव है, जिसके कारण राजस्व की समस्या है, इन साढ़े चार सालों में कोई काम नहीं हुआ है । माननीय सभापति महोदय, भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे, मैं भी प्रश्न लगा रहा हूँ, कोरबा जिले के लोग भी प्रश्न लगा रहे हैं, आदरणीय धनेन्द्र साहू जी भी लगा रहे हैं, इसमें जमीन के मुआवजे का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, वह बहुत धीमा है, देरी से हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डायवर्सन टैक्स और उद्योगों का डायवर्सन टैक्स, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैं एक छोटा सा प्रकरण बताऊंगा, सी.सी.आई. का सीमेंट प्लाण्ट है, इसका 60 रूपये का डायवर्सन टैक्स बचा है । प्लाण्ट बिक गया, उसके राखड़ का लोहा बिक रहा है, स्क्रैप बिक रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बेच के भाग जायेंगे, आप अपना 60 लाख रूपया ले लीजिए । के.एस.के. महानदी संयंत्र मेरे क्षेत्र में है और अनेक उद्योग है, सरकार जिनका डायवर्सन टैक्स नहीं वसूल रही है। डायवर्सन टैक्स की वसूली होनी चाहिए। हम उद्योगपति को क्यों छोड़े ? जब एक छोटा-सा आदमी अपनी 2400 sq. feet का नामांतरण कराने के लिये, 2400 sq. feet का नक्शा बनाने के लिये जाता है तो हम उससे डायवर्सन टैक्स लेते हैं, तो यह बड़े उद्योगपतियों के ऊपर मेहरबानी क्यों है ? सारे उद्योगपतियों से डायवर्सन टैक्स की वसूली करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास एक बहुत अच्छा विभाग है, वह है पुनर्वास। पुनर्वास उद्योग लगते हैं, खदाने बनती है , बाकी सारी चीजें होती है, लेकिन पुनर्वास को लेकर लगातार समस्याएं बनी रहती है। चाहे वह एस.ई.सी.एल. के खदानों का पुनर्वास हो, चाहे अन्य खदानों का पुनर्वास हो, चाहे उद्योगों से संबंधित पुनर्वास हो। भाई रामकुमार यादव जी ने कल एक अच्छा सुझाव दिया था कि पुनर्वास नीति में जो बैराज बने हैं, उनमें भी जिनकी जमीन डूबान में गयी है, उनको भी पुनर्वास नीति में शामिल कर, पुनर्वास नीति में संशोधन कर, उनको भी मौका देना चाहिए, जो लाभ भू विस्थापितों को

होता है, उनको भी भू विस्थापितों की कैटेगरी में लाना चाहिए। हमारी सरकार के कार्यकाल में पुनर्वास नीति में एक समस्या थी कि लड़कियों को कुछ नहीं मिलता था। उसको हमारी सरकार ने चेंज किया। मान लीजिये मेरी लड़की-लड़की है तो पुनर्वास नीति में मेरी लड़कियों को कुछ नहीं मिलता था। उसका संशोधन हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पुनर्वास नीति में जो नि:संतान लोग हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। नि:संतान लोगों के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके कारण कोई न कोई उनकी सेवा, जतन करेगा। जिनको पुनर्वास नीति के तहत एक बार उद्योग में नौकरी मिल गयी है और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर भी अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में नक्सल प्रभावित परिवारों के आवास के लिये सिर्फ 10 हजार रूपये रखा गया है। यह क्या मजाक है ? एक तरफ हम नक्सल प्रभावित, नक्सल नीति लागू करेंगे और उनके प्रभावित परिवार के लोगों को 10 हजार रूपये में क्या देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर कृपापूर्वक ध्यान दें। आपदा मोचन मद, पर्यावरण उपकर, 508 करोड़ । यह दो ऐसे मद है जिसमे सी.ए.जी. ने भी बोला है कि यह मद खर्चा नहीं हो रहा है। यह क्यों खर्चा नहीं हो रहा है ? आपदा मोचन मद खर्चा करना चाहिए। माननीय धरम लाल कौशिक जी मांग कर रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ था और बाकी संकल्प था।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, आज सौरभ भैया पहली बार आसंदी में बैठे थे और एक ही बार में आसंदी का प्रभाव देखिये कि कितनी अच्छी और समदर्शी बातें कर रहे हैं। भैया धन्यवाद्, आगे बढ़िये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी के पास जो आपदा मोचन मद का, पर्यावरण उपकर का पैसा है, वह खर्चा होना चाहिए। वह खर्चा क्यों नहीं हो रहा है ? मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उसको खर्चा करें। सीमांकन और बाकी पटवारी की तरह बहुत सारी बातें आयी। यह पटवारी नाम की चीज से लोग-बाग इस प्रदेश से परेशान है। हमारे विधायक चंद्रदेव राय जी के यहां अभी एक महिला ने जहर खा लिया। क्योंकि उसको राजस्व विभाग में पटवारी परेशान कर रहा था। माननीय मंत्री जी, यहां कोई मंत्री और विधायक नहीं बोल रहा है, यह पटवारी नाम की चीज से निजात दिलवा दीजिये। यदि धोखे से किसी पटवारी के चक्कर में कोई गरीब किसान मर गया तो उसका आधा रकबा लिखवा लेते हैं और उसको इतना प्रताड़ित करते हैं, उसको इतना घुमाते हैं। सब लोग मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाये कि कम से कम पटवारी से निजात मिले।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सौरभ भैया, पटवारी की इतनी ताकत है कि राज्य सरकार ने घुटना टेक दिया। जांजगीर-चांपा में एक पटवारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई तो पूरे पटवारियों ने प्रदेश में ऐसे आंदोलन किया कि सरकार को झुकना पड़ा और उस तहसीलदार का ट्रांसफर कराना पड़ा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में ई.डी. की रेड पड़ रही है। आई.टी. की रेड पड़ रही है और लगातार बेनामी संपत्तियां निकल रही है। बहुत सारे अधिकारियों की भी बेनामी संपत्ति निकल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करता हूं और जानकारी भी लेना चाहता हूं कि जब हमारी भूमि का बंधक बनाते हैं, कर्जा लेते हैं, तो कॉलम 12 में लिखाता है कि यह भूमि में के.सी.सी. है या लोन है। क्या यह प्रक्रिया है कि जो भूमि ई.डी. में अटैच हो गयी, जो भूमि आई.टी. में बेनामी प्रॉपर्टी के रूप में अटैच हो गयी, तो वह राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखित हो ? ताकि जो व्यक्ति इस तरह की बेनामी प्रॉपर्टी लिया है या इस तरह की गलत संपत्ति का अर्जन किया है वह व्यक्ति उसको फ्रॉड करके बेच न सके। मेरा यह आग्रह रहेगा कि क्या इसका मैकेनिजम है या नहीं है ? यदि है तो क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, इसके लिये व्यवस्था की गयी है । अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें सबसे बड़ी साढ़े तीन सौ करोड़ रूपए की व्यवस्था गई है, परंतु वह व्यवस्था वाजिब नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चर सेंशेस का डाटा देखें तो यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिया जा रहा है और वह भी उन लोगों को दिया जा रहा है शायद जो लोग चुनाव में प्रभावी हों। छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो भूमिहीन हैं। अगर आपको देना है तो सबको दीजिए, सिर्फ चुनाव में वोट साधने के लिए मत दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सौरभ सिंह जी, आपकी दिल्ली की सरकार किसको-किसको दे रही रही है? वह सबको दे रही है क्या ?

श्री सौरभ सिंह :- हां, दिल्ली की सरकार सबको दे रही है।

श्री कवासी लखमा :- जो 6 हजार रूपये दे रहे हैं, वह सबको दे रहे हैं क्या?

श्री सौरभ सिंह :- हां, यदि 5 एकड़ से नीचे होगा तो सबको दे रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- उसके ऊपर वाले लोग क्या करेंगे?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री कवासी लखमा :- आपके देने से ठीक रहता है और यहां की सरकार के देने से गलत है। गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं है । आप लोगों ने 15 सालों में नहीं दिया। आप लोगों ने कहा था कि सबको 15-15 लाख रूपये मिलेगा, वह भी नहीं मिला। आप लोग उसको दिलवाईये।

श्री रामकुमार यादव :- दू-चार पईसा में खाता ला खोलवा दे हौ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अनेक जगहों में ट्रस्ट की जमीनें हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रस्ट की जमीनें हैं। इन ट्रस्ट की जमीनों में कौन ट्रस्ट का मालिक हो जाता है, यहां कौन ट्रस्ट का प्रबंधक हो जाता है, यहां कौन ट्रस्टी हो जाता है जिस ढंग से ट्रस्ट की जमीन को खेल करके बेचा जा रहा है इस पर स्पष्ट गाईड लाईन आनी चाहिए। ट्रस्ट की जमीन के बाद मंदिर मठों की

जमीनों में भी यही काम चल रहा है। उसका कौन सर्वाकार है, उसका कौन सर्वाकार नहीं है, क्या कलेक्टर उसका सर्वाकार है? या कलेक्टर उसका सर्वाकार नहीं है। यह किसी को नहीं पता है, परंतु वह किसी की दान की हुई जमीन है, किसी समय पर किसी आदमी ने मठ, मंदिर में वह जमीन दान की थी, उस जमीन को किसी ट्रस्ट में दान की थी, आज के लोग उस जमीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सारी खदानें, उद्योग हैं जिन उद्योगों को 30 सालों के लिए शासकीय जमीन दी गई थी, वह 30 साल का समय समाप्त हो गया। एस.ई.सी.एल. की खदानें खत्म हो गईं। जमीन समाप्त हो गई। उसका उपयोग समाप्त हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर स्पष्ट नीति होनी चाहिए। तब मध्यप्रदेश शासन और अब छत्तीसगढ़ शासन की जो जमीन थी, क्या उस जमीन को उद्योगपति को बेचने का अधिकार है? उसका क्या उपयोग होगा, उसका भविष्य में किस ढंग से उपयोग होगा? इस पर स्पष्ट नीति की आवश्यकता है क्योंकि भविष्य में भी खेला, झाला चालू हो चुका है। उसका भी कहीं कहीं पर खेला-झाला हो रहा है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आपने बजट में 25 करोड़ रूपए मंदिर निर्माण के लिए रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह पैसा कहां-कहां पर खर्च हुआ है और कहां-कहां पर खर्च करने की प्रस्तावना है? आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक-दो सुझाव है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, जांजगीर-चांपा जिले का एक मध्य भारत पेपर मिल है, विधान सभा में प्रश्न उठा था और वह सरकारी जमीन, लीज की जमीन पर थी आजकल वह फैक्ट्री बंद है। माननीय अध्यक्ष जी ने जांच का आदेश दिया था और करीब वह साल भर से ऊपर हो गया है। उसके बारे में राजस्व विभाग को कोई निराकरण करना चाहिए। वहां कलेक्टर ने नोटिस बोर्ड में नोटिस टांगा था। उस फैक्ट्री में ताला लगा है। वहां के जो कर्मचारी थे, उनको 7-7, 8-8 महीने तक तनख्वाह भी नहीं मिली। वह उद्योगपति भाग गया है। वह आपकी जमीन है। कुछ जमीन निजी हैं और कुछ जमीन सरकारी है। एक तो उसका निराकरण हो जाए । मैं आपके माध्यम से जो समाज का नीचे तबका है, शायद किसी ने कोटवार का उल्लेख नहीं किया। वह कोटवार गांव-गांव में हांका पारता है और वह गांव का प्रमुख आदमी है। कई बार कोटवारी जमीन की समस्या आती है। कोटवारों के वेतन भत्ते, मानदेय में वृद्धि करने की बात थी, उसमें भी आपने थोड़ा-मोड़ा प्रावधान रखा है, लेकिन हम कोटवार को जितनी सहुलियत दे सकते हैं, उनको देनी चाहिए। माननीय सौरभ जी ने जो मठ मंदिर का विषय लाया। कई जगहों में स्कूल के ट्रस्ट की जमीन को भी बेचा जा रहा है, यहां मठ मंदिर की जमीनों को तो बेच ही रहे हैं, यह किसकी अनुमति से बेच रहे हैं? वह सरकारी जमीन है, वह ट्रस्ट बना हुआ है जो वहां का प्रधान होता है, वह जमीन निकाल देता है इस पर भी कोई न कोई, अब मैं बात नहीं करूंगा नहीं तो आप बोलेंगे कि दूधाधारी मठ की बात कर रहे हैं। कितने हजारों

एकड जमीन है, वह कैसे निकल रही है, किसकी अनुमति से बेच रहे हैं, इस पर कोई न कोई कारगर नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकार की कोई गाईलाईन होनी चाहिए और सख्त कार्यवाई होनी चाहिए। फर्जी रजिस्ट्री हो रही है। आप नागरिकों के ऊपर कार्यवाही कर देते हो, बेचारे जो जमीन के काम करते हैं। जमीन के काम करते हैं तो वह कितने लेयर में हो करके जाता है। आपका उसमें पटवारी, आर.आई., तहसीलदार और रजिस्ट्रार संलग्न है। यह चार लोग क्यों चेक नहीं करते कि फर्जी रजिस्ट्री हो रही है? इसको चेक करने की आवश्यकता है, इस पर सख्त होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा लंबित प्रकरण हैं तो वह राजस्व विभाग के हैं। माननीय मंत्री जी, आप दमदार मंत्री हैं, काम करने वाले हैं, सब लोगों ने कहा। मैं भी आपको कह रहा हूं। राजस्व विभाग के इतने प्रकरण लंबित क्यों हैं और उसमें गरीबों, किसानों, गांव के ज्यादा प्रकरण हैं और छोटे-छोटे प्रकरण हैं। उसको आप एक जोन बना करके 8 गांव, 10 गांव, 12 गांव के बीच में शिविर लगाईये और शिविर लगा करके उसका निराकरण करिये, उसका निदान करिये। वह बेचारे आवेदन लेकर तहसील कार्यालय, एस.डी.एम. कार्यालय में घूमते रहते हैं। बड़े लोगों के काम हो जाते हैं लेकिन गांव में रहने वाले व्यक्ति खाली आवेदन ले करके ऑफिस में जाता है तो वह दुत्कारा जाता है, वह दलालों के चक्कर में फंस जाता है। राजस्व विभाग एक बडा विभाग है। जैसा हमारे सारे लोगों ने कहा मुआवजे का प्रकरण उसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, उसके बेटे को 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मुआवजा मिलता है। मुआवजे के प्रकरण की एक समय-सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। इन सारी चीजों का निदान आप कैसे करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, यह तुंहार जमाना में होवत रहिस हे।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा कनी तैं चुप रहत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी कभी मुख्यालय में नहीं रहता। आज पटवारी की एक-एक करोड़ की बिल्डिंग है। माननीय मंत्री जी गांव में किस्सा है। एक कलेक्टर साहब एक बार जन समस्या निवारण शिविर में गये थे। एक बुजुर्ग से जब किसी व्यक्ति ने परिचय कराया कि ये कलेक्टर साहब हैं तो कलेक्टर ने उस बुजुर्ग का अभिवादन किया। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि जा बेटा भगवान तोला पटवारी बना दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय मंत्री जी, बस एक लाईन कहना चाहता हूं। भारत माला परियोजना में जो विशाखापट्टनम रोड है, वह पहले कुरूद से शुरू होने वाली थी। वह रायपुर से शुरू हो रही है। अभनपुर में मुआवजा के कितने प्रकरण हैं और वह साथ क्यों नहीं मिल रहे हैं? उसमें हो यह रहा है कि सौदा करके प्रकरण को मेच्योर करते हैं और जो सौदा नहीं पटा, वह प्रकरण मेच्योर नहीं होता। लोग भारी परेशान हैं। बड़ी रेल लाईन में अभनपुर से रायपुर का रेट दूसरा है। जो धमतरी जिला लगता है, उसमें मुआवजा का रेट दूसरा है। जो बड़ी रेल लाईन जा रही है, उसमें निकला है। मेरा ये आग्रह है कि दोनों जिले का रेट एक हो और रायपुर जिले का भारतमाला परियोजना का अभनपुर में

जितने मुआवजा के प्रकरण हैं, वह एक साथ निपटा दें। यह किश्त-किश्त में दो-दो खसरा क्यों भेजते हैं? मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं एस.डी.एम. से चार-पांच बार बात कर चुका, वह रोज भेजना है, लेकिन हम बोलेंगे तो कुरूद का कोई आदमी नहीं भेजेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भैया को समझ भी नहीं आया। एकर बात हा समझ नई आये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात सुन लीजिए। अभी कितनी अक्ल है, वह 10 मिनट बाद दिख जायेगा कि कितने अक्लमंद मंत्री हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हैं।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे बलरामपुर तहसील से नया तहसील डौराकोचली बना है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस तहसील का एक गांव ढोणहा है जो दौरार और सरस्वतीपुर के बीच में पहाड़ के नीचे पड़ता है। लगभग ढाई-तीन सौ घर की बस्ती है, जहां पर स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है। लेकिन उस गांव के लोगों को राजस्व विभाग कहती है कि आप वन विभाग में आते हैं, वन विभाग की सीमा में आपका गांव आयेगा। वन विभाग वाले बोलते हैं कि राजस्व विभाग की सीमा में आयेगा। लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं । एकाध बार विपक्ष से मामला उठा और सर्वे के लिए प्रशासन वाले गये भी थे। इसके बाद आज तक सर्वे नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से आग्रह है कि राजस्व से घोषित करा कर सर्वे किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- जांगड़े मैडम जी। आधा मिनट में अपनी रख लीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक केवली गांव है, जहां बांकी नदी बहता है। सैकड़ों जमीन कटकर वह गांव नदी में तब्दील हो गया और उससे आग्रह है कि राष्ट्रीय बाण आपदा से उसको तटवर्त बनाकर रोका जाय, क्योंकि हमारे गांव कट कर बह जायेंगे। आपके माध्यम से ऐसा मेरा आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आधा मिनट में अपनी बात रख दीजिये।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मोर सारंगढ़ विधान सभा ग्राम डोंगरीपाली और ग्राम बरमकेला लगभग 20-25 किलोमीटर धूरीहा होथे, तेकर बर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करिहव कि उप तहसील उहां चले जातीस त बड़ा कृपा होतीस।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई । अब हो गया।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- साहब, और दो विभाग लेना है।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरी भी छोटी सी मांग है।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका तो सब हो जायेगा।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं मांग सकता हूं न।

उपाध्यक्ष महोदय :- जल्दी बताईये।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समाजों को जमीन देने के लिए घोषणा की थी, उसमें तीन साल हो गये हैं। आज तक उन समाजों को जमीन नहीं मिल पाई है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया था।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- कल तो आपने प्रश्न लगाया था।

श्री शैलेश पांडे :- आप घोषणा कर दीजियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। मंत्री जी, अब अपनी बात रखिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के मेरे अनुदान मांगों में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो खुद रेवेन्यु मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा जो बातें रखी हैं, मैं कुछ-कुछ चीजों का जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अभी चार सालों में राजस्व विभाग में हमारी सरकार ने जो काम किया है, उतना काम तो मेरे ख्याल से 30-40 साल में नहीं हुआ होगा। (मेजों की थथपाहट) और जब उप तहसीलों की निर्माण की बात है। आपके उप तहसील है, अनुभाग है, जिले हैं, जो बनाये गये हैं, उसमें अमला भी रखा गया है। ऐसा भी नहीं कि भर्ती नहीं हुई है। संविदा में ही भर्तियां हुई हैं। मैं आपको कुछ-कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि भू-अभिलेख के प्रशिक्षण दिये बिना डिप्टी कलेक्टर, नयाब तहसीलदार की पदस्थापना की जा रही है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा। प्रत्येक नवीन बैच को भू-संरक्षण और भू-अभिलेख का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें वर्ष 2020 बैच के डिप्टी कलेक्टर 31, वर्ष 2018-19 के 16, वर्ष 2019-20 बैच के नयाब तहसीलदार 23 और वर्ष 2018 बैच के 25। सहायक अधीक्षक भू-अलिलेख 17, वर्ष 2019 बैच, वर्ष 2021, 2020 और 2019 बैच के 15 आई.ए.एस. को प्रशिक्षण दिया गया है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने पंजीयन विभाग के बारे में कहा, उसमें भूमि के पंजीयन पश्चात् ऑनलाईन जानकारी सीधे तहसीलदार को और ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, जिसमें आवेदक के अनुपस्थिति में भी गुण-दोष के आधार पर प्रकरण ऑनलाईन किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर भू-माफिया कब्जा, संहिता की धारा 248 के तहत शासकीय जमीन के अक्रिमण हटाने हेतु समुचित कार्रवाई की जा रही है। बहुत सी कार्रवाई हुई है और भाजपा के सदस्यों ने भी उठाया। जैसा कि आदरणीय कौशिक जी ने कहा, सौरभ सिंह जी ने भी कहा, उस पर भी कार्रवाई हुई है। आदिवासी भूमि के विक्रय के बारे में जो कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है, यह जो बात है, उसे संहिता में पूर्व से कलेक्टर की अनुमति का प्रावधान है। स्वामित्व योजना लागू नहीं हो रही है बोले हैं तो उसमें 7,728 ग्रामों में ड्रोन से सर्वे पूर्ण किया जा चुका है। वह कार्रवाई चल रही है। पहले 3 जिले लिये थे।

आपका कोरबा, दुर्ग और कवर्धा बाकी अब कुछ जिलों को लिया गया है। ऐसे वह धीरे-धीरे वह काम चल रहे हैं। नक्शों को बटांकन नहीं हो रहा है। ऑनलाईन नक्शों का बटांकन नियमानुसार किया जा रहा है। प्रदेश में राजस्व अमले तसीलदार, आर.आई., पटवारी की कमी के बारे में जो लिखा गया है। प्रदेश में हमारी सरकार के गठन के पश्चात् 118 नयाब तहसीलदारों को तहसीलदार में पदोन्नत किया गया। 123 नयाब तहसीलदारों की नियुक्ति वर्ष 2021 में 30 पद तथा 2022 में 70 पद का प्रस्ताव भी पी.एस.सी. को भेजा गया है। 49 सहायक अधीक्षक की नियुक्ति 10 पदों का प्रस्ताव पी.एस.सी. को भेजा गया है। राजस्व निरीक्षक से नयाब तहसीलदार के 66 पदों पर पदोन्नति तथा 215 पटवारी को आर.आई. के पद पर पदोन्नति दी गई है। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा द्वारा 301 पटवारियों का चयन किय जा चुका है। राजस्व संहिता के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के बारे में जो बता गया। वर्ष 2018 में लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या 50,406 थी । वर्तमान में लंबित प्रकरण 33,176 है । इस प्रकार लंबित प्रकरणों की संख्या में 34.1 परसेंट की कमी आयी है । जो बताया गया कि ऑनलाईन सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण नहीं हो रहा है । अविवादित नामांतरण के 2 लाख 32,692, विवादित नामांतरण के 37,405, अविवादित खाता विभाजन 18,800 प्रकरण, विवादित खाता विभाजन 11,305 । सीमांकन 19,147, व्यपवर्तन के 13,148 प्रकरण निराकृत हुए हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंदोबस्त के बारे में जो बताया । बंदोबस्त प्रत्येक 30 वर्षों में करने का प्रावधान है । आवश्यकतानुसार किया जा रहा है । राज्य शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम में सर्वे का निर्णय लिया गया है । भूइयां में खसरा बी-वन उपलब्ध नहीं है, यह बताया गया लेकिन आपका कुल 2 करोड़ 42 लाख 84,129 खसरे और 67 लाख 53,609 बी-वन भूइयां में ऑनलाईन उपलब्ध है । नामांतरण के बारे में जो आरोप लगाया तो नामांतरण प्रक्रिया का ऑनलाईन निराकरण किया जा रहा है। रजिस्ट्री पश्चात् पंजीयन की जानकारी प्रत्येक आवेदक के चुने विकल्प अनुसार तहसीलदार या ग्राम पंचायत के पास जा रही है । आवेदक की अनुपस्थिति में नामातंरण प्रकरण खारिज नहीं करने का प्रावधान है । गुणागुण क्रम में ऑनलाईन निराकरण किया जा रहा है । यह जो बताया गया कि ऑनलाईन और मैनुअल रिकॉर्ड में पटवारी की गलती के कारण अलग-अलग नाम बता रहे हैं, एस.डी.एम. के पास जाना पड रहा है, मैनुअल रिकॉर्ड के आधार पर ऑनलाईन रिकॉर्ड दुरूस्त किया जा रहा है । इस त्रुटि के सुधार हेतु संहिता में एस.डी.एम. को अधिकार दिया गया है । एस.डी.एम. को जो डायवर्सन का अधिकार दिया गया है, वह भी हम लोगों ने लोगों की सुविधा के लिये दिया है कि पहले डायवर्सन के प्रकरण चूंकि एक लिमिट बनाई हुई थी कि कलेक्टर इतने एकड़ तक करेगा फिर उसके बाद राज्य सरकार को जायेगा। हमने राज्य सरकार और कलेक्टर से उसको एस.डी.एम. को अधिकार इसलिये दिया कि जल्दी से जल्दी लोगों का डॉयवर्सन हो सके । राजस्व विभाग के बजट के बारे में जो बताया गया, उसमें 20 मार्च तक 1633 करोड़ कुल व्यय 1257 करोड़ और ई-धरती योजना में 59.40 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ था

जिसमें से 20 मार्च तक 6.68 करोड़ का व्यय हो चुका है और वित्त विभाग से 27 करोड़ के व्यय की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसका व्यय किया जा रहा है । राहत आपदा में 13 जिलों को 64 करोड़ क्यों दिया गया जबकि जिलों की मांग अनुसार राशि दी गयी है और अभिलेखों के अधिग्रहण हेतु राशि खर्च नहीं की गयी बताया गया जो उसमें आपका बी-वन आदि भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है ।

समय :

6.33 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आदरणीय कौशिक जी ने जो भैंसाझार परियोजना के बारे में बताया । उसकी जांच रिपोर्ट आ गयी है और उसका परीक्षण करके जो भी उसमें उचित कार्यवाही होगी, उसमें तत्काल जल्दी से जल्दी की जायेगी । डॉ. विनय जायसवाल जी ने कहा था कि मनेन्द्रगढ़ में भू-राजस्व संहिता के तहत् राजाओं द्वारा जो जमीन आवंटित व्यक्तियों को भूमि स्वामी हक देने संबंधित यह शासन के पास प्रक्रियाधीन है उसमें जल्दी निर्णय होने की संभावना है । इसमें कुछ सदस्यों ने उपतहसील की मांग की है, माननीय धर्मजीत सिंह जी, श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी और श्रीमती इंदू बंजारे जिन्होंने भी उपतहसील की मांग की है उसमें परीक्षण करवा लेंगे और उपतहसील खोलने के लिये कलेक्टरों को हम निर्देश दे देंगे । जो भी सदस्य की उपतहसील खुलना बाकी है अगर उसकी आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर हम खोल देंगे । (श्री धर्मजीत सिंह की ओर देखते हुए।) आपका तो बोल दिया न कि खोल देंगे करके । डिंडौरी बाजार को उप तसहसील घोषित किया जायेगा उसको एक्चुअल में कलेक्टरों को खोलना है । हम लोग निर्देश दे देंगे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बिर्रा और छपोरा ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- वह भी करवाएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी आप भाषण वाषण मत दीजिए, आपकी मांग स्वीकृत । अब आप एक रेट में बड़ी रेल लाईन का मुआवजा दिलवा दो, अभनपुर का पूरा दिलवाओ । बाकी फिर सर्वसम्मति से पारित ।

श्री सौरभ सिंह :- और कलेक्टर को वैसे ही चमकाकर रखो ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत नंबूला ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषण देने में वैसे भी आपकी रूचि नहीं है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- भई आपने मुआवजे की बात की है । मुआवजे की बात बृजमोहन भइया ने भी की थी । उसकी वास्तविक जानकारी देना भी जरूरी है और मैं उस दिन भी बृजमोहन भइया ने प्रश्न किया तो मैंने कहा अभनपुर के बारे में इन्होंने स्पेसीफिक कहा तो मैंने कहा कि बोलो तो जांच

करा देता हूं इन्होंने जांच की मांग ही नहीं की । अगर पर्टीक्यूलर अभनपुर में कोई गड़बड़ी है बिल्कुल मैं करवा दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी करवा दो ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बिल्कुल करवा दूंगा । अगर अभनपुर में गड़बड़ी है, क्योंकि अजय चंद्राकर जी ने भी कहा है निश्चित रूप से मैं अभनपुर की उच्च स्तरीय जांच करवा दूंगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ये बिर्रा और छपोरा की घोषणा कर दीजिए महोदय।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं मना नहीं कर रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे, हम इनको रोज धन्यवाद देते हैं भाई, अभी हम फिर जाएंगे धन्यवाद देंगे और चाय भी पिएंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- हम मंत्री उदार हे उदार ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- (अस्पष्ट) गंगा में बोला था तहसील के लिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- तहसील का तो बताया ना दादा मैंने । मैंने भेज दिया है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अच्छा ठीक है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- परीक्षण कर रहे हैं । आप थोड़ा सा इंतजार करिये (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ठीक ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- तहसील की मैं घोषणा अभी नहीं करूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- सबसे लिखवाकर ले लीजिए और घोषणा कर दीजिए । बजट पारित । कहां आप भाषण वाषण में लगे हो ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- डीटेल बोलना जरूरी है । चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी मांगों को सर्वसम्मति से पारित किया जाए । मैं तो सबकी मांग पूरी कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9, 8, 35 एवं 58 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए - उनतीस करोड़, चौबीस लाख, उनहत्तर हजार रूपए,

मांग संख्या 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए - एक हजार आठ सौ पचासी करोड़, सत्तावन लाख, इक्यावन हजार रूपए,

मांग संख्या 35 पुनर्वास के लिए - दो करोड़, तिरपन लाख, चालीस हजार रूपए तथा

मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए - एक हजार तीन सौ सत्तर करोड़, चवालीस लाख, इकहत्तर हजार रूपए

तक की राशि दी जाए ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजो की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी का अभिनंदन वे जो बोलते हैं वे मोटे तौर पर कर देते हैं । एकाध में माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप कर दें तो अलग बात है । बाकी जय सिंह जी कर देते हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप लोगों को गलत जानकारी है । माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करते । जहां जहां मैंने तहसील घोषित की वह बन गई, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषित की वह बन गई और जिस भी पार्टी के सदस्य ने तहसील मांगी एक भी बता दें कि किसी की बात नहीं मानी गई हो तो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जैसे आपने तहसील को तेज गति से खोला, वैसे ही उप तहसील को भी 2 महीने में खुलवा दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 15 दिन में खुलवा देंगे, आप दो महीने बोल रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. शिवकुमार डहरिया । आप पहले निवेदन कर लो कि आपके बारे में सब कम बोलें ।

(3) मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 18 श्रम

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये - पन्द्रह करोड़, चौंतीस लाख रूपये,

मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये - एक हजार एक सौ अठानबे करोड़, छियासी लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - तीन हजार एक सौ ग्यारह करोड़, सत्ताईस लाख, छप्पन हजार रूपये तथा

मांग संख्या 18 श्रम के लिए - दो सौ तीन करोड़, अठासी लाख, छियानबे हजार रूपए तक की राशि दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्ताओं की सूची पृथकत: वितरीत की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

मांग संख्या - 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	18
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	5
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	श्री धरमलाल कौशिक	3
5.	श्री शिवरतन शर्मा	12
6.	श्री धर्मजीत सिंह	1
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	18
8.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	6

मांग संख्या-69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण

1.	श्री नारायण चंदेल	4
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	9

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

3.	श्री अजय चंद्राकर	2
4.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1
5.	श्रीमती इंदू बंजारे	1

मांग संख्या - 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री अजय चंद्राकर	4
3.	श्री धरमलाल कौशिक	2

मांग संख्या-18

श्रम

1.	श्री नारायण चंदेल	6
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	7
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	श्री पुन्नूलाल मोहले	2
5.	श्री धरमलाल कौशिक	3
6.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1
7.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

माननीय बृजमोहन जी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आपका ही है। कुछ देर बोल लीजिए, पिछली बार बहुत लंबा बोले थे। बृजमोहन जी, आपको ही शुरू करना है और 15 मिनट में खत्म कर देना है। आज दिखाईए 15 मिनट में कैसे समाप्त होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा की आपके आदेश का पालन करूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- कोशिश नहीं, अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करना है। कोई कोशिश वगैरह नहीं। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, अब आप बताईए कि मैं आपके आदेश का पालन करूं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप तो आग्रह भी नहीं किए हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं आग्रह कर रहा हूं। आप चमकाते टाईप बात करते हो। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा मैं अभी आग्रह कर लेता हूं, अध्यक्ष जी के आदेश का पालन किया जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी की ओर से कोई आग्रह नहीं है। आग्रह आपकी ओर से है। इनको स्वयं को कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे आप सबकी चिंता है, इसलिए मैंने आग्रह किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी के आग्रह में मैं अपने आपको सरीक कर रहा हूं। (हंसी) आप कुछ समझा करो भाई।

श्री अजय चंद्राकर :- आप व्यवस्था देते हो। आदेश का कहां पालन करते हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं अध्यक्ष जी के आग्रह पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, अब मैं आपका आदेश मानूं या उनका आदेश मानूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरा आदेश मानिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी का मान लें। मैं वही तो कह रहा हूं, आप अध्यक्ष जी का आदेश तत्काल मानिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विद्वान, अथाह विद्वान, खड़खड़िया मंत्री जी की विभागों पर चर्चा कर रहा हूं। (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- विलोपित।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, यह विलोपित होना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रविन्द्र चौबे जी द्वारा प्रशिक्षित, शिक्षित माननीय मंत्री।

श्री शिवरतन शर्मा :- चौबे जी के नंबर 1 मंत्री।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारे जिम्मेदार मंत्री को आप खड़खड़िया मंत्री कैसे बोल दिए ? (हंसी) भाई, यह उचित नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कड़कदार आवाज।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अउ खड़खड़िया में प्रतिबंध भी हे, पुलिस पकड़ लेथे। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो इतने विद्वान हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह खड़खड़िया असंसदीय शब्द है या संसदीय शब्द है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- असंसदीय नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- खड़खड़िया खेल है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह प्रतिबंधित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रतिबंधित नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, यह उनके पुराने खिलाड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ये ऐसा बोलिए। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी तो इतने विद्वान हैं कि किसी भी विभाग की चर्चा हो, किसी भी विषय की चर्चा हो, उनको समझ में आए या नहीं आए, वे इंटरप्ट जरूर करेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं अपने विभाग में खड़ा नहीं होऊंगा, आप चिंता मत करिए। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- वही आपकी विद्वता को प्रकट कर रहा है। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जांजगीर से आते हैं, मैं भी रायपुर से हूं, हम सब राजधानी में निवास करते हैं, पूरे विधायक, पूरे मंत्री किसी भी प्रदेश की पहचान वहां की राजधानी से होती है। आज राजधानी की क्या हालत है ? आज इन्होंने राजधानी को धूल, पूर बना दिया है। आज राजधानी को इन्होंने प्रदूषण युक्त बना दिया है, आज राजधानी को इन्होंने गढ्ढों का शहर बना दिया है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, देश की सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर था, आज वह शहर बर्बाद हो रहा है। आज वह शहर अपराध का गढ़ बन रहा है। आज वह शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। आज वह शहर गढ्ढों से पटा हुआ है। क्या शहरों में रहने वाले लोग इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? किसी भी प्रदेश की पहचान उसके शहरों से होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जी बड़े योग्य बनते हैं। क्या आप कुल बजट का 67 प्रतिशत पैसा भी खर्च कर पाये हैं ? आप क्यों खर्च नहीं कर पाये ? काम क्यों नहीं हो रहे हैं ? विकास के काम क्यों रूके हुए हैं ? शहरों के काम क्यों अवरूद्ध हैं ? शहरों में जगह-जगह आंदोलन क्यों होते हैं ? आप पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? आप बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? आप साफ-सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? आखिर इसके लिए कौन दोषी हैं ? आज पूरे रायपुर शहर की 24/7 नल-जल योजना के पैसे पिछले 4 सालों से आकर पड़े हुए हैं। यह 4 सालों तक टेण्डर नहीं कर पाये। मैंने इस विधान सभा में कम से कम 10 बार उसके प्रश्न लगाये हैं। आज इन्होंने पूरे शहर को खोदापुर बना दिया है। आप पूरे शहर को

बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अभी इस सदन में कई बार प्रधानमंत्री आवास की चर्चा हुई है। आपने अपने प्रतिवेदन में मोर जमीन-मोर मकान योजना को उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बी.एस.यू.पी. योजना। प्रधानमंत्री आवास के 4 लाख आवेदन शहरों के पेन्डिंग पड़े हैं। उसकी कोई सूची नहीं है। जो लोग आवेदन देंगे उनको मकान मिलेगा। आप अपने प्रतिवेदन में असत्य कथन करते हैं। आप बोलते हैं कि हम प्रधान मंत्री मोर जमीन-मोर आवास के लिए 2 लाख 29 हजार रूपये दे रहे हैं। जरा आप यह बताइये कि क्या आपने इन 4 वर्षों में एक व्यक्ति को भी 2 लाख रूपये दिये हैं ? आप बोल रहे हैं कि किफायती आवास के तहत् हम 4 लाख रूपये दे रहे हैं। क्या आपने किसी एक भी मकान वाले को 4 लाख रूपये दिये हैं ? पहले 75,000 रूपये जमा करवाने में 3 लाख 25 हजार रूपये मिलते थे और वह व्यक्ति उससे मकान बनवा लेता था। अब आपने बोल दिया है कि 3 लाख 75,000 रूपये जमा करवाइये। कोई गरीब आदमी 3 लाख 75,000 रूपये कहां से देगा ? बी.एस.यू.पी. मकानों की हालत क्या है ? बी.एस.यू.पी. मकान में रहने वाले लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। क्या आपने पिछले 4 वर्षों में कोई रिपेयर का काम करवाया है ? कहीं पर कोई नाली बनवाने का काम करवाया है ? क्या कोई चबूतरा बनवाया है ? क्या वहां की कोई सीवरेज लाइन सुधरवाई है ? पूरे छत्तीसगढ़ के शहरों में जहां-जहां भी बी.एस.यू.पी. मकान बने हैं। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संपत्ति कर को आधा कर देंगे। क्या आपने उसको आधा कर दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जानकारी में भी होगा। यह कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। इन्होंने कहा था कि हम लोगों को शहरी आवास, 2 कमरे का पक्का मकान देंगे। आपने कितने लोगों को पक्का मकान दिया है? आज पूरे प्रदेश की हालत यह है कि प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, बी.एस.यू.पी. के मकान बने हुए हैं लेकिन वह लोगों को एलॉट नहीं किये जा रहे हैं। रायपुर शहर में तो कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के हस्ताक्षर से लोगों से 2-2 लाख रूपये वसूल कर लिये गये। थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाई गयी। बस्तर के एक पार्षद ने बी.एस.यू.पी. मकानों के लिए 2-2 लाख रूपये ले लिये। वहां पर लंबा आंदोलन चला। एफ.आई.आर. हुआ। उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण है या नहीं है ? आप बड़े योग्य मंत्री बनते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर की भूमिगत नाली के लिए 470 करोड़ रूपये मिले। उसमें से कितने पैसे खर्च हुए ? 50 करोड़ रूपये खर्च हुए और बाकी पैसे कहां चले गये ? यदि किसी भी शहर की व्यवस्था को देखा जाता है तो वहां की यातायात व्यवस्था को देखा जाता है। आपको अर्बन ट्रांसपोर्टिंग के लिए 850 करोड़ रूपये मिले थे, लेकिन आज उसकी हालत क्या है ? शहरों की बसें बंद पड़ी हुई हैं। बसें कबाड़ के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। आप बसों को चलाने की स्थिति में नहीं हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नगर-निगम, नगर-पालिकाओं ने कितने घरों से पैसे लिये ? आप केवल 300 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करवा पाये हैं। नगर-निगमों, नगर-पालिकाओं में पैसे जमा पड़े हुए हैं। वाटर

हार्वेस्टिंग क्यों नहीं हुई ? आज वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है कि रायपुर शहर और बाकी शहरों में वाटर लेवल 1000-2000 फीट तक नीचे चला गया है। आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी शहरों में अवैध प्लाटिंग हो रही है । मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 400 अवैध प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से 1350 प्रोजेक्ट अतिक्रमण माने गए हैं । क्यों ? आपने उसमें क्या कार्यवाही की, कार्यवाही क्यों नहीं की ? मेरी जानकारी में है कि पूरे बिल्डरों को बुलवाया जाता है और बुलवाकर कहा जाता है कि आपके अवैध निर्माण हो रहे हैं, सब लोग इतने करोड़ की व्यवस्था कर दीजिए, आपके अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी । (शेम-शेम की आवाज) यह कौन कर रहा है ? यह मैं नहीं बोल रहा हूं । जब शहरों पर प्रश्न पूछते हैं तो माननीय सदस्य खड़े होते हैं, वे पूछते हैं । इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? कहा गया कि बिना साढ़े तीन परसेंट के कोई काम स्वीकृत नहीं होगा । क्या शहरों का विकास साढ़े तीन परसेंट पर होगा, शहरों का विकास कहीं-कहीं पर 5 परसेंट पर होगा । विधायकों के रिकमंडेशन पर काम नहीं होते हैं । आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा । स्मार्ट सिटी के नाम पर बंदरबांट चल रहा है, बंदरबांट चल रहा है । स्मार्ट सिटी में रायपुर शहर के लिए 975 करोड़ रूपए मिले हैं । अभी तक आपने सिर्फ 400 करोड़ रूपए खर्च किये हैं, बाकी खर्च क्यों नहीं हो पाये ? मोतीबाग में 5 करोड़ रूपए का फौव्वारा लगा, वह आजतक चालू क्यों नहीं हो पाया? आपने बूढ़ातालाब के लिए 30 करोड़ रूपए सेंशन किये । कौन ठेकेदार है ? बूढ़ातालाब का काम दिसम्बर, 2022 तक पूरा हो जाना था । काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है ? जब सड़कें नयी बनायी जाती है तो किसी सड़क को बंद नहीं किया जाता । रायपुर शहर में बूढ़ातालाब की सड़क को बंद कर दिया गया । चौबे जी, आप भी सप्रे स्कूल में जाते रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं की भी सभा होती रही है । हम सप्रे स्कूल, दानी स्कूल के किनारे गाड़ियां खड़ी करते रहे हैं, उस सड़क को बंद कर दिया गया । आज धरने प्रदर्शन के कारण रायपुर शहर का यातायात पूरी तरह से बरबाद हो रहा है। आपके अधिकारी कलेक्टर, एस.पी. जो चाहें, वह निर्णय कर सकते हैं । सरकार का कोई वजूद दिखाई नहीं देता है । मंत्री जी, आपका कोई वजूद है ? वह सड़कें बंद क्यों हो गई, अवैध प्लाटिंग क्यों हो रही है, ट्रांसपोर्ट शुरू क्यों नहीं हो रहा है, 5 करोड़ का फौव्वारा चालू क्यों नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी के पैसे में बंदरबांट क्यों हो रहा है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रदूषण को कम करने के लिए आपको 50 करोड़ रूपए मिले हैं, उसके यंत्र क्यों नहीं लगे? प्रदूषण को कम करने, उसके लिए मशीनें लगाने के लिए आपको 895 करोड़ रूपए मिलने हैं, लेकिन 50 करोड़ रूपए में से एक करोड़ रूपए भी खर्च नहीं हुआ है । रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर सभी जगह वही स्थिति है । सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रदूषण मुक्त जीवन जीना लोगों का अधिकार है, उसके लिए सरकार

को व्यवस्था करनी चाहिए । आज लोग सर्दी, खांसी, अस्थमा, चर्म रोग से पीड़ित हो रहे हैं, परन्तु यह सरकार धूल से लोगों को इंफेक्शन से बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, चौक-चौराहों के इलाकों का जो पीएम प्रदूषण का स्तर है, वह 10 से 300 माईक्रोघन मीटर से अधिक हो गया है, इसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं । आज यह स्थिति है कि तालाबों पर अतिक्रमण हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप भी समाचार-पत्रों में पढ़ते होंगे । जो भू माफिया हैं, वे एक करबता तालाब को पाट रहे हैं । तालाबों को पाटकर वहां पर प्लाटिंग कर रहे हैं, परन्तु आपकी सरकार आंख बंद करके देख रही है । आपने देखा कि तेलीबांधा से लेकर वी.आई.पी. रोड़ तक बिना टेण्डर के सौंदर्यीकरण शुरू हो गया । हमने प्रश्न पूछा तो कहा कि हमने कोई टेण्डर नहीं किया है । बाद में कहा कि हमने जो टेण्डर किया था, उसको कैंसल कर दिया है । बाद में बताया कि दो करोड़ रूपए के टेण्डर को 12-12 लाख रूपए के 20 टेण्डर किए गए हैं । ये कौन सा नया काम शुरू हो गया । यह सिर्फ एक काम में नहीं हो रहा है । मंत्री जी, हो सकता है कि आपके नॉलेज में नहीं हो । यह सिर्फ रायपुर नगर निगम में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में यह धंधा चल रहा है क्योंकि 20 लाख से ऊपर का टेण्डर होगा तो ई टेण्डर करना पड़ेगा और ई टेण्डर करेंगे तो अपने मनमाफिक ठेकेदार को काम नहीं दे पाएंगे । इसलिए उसको स्पिलिट करके टेण्डर किया जा रहा है । आपके अधिकारी क्या आंख बंदकर सोये हुए हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता है ? नियमों का उल्लंघन हो रहा है, शहर बरबाद हो रहे हैं । अभी आपने चौपाटी का मामला देखा । क्या नेशनल हाईवे से चौपाटी के लिए अनुमति ली है ? वह एजुकेशनल हब है। क्या आपने एजुकेशन विभाग से अनुमति ली ? वह खेल का मैदान है। क्या आपने खेल विभाग से अनुमति ली ? आप बिना अनुमति के कैसे चौपाटी बना देंगे ? आपको 70 वेण्डिग जोन बनाने थे। आपने वेण्डिग जोन के लिए क्या काम किया ? मुझे आप जरा बता दें। स्मार्ट सिटी के काम क्यो बंद पड़े हैं ? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई दुर्ग के काम क्यों बंद पड़े हैं ? आप शहरों के ट्रांसफार्मर और खम्बे क्यों नहीं हटा पा रहे हैं ? आखिर आप शहरो को क्यों बर्बाद करने में लगे हुए हैं ? मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को शहरों के सौन्द्रयीकरण के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है और आपको उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। साल भर में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट में अवैध प्लाटिंग की गई। आप क्या कर रहे हैं ? आप सो रहे हैं। आप अवैध प्लाटिंग को रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप जो पैसा देते हैं, उस पैसे की मॉनीटरिंग करिये। आप जिन कामों के लिए पैसा दे रहे हैं, उन कामों के ऊपर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है ? आज रायपुर में 17 नालों का निर्माण होना है। उसके कारण बरसात में वाटर लाकिंग होता है, डबरा बन जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है, लोगों को नारकीय जीवन जीना पड़ता है। परन्तु आप उसको ठीक करने की स्थिति में नहीं हैं। आप जिन कामों को स्वीकृत करते हैं, उन कामों में भी काम नहीं होता है। खाली [xx] का खेल चलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास श्रम विभाग है। श्रम विभाग की स्थिति क्या है ? श्रम विभाग के पास एक हजार करोड़ रूपये से ज्यादा डिपाजिट है। गरीबों का पैसा डिपाजिट है। श्रम कल्याण मण्डल का पैसा डिपाजिट है, असंगठित श्रमिकों का पैसा डिपाजिट है, कामगार श्रमिकों का पैसा डिपाजिट है, ये पैसा कहां जा रहा है ? ये क्यों खर्च नहीं हो रहा है ? आपने इसमें योजनाएं लिखी हैं। मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आप बता नहीं पायेंगे। कम से कम गरीब हॉकर जो पेपर बेचते हैं, उनके लिए सायकल की योजना है। जो बेचारे दिन में पढ़ते हैं, सुबह पेपर बांटते हैं, आप उनको तक सायकल नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास एक हजार करोड़ रूपया जमा है। आप हॉकर को सायकल नहीं दे पा रहे हैं। अब आपकी योजनाओं में आवेदन आना बंद हो गया है। क्योंकि आप योजनाओं के आवेदनों को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। सिलाई मशीन, आपने कितने लोगों को सिलाई मशीन दी ? आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं ? यह मजदूरों का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। मजदूरों का पैसा है, उनके मालिकों का पैसा है। वह पैसा आपके फण्ड में जमा है। आप सायकल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आप सिलाई मशीन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आपके ई-रिक्शा में दो योजनाएं हैं। एक में 50 हजार रूपया देना है, एक में एक लाख रूपया देना है। आपने पिछले 4 सालों में कितने लोगों को ई-रिक्शा दिया है ? आप कितने लोगों को उपकरण दिए हैं ? आपने कितने लोगों का बीमा कराया ? कितने खिलाड़ियों को, मजदूरों के बच्चों को पेंशन देने की योजना है, उसमें आपने कितने लोगों को दिया ? आप जरा इसकी जानकारी दे दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ भवन सन्निर्माणकार मण्डल है, उन्होंने इनकी 16 योजनाओं को बंद कर दिया है। खाली बंद नहीं किया है, उनकी जगह नई योजनाओं को प्रारंभ नहीं किया है। आपको असंगठित कर्मकार मण्डल में योजनाओं में 35,952 आवेदन प्राप्त हुए, परन्तु उसमें से 4,691 आवेदनों को स्वीकृत किया है। आपके पास 17 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं। आप उनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं ?

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रम 7 के उप पद 4 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय मे वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप भी समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न पर मुझे जानकारी दी गई कि श्रमिकों को 2 करोड़ रूपये की सामग्री बांटी गई और 8 करोड़ रूपये विज्ञापन में खर्च कर दिए गए। क्या यह पैसा सरकार का है? यह मेरे पिछले प्रश्न में है। आपने उत्तर में ही जानकारी दी है। आपने नगरीय प्रशासन विभाग को 35 करोड़ रूपये दे दिया। आपके पास दोनों विभाग है। आपने नगरीय प्रशासन विभाग को किस नियम के तहत दिया ? क्या यह श्रमिकों के पैसे का अपराध नहीं है ? इसमें श्रमिकों का शेयर होता है। इसमें मालिक का शेयर होता, उस पैसे में भी आप बंदरबांट करने का काम कर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. कार्डों की संख्या 54 लाख से बढ़कर 64 लाख हो गई है, क्यों हो गई ? पहले यह था कि जो श्रमिक रजिस्टर्ड होगा, उसको भी बी.पी.एल. की सुविधायें मिलेंगी, आपने वह सब सुविधायें बंद कर दी है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी लगभग तीनों प्रकार की योजनायें हैं, मैं उन योजनाओं को आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ । शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, श्रमिकों के बच्चों को 15 सौ से 10 हजार रूपया तक देना है, जरा यह बताईये कि आपने कितने बच्चों को दी है ? श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना, उसमें 50 हजार रूपया आपको देना है, आपने कितने श्रमिकों को दी है, आप कृपया यह बताईये ? नि:शुल्क सहायता योजना, आपने कितने बच्चों को दी है, आप कृपया बताईये ? श्रमिकों के बच्चों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देना है, उसके लिये सिलाई कढ़ाई योजना है, आपने कितने लोगों को दिया है, जरा यह बतायें ? नि:शुल्क बैसाखी कैलिपर्स ट्राइसिकिल श्रवण योजना, जो मजदूर अपाहिज हो जाते हैं, जो मजदूर विकलांग हो जाते हैं, उनको ट्राइसिकिल उपलब्ध कराना है, आपने कितने लोगों को उपलब्ध कराया है ? अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में सिकलसेल बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है, यह छत्तीसगढ़ में अनुवांशिक रूप से पाई जाती है । अगर किसी मजदूर के परिवार के किसी बच्चे को सिकलसेल हो जाता है तो 3 लाख रूपये का प्रावधान है, आपकी तीनों योजनाओं में है, आपने कितने लोगों को सिकलसेल लोगों को सहायता दी है ? आपने एक को भी सहायता दी है, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, 5 हजार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक सहायता देने की योजना है, आपने एक को भी सहायता दी है ? खेलकूद प्रोत्साहन योजना, 5 हजार से 1.5 लाख रूपये तक सहायता देने की योजना है, आपने एक को भी योजना का फायदा दिया है ? खाली ये पैसों को बैंकों में जमा करके ब्याज खाना और जिन योजनाओं में इनको [xx] मिल सकता है, उन योजनाओं को लागू करना, श्रमिकों के पैसे को दबाकर रखना, इससे बड़ा [xx] और अपराध कोई नहीं हो सकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आग्रह किया, मैं उसको आदेश मानता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी के दोनों विभागों का विरोध करते हुये, उनसे इस बात का आग्रह करते हुये कि छत्तीसगढ़ की

राजधानी रायपुर जो महानगर का स्वरूप ले रही थी, उस राजधानी को आप बरबाद करने से बचाईये, उसे प्रदूषण से मुक्त करिये, गड्ढ़ों से मुक्त करिये, यहां विकास के काम स्वीकृत करिये, शहरों में भी लोग रहते हैं, वह भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, शहरों के विकास के लिये काम करिये, कम से कम गरीब मजदूरों का जो 1000 करोड़ रूपया आपके पास में डिपाजिट में पड़ा हुआ है, उनके लिये 36 प्रकार की योजनायें चलती थी, उन योजनाओं को आपने बंद कर दिया ? महिलाओं को प्रसूती होती थी तो उनको 20 हजार रूपया मिलता था, लड़कियों की शादी के लिये पैसा मिलता था, सभी प्रकार की योजनाओं को आपने बंद कर दिया है ? आप उसको चालू करिये और श्रमिकों के कल्याण के लिये काम करिये, [xx] खाना बंद करिये, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी । आपको धन्यवाद देते हुये, माननीय मंत्री जी की मांगों का विरोध करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ । धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :-बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आज रिकार्ड बन गया है । दो विभागों में बोलते हुये बृजमोहन जी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे संक्षिप्त भाषण दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ । बृजमोहन जी ने सदन का पथ प्रदर्शन किया है, आप भी अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शिव डहरिया जी से, माननीय मंत्री जी से ज्यादा विद्वान है । आपने अभी साबित कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- 10 मिनट में करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शिव डहरिया जी से ज्यादा विद्वान है, यह साबित हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- 10 मिनट में करेंगे तो ठप्पा लग जायेगा ना कि उससे ज्यादा विद्वान है ।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ । आप पूरे समय रहेंगे, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा प्रसन्नता है ।

अध्यक्ष महोदय :- विश्वविद्यालय से आये हैं तो 10 मिनट की बात को 1 मिनट में कैसे समझाते हैं, इसे आप जानते हैं, इसलिये आपके 40 मिनट के भाषण को 10 मिनट में खत्म करवाऊंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दौरे में आप भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, जहां-जहां गुरूजी संचालन करते हैं, कार्यक्रम दो घण्टे का रहता है तो एक घण्टा गुरूजी लेता है, एक घण्टे बाकी लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिये बोल रहा हूँ । 40 मिनट का 10 मिनट में ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री डॉ.शिव डहरिया जी के समस्त विभागों की मांगों का समर्थन करते अपनी बात को रखूंगा। मैं अपनी बात को बिल्कुल शॉर्ट में रखते हुए

आगे बढ़ता हूं कि जब से हमारी सरकार आयी है और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने गांव के साथ-साथ शहरों और नगरों के विकास का जो सपना देखा है, जिसके कारण उन्होंने गांवों को तो महत्व दिया ही दिया, साथ ही साथ नगरों और शहरों को भी महत्व दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने लगभग-लगभग हमारे 14 के 14 नगर निगम, हमारी अधिकतम नगर पालिकाएं और अधिकतम नगर पंचायतों में बहुमत देकर कांग्रेस को विश्वास दिया और नगरों और शहरों का संचालन करने का, उनकी सेवा करने का, उनकी देख रेख करने का, छत्तीसगढ़ की सम्मानीय जनता ने अवसर दिया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पाण्डे जी, सिर्फ सिवरेज के बारे में मत बोलना बाकी सब चीज के बारे में बोलना।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसी भी नगर निगम की या किसी नगर पंचायत की बात हो। यदि हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, साफ-सफाई, पानी, विद्युत, लाइट, सुंदरता और नागरिकों को सुविधा देना। इन सारे पहलुओं में हमारी सरकार, हमारे नगर निगम, हमारे सरकार के अधिकारी-कर्मचारी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमानित लगभग 15 प्रतिशत पूंजीगत व्यय बजट में रखा है ताकि हम नगरों का, शहरों का, नगर पंचायतों का बहुत अच्छे से विकास कर सके, वहां पर हम कंस्ट्रक्शन करा सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि "जो कहा सो किया"। 15 वर्षों में बिलासपुर का उदाहरण दे रहा हूं। मैं 2011 की बात बता रहा हूं। इनकी सरकार ने 2011 में बिलासपुर को बी-ग्रेड सिटी बनाने का वादा किया, घोषणा कर दी। लेकिन उन्होंने बी-ग्रेड सिटी बनाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार बनी और सबसे पहले हमने काम किया और हमने हमारी संख्या बढ़ाई, हमने क्षेत्र को बढ़ाया और हमने सबसे पहला काम यह किया कि हमने बिलासपुर जैसे शहर को बी-ग्रेड सिटी के दर्जे में पहुंचाया, परिसीमन किया और उसके बाद नगर निगम का चुनाव करा। अब केवल उसकी औपचारिक घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जानी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की, कोरबा की, रायगढ़ की, दुर्ग की, भिलाई की बात करते हैं। तो आपने 15 वर्षों में सिर्फ एक शहर को डेव्हलेप किया और वह है रायपुर शहर। लेकिन बाकी पूरे शहरों को आपने विकास में 25-25 साल पीछे धकेल दिया। आपने यह काम किया, इसको आप मानिये कि आपने केवल एक शहर को डेव्हलेप किया। आज बिलासपुर जो 15-20 साल पहले रायपुर के साथ हुआ करता था। उस बिलासपुर को आज आपने 15 साल पीछे धकेल दिया। आपने शहर के लिये कोई विकास नहीं किया। बिलासपुर है, चाहे दुर्ग है, चाहे जांजगीर-चांपा है, चाहे रायगढ़ है, चाहे कोरबा है, सभी शहरों का विकास अच्छे से करना चाहिए था। लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस पर योजनाएं नहीं लायी गयी और जो योजनाएं लायी गयी। मैं पहले भी कई बार इस सदन में बात

रख चुका हूं कि बिलासपुर में एक अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज सिस्टम की योजना लायी गयी। वह 193 करोड़ की योजना थी। उसमें 235 किलोमीटर अण्डर ग्राउण्ड सिवरेज की पाइपलाइन डाली गयी, वह योजना 193 करोड़ से 423 करोड़ रूपये की बना दी गयी। यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जादू आप के ही 15 साल में हो सकता था। हमारी सरकार में ऐसे जनता के 500 करोड़ रूपये बर्बाद नहीं किये गये। लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों की सिवरेज में मौतें हो गयी।

अध्यक्ष महोदय :- आप पिछली बात मत करिये। आप अभी मंत्री जी का समर्थन करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहूंगा। आपकी बात को मानकर आगे बढ़ते हुए दूसरी बता को कहता हूं..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, वह विरोध में बोलना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि समर्थन करिये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का समर्थन करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, वह मंत्री जी के विरोध में बोलना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ऐसा ही लग रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि बिलासपुर उनके क्षेत्र के लिये ..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं भी यह अनुभव कर रहा हूं कि वह भटक रहे हैं। आप विरोध के स्वर में बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनकी कांस्टीट्यूंशी में विकास के लिये पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि वह मुख्यमंत्री गुट के नहीं है इसलिये उनको पैसा नहीं मिल रहा है। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 15 वर्षों में बिलासपुर को आगे ले जाने के लिये कोई काम नहीं किया है। जो भी काम किया वह हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्होंने नहीं किया तो आप तो बताओ कि आपने क्या किया।

श्री शैलेश पाण्डे :- बता रहा हूं। बता रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, वह हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक है। बृजमोहन अग्रवाल जी रमन सिंह के गुट के नहीं थे इसलिये वह प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पाये। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, सब कांग्रेसी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको नगर पालिका इवेंट के लोग वहां के कार्यक्रम में बुलाते नहीं है। कोई कांग्रेसी इनको ग्रुप में जगह देता नहीं है। यह मंच में जाते हैं तो इनको रोक देते हैं। आप इसी कारण से सफल भी हो, लेकिन आपको नगर पालिका निगम में कोई सम्मान नहीं मिलता। कांग्रेस कमेटी में कोई

सम्मान नहीं मिलता। उसके बारे में कुछ पीड़ा व्यक्त कर दीजिए। आपको इससे बढ़िया मंच कुछ और नहीं मिलेगा।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- वैसे वह बोल रहे हैं..।

अध्यक्ष महोदय :- अब वह समाप्त ही कर रहे हैं

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ब्री-ग्रेड सिटी बनाई। आपने क्या बनाया? आपने बिलासपुर को खोदापुर बनाया।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। अब खत्म करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम गरीबों के मकान की बात करते हैं। इस सदन में कई बार गरीबों के मकान की बात आती है। माननीय मंत्री जी हमेशा जवाब देते हैं। बिलासपुर शहर के लिए जो मकान स्वीकृत किये, हमने इन 4 सालों में वह सारे 5 हजार मकान बनाकर दिये हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास के 5 हजार मकान बना दिये हैं और वैसे 43 जगहों में साढ़े 7 हजार मकान बनवाये जा रहे हैं। मैं यह पटल में भी आंकड़ा भी रख सकता हूँ। यह स्वीकृत भी है और इसमें पैसा भी है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहां हमारे आदरणीय रजनीश भईया बैठे हुए हैं, वह बिलासपुर से हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप इधर देखकर बात करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपकी सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास बन रहे थे, गरीबों को मकान दिया जा रहा था, तब आपकी पार्टी के एक नेता, मंत्री, महापौर, पार्षद ने मिलकर गरीबों का पैसा इकट्ठा किया और उनका पैसा ले लिया और अपात्र लोगों को ...।

अध्यक्ष महोदय :- इस तरह से बात न करें। आप मांगों पर बात करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय पाण्डे जी, आप इधर सुनिए। आप दुनिया भर की राजनीतिक बातों को छोड़िए। आप बिलासपुर की जो नाली, बिजली है, उसकी बात करिये।

अध्यक्ष महोदय :-आप अपनी बात करिये। आप कहां पीछे-पीछे जा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इधर-उधर की बात को छोडिए। आप बार-बार बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मकान की बात बता रहा था क्योंकि हम सबके लिए मकान का विषय जरूरी है, क्योंकि मकान के विषय पर बहुत राजनीति हो रही है। मुझे इन बातों को बताने दीजिए क्योंकि सदन को यह बातें जाननी चाहिए। आपकी पार्टी के नेता गरीबों का पैसा खाकर, फांसी पर लटक गये, उसकी जांच हो रही है। आपको यह बात बताना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय मंत्री जी के विभाग में जो सबसे बेहतरीन काम हो रहा है, वह मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है। हमारे बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, भिलाई शहरों में सभी जगहों में स्लम एरिया है। उस स्लम एरिया में गरीब लोग रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के

द्वारा उन लोगों के स्वास्थ्य की सेवा के लिए शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना चलायी जा रही हैं। यहां 120 गाड़ियां जों मोबाईल यूनिट की तरह है। वह गरीबों के एरिया में जाती है और उसमें लोगों का ईलाज किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। आप दूसरी योजना में आईए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक में हमारी माताएं बहनें है, उन गरीब बस्तियों में हमारी महिला डॉक्टर, स्टाफ के साथ जाकर, उनका ईलाज कर रही है। माननीय मंत्री जी के विभाग की यह योजना भी है, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,धनवन्तरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के संबंध में कहना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश में यह योजना लागू है। आप जाकर देखेंगे, चाहे कोई भी पक्ष का विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी विधायक जाकर देखते हैं कि धनवन्तरी जेनरिक मेडिकल स्टोर में किस प्रकार से कम रेट में दवाईयां दी जा रही हैं। इस प्रदेश में धनवन्तरी जेनरिक मेडिकल स्टोर किस प्रकार से काम कर रहा है। इसमें लोगों को लाभ भी मिल रहा है। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 145 करोड़ रूपए के मूल्य की दवाईयां, 57 करोड़ रूपए विक्रय कर, 48 लाख नागरिकों को इसका लाभ दिया गया। हमें इस पर यह कहना है। माननीय मंत्री जी का जो विभाग है, आज उस विभाग में चाहे गरीबों, दवाईयों, ईलाज की बात हो, चाहे माताओं-बहनों के ईलाज की बात हो, हर काम किया जा रहा है। अगर 15 सालों तक हम सरकार में थे तो क्या हम जनता के पास गये ? हम जनता के पास नहीं गये। हम जनता के पास नहीं जाते थे, हम जनता से कोई सरोकार नहीं करते थे। हम योजनाएं बनाते थे। उन योजनाओं पर नीचे क्या होता था, उन योजनाओं का नागरिकों को लाभ मिलता था या नहीं ? हम सरकार हैं, हमारा काम योजनाएं बनाना है। उन योजनाओं का लाभ अंतिम आदमी तक पहुंचना चाहिए, तभी हमारी योजनाएं बनाने की सफलता है। आज हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी के विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं, वह योजनाएं अंतिम आदमी तक पहुंच रही है, उसको उसका लाभ मिल रहा है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम अमृत मिशन योजना की बात करते हैं। मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। यह अमृत मिशन योजना दो घटक की योजना है। अगर हम इस दो घटक की योजना में बात करते हैं। माननीय धर्मजीत भईया उस दिन कह रहे थे कि वह अहिरन खारंग लिंक योजना है और दूसरी योजना, नीचे पाईप लाईन बिछाकर, लोगों के घरों में उस पानी को पहुंचाना है। अभी पहली योजना जो है...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका 10 मिनट का समय समाप्त हो गया।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र की सिर्फ एक मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, कर लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि इन लोगों ने हर एक जगह बस की व्यवस्था कर दी है, घर पहुंच कर इलाज कराने की व्यवस्था बाजारों में भी, शहरों में भी की है और हर एक वार्ड में व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जो गरीब, श्रमिक, मजदूर के बच्चे थे, जो कमर्शियल पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढाई कर पाते थे, उनके लिए इन लोगों ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। हमारे माननीय मंत्री जी ने मजदूरों के बच्चों को नर्सिंग, फार्मेसी की पढ़ाई के लिए 40 हजार रुपये तक देने की व्यवस्था की। प्राइवेट हॉस्टल में रहने के लिए भी पैसा देने की व्यवस्था किया और उनके कापी, किताब तक की व्यवस्था की, इसलिए माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार के सहयोग से गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र की एक छोटी सी मांग रखता हूं। रामानुजगंज नगरपालिका 1934 से नगरपालिका थी। आप कई बार गये हैं। उसको बाद में जब हमारे विपक्ष के साथियों की सरकार आई तो उसको नगर पंचायत कर दिया गया। वह 1934 से नगरपालिका थी, उसको नगर पंचायत बना दिया गया। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इनके पापों को धोते हुए रामानुजगंज को नगरपालिका फिर से कर दिया जाये। ऐसा मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। रजनीश कुमार सिंह जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी एक मांग है कि माननीय मंत्री जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जल आवर्धन योजना में आपने शहर के पेयजल के लिये 18 करोड़ रुपये दिये हैं। स्वीकृत भी कर दिया, टेंडर भी हो गया लेकिन उसका एक एनीकट नहीं बनने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, पूरा नहीं हो पा रहा है। आपसे अनुरोध है कि 6-7 करोड़ रुपये जो भी लगे, एनीकट बनाकर उसको शुरू करा दिया जाये। क्योंकि जो 18 करोड़ रुपये दिये हैं, उसके कारण उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है।

समय :

7.17 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा आपके माध्यम से आग्रह है, वह बहुत बड़ा शहर है, बहुत पुराने जमाने का शहर है, पूरा शहर का पानी कनहर नदी के किनारे जाता है। वहां बजरंग बली का मंदिर, राम मंदिर, महामाया मंदिर, शीलता मंदिर शिव मंदिर है, बनारस की तरह नदी के किनारे-किनारे वह सारे मंदिर हैं, जहां पूरे शहर के लोग, क्षेत्र के लोग नदी किनारे मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं और उसी नदी में नहाकर पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन पहले जब हमारे मित्रों की सरकार थी तो एक एनीकट बना दिया गया, उस एनीकट में जाकर पूरा गंदा पानी, टायलेट का पानी रूकता है जिसके कारण बदबू आती है, जिसके कारण लोग लज्जित हो जाते हैं। पवित्र शहर अपवित्र हो गया है। वहां एक सीवरेज स्वीकृति करके उस पानी को किनारे से निकाल दिया जाये ताकि वह शहर फिर से पवित्र हो जाये और हमारे उन मंदिरों मे लोग शान से जाकर पूजा कर सकें। ऐसा आपसे आग्रह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पैसा नई मिलिस ?

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पैसा नई मिलत हे मंत्री, दे देहा तो धन्यवाद दे दूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने तो कहा कि एक इधर सरकार पक्ष से बोलेंगे, एक उधर विपक्ष से बोलेंगे, इसलिए हम लोगों को बोलने भी नहीं दिया गया।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ में 14 नगरनिगम, 44 नगरपालिका और 112 नगर पंचायत हैं। यदि आबादी की दृष्टि से देखें छत्तीसगढ़ का लगभग 27 प्रतिशत होता है। इस 27 प्रतिशत में जो राशि है, जैसा कि अभी बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष का 67 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है, 33 प्रतिशत राशि खर्च नहीं हो पाई है। इन क्षेत्रों में जो पूंजीगत व्यय है, इन सवा 04 वर्षो में न के बराबर है चाहे नगरपालिका हो, नगर पंचायत हो और नगरनिगम में यह वाहवाही के लिए, दिखाने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर सब जगह तो साम-दाम-दंड-भेद करके महापौर बना लिये।

संसदीय सचिव, आदिम जाति कल्याण मंत्री से संबंद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरासर गलत बोल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की नीति और माननीय मंत्री जी की नीति में पूरे नगरीय निकाय में कांग्रेस को एकतरफा बहुमत मिला है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आप चाहे यहां पर जितना बात कर लीजिये। जाकर देखिये कि नगर पंचायत, नगर पालिका और बिलासपुर नगर निगम के। अभी माननीय शैलेश जी नहीं हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- समूचे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय का परीणाम सामने है। परिणाम को आप न झूठलाईये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर की अमृत मिशन योजना की बात कर रहे हैं। बिलासपुर में दो पार्ट में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अन्य भागों में नहीं हो पा रहा है। सरकार जो बहुत बड़ी बात करती है कि हमने पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी। नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी उसमें शामिल नहीं है। जो निगम के ऑफिस है, उनका बिजली बिल नहीं पट पा रहा है। संपत्ति का राघा करने की बात हुई थी, वह नहीं हुआ है। बिलासपुर नगर निगम में मैं कई बार बोल चुका हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इतने बड़े क्षेत्र को शामिल किये हैं, बड़े-बड़े पंचायतों को शामिल किये हैं, जिनको पंचायत रहते इससे ज्यादा राशि मिलता था। जो साढ़े चार साल में राशि दिये हैं। मेरे विधानसभा में लिंगयाडीह, मोबका, मंगला, कोनी, बिरकोना, यह सब बड़े-बड़े पंचायत थे, इनसे ज्यादा काम वह पंचायत रहते कर लेते थे। अब वह मांग कर रहे हैं कि हमको पंचायत बनाया जाय। इसलिए बिलासपुर के अरपा पार को नगर निगम का दर्जा दिया जाय, जिसमें बड़ी संख्या में बेलतरा विधान सभा में ग्राम सभा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। सौरभ सिंह जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब एक-एक मिनट बोलेंगे। मैं तो सत्तापक्ष रोक दिया।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- दूसरी बात, बेलतरा विधानसभा में एक भी नगर पंचायत नहीं है। बहुत बड़ा पंचायत है। मुख्यालय है। बेलतरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर नगर निगम के लिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बहुत बड़ा क्षेत्र बनाये हैं, 5 विधानसभा का क्षेत्र बनाये हैं, कम से कम 200 करोड़ राशि अधोसंरचना विकास मद के लिए दीजिये, तभी बिलासपुर का विकास हो सकेगा। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सौरभ भाई।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक लाईन में बोलूंगा कि मेरे यहां के.एस.के. महानदी संयंत्र संचालित है। वहां पर जो बाईलर है, वहां पर प्रबंधन द्वारा मजदूरों से रोज कोकिंग कराया जा रहा है। किसी भी दिन बाईलर फट सकता है और वहां इंडस्ट्रीयल सेफ्टी के अधिकारी वहां नहीं जा रहे हैं। शिकायत कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय :- केशव प्रसाद चंद्रा जी। सबको एक-एक मिनट दे रहा हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा में केवल एक नगर पंचायत है। नगर पंचायत बनने के बाद न वहां पर बस स्टैण्ड

बना है, न ही वहां पर हाट बाजार है, न कोई ऐसे सामुदायिक भवन है, जिसमें केाई कार्यक्रम हो सके। जल आवर्द्धन स्वीकृत है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, रामकुमार यादव जी। 1 मिनट में अपनी बात रखें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- उसमें सब आ जायेगा। मैं आगे बढ़ जाऊंगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप अधोसंरचना की मद देते हैं। उसमें हम लोगों को नगर पंचायत प्रस्ताव से भी जोड़ा गया है। यह अनुरोध है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी। आप बोलये।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत संक्षिप्त में दो मांग कर रहा हूं। आपसे विनम्र आग्रह है कि लोरमी पहले नगर पालिका था, बाद में नगर पंचायत हो गया। अगर उसे नगर पालिका का दर्जा दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी और वहां पर 14 और 15 नंबर वार्ड में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। उनके निस्तार की कोई सुविधा नहीं है। नदी के एक तरफ यह दोनों वार्ड हैं। वहां पर यदि आप 1 करोड़ रूपये की लागत से एक सामुदायिक भवन की स्वीकृति की घोषणा कर देंगे तो उनको सुविधा मिल जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर साहब। एक-एक मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं एकदम संक्षिप्त में अपनी बात रखता हूं। मैं पहले दो बार प्रश्न लगाया कि रायपुर राजधानी में कितने काम्प्लेक्स हैं, जिसमें पार्किंग की सुविधा नहीं है और नक्शे मं पार्किंग दिखाये हैं? तो उसका जवाब मुझे नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं एक लाईन और बोलूंगा। मैं दो लाईन बोलूंगा कहा था। बहुत सारे काम्प्लेक्स हैं, जिन्होंने बेच दिया। दूसरी लाईन यह है कि संयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। यह तीन बार प्रश्न लग गया। अभी आखिर बार यह बोले कि जो सड़क बनी है, उसको नेशनल हाईवे जाने, इससे पहले नगर निगम जाने बोलते थे। तेलीबांधा थाने से माल तक की सड़क जादू से बन गई, किसने बनाई, जबरदस्ती कैसे किया, इसके बारे में माननीय मंत्री जी जरूर अपना अभिभाषण में बताने का कष्ट करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- वह तो आप तीन-चार दिन से बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रीतम राम जी।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंबिकापुर नगर निगम के दो वार्ड, वार्ड क्रमांक 44 और 46 मेरे लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में आता है। चूंकि नया वार्ड बनने के कारण वहां पर बहुत सारे जरूरते हैं। वहां विकास कार्य अभी भी पूरी नहीं हुई है, जिसमें से सी.सी. रोड, नाली निर्माण और वार्ड

क्रमांक 44 में मंगल भवन का मांग कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप घोषणा कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस सदन के माध्यम से पामगढ़ को नगर पंचायत घोषणा कर दें, मेरा यही निवेदन है ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करिहंओं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चंद्रपुर ला गौरवपथ के घोषणा करे रिहिन हे चूंकि चंद्रहासिनी मंदिर हे । उड़ीसा अउ कई प्रदेश के मन उंहां दर्शन करे बर आथे ता गौरवपथ बन जतिस । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे प्रस्ताव ले लूंगा और जो करने लायक रहेगा उसको कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- पूरा कर देंगे । एक और विभाग आयेगा । चलिये, मंत्री जी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये हमारे बृजमोहन भाई कहां गये हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- पानी पीने गये हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न उठाते हैं तो सुनने का भी दम रखना चाहिए और शाम को पानी पीने के लिये नहीं जाना चाहिए चाहे कोई भी हो ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- पानी पीने के लिये क्यों नहीं जाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ।

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के सदन में प्रवेश करने पर)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सुन लिये । आ गये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तें हा कौन ला पीये बर भेजे हस ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाम को नहीं जाना चाहिए ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अरे भाई ज्यादा पानी पीबे ता सर्दी हो जाही ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तोला धन्यवाद देना चाहिए कि हमन तोला अतेक जल्दी मुक्त कर दे हन ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाई बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें की हैं । हमारे श्रम विभाग के बारे में आपने बहुत सारी बातें की हैं । श्रम विभाग में आपसे ज्यादा बेहतर काम हम लोगों ने किया है । आपके यहां केवल खरीदी होती थी और

कमीशन खाया जाता था । यहां खरीदी नहीं होती, सीधे डॉयरेक्ट बेनीफिशियरी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है । (मेजों की थपथपाहट) हमारे यहां मजदूरों के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है । हम सीधे उनके खाते में भेजते हैं और बीमारी के ईलाज के लिये, सिलकोसी बीमारी सहायता के लिये 3 लाख रूपये दिया जाता है । बहुत सारे लोगों को दिया गया है, आप कहेंगे तो मैं आपको पूरे आंकड़े दे दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी सुनना गा, जब तक सेवा शुल्क न दो तब तक 15वें वित्त की राशि तो सीधे नगर पंचायत, नगर पालिका में जाती नहीं है तो यह कैसे बिना सेवा शुल्क के खाते में चली जाती है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं उसको भी आपको बता देता हूं । आप लोगों का सेवा शुल्क का कैसा था, मैं वह भी आप लोगों को बताउंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सेवा शुल्क का अनुभव 15 साल में जितना आप लोगों को है, उतना कहां 4 साल में अब इन लोग सीख पायेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आपकी पार्टी के चुने हुए नगर पंचायत अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष और अपने मेयर से पूछ लो । वे लोग इस बात को बोलते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब न करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे श्रम विभाग में बोल रहे थे कि पैसा जमा है खर्चा नहीं होता । खर्चा हो रहा है, हम सीधे खाते में देते हैं इनकी तरह खरीदी नहीं करते । वर्ष 2022-23 में 140.67 करोड़ रूपये में से 6.38 लाख श्रमिकों को लाभांवित किया गया है । ये तरफ थोड़ा ताली बजाओ न, ओ मन ला सुनाई देना चाहिए न । (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा में लोगन मन ला ताली बजाये बर बोले जा सकथे का ? (हंसी) ओला अइसे लगथे कि आम सभा में भाषण देत हंओं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बृजमोहन जी का जवाब दे रहे हैं । उनको अपने विभाग के बारे में बोलना चाहिए । उसमें तो आप ही आप जवाब आ जाता है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं उसके बारे में भी बोलूंगा न । आप चिंता मत करिये न। आपको ताली बजाते नहीं बन रहा है इसीलिये आपको दिक्कत है । ये मेरे पुराने खड़खड़िया वाले साथी हैं । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका माननीय अध्यक्ष जी ने 10 मिनट का समय तय कर दिया है । आप ला ओ ख्याल रखे बर पड़ही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अनावश्यक इधर-उधर की बात न करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने चालू की है । उस समय जरूरत थी तो हमने

श्रमिकों की बस्तियों में स्वास्थ्य लाभ देने के लिये उनको घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायी है । उनका ईलाज होता है । दवाईयां मुफ्त में देते हैं उसके लिये हम लोगों ने श्रम विभाग से राशि ली थी अब दिनांक 16.03.2023 को श्रम विभाग को वह राशि हमारे नगरीय प्रशासन विभाग से वापस कर दी गयी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में श्रम विभाग में जो योजनाएं थीं, ऐसी ऐसी योजनाएं थीं, जब से वे योजनाएं बनी थीं तब से एक भी आदमी को लाभ नहीं मिला था । ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई गई थी जैसे शादी वाली योजना बनाई गई थी । महिला एवं बाल विकास विभाग में भी योजना थी । दोनों जगह से राशि ली जाती थी । जब हमने जानकारी ली तो 80 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे लोग थे जो दोनों योजनाओं का लाभ ले रहे थे । इसलिए हमने उसको बंद किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी राशि बढ़ा दी है । पहले 25 हजार की और अब बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग महत्वपूर्ण विभाग है इसमें जो 2004-05 में 8 करोड़ 65 लाख का बजट प्रावधान था । आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बजट में 203 करोड़ का प्रावधान है जो पिछले साल के बजट से 20 प्रतिशत अधिक है । नगरीय प्रशासन विभाग में 2022-23 में 3848.28 करोड़ का प्रावधान था इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5360.79 करोड़ का प्रावधान किया है जो पूर्व बजट से 40 प्रतिशत अधिक है । शहरी अधोसंरचना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है । जो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है उस आधार पर किया है । हमारे नगरीय निकायों के लिए 940 करोड़ रूपया जारी करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी बता रहे थे नगर निगम रायपुर के बारे में । 100 करोड़ रूपया रायपुर नगर निगम के लिए, भिलाई के लिए 60 करोड़ रूपया, बिलासपुर के लिए 50 करोड़ रूपया, दुर्ग के लिए 25 करोड़ रूपया, भिलाई, चरोदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़ रूपया । रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को 15-15 करोड़ रूपया। बिरगांव, धमतरी, चिरमिरी को 10 करोड़, सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रूपए इस तरह कुल नगरीय निकायों को 941 करोड़ रूपया जारी किये जाएंगे (मेजो की थपथपाहट) ।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण हेतु ड्रेनेज सिस्टम के लिए 18 करोड़ रूपए और जी-20 समिट तैयारी के लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया है । हमारी सरकार ने प्रदेश में 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था । 15वें वित्त के लिए इस वर्ष 23-24 में 580 करोड़ रूपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है । जो नगरीय निकायों तथा नगरीय क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना विकास के लिए इसमें काम किया जाएगा । शहरी आजीविका मिशन के तहत जो हमारी स्व-सहायता समूह हैं या जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको रोजगार प्रदान

करने के लिए कौशल उन्नयन का काम किया जाता है । इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नगर निगम रायपुर में 100 सीटर, भिलाई में 750 सीटर, बिलासपुर में 500 सीटर शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किये जाने हेतु 7.50 करोड़ रूपया जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है । नगर निगम भिलाई एवं रायपुर में अत्याधुनिक साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बी.पी.ओ.स्थापना हेतु राशि 10-10 करोड़ रूपए तथा रीपा की तर्ज पर अर्बन कॉटेज एवं इंडस्ट्रीज पार्क लगाए जाने हेतु सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं को 2-2 करोड़ रूपए जारी किये जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है । शहरी गौठानों को मल्टीपर्पस एक्टिविटी सेंटर के रूप में भी विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोय, स्वच्छता मॉडल में स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी सरकार शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है । जब हम लोग पहले साल सरकार में आए उसके बाद हम लोगों ने समीक्षा की और देखा कि इनके द्वारा जो स्वच्छता का काम किया जाता था, वह बहुत खराब स्थिति में था । कई मोहल्लों में कई-कई दिनों तक सफाई नहीं होती थी, कचरे नहीं उठाए जाते थे । उसको हम लोगों ने ठीक किया और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन होता है । यह कार्य सभी निकायों में होता है । हमारी स्व-सहायता समूह की बहनें जाती हैं और सफाई की व्यवस्था प्रतिदिन होती है । किसी वार्ड की किसी गली को नहीं छोड़ा जाता, सभी जगह सफाई होती है । इसीलिए पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में 2019 में, 2020 में, 2021 में लगातार पहले नंबर में आए हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को पुरस्कार प्रदान किया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- महामहिम राष्ट्रपति जी के भी प्रमाण पत्र में भी आप ऊंगली उठाते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे सभी नगर निगमों में मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक योजना का संचालन किया जाता है जिसमें मोबाईल मेडिकल यूनिट है, जिसमें सारे स्टॉफ एम.बी.बी.एस. डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस और पैथोलाजिस्ट महिलाएं रहती हैं और वह सिर्फ महिलाओं का ईलाज करती है और मुफ्त में ईलाज करते हैं, पैथोलाजी जांच होती है और दवाईयां भी मुफ्त में देते हैं। स्वच्छ पेयजल एवं प्रबंधन के लिए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जलावर्धन के विस्तार के लिए 255 करोड़ रूपये का इस साल प्रावधान किया गया है। मिशन अमृत 2.0 के सभी नगरीय निकायों में पाईप लाईन तथा एक लाख से अधिक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सब के लिए आवास योजना, इस योजना के तहत् सबसे अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के चार-चार पुरस्कार हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अच्छा गुणवत्ता निर्माण का, पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया है और यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम नहीं हो रहा है। एक तो इनके प्रधानमंत्री जी पूरे देश में

हमको पहले नंबर का पुरस्कार देते हैं और यह यहां कहते हैं कि यह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वे अपने प्रधानमंत्री जी को ही झूठा घोषित कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय प्रधानमंत्री जी पुरस्कार दिए हैं, उसमें क्या प्रश्न है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी को अभी कक्ष में ले जाईयेगा, इनके प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री, ऐसे शब्दों से तो बचें।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह तो आप जानते हैं ना। उनको बताईए ना। आप ट्रेनिंग ही ठीक से नहीं दिए हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने पुरस्कार दिया है तो आप उसमें भी प्रश्न लगा रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं भैया, नई लगाथन ददा। (हंसी) हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके प्रधानमंत्री जी।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी कर देता हूं। प्रधानमंत्री आवास के घर पूर्ण नहीं किए हैं, यह हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बता रहे थे। वर्ष 2018 तक इन लोगों ने 19 हजार 42 मकान बनाए थे, वर्ष 2019 से 2022 तक 5 लाख 53 हजार 725 मकान पूर्ण किए हैं जो इनके समय से जो हम लोग किए हैं, वह पांच गुना ज्यादा है। (मेजों की थपथपाहट) बी.जे.पी. शासनकाल में आप लोगों ने राज्यांश 271 करोड़ रूपये दिया था और हमारी सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी ने 2116 करोड़ रूपये दिया है जो आपसे 8 गुना ज्यादा है। (मेजों की थपथपाहट) अभी हमारे बृजमोहन भाई जी, बजट व्यय के बारे में बोल रहे थे कि 65 प्रतिशत है, 67 प्रतिशत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के लिए आज तक 85 प्रतिशत राशि हमारे विभाग में व्यय हो चुका है और अभी वित्तीय वर्ष के 10 दिन बचे हैं। हो जाएगा चिंता मत करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब वह 33 प्रतिशत 5 दिन में कैसे हो जाएगा, यह बता दीजिए ? 67 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कैसे हो जाएगा ?

श्री अजय चंद्राकर :- वे स्वयं करेंगे ना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया, 85 प्रतिशत हो गया है, बोल रहा हूं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो। यह 65, 65 बोलते हैं। पूरा हिसाब किताब, आंकड़ा वगैरह जाना करिए या नहीं है तो हमसे पूछा लिया करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ए किताब में ते हां बताए हस कि 67 प्रतिशत खर्च होय हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओ कब छपे रहिस हे, पिछले साल का पढ़ रहे हो या इस साल का है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं 2022-23 के पढ़त हौं। 2022-23 के ए किताब में बताय हस कि 67 प्रतिशत खर्चा होए हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओ जब छपा होगा, उस समय का है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 28 फरवरी तक 67 प्रतिशत खर्चा बताय हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम लोग मार्च में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग चर्चा मार्च में कर रहे हैं। यह फरवरी में छपा है और हम लोग मार्च में चर्चा कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया बृजमोहन जी, एक महीना में महानदी में कितना पानी बहता है, पता नहीं रहता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पास कराओ और मुक्ति दिलाओ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए संतुष्ट हो रहे हैं। मंत्री जी वे लोग इशारा कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, अभी उनको पढ़ने दीजिए ना, वे बोल कहां रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। एकाध पेज और बाकी हो तो उनको भेजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं पढ़ नहीं रहा हूं बता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रशासकीय प्रतिवेदन 31 दिसम्बर की स्थिति में होता है। यह 15 सालों तक मंत्री रहे हैं। इनको इसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह 31 दिसम्बर की स्थिति में रहता है। इसमें तारीखें डली हैं कि यह कब तक की जानकारी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह 31 दिसम्बर की स्थिति में है। रायपुर में नालों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 18 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है और अधोसंरचना एवं आजीविका मिशन हेतु हमारे रायपुर शहर के लिए 100 करोड़ रूपये दिये गये हैं। यह स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत बातें कर रहे थे तो रायपुर वर्ष 2016 में स्मार्ट सिटी घोषित हुआ। वर्ष 2018 तक इनकी में कोई काम नहीं हुआ। (शेम-शेम की आवाज) इन लोगों ने 2 सालों में एक भी काम नहीं किया। जून, 2023 तक भारत सरकार की समय-सीमा में वृद्धि की गई है। स्मार्ट सिटी के काम तेजी से किये जा रहे हैं। यह 24/7 वाटर सप्लाई की बात बोल रहे थे। यह वर्ष 2016 से 24/7 वाटर सप्लाई का नाम ले रहे थे और वर्ष 2018 तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लागों ने इसका निविदा निकाला। इसका कार्यादेश जारी हो गया है। इसकी समयावधि 2 वर्ष तक है जो कि दिनांक 30.03.2024 तक है। हम 5 वर्ष तक इसका मेंटनेंस करेंगे। इसकी लागत राशि 130 करोड़ 39 लाख रूपये है। वर्तमान में टोटल पाइप लाइन 162 किलोमीटर के विरूद्ध 65.50 किलोमीटर की पाइप लाइन

डाली जा चुकी है। 3,300 हाऊसहोल्ड कनेक्शन और 24,000 के विरूद्ध हो चुका है। हमने यह कार्य प्रारंभ कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बूढ़ापारा में जो रोड बंद करने की बात कही है उसको हम दिखवा लेंगे और यदि जरूरत होगी और आवागमन में दिक्कत होगी तो उसको खोलने का भी काम करेंगे। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कमीशन की बात बहुत करते हैं क्योंकि ये 15 साल तक वही काम किये हैं। इन लोगों को कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं था और तभी रायगढ़ में इनके माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अभी यहां पर नहीं दिख रहे है। डॉ. रमन सिंह जी ने बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, शिवरतन शर्मा जी से कहा कहा था कि आप लोग एक साल कमीशनखोरी बंद कर दीजिए। इन्होंने उसका प्रस्ताव भी पारित कर दिया था और वह पेपरों में बड़ा-बड़ा छपा भी था।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो मंत्री ही नहीं था।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पिछली सरकार में जो पंचायत मंत्री थे, वह [xx] कमीशन के नाम पूरे देश में प्रसिद्ध थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह मंत्री जी को भी गलत जानकारी देते हैं। इसमें 31 जनवरी की स्थिति में लिखा है। मंत्री जी, जब आपके पास चिट आती है तो कम से कम वह सही आनी चाहिए। 31 जनवरी, 2022-2023 की स्थिति में खर्च का है।

श्री भूपेश बघेल :- वह जनवरी-फरवरी बोल रहे थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी ने दिसम्बर बोला है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी दिसम्बर बोले हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अभी आप फरवरी बोल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये मंत्री जी, आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लेकिन सरकार को तो सही जानकारी होनी चाहिए। उनके पास चिट आई है और चिट में तो सही जानकारी आनी चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जानकारी सही है। आप चिंता मत कीजिए। आपके यहां तो 10,000 करोड़ रूपये की तक...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन भैया, हम लोग चर्चा तो मार्च में कर रहे हैं। जब हम मार्च में चर्चा कर रहे हैं तो उतना तो बढ़ेगा ही।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपकी सरकार में तो 10,000 करोड़ रूपये का क्लैरिकल मिस्टेक हो जाता था। आप लोगों की तो ऐसी स्थिति थी। आपकी पिछली सरकार में पंचायत मंत्री थे, वह [xx] के नाम से प्रसिद्ध थे। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय डहरिया जी, आप यह बता दीजिए कि आप कितने परशेंट के लिए प्रसिद्ध हैं ? साढ़े 3 परशेंन।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो मैं बोलहुं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये मंत्री जी, आप निवेदन करके अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों की बात करूंगा तो यह सदन पूरे रात भर चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसलिए आप निवेदन कर लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- ते जनता-जनार्दन के मांग कर न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं रात भर चला देता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मांग पास करने की।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं निवेदन करता हूं कि अनुदान मांगों को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप हम लोगों के बारे में तो कुछ बोलिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप एक मिनट रूकिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शारदा चौक से तात्यापारा तक रोड के चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है लेकिन उसके लिए 30 करोड़ रूपये चाहिए। मैंने आपको 10 पत्र लिखे हैं और मैंने आपके हर बजट भाषण में बोला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप एक बोल दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसलिए 10 करोड़ रूपये से उस रोड का चौड़ीकरण नहीं होगा और वह कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आप उसके लिए पूरा पैसा दे दें, क्योंकि यह रायपुर शहर बॉतल नेक है और वहां यातायात की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। उसमें 60 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं यदि उसमें 40 करोड़ रूपये और खर्च हो जाएंगे तो उससे पूरा क्षेत्र ठीक हो जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- बृजमोहन जी, आप चिन्ता न करें, वह पूरा होगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भाई ने कहा है कि नगर पालिका के लिए 20 हजार से अधिक जनसंख्या का मापदण्ड निर्धारित है, जो पूरा नहीं हो रहा है । यह जनगणना 2011 के आधार पर है । हम आपको सामुदायिक भवन दे देंगे, चिन्ता मत कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22, 69, 81 एवं 18 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये - पन्द्रह करोड़, चौंतीस लाख रूपये,
मांग संख्या	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये - एक हजार एक सौ अठानबे करोड़, छियासी लाख, पचास हजार रूपये,
मांग संख्या	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - तीन हजार एक सौ ग्यारह करोड़, सत्ताईस लाख, छप्पन हजार रूपये तथा
मांग संख्या	18	श्रम के लिए - दो सौ तीन करोड़, अठासी लाख, छियानबे हजार रूपए तक की राशि दी जाए ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु कल मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को शेष छः मंत्रियों की मांगों को कार्यसूची में सम्मिलित किया जा रहा है ।

अनुदान की मांगों पर चर्चा समय पर सम्पन्न हो, इस दृष्टि से कल मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को नियम 138 के उप नियम (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जाएंगी ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कल ध्यानाकर्षण नहीं लेंगे तो परसों चार लेंगे, आपने उल्लेख नहीं किया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कल खत्म करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान मांगों के बारे में माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, डॉ. रमन सिंह जी का नाम लिये और वे पहुंच गए । उनको खाद्य विभाग से बहुत प्रेम है ।

<u>वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

(4)	**मांग संख्या**	**-**	**39**	**खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**-**	**26**	**संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**-**	**31**	**योजना, आर्थिक तथा संख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए - तीन हजार चौसठ करोड़, छः लाख, चौदह हजार रूपये,

मांग संख्या 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए - एक सौ तेरह करोड़, चवालीस लाख, तिरसठ हजार रूपये तथा

मांग संख्या 31 योजना, आर्थिक तथा संख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए-बांसठ करोड़, दो लाख, सत्तासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाठ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या-39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
3.	श्री अजय चन्द्राकर	2
4.	श्री धरम लाल कौशिक	17
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	4

मांग संख्या-26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
3.	श्री अजय चन्द्राकर	3
4.	श्री धरम लाल कौशिक	3
5.	श्री शिवरतन शर्मा	11
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2
7.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3

मांग संख्या-31

योजना, आर्थिक तथा संख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री धरम लाल कौशिक	1

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं Night Watchman हूं । Main Player माननीय पुन्नूलाल जी मोहले थे, पर पांडे जी जितनी मेरी हिम्मत नहीं है । वे आज शुरू से 1 से लेकर 11 तक बल्लेबाजी कर रहे हैं । इस सरकार में तीन अति विद्वान मंत्री हैं । उसमें क्रम तय करना बड़ा मुश्किल है। डहरिया जी को बहुत विद्वान कहा। तो मैं उनको भयंकरतम विद्वान कह देता हूं। आप देखो न, वह पढ़ ही रहे हैं, अभी तक ध्यान नहीं है, वह इतने विद्वान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके बाद कवासी लखमा जी माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में ताली बजा रहे थे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। टेबल ठोक रहे थे। तो इन तीनों के बीच में फैसला कर पाना मुश्किल है। मैं 5 मिनट में तो नहीं, परन्तु कुछ जल्दी खत्म कर दूंगा।

श्री कवासी लखमा :- उस समय 14 लोग में से दो लोग दिखे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य विभाग में कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन सी तारीख तक का है, लेकिन जो बजट खर्च है, उनको हटा दिया गया है। उपभोक्ताओं के जागृति हेतु सहायता, इसमें उपभोक्ता जागृत हो जायेंगे तो फिर सरकार में क्या बचेगा ? उसको खत्म कर दिया गया। राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र, उपभोक्ताओं की कोई सहायता नहीं होगी, अब वह योजना खत्म, जीरो प्रतिशत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना क्रमांक 7944 वह खत्म। योजना क्रमांक 8919 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण कम्प्यूटरीकरण 7.74 करोड़ में 20 लाख रूपये खर्च हुआ है, 3 प्रतिशत खर्च हुआ है। अब यह कौन सी तारीख तक है, यह तय कर लीजियेगा। मैं इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन 367.80 करोड़ में 23.52 करोड़ खर्च हुआ है। इसमें इस साल और पैसा बढ़ाने वाले हैं। अब यह क्यों रूका हुआ है, समझ लीजिये। कई माननीय मंत्रीगण भाषण दिए हैं। डहरिया जी को छोड़कर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा। कोई क्यों किसी के ऊपर आरोप लगायेगा। कोई न कोई बात होती है तब आरोप लगता है या बात होती है। आरोप हो तब उस तरह की बात होती है। उसके अतिरिक्त, नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति, इसमें 13 करोड़ रूपये है, जीरो प्रतिशत व्यय है। नागरिक आपूर्ति निगम को कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी गई है। राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति 750 करोड़ में एक रूपया, यानि ढेला पैसा खर्च नहीं हुआ है। अन्नपूर्ण योजना तो बंद कर दी गई। अंत्योदय अन्न योजना में कुछ खर्च हुआ है, वह भी एक तिहाई खर्च हुआ है। दालभात केन्द्रों को प्रोत्साहन बंद। मुख्यमंत्री खाद्यान योजना में लगभग 63 प्रतिशत खर्च हुआ है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (राज्य आयोजना) में 1 करोड़ 6 लाख रूपये में 4 हजार रूपया व्यय

हुआ है। अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना का प्रदाय 53 प्रतिशत खर्च हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में इसका रिफलिंग वगैरह को लेकर खास उल्लेख किये थे तो इसमें शून्य प्रतिशत व्यय है। केन्द्रीय योजनाओं के प्रति कितनी गंभीरता है। उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण 85 करोड़ रूपये में अभी तक, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, शून्य प्रतिशत व्यय है। गुड़ वितरण योजना में 63 प्रतिशत व्यय हुआ है। त्यौहारो/मेलों हेतु दाल-भात केन्द्रों का संचालन, इसमें शून्य प्रतिशत व्यय है। राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति, इसमें 40 प्रतिशत ही व्यय हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रियायती दर पर आयोडाईज्ड नगम वितरण हेतु सहायता अनुदान में पूरा शत प्रतिशत खर्च हुआ है। इसके बाद राईस फोर्टिफिकेशन में 2 प्रतिशत खर्च हुआ है। 39.80 करोड़ में 72 लाख खर्च हुए हैं। मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना 10 लाख रूपये में एक रूपया खर्च नहीं हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु, इसको खत्म कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान सह गोदाम निर्माण योजना वितरण, इसको खत्म कर दिया गया। अब पहुंचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्यान भण्डारण हेतु सहायता, इस सीजन की वर्षा ऋतु निकल गई है, लेकिन इसमें एक रूपया खर्च नहीं हुआ है। नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण, इसमें 45 करोड़ में अभी तक खर्च नहीं हुआ है। लेकिन मैंने इसमें ध्यानाकर्षण लगाया है, यदि आपकी कृपा से आ जाये तो अच्छा होगा। इसमें जोरदार खेल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी से बोल देता हूं। मैं खाद्यान पर बोलने वाला आदमी नहीं हूं। आज पर्याप्त चर्चा हुई है। हम उसमें न्यायालयीन प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने सुनकर नकार दिया, अध्यक्षीय आसंदी पर कोई नहीं है। लेकिन गरीबों के चावल, चना, शक्कर, गुड़, इस पर 24 तारीख तक जांच करवा देंगे। ऐसा कौन सा है जो 13 हजार दुकानों की जांच हो जाये। संयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, 24 तारीख तक 13 हजार दुकान की जांच हो जायेगी, पता लग जायेगा । क्या सदन नहीं समझता, लोग नहीं समझते हैं, यह गरीबों के चावल के साथ अन्याय हो रहा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब ये सहकारिता में आये चाहे किसी में आये, खरीफ फसल वर्ष 2020-2021, वर्ष 2022-2023 और इस वर्ष यानी 1 लाख 55 हजार किसान एक साल और 2 लाख 27 हजार 811 किसान एक साल, इस साल 99 हजार 389 किसान पंजीकृत होने के बाद भी धान नहीं बेच पाये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धान खरीदी 80 लाख टन, 90 लाख टन, 97 लाख टन हुई, इस साल धान का कस्टम मिलिंग शतप्रतिशत नहीं कर पाये हैं । न एफसीआई में, सेंट्रल पुल में जितना धान है, मेरे पास उसका रिकार्ड है, वर्ष 2020-2021 में एक लाख टन जमा नहीं हो पाया, वर्ष 2021-2022 में 1.81 जमा नहीं कर पाये हैं, अभी 3 मार्च की स्थिति में 32 लाख टन भर जमा हुआ है । केन्द्र के ऊपर आरोप जबरदस्त लगता है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नही देते, इस कारण से कि मैं कोर्ट में गया हूँ। मैं निश्चित रूप से कोर्ट में गया हूँ, लेकिन कोर्ट में अभी स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है,

यह तय नहीं है, यह तय नहीं है । मैं भी लिटिगेशन थोड़ा बहुत समझता हूँ। अपने कुप्रबंधन के कारण कभी हाथी के लिये धान बेंचेंगे, कभी कलेक्टर के लिये भेजेंगे, कभी कैबिनेट ने दर तय किया है, इतने में बेचेंगे, कुल मिलाकर 350 करोड़ का चूना कुप्रबंधन के कारण लगाया है और किस आदमी को धान बेचा है, किसके लिये यह रेट तय हुआ है, यह भी एक मजेदार बात है । अब टाईम नहीं है तो बताता कि किसको धान बेचा गया है और इतना रेट किसके लिये तय हुआ है ? कैबिनेट से हुआ, किससे हुआ, बात की बात है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात छिपाई जाती है, निगम, मंडल, बोर्ड, कंपनी जितने हैं, उसके लिये ऋण कितना है, धान खरीदी में पिछले वर्षों से हर वर्ष हम ऋण चुका देते थे, अभी 30 हजार 292 करोड़ रूपया का ऋण है । यदि उस ऋण भार को जोड़ देंगे तो राज्य के ऊपर 1 लाख 50 हजार से ऊपर का ऋण होगा और नहीं जमा करने के कारण 285.62 करोड़ ब्याज भुगतान किया जाता है, यह इस साल मार्च 2023 की प्रश्नोत्तरी में है । यह 17 मार्च की प्रश्नोत्तरी में है, यह हालत है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न क्रमांक 8, 22 जुलाई 2022 के प्रश्न में माननीय खाद्य मंत्री जी ने बताया है, केन्द्र सरकार की बहुत आलोचना होती है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, इसलिये जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ । धान खरीदी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के आधार पर कुल प्राप्त राशि 51,563.47 करोड़ है, वहीं राज्य सरकार का मात्र 11,148.45 करोड़ रूपया है । किसानों को दी गई, अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा 78.37 प्रतिशत राशि और राज्य सरकार द्वारा 21.62 प्रतिशत राशि दी जाती है, यह विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-2022 की आदान राशि का भुगतान अभी भी बकाया है, अब कार्ड में एक लाईन भर को बता देता हूँ, फिर मैं समाप्त करता हूँ । इन्होंने कहा था कि प्रत्येक को खाद्य सुरक्षा का अधिकार एक रूपये में देंगे । वर्तमान में 9 लाख 11 हजार परिवार को 10 रूपया किलो में दिया जा रहा है, जबकि घोषणा पत्र में कहा गया था कि सब को एक रूपया में देंगे । अब कस्टम मिलिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बातें कहीं है, अच्छी बात है कि आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, उसके कारण इस साल धान का उठाव पूरा हो गया है, क्षति नहीं हुआ है । वातावरण बना, मुख्यमंत्री जी के बात की विश्वसनीयता होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं प्रदेश के बाहर जाऊंगा तो अपने मुख्यमंत्री जी की आलोचना नहीं करूंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी, शहर में पूरा निकलिये । एकमात्र सेक्टर है, इनकी परिभाषा में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया में आता है । लेबर भी, मालिक भी, 80 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के लोग हैं । स्टेप बाई स्टेप, धान एलाटमेंट का इतना पैसा, नान में जमा करने का इतना पैसा, जब आपने सीएमआर के लिये 1000 करोड़ रूपया रखा है तो तीन साल से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, पिछले साल का तो एक पैसा नहीं हुआ है, उससे पहले साल भुगतान बकाया है और इस साल की तो चर्चा शुरू नही हुई है। यदि पूरे छत्तीसगढ़ में जिले में कोई छोटा-मोटा आयोजन हुआ तो उसके लिये भी जिम्मेदार राइस मिलर्स है। बड़े उद्योग की ओर तो दूसरी सेटिंग होती है। मैं उनके ऊपर

आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप आज की तारीख में किसी भी राइस मिलर्स से पूछ लीजिये। साहब, सी.एम.आर. के पैसे के लिये दलाल घूम रहे हैं कि हम आपको 120 रूपये के हिसाब से पेमेंट करायेंगे, अभी 60 रूपये देंगे और बाद में 60 रूपये देंगे, इस साल का इतना देंगे और उस साल का उतना देंगे। गली-गली में चर्चा है। मैंने एक दिन आग्रह किया था, जिससे भी किया था कि सरकार की इतनी रद्दी चर्चा नहीं होनी चाहिए, यह हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, सड़क की सरकार नहीं है। इसको रोकना चाहिए। खाद्य के जितने सेंटर है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में बहस हुई तो मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग 7, 8, 10 लोग हो, क्या किसी भी आदमी को 70 किलो, 80 किलो मिला है ? मैं हार जाऊंगा जो भी बोलेंगे कि चावल मिला है। वहां किसी ने कहा कि हमको इतना चावल मिलता है। इनको वहां लिस्ट टांगनी चाहिए कि राज्य के सुरक्षा कानून में कितना चावल मिलता है, केंद्र सुरक्षा कानून में कौन से कार्ड को कितना चावल मिलता है और प्रधानमंत्री सुरक्षा कानून में खाद्य में माननीय प्रधानमंत्री खाद्य गरीब कल्याण योजना, जो भी नाम है, उसमें प्रति यूनिट कितना मिलता है। आप प्रत्येक जगह पर लिस्ट को क्यों नहीं टांगते ? क्या अपनी पार्टी के रंग का झण्डा पोतवाने के लिये, उस तरीके से बिल्डिंग को पेंट करने के लिये इनके पास पैसा है ? उपभोक्ताओं के जागरण के लिये एक रूपया नहीं है। यह हाल है कि राइस मिल का उद्योग जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, वह बेचारे शोषण के सबसे बड़े Equipment बन गये हैं। वे इस शासन के लिये सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी बन गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा-सा संस्कृति विभाग में बोलता हूं। मैं आज इसी विभाग में बोलूंगा सोचा था लेकिन अब दो विभाग में मुझे Night watchman की तरह बोलना पड़ गया। सिरपुर की बता करना चाहूंगा। देखिये माननीय, पहले एक लाइन बोल देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्टेप लेते हैं तो मुझे लगा कि उनका संस्कृति के प्रति आग्रह है। लेकिन मैं आज उनके सामने बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति के प्रति इनका आग्रह दिखावा है। क्योंकि मुझे किसी तहर की गंभीरता नहीं दिखती और वह माननीय मंत्री जी है, वह कितने संस्कृति कर्मी है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति समझते हैं या नहीं समझते हैं, मैं वह नहीं जानता। यह थोड़ा कठिन विषय रहता है। वह संस्कृति में जितने प्रकार की परिभाषा बोलेंगे तो मैं संस्कृति में उनको उतनी प्रकार की परिभाषा बता दूंगा। मैंने उनकी एक ही उपलब्धि देखी है कि मैनपाट महोत्सव में खुले तौर पर शराब पिलायी गयी। मौज-मस्ती करने आते हैं, शराब पीते हैं। सिरपुर में संग्रहालय क्यों नहीं बना ? वहां जमीन चिन्हित हो गयी थी। सिरपुर के आगे खुदाई के लिये, सिरपुर के लिये उसको बनाना जरूरी था। उसकी जो जमीन आवंटित हो गयी थी, उसकी भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी। वह सामग्री ए.एस.आई. को सौंप दी गयी जिसके कारण हमारा एक बड़ा धरोहर वहां चले गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरखौती मुक्तांगन के बारे में बोलना चाहता हूं। उसको हिंदुस्तान के सबसे खुले मानव संग्रहालय में बनाना था। उसकी कुछ जमीन हमने आई.आई.आई.टी. को इस शर्त में दे दी कि हमको और जमीन उधर देंगे, लेकिन वह जमीन नहीं दी गयी। उसकी जमीन को कम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जयंत देशमुख जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने उनसे आज ही बात की कि भाई जयंत देशमुख जी बताओ तो कितनी बैठक हुई, उसमें मैं बताऊंगा। मैंने जयंत देशमुख जी कहा था कि इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ और इसको कोई सरकार इधर-उधर न कर सके। जितना पैसा आते जायेगा उसी हिसाब से वह व्यय होते जायेगा। आप सरगुजा खण्ड बना दो, बीच का खण्ड बना दो, बस्तर खण्ड बना दो। साहित्य का, आंदोलन का, इतिहास का, योगदान का, समकालीन का, हर दौर में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा। उसको कोई पर्यटक, कोई नया बच्चा देखे तो समझ जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आज एक उदाहरण बताता हूं। 1857 में लड़ाई हुई, वह पहला गदर माना जाता है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि साहित्य या इतिहास में संस्कृति कर्मी या यूनिवर्सिटी का विद्या परिषद है वह अपना करिकुलम बनाता है। छत्तीसगढ़ की एस्योरिटी है कि स्कूल शिक्षा के या 10वीं, 11वीं, 12वीं का माध्यमिक शिक्षा मण्डल अपने करिकुलम के लायक पढ़ाता है। सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के बारे में आदमी जाने इसके लिये हमारे पास क्या व्यवस्था है ? इसमें कौन-सा विभाग काम करेगा ? तो मैं आपको आपके नजदीक का उदाहरण बता देता हूँ। एक राजीव रंजन जी हैं, वह बस्तर पर लिखते हैं मैंने उनसे कहा कि गैंदसिंह के साथ रमौतिन बाई भी शहीद हुई थी, आप इसमें रिसर्च कीजिए और यदि यह स्थापित हो गया तो हिन्दुस्तान की पहली महिला शहीद एक आदिवासी महिला रमौतिन बाई होगी। पहला मानव विम पॉवरमेंट क्या होगा? जगदलपुर के राजा ने एक मुस्लिम औरत रख ली। जब उसकी मूल पत्नी ने अनसन किया, उनको छोड़ने की धमकी दी तब उस जमाने में उनको उसे छोड़ना पड़ा। उनकी प्रजा विरोध में हो गई। मैंने उनको भी राजीव रंजन जी को बताया। क्या किसी समाज सुधार से पहले यह वूमेन इन पॉवरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा? राजा राम मोहन जी के सन् 1818 और सन् 1828 से पहले यह बस्तर में घटा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में ऐसी कोई योजना नहीं है। मैंने उस दिन पूछा था कि कोरिया राजमहल का क्या योगदान है ? यह किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है ? अब मैं संस्कृति में इस सरकार की आलोचना नहीं करता, पर मैंने दो बार प्रश्न लगाया था। वहां की टिकट में भी घोटाला हुआ। यह जांच में आया या नहीं, मैं सब बातें जानता हूँ। मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आज उस लाईन में बोलना नहीं चाहता। पहले प्रति वर्ष पुरातत्विक खनन के लिए पैसा दिया जाता था। मुझे यह नहीं मालूम कि इस साल पैसा क्यों नहीं दिया गया ? आप तर्रीघाट को ही नंबर दो करके दे देते। जब मैं मंत्री था तो मैंने उसके लिए लाईसेंस लिया था । पाटन में कुछ और मिल जाता। निश्चित रूप से पाटन का योगदान है। छत्तीसगढ़ लोक अकादमी परिषद, मैं इसे प्रतिवेदन में से बोल देता हूँ। माननीय संस्कृति मंत्री जी बतायेंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपना भाषण बोल रहे हैं, लेकिन इनका हांथ कांप रहा है। इनका हाथ क्यों कांप रहा है, आप बताईये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनके कुछ शब्द असत्य है इसलिए इनका हाथ कांप रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने संस्कृति राजभाषा अलग की। आप मुझे बता देंगे कि इसका संचालनालय कहां पर लगता है ? क्या सेटअप स्वीकृत हुआ है इसमें कितनी भर्ती हुई है ?अभी माननीय रविन्द्र चौबे जी के साथ देखने के लिए चलता हूँ कि उसका ऑफिस कहां पर है, आप मुझको बताईएगा। वह ऑफिस कहां पर लगता है ? माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन हुआ है। माननीय रविन्द्र चौबे जी इसका ऑफिस कहां पर है ? इसका सेटअप कहां पर है ? इसके सचिव कौन हैं ? इस प्रतिवेदन में सदस्य लिखे हैं, इसकी कितनी बैठक हुई ? इसी बैठक के लिए मैंने जयंत देशमुख जी को फोन किया था। उन्होंने आगे बताऊंगा बोला, मैंने उनसे पूछा कि जयंत भाई क्या हाल है? मुख्यमंत्री जी भेंट हुई, आपकी अच्छी भेंट हुई, कुछ काम धाम में मजा आया या नहीं ? मैं फिर दूसरी बात करने लगा। जो मुझे जानना था, वह मैंने चुपचाप जान लिया। उन्होंने कहा कि उसकी कोई प्रोसिडिंग नोट नहीं की गई थी, वह आम बैठक थी। फिर मैं उसके साथ बहुत बैठा हूँ। उनसे बातचीत होती रही। अब मैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के बारे में कहना चाहूंगा। इस प्रतिवेदन में ईश्वर सिंह दोस पिथौरा भोपाल लिखा है। यहां पर पिथौरा के विधायक है क्या ? यह बता देंगे कि यह पिथौरा के हैं या नहीं ? आप इसको जानते हो ? यह ईश्वर सिंह दोस पिथौरा, मैं बता रहा हूँ कि यह पिथौरा के है ही नहीं। वह भोपाल के हैं इसमें लिखा है कि नवल शुक्ल अंबिकापुर, अगर अंबिकापुर के राजा साहब होंगे तो आप उनसे पूछ लीजिए, यह भी भोपाल में रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ। वह कामरेड हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह बीच-बीच में भोपाल जाते रहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह कामरेड है। आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं तो यह कामरेड, वैसे भी छत्तीसगढ़ के किसी नक्सल के छोड़, किसी दूसरी चीज संस्कृति से इनका मेल मुलाकात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय आप कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। आपका यह जो स्लोगन है वह दिखाने का स्लोगन है। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के संबंध में कहना चाहूंगा कि मैं समझता था कि यह गंभीर हैं। इसमें कोई भी प्रगति नहीं है। यह कागज में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पर है। अब टेबल ठोकिए, जैसे आप ठोकवा रहे थे वैसे ही टेबल ठोकिए। आप और एकाध-दो साथी खोज लीजिए। गुरूघासीदास शोधपीठ यह कहां पर काम करता है, इसके कौन अध्यक्ष हैं, इसके

कौन पदाधिकारी हैं आप पता कर लीजिए। आप टेबल ठोकिए। यह एक छात्रवृत्ति योजना चलाते हैं। मासिक छात्रवृत्ति 5 हजार, 8 हजार और 10 हजार रूपये लिखा है। इसका बेस क्या है, 60 हजार रुपये इनकम होनी चाहिए। वही आर्थिक सर्वेक्षण में बनाते हैं कि हमारी इनकम 1 लाख 17 हजार समथिंग है। गरीब कलाकरों के साथ ऐसा क्यों मजाक करते हो? वार्षिक है या मासिक है, इसमें क्या छपा है, आप पूछ लीजिए। आपके अधिकारी बैठे हैं। इसमें मासिक छात्रवृत्ति लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुरातत्व के जो भवन हैं, वह छत्तीसगढ़ में इतनी खुदाई के बाद भी 58 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं। अब मैं आपको परिषद की बता दिया, शोधपीठ हो गया, फिल्म विकास निगम हो गया। बिलासपुर संग्रहालय है, आप बहुत प्रशंसा कर रहे थे, मैं भी प्रशंसा कर देता हूं। आप बिलासपुर बहुत जाते हैं। आप बिलासपुर के संग्रहालय को जाकर जरूर देख लीजिए। आपने जितनी बातें आयोजित की हैं, आप छत्तीसगढ़ के साहित्य को पूरी तरह से भूल गये। ठाकुर जगमोहन सिंह, मुकुटधर पांडेय या तीनो पांडेय बंधु..।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- वहां लाइब्रेरी तो खोले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी लाइब्रेरी है न, उसमें 65700 किताबें हैं। उसमें आज तक भवन नहीं है। जब पहली बार भाषण दिया था तो मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। यह पहला राज्य है जहां अभिलेखागार नहीं है, हम सी.पी.बरार से नहीं लाये हैं, भोंसलेशाही से हम नहीं लाये हैं, अपने कागज को आज छत्तीसगढ़ के बारे में किसी को शोध और अध्ययन करना है तो कोई आधार नहीं है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, बिलासपुर में स्मार्ट लाइब्रेरी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। आप बोलते हैं कि नहीं है तो इतना असत्य क्यों बोलते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- एकरे सेती परम विद्यान कहथौं। असइन चर्चा कभी-कभी होती है। ये छत्तीसगढ़ बर असली चीज हे, एक कनी बैठ जा।

श्री रामकुमार यादव :- मुकुटधर पांडेय के नाम से लाइब्रेरी चंदनपुर में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, पुस्तकालय के लिए भवन नहीं है। छत्तीसगढ़ एक मात्र प्रदेश है जहां संचालनालय संग्रहालय में लगता है। आपके चीफ सेकेटरी नवाचार आयोग का जिसको अध्यक्ष बनाये हैं, मैं नाम नहीं लेता। मैंने कहा कि पुराना पी.एच.क्यू. संचालनालय के लिए दीजिए। वहां पर जगह है जहां पर हम प्रदर्शन कर सकते हैं और शहर के मध्य में है, लोग आयेंगे कि आप संग्रहालय में क्या करते हो। मेरे को हां बोलते रहे, तब तक मैं इधर आ गया। आज दूंगा, कल दूंगा, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इस बात को उनके सामने बोल रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, उसने बहुत अच्छा काम किया कि आपका वहां से यहां पहुंचा दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बैठ जाईये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब जो नहीं कर पाये, उसको भी जोर से बोलते हो। मुकुटधर पांडेय के बारे में बोले, मैंने कॉलेज का नामकरण किया। दूसरा ठाकुर जगमोहन की बात कहे, शिवरीनारायण में मैंने उनके नाम से पुस्तकालय की घोषणा की और उसका काम शुरू हो चुका है। ऐसा मत कहिये। आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपने किया कुछ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं क्या किया हूं, उसको बता दूंगा। उसमें अभी नहीं बोलता हूं। आपके पास अवसर है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया करके मैं नारा नहीं लगाता था। आप समझ रहे हैं न। आपके पास अवसर है कि पुराना पी.एच.क्यू. खाली हो गया है, उसको संस्कृति विभाग के संचालनालय के लिये दे दिये, मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि मैं नहीं दे पाया। वह शहर के मध्य में है और वहां बनाईये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, कर रहा हूं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अजय भैया, आप इसलिए यह नारा नहीं लगा पाये कि क्योंकि आपके पास छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नहीं था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, साहित्य और इतिहास दोनों में छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध है। श्रीकांत वर्मा जी, मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, पांडेय ब्रदर्श का नाम ले देता हूं। न जाने कितने लोग हैं, सत्यदेव दुबे, शंकर शेष, विमल मित्र सब यही रहे हैं। टैगोर साहब, यही आये हैं। लेकिन मैंने उसी प्रेमभाव से अकादमी खोली थी, उसमें ताला लग गया। एक ही अकादमी बनी। अब लोककला अकादमी के बारे में एक लाईन और बोलता हूं फिर समाप्त करता हूं। मैं गौर नृत्य सीखना चाहता हूं। गौर नृत्य का आयोजना करना एक अलग विषय है, गौर नृत्य को सीखाना अलग विषय है। बांस गीत लुप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ से एकात कलाकार बाकी होंगे। देवार गीत लुप्त हो चुके, छत्तीसगढ़ से एकात कहीं बाकी होंगे तो होंगे। उनके संरक्षण के लिए बस्तर से लेकर शैला तक जो जमाना सरगुजा में होता है उनके सरंक्षण के लिए अकादमी की बहुत जरूरत है। ये जितने बड़े कलाकार हैं, दो-चार को छोड़कर छत्तीसगढ़ में किसी की मोनोग्राफी नहीं है। जिन्होंने पैदा किया, झाड़ूराम देवांगन जैसा भीष्म पितामह, तीजनबाई तो उसकी शिष्या है, आज वह कहीं नही हैं। अब दूसरी बात कि हम बहुत सारा पुरस्कार देते हैं। मैं प्रस्ताव भेजा था। सुन लीजिये। एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह सुझाव है। मैंने विवेकानंद के लिए पांच करोड़ रूपये आयोजित किया था। बजट में देख लीजियेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित कीजिये। विवेकानंद जी कलकत्ता के बाद सबसे ज्यादा रायपुर में रहे हैं। हम गली-गली में जितने पुरस्कार बांट रहे हैं, वह तुष्टीकरण है। आप पद्म पुरस्कार की तरह छत्तीसगढ़ की योगदान के लिए एक, दो, तीन पुरस्कार से ज्यादा मत दीजिये। उसकी कोई महत्व नहीं होती। एक अंतर्राष्ट्रीय एन.आर.आई. के लिए पुरस्कार स्थापित कीजिये, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए योगदान दिया है, सोचा है।

अब परम मूर्धन्य महोदय, आखिरी में आपको सलाह दे देता हूं । आप यदि संस्कृति में, पुरखौती मुक्तांगन में कुछ नहीं कर सकते मानलो तो मुख्यमंत्री जी की कोड़ा खाते हुए एक replica sculpture लगा दीजिये और जो भरोसा राम ठाकुर और उसका एक लड़का वीरेन्द्र ठाकुर है। मुख्यमंत्री जी को सोटा मारने का सौभाग्य हर किसी को थोड़ी मिलेगा। उसको पेंशन दे दो। इतना तो कर सकते हो। पुन्नी नहाते हुए, कोड़ा लगाते हुए वहां replica sculpture स्थापित कर दो और पेंशन दे दो, इतना कर दो तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की सेवा हो गई और हर साल मैनपाट में दारू पिला देना। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री गुलाब कमरो साहब।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाउद्य मंत्री, संस्कृति मंत्री जी के अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय दीजियेगा। छत्तीसगढ़ में ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अजय चंद्राकर जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ऊपर में इतना गंभीर बोत बोला तो हमारे अमरजीत भगत जी को कुछ समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। उनसे जरा समझ लेना।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- आज अमरजीत जी बहुत चिंतन कर रहे हैं। दोनों हाथ में कागज रखे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आत्मसात किये या ऊपर से निकल गया।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अभी तो अजय भाई ने गौर और शैला नृत्य की ही बात की है। उत्तर पूरा सुनना। अमरजीत सुकमा से लेकर के ..।

श्री अजय चंद्राकर :- मैनपाट (व्यवधान) लेते हैं। फिर सुन लेते हैं। (हंसी)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से पूरा छत्तीसगढ़ हमारा धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश, जो किसानों का प्रदेश है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार बापू की राह में चल रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद से जो किसानों के लिए चिंता किए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल में। आज एक तरफ देख लीजिये। कोरोना संकट के बाद भी 4 साल की सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए जो कम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। आंकड़े बहुत सारे हैं, पर आप समय काटेंगे, मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। वर्ष 2015-16 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 11 लाख थी, वह आपके समय में वर्ष 2017-18 में मात्र 12 लाख किसान थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है। यह अगर सरगुजा, बस्तर की बात करते हैं।

हमारे बहुत सारे किसान आदिवासी क्षेत्र में भी किसान हैं। लोग खेती-किसानी भूल गये थे, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने, अमरजीत भगत की सरकार ने जिस तरह से फिर से खेती-किसानी में लोगों को लौटाने का काम किया था। नहीं तो हमारे पुराने लोग शिक्षित हो गये थे। अपना जमीन छोड़कर दूसरे के कहने में दे देते थे, छोड़ देते थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पूरे किसान चाहे छोटा किसान, मध्यम किसान या बड़ा किसान हो, आज खेती की ओर फिर से लौटे हैं। आज उउसका दाहरण है, उसका परिणाम है कि आज पूरे 2022-23 में किसान की जो संख्या है, वह 24,000 पहुंच गया है और 107 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड तोड़े हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अमरजीत भगत जी को धन्यवाद देता हूं कि जो किसानों के लिए लगातार चिंता किए हैं। नहीं तो 15 साल की सरकार बड़ी-बड़ी बातें की है। सम्माननीय अजय चंद्राकर जी, बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे। बहुत सारे आंकड़े दे रहे थे। किस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है। जब हमने पिछली बार देखा कि हम लोगों ने जन-घोषणापत्र में कहा था हम 2500 रूपये में धान खरीदेंगे, लेकिन केन्द्र की सरकार ने सरकार ने बहुत सारी अड़चनें पैदा किया। लेकिन हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने हमने जो कहा है वह करेंगे । छत्तीसगढ़ सरकार उसको करने से कभी पीछे नहीं हुई । हमने कहा कि हम न्याय करेंगे और राजीव न्याय योजना के तहत् हमने अंतर की राशि दी है ।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से लगातार हमारी केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की । इसके बाद भी आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसानों की संख्या बढ़ रही है, रकबे बढ़े हैं । हम इस सरकार की जितनी भी प्रशंसा करें वह कम है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से राज्य गठन होने के बाद से 107 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड हुआ है । पूरे देश का यह छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां इतनी बम्पर खरीदी हुई है । किसानों की जनसंख्या, अभी तक जो भुगतान हुआ है, 21,962 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है । इतना ही नहीं आज लगातार पंजीयन की संख्या बढ़ रही है । जो छोटे-छोटे किसान थे, जो वन अधिकार का पट्टा है । वे भी अपना पंजीयन करा रहे हैं । आज इतने किसान हो गये हैं, लगातार आज समतलीकरण करा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से किसानों के जीवन में कैसे बदलाव आये इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है इसलिये आज छत्तीसगढ़ के सभी किसान खुश हैं । उनके चेहरे में खुशी है। आप देखेंगे कि हमारे राज्य की सरकार और दूसरी दिल्ली की सरकार तो हमारी राज्य सरकार लोगों की जेबों में पैसा डाल रही है, खाते में पैसा जा रहा है और केंद्र की सरकार आपके पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, दोनों में यह अंतर है ।

माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे कि बैंकों में लाईन लगी रहती है । आप देखेंगे कि जैसे ही पैसा पहुंचता है, हमने चार किस्तों में दिया है । ऐसे-ऐसे समय में मिलता है, जब इनको जरूरत रहती है तब उनके खाते में जाता है इसलिये आप लगातार देखेंगे । हमारे सीनियर विपक्ष के साथ बड़ी-

बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया । मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में आपने कहा था कि हम 2100 रूपये में धान खरीदेंगे । क्या आपने खरीदा ? आपने कहा था कि हम 300 रूपये में बोनस देंगे लेकिन क्या आपने दिया ? ये केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इनके लोग और भाजपा के लोग चाहे देश के हों, चाहे पुरानी सरकार हों, अगर इनमें तुलना करेंगे तो हमारी कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे अंतर हैं । आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले पूरे देश के किसान आंदोलन में थे । 600 किसानों की जान चली गयी । ये 3 काले कानून लाये थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि किसानों का भला हो लेकिन पूरे देश के किसान, पूरे राज्य के किसानों ने आंदोलन किया और अंतत: केंद्र सरकार को अपने 3 काले कानून वापस लाना पड़ा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो छोटे-छोटे किसान हैं, वे धान बेचने के लिये रातभर पहरा करते थे लेकिन हमारी सरकार ने 2617 धान खरीदी केंद्र बनाये हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल भी हमने 133 केंद्र खोले हैं । इतना ही नहीं, आप पिछली बार देखेंगे कि बारदाने के कारण काफी परेशानी हुई थी लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी और खाद्यमंत्री जी का सफल प्रयास हुआ है । कहीं कोई बारदाने की समस्या नहीं, धान खरीदी केंद्र में समस्या नहीं चाहे मिलर्स की बात हो, उठाव की बात हो । कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई इसके लिये मैं खाद्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों की चिंता की है । आज सरकार के प्रति लोगों का विश्वास जागा है । हमने जो कहा है वह किया है । भूपेश है तो भरोसा है । मैं इसलिये कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं । भूपेश का अर्थ होता है पृथ्वी का राजा इसलिये पृथ्वी का राजा होने के नाते पूरे देश और किसानों की चिंता की है । देश की सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी साथियों से बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । बड़े भैया हमारी तरफ देख रहे हैं बस देखते रहिये, आपको बोलना नहीं है । आपका छोटा भाई हूं, सुनिए । मैं कोशिश कर रहा हूं । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार हमारी सरकार ने आपका काम किया है। इसी तरह मैं आपको खाद्य के विषय में बताना चाहता हूं । मैं संक्षिप्त में बताउंगा कि पूरे प्रदेश में आज जिस तरह से चूंकि आपने हमारे घोषणा पत्र में आपने देखा है, हमने कहा था कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से हम हर व्यक्ति को राशन मुहैया करायेंगे । खाद्य मंत्री जी के द्वारा चाहे ए.पी.एल. का हो, चाहे बी.पी.एल. का हो, सबको हमने चावल दिया है नहीं तो 15 साल भाजपा की सरकार थी । क्या बड़े किसान को राशन की जरूरत नहीं है ? क्या हमारे जो अधिकारी-कर्मचारी हैं उनके लिये राशन की व्यवस्था नहीं है ? ये 7 प्रकार का राशनकॉर्ड बनवाये थे । लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार ने एक-एक व्यक्ति को राशन देने का काम किया है । इतना ही नहीं कोरोना संकट के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में खाद्य मंत्री के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के लोगों को नि:शुल्क राशन देने का काम हमने किया है । उसकी तुलना में देख लीजिए,

केन्द्र के पांच किलो का चावल और उसको पकाने के लिए 1200 रूपए का गैस । 5 रूपए का चावल पकाने के लिए हमको 1200 रूपया खर्च करना पड़ेगा । आप देख लीजिए दोनों में कितना अंतर है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए समाप्त करें ।

श्री गुलाब कमरो :- उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट तो दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं । राशन के विषय में बताना चाहूंगा, देख रहे हैं मेरी तरफ । हाथ जोड़ रहा हूं चंद्राकर भइया । ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरे प्रदेश में परिवार की संख्या 56 लाख और राशन कार्ड 72 लाख बने थे । आज तक नान की डायरी में लिखा है मैडम सी.एम.कौन हैं, पता नहीं । लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल जी की सरकार में हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृति विभाग में बताना चाहूंगा । हमारी सीनियर चंद्राकर जी कह रहे थे कि संस्कृति खत्म हो गई है । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से । हमारी पुरानी संस्कृति थी, हमारी कला थी, हमारी विरासत को सहेजने का काम किसी ने किया है तो उस शख्स का नाम है अमरजीत भगत जी, भूपेश भइया । हमारी धार्मिक आस्था को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में देवगुड़ी का निर्माण कराया गया है । इतना ही नहीं, हमारे लोक कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना लागू है । हमारे आदिवासी संग्रहालय के लिए दो एकड़ जमीन दी गई है । इतना ही नहीं, आज हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार, पहले दिल्ली में शूटिंग होती थी, हमारे छत्तीसगढ़ के जो फिल्म कलाकार थे उनके लिए फिल्म विकास निगम का गठन किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए कमरो साहब ।

श्री गुलाब कमरो :- माता कौशल्या का मंदिर है । यहां महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है । इसी तरह से आप गांव-गांव में देखेंगे कि रामचरित मानस की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की जा रही है । हर ग्राम पंचायत में 5 हजार मिलेगा । इसी तरह लगातार कम समय में छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने हमारी संस्कृति को, हमारी कला को, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है उस शख्स का नाम है भूपेश बघेल जी । इसीलिए कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है । हम जो कहते हैं वह करते हैं, मैं धन्यवाद् देता हूं खाद्य मंत्री जी को 1 जनवरी से लेकर अगले दिसम्बर तक आपने राशन नि:शुल्क किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् देता हूं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य विभाग की मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं । घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दो साल का बोनस देंगे, कर्जा माफ करेंगे लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ । धान खरीदी का सरलीकरण करने की बात कही थी लेकिन धान खरीदी का सरलीकरण नहीं हुआ । सीधा संग्रहण केन्द्र में

न जाकर डायरेक्ट 72 घंटे में राईस मिलों को धान देने की बात थी, आपने दोनों बातों को नहीं किया । मैं कहना चाहूंगा कि संग्रहण केन्द्रों में न भेजने के बजाय व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सबसे रेट 120 रूपया देते हैं । जिससे उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है । राशन दुकानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने खाद्य गोदाम की व्यवस्था नहीं की । जिससे राशन दुकानों को आपने ज्यादा चावल दिया । प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से 5 किलो नि:शुल्क और छत्तीसगढ़ का चावल किसी को किसी को 10 किलो, 20 किलो, किसी को 25 किलो मिलता है । आपने दोनों चावल को जोड़कर देने की बात की थी । आपने स्टॉक में ज्यादा चावल भेजा और वहां स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं कराया । हमारे समय में उचित मूल्य की दुकानों में लिस्ट टांगी जाती है किस किस रेट में किन-किन उपभोक्ताओं को मिलता है । आपके रेट लिस्ट नहीं टांगने के कारण लोगों को पता नहीं चला । चावल उत्सव मनाने की बात होती थी । लोग चावल उत्सव में आते थे और सबको पता चल जाता था कि हमको कितना किलो मिलना है, सब सामूहिक रूप से आते थे । आपने चावल उत्सव को समाप्त कर दिया । राशन सप्लाई की गाड़ी में जी.पी.एस. लगा होता था जिससे आपको गाड़ी के बारे में पता चलता था, गाड़ी दुकान तक जाती थी और वहां के पंच सरपंच उसमें दस्तखत करते थे कि कितना चावल आया और कितना प्राप्त हुआ । आपने स्टॉक पंजी भी नहीं देखा, आज की चर्चा में जो गड़बड़ियां सामने आईं उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा । आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ियां होने का कारण क्या है ? आपने स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं किया, समायोजन नहीं किया । महीने-दो महीने का हिसाब-किताब नहीं रखा । कितना चावल दिल्ली से आया और कितना चावल दिल्ली से आया, कितना चावल राज्य सरकार ने दिया। उस वितरण व्यवस्था को आपने चरमरा दिया। इसके कारण यह धांधली हुई, अगर इनका हिसाब-किताब हो जाता, स्टॉक पंजी मिलता तो एक महीने में चावल आने के बाद दुकानदार अपना हिसाब किताब बताता है कि इस महीने इतना चावल लाया, इतने राशन कार्डों को वितरण किया और मेरा इतना चावल स्टॉक में बचा और बचने के बाद राशनकार्ड के अनुसार जितनी आवश्यकता होती थी, उसे चावल दिया जाता था। हमने कई जगह भ्रमण किया, प्रधानमंत्री जी के चावल को लोगों ने बताने का प्रयास नहीं किया। एक यूनिट में पांच किलो देने का है, लेकिन लोगों ने कहा कि हम एक राशन कार्ड में पांच किलो देते हैं। लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया। इसके कारण आपकी व्यवस्था चरमरा गयी और वही आपके राशनकार्ड में गड़बड़ी होने का कारण है। इसी कारण कई हजार करोड़ की राशन की अव्यवस्था हुई, राशन दुकानों में गड़बड़ी हुई, लोगों ने राशन खाया और राशन का स्टाक नहीं बताया। आपने उसमें बताया की 13 लोगों की जांच हुई, आपने उसमें 4 करोड़ रूपया बताया, पूरे 13 हजार दुकानों में सभी जगह बहुत कम जगह गड़बड़ी पाई गयी। आपके 13 हजार में पूरे में गड़बड़ी है, आप इस पूरे गड़बड़ी की जांच कराईए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि राशन दुकान ने खाया या किसमें गया। इसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं, इसमें जब तक अधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे तब तक दुकानदार कैसे पूरा खा जाएगा। उपभोक्ता

फोरम में उपभोक्ताओं की समस्या के निराकरण के लिए किसने कम कीमत में समान बेचा, किसने ज्यादा कीमत में बेचा, समय में नहीं दिया, ऐसे उपभोक्ता फोरम में एक लाख से 10 लाख तक उपभोक्ताओं का निराकरण किया जाता है। उस निराकरण के प्रति सरकार सजग नहीं हैं। इस कारण ऐसी प्रबंध व्यवस्था में गड़बड़ी है। चाहे वह मिट्टी तेल हो, चाहे शक्कर हो, बाजार भाव में चना को ज्यादा कीमत में बेचने से इसमें धांधली होने की संभावना हुई। इसमें आप जांच करायेंगे। कुपोषित बच्चों के आहार में आपने कमी की, आपने उपभोक्ता फोरम में भी अध्यक्ष और अनेक पद भरे नहीं, वह उपभोक्ता फोरम कैसे चलेगा ? फोर्टिफाईड चावल देने का आपका विचार है, आपके पूरे गोदाम में अगर राशन कार्ड वाले उपभोक्ताओं को पूरा चावल दे देंगे तो गड़बड़ियां रूक जाएगी, क्योंकि वह बाजार में बेचने जाएंगे तो पता चल जाएगा। पूरे गोदाम में 18 लाख मीट्रिक टन चावल भर गया है। 20 लाख टन चावल उपभोक्ताओं को दिया जाता है। आपने कहा कि केन्द्र सरकार ने राशि क्यों नहीं दी ? इसका प्रत्येक वर्ष आडिट होता है, जब राज्य सरकार केन्द्र सरकार को आडिट भेजती है, आडिट में इकोनामिक कास्ट के अनुसार चावल का रेट केन्द्र सरकार देती है, उस रेट के अनुसार आपको पैसा मिला है। आप और माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार आरोप लगाते हैं कि केन्द्र सरकार ने राशि नहीं दी। पिछले कार्यकाल में हमने वर्ष 2016 तक आडिट किया था, आपका इस वर्ष तक कितना आडिट हुआ है, आप बताईए ? जब आपका आडिट रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास जाएगा तो आपका जो पैसा है वह मिलेगा। इस तरह आप अपनी व्यवस्था को सुधारें। आपने नवीन राशनकार्ड बनाने की परंपरा को बंद किया है। खाद्य सुरक्षा कानून में नवीन राशन कार्ड भी बनाया जाता है, जो राशनकार्ड गड़बड़ है या किसी ने बना लिया, उसको भी रिजेक्ट किया जाता है। आपने भी इसकी व्यवस्था को कम किया है। कई लोग हैं जो अपने परिवार से अलग हो चुके हैं, भाई-भाई हैं, वह अलग हो चुके हैं। अगर किसी की 10 एकड़ जमीन है तो दो भाई हैं तो वह पांच एकड़ हो गया है। उनका भी राशन कार्ड बनाना आवश्यक है जिससे उन लोगों को लाभ मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- मौका मिल गे तोला।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं सीधा-सीधा बजट में ही आ जाता हूं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2001 से आज तक हम लोग धान को सड़ते हुए देखते थे। आज 20 साल हो गए। इस सरकार की एक उपलब्धि है, इस बार का जो प्रबंधन था, वह निश्चित रूप से बहुत ही तारीफे काबिल था, प्रबंध करने वाले चाहे जो भी हो, ऐसा हुआ कि जो हेमाल का खर्च डबल होता था, वह बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि पहले खरीदी केन्द्र से लेकर संग्रहण केन्द्र में जाता था, संग्रहण केन्द्र से मिल में कस्टम मिलिंग के लिए जाता था लेकिन इस बार की व्यवस्था के लिए लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, साधूवाद भी दूंगा कि

वाकई में छत्तीसगढ़ में पहली बार बहुत अच्छा सिस्टम बना जो सीधे राईस मिल वाले खरीदी केन्द्र से ले जाकर इसका उपयोग किए और सबको...। मैं भष्टाचार में भी आऊंगा। जो अच्छा बात हे ओला बता देथों। निश्चित रूप से यह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भ्रष्टाचार तो इधर भी होता था और उधर भी होता है। यदि केशव भैया की सरकार आ जाएगी तो वह भी भ्रष्टाचार करेंगे। मतलब, यह भ्रष्टाचार होना कॉमन है। मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप अपने विषय पर बात कीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे पुरातत्व विभाग से संबंधित एक निवेदन है। मंत्री जी सुनत नहीं हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- सुनत हे। चलिये, बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, मेरे जिले में रामपुर नामक एक जगह है और वह बहुत पुरानी जगह है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको पुरातत्व विभाग से एक बार खुदवाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस जगह को पुरातत्व विभाग से खोदवाइये और यदि आप लोग नहीं खोदेंगे तो हम लोगों को अनुमति दे दीजिए। उसको हम लोग फावड़ा, कुदारी लाकर खोद लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको खोदिये क्योंकि आपको वहां पर पक्का खजाना मिलेगा और उससे आपकी सरकार को फायदा होगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, धन्यवाद। छन्नी चंदू साहू जी।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू (खुज्जी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी के विभाग से संबंधित अनुदान मांग संख्या- 39, 26, 31 के समर्थन में खड़े होए हो। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश हा किसान राज्य के रूप में जाने जाथे। जेला धान के कटोरा कहे जाथे। अन्नदाता के तकलीफ ला वही व्यक्ति हा पहचानथे, जो खेत मा धान छीते रहिथे, जो खेत में हल चलाए रहिथे अऊ बहुत तकलीफ करके जब हम खेत में अनाज सींचथन ओखर बाद 4 महीना तक किसान बहुत मेहनत करथे पर आखिरी में ओला ए विश्वास भी नहीं रहाय कि मैं जो अनाज खेत में छीते हो, ओला मैं अपन ब्यारा तक ला पाहुं या नहीं ला पाहुं ? किसान पूरा मेहनत करके अऊ 4 महीना तक खेती करके अन्न ला उगाके कंधा मा भारा ला ब्यारा तक लाथे, वही व्यक्ति हा किसान के दुख-तकलीफ ला पहिचानथे। आज मैं तो ए सदन के माध्यम से हमर प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी अऊ खाद्य मंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहत हो। वर्ष 2018 के चुनाव में जे वायदा हर घर, हर गांव में जाके हमर कार्यकर्ता से लेकर हम सब जाके ओखर मन से निवेदन अऊ आग्रह करेन कि हमर कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाओ। आज अन्नदाता के मान,

सम्मान अऊ कद हा बढ़ही। ए बात ला पूरा प्रदेश में जाके हमर एक-एक कार्यकर्ता, एक प्रत्याशी हा रखिस अऊ पूरा प्रदेश हा विश्वास करके कांग्रेस के सरकार मा हमन ला चुन के भेजीस। हमर प्रदेश के मुखिया जे बात बोले रीहिस कि हमर सरकार आही तो हमन 2,500 रूपये में किसान के धान के खरीदी करबो अऊ किसान के कर्जा माफ करबो। अन्नदाता के मान अऊ सम्मान ला प्राथमिकता में रखते हुए आज हमर प्रदेश के मुखिया हा जइसे सरकार बनीस अऊ आदरणीय भूपेश बघेल जी हा 2,500 रूपये क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करीस।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जइसे एक बार में हमर सरकार बनीस, ओ समय जब हमर चुनाव होत रीहिस हे अऊ ओ समय किसान जो धान बेचीस ओखर एक साथ 2,500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान के खाता में डायरेक्ट पइसा चले गीस हाबे। जब डायरेक्ट पइसा गीस ता हर विपक्ष के साथी मन के पेट पिराये के चालू होगे अऊ ओमन काहत हे कि जेन राज्य में केन्द्र के समर्थन मूल्य से अधिक में धान ला खरीदही, वहां के चावल ला मैं हा नहीं खरीदो। अब हमर मुखिया तो वायदा करे हे अऊ ए अन्नदाता के मान अऊ सम्मान के बात हे तो हमन करन तो करन का ? हमर मुखिया बोलिस अऊ खाद्य मंत्री जी हा विचार करीस कि ठीक हे, ते जो वायदा करे हस कि देश में केन्द्र के समर्थन मूल्य के हिसाब से धान खरीदी करही अऊ अंतर के राशि ला हमर सरकार हा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत् दीही। हमर प्रदेश के मुखिया हा ए वायदा करीस अऊ आज अन्नदाता के मान अऊ सम्मान ला रखते हुए राजीव गांधी न्याय योजना के तहत् किसान मन ला 4 किस्त में पइसा देत हे। बहुत अच्छा-अच्छा समय में पइसा देत हे। इस बार आप देखे हवव कि बहुत ही बारिश होइसे अऊ किसान मन धान कटाई नहीं करे रीहिस हे। लेकिन दीपावली के समय हमन किसान मन ला पूरा धान के किस्त देथन, हालांकि हमन हर व्यक्ति हा राजनीति से जुड़े हन लेकिन हमर मूल काम तो खेती हे अउ खेती ला बढ़ाए बर अउ खेती के मान-सम्मान अउ किसान के मान-सम्मान रखे बर चार किस्त में बहुत अच्छा-अच्छा समय में दीपावली के समय में हमन निवेदन करेन कि दीपावली के बाद जो किस्त देथौ, ओला दीपावली के पहिला दो, ताकि हमर किसान मन ह अच्छा से, धूमधाम से दीपावली मना सकय । बहुत ही अच्छा होईस कि इस बार के राजीव गांधी न्याय योजना के पईसा दीपावली के पहिली दिस अउ प्रदेश के अन्नदाता बहुत खुशियाली के साथ दीपावली मनईस, वह कांग्रेस पार्टी के देन, कांग्रेस के सरकार के देन हे, जो अन्नदाता के मान अउ सम्मान रखिन हवय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार धान खरीदी के टारगेट 1 करोड़, 7 लाख मीट्रिक टन के रिहीसे, लेकिन इस बार टारगेट से भी अधिक धान खरीदी होईस । मैं तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ला, आदरणीय अमरजीत भगत जी ला धन्यवाद देना चाहहूं । पहली सुनत रेहन कि जब टारगेट रहाय, पूर्व के सरकार रिहीसे, सन् 2017 में बहुत घोर अकाल पड़े रिहीसे । पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी भी बईठे हे। ओला भी याद दिलाना चाहहूं कि किसान मन बहुत आन्दोलन करिस । यहां तक कि

किसान मन बिस्तर में सोये रिहीसे, ओकर ऊपर कईसे धारा बनाए रिहीसे, वहु ला बताना चाहहूं । ओ समय कलेक्टर साहब ला मैं पूछेंव कि रात में 3 बजे उठाए हव तो कौन सा धारा बनाए हवव।

(गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा मुख्यमंत्री जी की बगल वाली सीट पर बैठने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- ताम्रध्वज जी भाई साहब, आप थोड़ा सा इधर खिसककर स्थाई हो जाईए । छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया । आ ह हा । आसंदी से सदन का आग्रह है, थोड़ा बोल दीजिए, वे इधर खिसक जाएं और आप वहीं स्थायी हो जाएं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- स्थाई हे, तैं चिन्ता काबर करथस । पूरा स्थाई हे।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ओ समय 3 बजे रात के किसान मन ला उठईस, मैं ओ समय जिला पंचायत के सदस्य रेहेंव, बाकी किसान मन अऊ रिहीसे । हमन कलेक्टर साहब ला पूछेव की कौन से धारा अउ कौन से नियम के तहत 3 बजे रात के उठालेव । जब किसान मन जेल में गिस तो समय ला लिखे रिहीसे अउ ओमन 3 बजे रात में नेशनल हाईवे के चक्का जाम करथे, करके धारा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार हे किसान मन जेल में डाले के काम करिस हवय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- समाप्त करिए ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बोलव नहीं । अब बोलथव त पूरा करन देव न । इस बार हमर सर्वाधिक किसान पंजीयन कराए हे अउ धान बेचने वाला किसान के संख्या भी बहुत ज्यादा हे । राशन कार्ड के बारे में भी स्मरण दिलाना चाहहूं । पूर्व में जब चुनाव आए रिहीसे, तब राशन कार्ड बनिस । एक घर में तीन नहीं, चार राशन कार्ड बनस । अउ जईसे ही इकर सरकार बनय, तहाले राशन कार्ड ला काटे के काम चालू हो जाये । आज हमर प्रदेश के मुखिया अउ खाद्यमंत्री भी बहुत ही अच्छा ढंग से काम करथे । बस्तर संभाग के जिलों में गुड़ वितरण करे हे, वह बहुत ही अच्छा योजना हे । राज्य के बस्तर संभाग के निवासी मन के आयरन के कमी दूर करने के लिए 7 लाख, 14 हजार राशन कार्ड धारियों को जनवरी, 2020 से प्रति माह 17 रूपए प्रति किलो की दर पर दो किलो गुड़ प्रदान किया जा रहा है । इस योजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । आखिरी अंतिम छोर के व्यक्ति मन ला भी लाभ देके काम हमर प्रदेश के मुखिया अउ मंत्री मन करथे, वह कोई भी सरकार ह नहीं करे हे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओकर साथ-साथ मैं संस्कृति विभाग में बोलना चाहहूं । पहिली हमन देखन कि बड़े-बड़े शहर में, नगर पंचायत में संस्कृति विभाग के कार्यक्रत होत रिहीसे, लेकिन जब से भूपेश बघेल जी के सरकार बने हे, तब से छोटे से छोटे गांव में संस्कृति विभाग के कार्यक्रम आज होवथे । एकर बर मैं सरकार ला धन्यवाद देना चाहहूं । ओकर साथ-साथ बड़े-बड़े संस्कृति विभाग मा कार्यक्रम करय, वही मन ला अवसर मिलय । जोन गांव में नीचे लेवल के जो हमर छोटे-छोटे कार्यक्रम

करने वाले कलाकार साथी हे, आज ओमन ला भी सम्मान करय । आज ओमन ला भी पंजीयन कराके ओ मन ला भी संस्कृति विभाग के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम करवाए बर जाथे । ओकर साथ अनेक योजना हे, आप समय बहुत कम देवथौं त मैं अपन मांग ला आदरणीय मंत्री जी से करना चाहहूं । हमर खुज्जी विधान सभा में इकर 15 साल के कार्यक्रम में मात्र एक उपकेन्द्र खोले रिहीसे हे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहू कि हमर कांग्रेस के सरकार मा लगभग 7 से 8 धान खरीदी केन्द्र खोले गय हावय। ये काबर खोले गय हे ? हमर जो किसान मन पहली धान ले के जाय ओला 3 दिन तक सुते ला लगय। बासी-पेज धर के जाय लगय। लेकिन हमर सरकार के मंशा रहिस कि किसान मन के लिए छोटे-छोटे धान खरीदी केन्द्र खोले जाय। वहां किसान मन सुबह धान ले के जाय, शाम तक कांटा होय और बहुत ही सुचारू रूप से हमर किसान मन धान बेच सकय। आज बहुत अच्छा ढंग से धान खरीदी होत हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश में अच्छा ढंग से धान खरीदी होइस। इस बार उठाव भी हो गय, किसान ला बोरा के दिक्कत नहीं होइस। कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होइस। किसान मन बहुत अच्छा ढंग से धान बेचिस।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप कक्ष में जाकर बता दें।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय मंत्री जी, मोर क्षेत्र मा पूरा धान खरीदी केन्द्र खोले बर माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद हे। मोला 2 ठन अउ धान खरीदी केन्द्र दे देहूं। आमगांव मा धान खरीदी केन्द्र दे दहू अउ ग्राम पंचायत जोज मा दे दहूं तो आपके अभारी रहूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप मोला बोले बर अवसर देव, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं में प्रदेश की जो समस्या है, उसको आपके माध्यम से रखना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि यह मेरे विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए पैसों की मांग की जाती है। जो पैसा देते हैं, उन्हीं का नाम जोड़ा जाता है। जो पैसा नहीं देते, वे आफिस के चक्कर काटते रहते हैं। इसके साथ-साथ नया राशन कार्ड बनवाने की बात होती है, उसमें भी पैसे की मांग की जाती है। जो पैसा देता है, उनका तुरन्त कार्ड बन जाता है, जो पैसा नहीं देता, वह कार्यालयों के चक्कर काटते रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि सिस्टम को सुधारें। उनकी गलती को आप जो पद में है, उससे हटकर इस गलती को सुधारे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ, जो राशन वितरण करने का सिस्टम है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि हितग्राही घंटों इंतजार करते रहते हैं। सर्वर की समस्या रहती है। तौल के नाम पर चावल को अलग-अलग तौल करना पड़ता है। जिन हितग्राहियों का अंगूठे का निशान नहीं आता, जिससे वे काफी परेशान रहते हैं। इसलिए इस सिस्टम को भी सुधारने की आवश्यकता है। साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं, जहां पर पी.डी.एस. भवन नहीं है। इसके कारण चावल के रखरखाव हेतु इधर-उधर भटकना पड़ता है और चावल वितरण करने में दिक्कत आती है। तो आपके माध्यम मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जहां पर पी.डी.एस. भवन नहीं है, मैं वहां भवन बनाने की मांग करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत मेरी मेरे गृह ग्राम भिलौनी की एक मांग है। वहां पर मेरे घर के सामने ही एक टूटा-फूटा सा पी.डी.एस. भवन है, जहां पर चावल नहीं पाते हैं, मेरे दुकान के सामने चावल रखते हैं। इसलिए मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पी.डी.एस. भवन बनवा दें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद मैडम। रामकुमार जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। आपको अवसर मिलते रहता है, 2 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरूघासीदास जी कहे रहिस हे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनो हे सतलोक समान। ये धरती मा समय-समय मा ऐसे महापुरूष मन जन्म लेय रहिस हे, जे मन रोटी, कपड़ा ये सब के महत्व ला बताय रहिस हे। आज मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान मांग के समर्थन मा बोले बर खड़े हव, ये ओही विभाग हे।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज धान खरीदी के बात ला सब बताइस। मैं ओमा नहीं जाना चाहत हव। अभी हमर पुन्नू लाल मोहले जी नहीं हे, उनखर 15 साल से सरकार रहिस हे तो राशन कार्ड ला कोई गरीब आदमी ला बनाना रहिस हे तो जिला मुख्यालय जाय बर लागय। लेकिन जैसे ही मोर सरकार बनिस, येला समझिस अउ ओला ब्लाक स्तर मा करिस। ये होथे, आम आदमी के भावना ला समझने वाला सरकार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब संस्कृति में आ जावा। आदमी हा कतको बड़े बन जाय, अपन धर्म अउ संस्कृति ले बड़े कोई नहीं होवय। कोई आदमी कलेक्टर बन जाय, एस.पी. बन जाय, मुख्यमंत्री बन, प्रधानमंत्री बन जाय, अपन बोली, अपन भाषा, अपन संस्कृति, ओखर अपन महत्व होथे। हर प्रदेश के अलग-अलग महत्व हे, हर प्रदेश मा अलग-अलग संस्कृति हे। हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति, बोली, भाषा, इहां के खाना-पीना, इहां के साल्हे ददरिया, गीत-गोविंद, एखर अलग महत्व हे । लेकिन जैसे ही हमर मुख्यमंत्री जी हा बागडोर ला संभालिसे, अमरजीत भगत जी हा जब संभालिसे, मांदर के थाप बजथे

ना, त कोसो में गोड़ हा थिरकना शुरू हो जाथे समझे । यही च ला मैं जानथंव। मांदर हा बाजथे त मुंड ला डोलाय ला शुरू कर देथव । आज काबर तुंहर जानथंव, मैं कई ठन कार्यक्रम में देखें हंव, हमर ददा नही हे लखमा जी हा, वोला धरे बर लागथे, कुदी देथे वोहा, मैं यादव समाज के अंव, मैं स्वयं राऊत नाचे हंव, मैं जानथंव संस्कृति के बारे में, कइसे संस्कृति होथे ? उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं फिल्म सिटी के बारे में बात करना चाहथंव, हर प्रदेश के देखिहव, अलग-अलग फिल्म के अलग-अलग रीति रिवाज हे, छत्तीसगढ के बजट में फिल्म के लिये भी प्रावधान रखे गे हे, आज जे प्रकार के निगम बनाये गे हे, कुछ दिन के बाद में आपों के बस्तरिहा हीरो, हिरोईन मिलही, सरगुजिहा हिरोईन मिलही, छत्तीसगढ़ी हीरो, हिरोईन बनहीं, मैं मुख्यमंत्री के साथ-साथ संस्कृति मंत्री जी के ध्यान आकर्षित करना चाहथंव, आपसे एक ठन निवेदन हे कि ...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- एकाध ठन मांग कर ?

श्री रामकुमार यादव :- वोहा मांगे च हरै, छत्तीसगढ़ के हित के बात ए । बहुत जरूरी ए । जैसे क्रिकेटर मन के लिये क्रिकेट खेले बर ट्रेनिंग करे जाथे, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाय बर हीरो, हिरोईन बनाय बर, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री रामकुमार यादव :- एखर साथ ही मोर क्षेत्र मा खेमड़ा में एक उपकेन्द्र, दर्राभाठा में उपकेन्द्र...।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सब से बढ़िया सबजेक्ट है, उसे हीरो भी बना दो, उसकी शादी भी करा दो । वह हीरो भी बन जायेगा, उसको हिरोईन भी मिल जायेगी ।

श्री रामकुमार यादव :- एमा मोर भाई ला विलेन भी बना दिहौ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये साहब ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वही मिलही तोला, बकरी अऊ छेरी वोला दिलवा दो ।

श्री रामकुमार यादव :- हॉ, मैं छेरी और भेंडी के भी बात करथंव । काबर आप मन छेरी भेंडी के कदर करे बर काय जानिहव ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री रामकुमार यादव :- वोला पूछके देखव । जे गरीब आदमी ए, मजूरी करने वाला छेरी के बात करे म कतका खुश होथे ? अरबों खरबों में तुंहर पेट नई भरय ? तुमन गरीब के दर्द नइ जानव ? तुमन सिर्फ गरीब के नाम से राजनीति करथव ? छेरी भेंड़ी मन के तुमन उपहास करथव ? छेरी भेंडी वाला मन के तुमन हंसी मजाक उड़ाथव ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- बाकी सब विषय आ गया है, आपसे एक आग्रह यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 20 रूपया क्विंटल (X X) [12] की जो चर्चा है, कृपया अपने उत्तर में इसे साफ करेंगे कि यह क्या है ? प्रदेश की जनता जानना चाहती है, वह इस सदन की ओर टकटकी लगाकर देख रही है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने छेरी बोकरी का बात किया है, उसको निकाल दिया जाये । गरीब आदमी है उसको ऐसा बोलने की जरूरत है क्या ? यह अपमान है । वह चुनाव जीतकर आया है, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है, दिखवा लूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- महात्मा गांधी पाला करते थे । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां-जहां उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहां पूरे गांव के सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी उपभोक्ता वहां आते हैं, कई जगह अच्छी व्यवस्था है, कई जगह हमारे उचित मूल्य की दुकानों में पेयजल की व्यवस्था और पानी का छज्जा, धूप के दिनों में जब जाते हैं तो उनके लिये छाया नहीं मिल पाती है, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा देंगे । दूसरा, आपके माध्यम से निवेदन है कि पुराने जितने दुकानदार थे, जो गड़बड़ी किये हैं, हटा दिये हैं, उनके जगह पर नये दुकानदार आपने नियुक्त किया है । एक-दो सालों से कमीशन की राशि जो बांट रहे हैं, जो गड़बड़ी किये थे, उनके खाते में गया, नये लोगों को नहीं मिल पाया है, इसको भी दिखवा लिया जाये । कुछ ऐसे दुकानें हैं, जहां हमारे बलरामपुर जिले में कई महीनों में कम राशन जाता है और पुराना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण बदनामी होती है, सुनिश्चित किया जाये कि जितने कार्डधारक हैं, उनका पूरा राशन दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री साहब । (मेजों की थपथपाहट)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खाद्य आपूर्ति निगम, संस्कृति और योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग की चर्चा में सभी लोगों ने भाग लिया । भाई गुलाब कमरो जी, भाई अजय चन्द्राकर जी, श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, प्रमोद कुमार शर्मा जी, इंदू बंजारे जी , श्री रामकुमार यादव जी , उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद् देता हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, आपका भाषण शुरू होगा। [xx] है। हम लोगों ने सुबह स्थगन में इस बात की चर्चा की है।

श्री अमरजीत भगत :- तै बैठ तो यार।

श्री नारायण चंदेल :- उस दिन प्रश्न में भी आया था। आप कृपया पहले उसका उत्तर दे दीजिये। उसके बाद आपके भाषण की शुरूआत करिये। क्या इस घोटाले की जांच करायेंगे ?

---

[12] (XX) आसंदी के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बैठिये तो।

श्री अमरजीत भगत :- (व्यवधान) घोटाला तो उधर था। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- (व्यवधान) यह 01 हजार करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला है । माननीय मंत्री जी पहले जवाब में यह बतायें कि.. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठिये। मंत्री जी, चलिये आप जारी रखिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। 01 हजार करोड़ रूपये का चावल, गेहूं, चना .. (व्यवधान)।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या परंपरा है ? यह क्या तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- जवाब दे रहे हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप बिना तथ्य के कैसे कह रहे हैं कि (व्यवधान)।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम सरकार को पूरा सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- जवाब आ रहा है। पहले आप लोग बैठ जाईये। (व्यवधान) मंत्री जी आप जारी रखिये। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, उनका जवाब तो आ जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप जारी रखिये। जवाब आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले उसके घोषणा करें। घोटाले की जांच की घोषणा हो। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, यह [xx] है। क्या उसकी जांच करायेंगे ? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय ,घोटाला तो उधर हुआ है। ई.डी. से जांच कराओ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल में घोटाला हुआ है। उधर ई.डी. से जांच कराओ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- (व्यवधान) पहले जांच की घोषणा हो। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- कर देंगे। आप पहले सुनिये तो। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- आपने बजट भाषण में (व्यवधान)।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सुबह मुद्दा उठाया। गरीबों के चावल [xx] हुआ है। इसके जांच की घोषणा करिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, घोषणा करेंगे। मंत्री जी, आप बोलिये। चलिये आप बैठिये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मंत्री जी आप बात करिये। हम आपके साथ है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- यह गलत बात है। यह गलत परंपरा है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह गरीबों का बड़ा विषय है। यह 01 हजार करोड़ रूपये का मामला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह [xx] है। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- यह लोग फालतू का आरोप लगा रहे हैं। कुछ सूझता नहीं है तो और क्या करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सुबह स्थगन के माध्यम से खाद्य विभाग का चावल, गेहूं, शक्कर, गुड़, चना..। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह कोई ध्यानाकर्षण चल रहा है ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी पहले इसके जांच की घोषणा करें, उसके बाद उत्तर दें। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- (व्यवधान) यह लोग पूरे देश को बेच रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके जांच की घोषणा कराईये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप पहले 15 साल के घोटाले की जांच कराओ। (व्यवधान)

समय :

08.57 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं। आप लोग बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले घोटाले की जांच की घोषणा हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोग बैठिये पहले। प्लीज। माननीय गृहमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, जब ये लोग यह बात उठा रहे हैं कि हमने सुबह 01 हजार करोड़ रूपये के घोटाले की बात की है, उस पर पहले निर्णय हो जाये। उस निर्णय पर अडिग रहना था। इनको अनुदान मांग पर भाग नहीं लेना था, तब माना जाता यह उस पर अडिग है। अनुदान

मांग में पूरी तरह से भाग ले लिये, बात कर लिये। उसके बाद भागने के चक्कर में यह जबर्दस्ती यह बात उठा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हमने अनुदान मांग का विरोध किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने अनुदान मांगों का विरोध किया है। अनुदान मांगों का समर्थन नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- इनको अनुदान मांग पर भाग ही नहीं लेना चाहिए था। आप अनुदान मांग पर भाग क्यों लिये ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न तो प्रश्नकाल है और न ही ध्यानाकर्षण है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चावल, नान और धान में इनको बोलने का तो नैतिक अधिकार ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, प्लीज। संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नान में मत बोला, वह अभी सरकार की नाक के बाल है।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जिसके लिये जांच की बात लिखी थी। वह सरकार के नाक के बाल बने हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी कुछ कह रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- शांत, शांत। अजय जी शांत हो जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था, आसंदी की व्यवस्था के अनुसार, मैं तो प्रतिपक्ष को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मांगों पर इतनी अच्छी चर्चा हो रही है। माननीय अजय जी आपने शुरूआत की, आपने सारी बातें कही है। आपने फुड डिपार्टमेंट में भी कहा है और कल्चर में भी अपनी बात कही है। अब यदि मंत्री जी उत्तर देने खड़े हुए हैं तो आपको तो शांति से सुनना है ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह कि हमने अनुदान मांगों का विरोध किया है। दूसरी बात, सुबह के स्थगन में सरकारी पक्ष से यह बात स्वीकार की गयी कि इसमें इतने-इतने का घोटाला है या कमी है, जो भी भाषा का उपयोग किया गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। यह गलत बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब यह खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, यह झूठा आरोप लगा रहे हैं। यह राजनीति कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- (व्यवधान) जांच करायेंगे या पेपर में।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, घोटाले की बात नहीं स्वीकारी गयी है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई (व्यवधान) की बात नहीं है। कोई घोटाले की बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- (व्यवधान) सदन हम लोगों के सहयोग से चलता है इसलिये रात 9.00 बजे तक बैठे हैं। (व्यवधान) हमको सुनना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज है, गरीबों के अनाज पर जो गड़बड़ हुई है, उनका वह हक दो। तब चर्चा का महत्व है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि नान, धान और चावल के बारे में इनको बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय बृहस्पत भैया, मंत्री जी का जवाब आने दीजिये। आपने प्रश्न रखा है। सभी सदस्यों ने प्रश्न रखा है। सभी सदस्यों ने यहां प्रश्न रखा है। अब आपको जवाब तो सुनना ही चाहिए। उसका निराकरण भी होगा और जवाब भी आएगा। आप यह क्यों सोचते हैं कि जो आप चाहेंगे, माननीय मंत्री जी वही जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, आप एक ऐसे संसदीय कार्यमंत्री जी हैं मैंने उस दिन संसदीय कार्य विभाग की भूमिका में कहा था कि बजट सत्र में स्थगन नहीं लिये जाते। तो आप जो कह रहे हैं उस दिन उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी ये मुद्दा कहां से आ गया?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप और हम मिलकर सदन चला रहे हैं। हम रात 9.00 बजे तक बैठे हैं, लेकिन जिस विभाग की चर्चा हो रही है, वह विभाग को गरीबों के अनाज में जो गड़बड़ हुई है, उसके बारे में बोलना ही है।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो वह उत्तर तो दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वहीं से शुरू हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय,यह बात कोई आवश्यक नहीं है। आपको उत्तर तो सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,यह विधान सभा आपकी मर्जी से चलेगा। यह दादागिरी करते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह मांग करते हैं इसे मानना या नहीं मानना, आपका विषय है। (व्यवधान) हम यह मांग कर सकते हैं इसे मानना या नहीं मानना, आपका विषय है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप रात 9.00 बजे तक सदन चला रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय मंत्री जी ने इसमें 4 पेज का जवाब दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनने की हिम्मत रखे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मांग कर सकते हैं इसे मानना या नहीं मानना, यह आपका विषय है।

श्री रविन्द्र चौबे :- पहले आप उनकी बात तो आने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पहले आश्वासन दीजिए। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप कहिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप लोगों में माननीय मंत्री जी का जवाब सुनने की हिम्मत रखो।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूँ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय मंत्री जी ने उस दिन जवाब दे ही दिया था। आप लोग सुनिए तो सही। आप लोग जवाब सुनने के लिए हिम्मत रखिए। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिए तो। इस सदन में और भी सदस्यों की बातें हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया। उन्होंने जो जवाब दिया है, उसमें एफ.आई.आर. दर्ज किया है। मतलब उन्होंने घोटाले को स्वीकार किया है। उसमें दुकान के आवंटन को निरस्त किया है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- कोई घोटाला नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- और उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए थे। इसलिए उन्होंने घोटाले को स्वीकार किया। जब उन्होंने एफ.आई.आर. किया।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उन्होंने कोई घोटाला स्वीकार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप उन्हें बोलने दीजिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अभी जांच ही नहीं हुई तो कहां से स्वीकार होगा।

संसदीय सचिव, कृषि मंत्री से संबद्ध (सुश्री शकुन्तला साहू) :- कोई घोटाला ही नहीं हुआ है तो वह कहां से स्वीकार करेंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोटाला नहीं है, यह अनियमितताएं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय पाण्डे जी, उन्हें एक मिनट बोलने दीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यहां घोटाले का (व्यवधान) मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप ही बोल रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार किया है फिर उसी बात को बार-बार क्यों कह रहे हैं? आपने सुबह कहा कि उन्होंने स्वीकार किया है। फिर यह अभी चर्चा में क्या आ गया?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने जवाब में स्वीकार किया कि इतना चावल, शक्कर, गुड़, चना कम पाया गया। जब उन्होंने यह स्वीकार किया है मतलब जनता के एक्सचेकर का नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी अपने भाषण की शुरूआत में इस बात की घोषणा कर दें...।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम इसकी कार्यवाही करेंगे और हम इसकी जांच करवायेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय,उसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद कार्यवाही की जायेगी (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और उस गलती के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- वह पहले स्वीकार करें या बाद में करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच से पहले कैसे कार्यवाही कर दी जायेगी। अभी तो जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग कर सकते हैं यह हमारा अधिकार है। यह मानना नहीं मानना, उनका विषय है।

अध्यक्ष महोदय :-ठीक है। उन्हें करने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बोल दें फिर हम सुनेंगे। जब हम 9.00 बजे तक बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने चर्चा की मांग की। आपने अस्वीकार कर दिया कि बजट की चर्चा है, आप उसमें चर्चा करिए। हम चर्चा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मंत्री जी अपना जवाब दें। यह शब्द सबसे पहले कहें कि इसकी जांच करवाई जाएगी, हम दोषियों पर कार्यवाही करेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी यह गड़बड़ हुई है माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इसकी घोषणा करनी चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। कि आज यह किसी को भी विपक्ष बाध्य भी कर सकता है कि यहां उपस्थित होकर, उन्हीं के अनुसार जवाब दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जवाब मत दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- क्या आप हमें बाध्य करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी स्वतंत्रता है और मांग करना हमारा अधिकार है। आप मत उत्तर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- तो क्या आप हमें बाध्य करेंगे? (व्यवधान) आप उन्हें उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आप बैठिए।

श्री उमेश पटेल :-आप उन्हें उत्तर देने दीजिए। आपकी बात आएगी।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग उत्तर सुनने की हिम्मत करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले क्या कार्यवाही करेंगे, उसको बताईए?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले क्या कार्यवाही करेंगे, उसको बताईए इसलिए हम माननीय मंत्री जी के उत्तर का बहिष्कार करते हैं।

समय :
9.05 बजे

<u>बहिष्कार</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में (भारतीय जनता पार्टी) के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात की शुरूआत इन पंक्तियों के साथ करूंगा :-

मंजिल उन्ही को मिलती है,
जिनके सपनों में जान होती है।
पंखो से कुछ नहीं, हौसले में उड़ान होती है,
परिन्दों को मंजिल मिलेगी यकीकन,

ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं,

अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं,

जिनके हुनर बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वाह-वाह, बहुत बढ़िया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नान घोटाला करने वाले लोग हम लोगों को सबक सिखायेंगे। यह छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान धान के कटोरा से है। यह कहते हुए मुझे फक्र हो रहा है कि जिस धान के कटोरे के रखवाले यहां के मेहनतकश लोग इतने सालों तक पिछली सरकार में तकलीफ में थे, इतने दिक्कत में थे, मानसिक अवसाद में थे कि लोग आत्महत्या तक करने के लिए प्रेरित थे, मजबूर थे। आज फक्र के साथ यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार में आने के बाद उन धरतीपुत्रों का, उन मेहनतकश लोगों का आज दिन फिर गया है। आज यह किस मुंह में बात करेंगे? छत्तीसगढ़ में 80 से 85 प्रतिशत लोग यहां किसान निवास करते हैं। वह लोग दिक्कत, परेशानी में थे। उनका कितना धान खरीदी किया जाता था। आप कहें तो पूरा आंकड़ा बता दूं। यह लोग 56 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी नहीं कर पाये और बात बराबरी की करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद पहले साल 2018-19 में 80 मीट्रिक टन, 2019-20 में 84 लाख मीट्रिक टन, 2021-22 में 92 लाख मीट्रिक टन, 2022 में 98 लाख मीट्रिक टन और इस साल 2022-23 में 1 लाख 7 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी किये हैं। यह कहीं तुलना में दिखते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक आमदनी बढ़ रही है, अगर किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, किसानों के चेहरे में चमक है तो इन लोगों को क्यों तकलीफ है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो किसान मानसिक अवसाद में जी रहा था, जो खेती किसानी छोड़ दिया था, खेती किसानी को घाटे का सौदा मानने लगा था। जुताई, गोड़ाई से लेकर के, बीज, खाद सब मंहगा था, उसको लागत नहीं पड़ती थी। लोग गांव में खेती छोड़कर शहर की ओर शिफ्ट हो रहे थे। जब से यह सरकार आई है, जब से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से किसानों का आत्मबल बढ़ा है। किसानों के दिन फिर गये हैं। आज उनके रहन-सहन, ओढ़ावे-पहनावे देखने से पहचान सकते हैं कि यह किसान है। उनकी खुशी इनसे देखी नहीं जा रही है। पूरे हिन्दुस्तान में जहां किसानों का आंदोलन होता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपके इस भाषण को सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सब भाग गये।

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है, वह तो जान रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में जहां किसानों का आंदोलन होता है, उनके ऊपर डंडे बरसाये जाते हैं, पानी की बौछार मारी जाती है, उनको अलगाववादी, आतंकवादी बोला जाता है। किसानों के लिए क्या-क्या शब्द प्रयोग किये हैं।

अन्नदाता का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। जहां भी आंदोलन होता है, छत्तीसगढ मॉडल की मांग होती है। (मेजों की थपथपाहट) यह छत्तीसगढ़ के लिए एक पॉजीटिव बात है। आज अर्थव्यवस्था में कोविड जैसा समय जो त्रासदी का समय था, उस समय भी छत्तीसगढ़ में यहां के नागरिकों के लिए जो खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की गई, वह उत्तम थी। पूरे हिंदुस्तान में जब कोविड फैला था। उस समय मजदूर कमाने गये थे। उनको वहां पर चावल नहीं मिलता था। वहां पर खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनके आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। बच्चे गोद में, सिर में गठरी। लोग हजारों-हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं और कई लोगों ने रास्ता में दम तोड़ दिया। यह बात करते हैं। इनको जरा भी लोगों से हमदर्दी नहीं है। इनको जरा भी लोगों के प्रति इनकी सहानुभूति नहीं है। जहां कर्फ्यू लगता है, जहां बंदी होती है, नियम रहता है। पहले उनको अलर्ट किया जाता है कि जो जहां से आया है। इतना समय दिया जाता है। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गये। इनके एक प्रधानमंत्री आए हैं। अक्सर रात को उठ करके सपने में उठते है। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी जी.एस.टी. लगा देते हैं, कभी कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी बंदी की घोषणा कर देते हैं। रेल गाड़ी बंद, बस बंद, आवागमन ठप्प। लोग मर जाये, लेकिन उनको कोई लेना-देना नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि चाहे मजदूर हो, चाहे आकर कमाने वाले लोग हो, किसी भी शहर में जहां पर भी थे, अगर उनको तकलीफ हुआ, उन्होंने फोन किये, सूचना दिये, उनको खाने की थी व्यवस्था की गई और छत्तीसगढ़ लाने की भी व्यवस्था की गई और जैसे छत्तीसगढ़ की सीमा में आये हैं, उनके लिए उपचार की व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए काम की व्यवस्था, यह छत्तीसगढ़ में ही संभव है। यह बड़े-बड़े डींग हांकने वाले, लंबे-लंबे फेंकने वाले। बनारस में, उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है। हिंदू धर्म, जिसकी लोग दुहाई देते हैं। बहुत बड़ा ठेकेदार बनते हैं। मरने के बाद अंतिम संस्कार सम्मान से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा जी में लाशें तैर रही थीं। इनको शर्म आना चाहिए। ये बात करते हैं। धान खरीदी में हमने रिकार्ड बनाया है। हमने लोगों के लिए चावल और राशन पहुंचाने में रिकार्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, उन्होंने स्लोगन दिया है कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोयेगा। (मेजों की थपथपाहट) सस्ता चावल, सबका अधिकार।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप बीच-बीच में हाथ के डायरेक्शन ला एती-तेती कर देथा, ओहर सीधा-सीधा इ साइड दिखथे। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली सरकार में देखा है कि गरीबों के प्रति इनके दिल में क्या जगह है। हरा, पीला, नीला, केसरिया राशन कार्ड बनता था। पता नहीं, कितने प्रकार का राशन कार्ड है। इनसे पूछ लिया जाये तो इनको भी नहीं मालूम होगा कि कितने प्रकार का राशन कार्ड बनता था। राशन कार्ड चुनाव के समय बनता था और जैसे ही चुनाव निपटा इसके बाद राशन कार्ड सत्यापन के नाम से कैची चलना शुरू। लोग परेशान रहते थे। राशन कार्ड इनके आयोजन में लोगों

को डाराने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए हजकार बन गया था। मैं विश्वास के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, यूनिवर्सल पीडीएस लागू हुआ है। बी.पी.एल. के साथ-साथ ए.पी.एल. को भी राशन कार्ड दिया जा रहा है। जो भी राशन कार्ड मांगेगा, शत् प्रतिशत लोगों को राशन कार्ड दिया जायेगा। गरीब और अमीर के बीच में केवल एक फर्क है कि गरीब को 1 रूपये किलो में चावल मिलेगा और अमीर को 10 रूपये किलो में चावल मिलेगा । जब से कोविड आया है, तब से हम सभी लोगों को जो बी.पी.एल. के हैं, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के कार्ड धारी हैं, छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा के कार्ड धारी हैं, सभी को नि:शुल्क चावल दे रहे हैं और यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम अगले साल दिसंबर तक फ्री में लोगों को चावल देंगे। (मेजों की थपथपाहट) ये क्या बात करेंगे ? धान घोटाला करने वाले, नान घोटाला करने वाले । इनका तो नैतिक साहस नहीं है कि निगाह उठाकर बात करें, नजरों से नजर मिलाकर बात करें । जो घोटाले हुए थे, अगर आप अवसर देंगे तो मैं एक-एक चीज के आंकड़े बता सकता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में कितने राशनकॉर्ड थे ? इनके समय में केवल 58 लाख राशन कॉर्ड थे और आज हमारे पास 73 लाख 83,000 राशन कॉर्ड प्रचलन में हैं । (मेजों की थपथपाहट) इनके ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब सुनने वाले तो हैं नहीं । आप भी जल्दी खत्म कर दीजिये ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुर्सी को ही सुना देता हूं क्योंकि इनमें तो सुनने का साहस है नहीं तो इस प्रदेश में जहां पर धान खरीदी के काम की उत्तम व्यवस्था, यहां के किसानों को ऐसा लगता था कि जैसे वह पिछली सरकार में किसान नहीं था, उनको अपराधी जैसा बोध होता था । अगर धान कमा भी लिया तो बेचने के लिये उनको रतजगा करना पड़ता था । मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तम व्यवस्था की गयी, धान खरीदी केंद्र खोले गये । ई-टोकन की व्यवस्था की गयी जिससे मजे से लोग अपना धान बेच रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की कीमत कमा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कस्टम मीलिंग में भी समय पर उठाव किया और कस्टम मीलिंग चल रही है और सेंट्रल पुल में भी हम लगातार चावल जमा कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृति विभाग के बारे में थोड़ा सा बोलकर के सबसे आह्वान करूंगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसा छत्तीसगढ़ियों के साथ व्यवहार करते थे कि जैसे दोयम दर्जे के हों । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं यहां की संस्कृति, यहां के तीज-त्यौहार, हमारी परंपरा जाग्रत हुई है । विभिन्न अवसरों पर लोगों को अपनेपन का एहसास कराया है । उनके तीज-त्यौहारों में छुट्टी देकर के उनको गौरव का एहसास कराया है। आदिवासी वर्ग के लोग जबसे से पिछले 15 सालों की सरकार में चूंकि 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं

उसकी छुट्टी मांगते-मांगते थक गये थे लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली थी लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार बनी । इन्होंने बिना मांगे उनको छुट्टी दी और लोग मजे से उस आयोजन को हर जगह मनाते हैं । मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जिसमें पूरे देश और दुनिया की संस्कृति के लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं । उसके माध्यम से देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी है । आज आयोजन के माध्यम से यहां के लोककलाकारों को काम मिल रहा है, जो उनको अवसर मिल रहा है । आर्थिक रूप से सब लोगों को फायदा हो रहा है, उनके जीविकोपार्जन का एक साधन बना हुआ है, इनके समय में कौन आता था ? करीना आती थी, इनके समय में कौन आता था ? सलमान खान आता था । इनको छत्तीसगढ़ियों से [xx] आती थी । लेकिन आज हमारी संस्कृति पर हम गर्व करते हैं । हमारी संस्कृति, हमारे आयोजन हर जगह पर हो रहे हैं और यहां के कलाकारों का सम्मान हो रहा है । (मेजों की थपथपाहट) मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो आप लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिया है उसको कृपया वापस लें और सभी लोग सर्वसम्मति से हमारा जो बजट है उसको पारित करें ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय मंत्री जी, जो मांग किये हैं कृपया उसके बारे में यहां पर घोषणा कर दीजिये । बस हम लोग ही तो बचे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 39, 26, एवं 31 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए - तीन हजार चौसठ करोड़, छः लाख, चौदह हजार रूपये,

मांग संख्या 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए - एक सौ तेरह करोड़, चवालीस लाख, तिरसठ हजार रूपये तथा

मांग संख्या 31 योजना, आर्थिक तथा संख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए-बांसठ करोड़, दो लाख, सत्तासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(रात्रि 9 बजकर 20 मिनट पर विधान सभा मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 (फाल्गुन-30, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 20 मार्च, 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं